परिणाम बजट

2012-2013

सत्यमेव जयते

वित्त मंत्रालय

भारत सरकार

अर्थमूलं कार्यम्

परिणाम बजट 2012-13

वित्त मंत्रालय

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
प्राक्कथन	(i)
कार्यकारी सारांश	(iii)-(xii)
माँग सं. 32 - आर्थिक कार्य विभाग	1-25
माँग सं. 33 - वित्तीय सेवा विभाग	27-60
माँग सं. 38 - व्यय विभाग	61-71
माँग सं. 41- राजस्व विभाग	73-98
माँग सं. 42- प्रत्यक्ष कर	99-127
माँग सं. 43 - अप्रत्यक्ष कर	129-176
माँग सं. 44 - विनिवेश विभाग	177-184

प्राक्कथन

"परिणाम बजट" व्यय की योजना बनाकर, उपयुक्त लक्ष्य सुनिश्चित कर, प्रत्येक योजना की निहित क्षमता का आकलन करके "परिव्यय को परिणाम" में बदलने का सरकार का प्रयास है। "परिणाम बजट" लोगों के प्रति सरकार के जवाबदेह और पारदर्शी होने की एक कोशिश है।

कार्यकारी सारांश के अतिरिक्त परिणाम बजट 2012-13 में सात अध्याय विभिन्न मांगों से संबंधित हैं जिनके लिए परिणाम बजट तैयार किया जाना है। ये हैं, आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय, राजस्व, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और विनिवेश। इन अध्यायों में परिव्यय और परिणाम; सुधारात्मक उपाय; नीतिगत पहल और शुरू किए गए कार्यक्रम; पिछले निष्पादन की समीक्षा; 3 वर्षों की वित्तीय समीक्षा तथा सांविधिक और स्वायत्त निकायों के निष्पादन की समीक्षा संबंधी विवरणों पर परिचर्चा की गई है।

कार्यकारी सारांश

वित्त मंत्रालय केन्द्रीय सरकार के वित्त-साधनों के प्रबंध के लिए उत्तरदायी है। इसका संबंध ऐसे आर्थिक और वित्तीय वि-ायों से है जिनका देश पर समग्र रूप से प्रभाव पड़ता है। यह विकास के लिए संसाधन जुटाता है, केन्द्रीय सरकार के व्यय को विनियमित करता है तथा राज्यों को संसाधन अंतरण करने सबंधी मामलों पर कार्रवाई करता है। यह आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने, व्यय के लिए प्राथमिकताएं निश्चित करने, बजट के लिए संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने तथा निधियों के उपयोग का औचित्य सुनिश्चित करने हेतु अन्य मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, भारतीय रिजर्व बैंक, लोक वित्तीय संस्थाओं और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ कार्य करता है। बहुपक्षीय एजेंसियों एवं विदेशी सरकारों के साथ इस मंत्रालय के स्ट्रेटेजिक संबंध होते हैं। यह मंत्रालय निम्नलिखित तेरह मांगों का प्रबन्ध करता हैः

मांग संख्या	विभाग
32	आर्थिक कार्य विभाग
33	वित्तीय सेवाएं विभाग
34	विनियोग - ब्याज अदायगियां
35	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्त-साधनों का अंतरण
36	सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि
37	विनियोग - ऋण की अदायगी
38	व्यय विभाग
39	पेंशन
40	भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग
41	राजस्व विभाग
42	प्रत्यक्ष कर
43	अप्रत्यक्ष कर
44	विनिवेश विभाग

छः मांगें आर्थात; 34 - ब्याज अदायगियां, 35 - राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को (वित्त-साधनों का) अंतरण, 36 - सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि, 37 - ऋण की वापसी अदायगी, 39 - पेंशन, और 40 - भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग, विशे-ा रूप से, परिणाम बजट के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। इस मंत्रालय के अधीन सभी 13 मांगों के लिए बजटीय प्रावधानों का सारांश इस कार्यकारी सारांश के अनुबंध में दिया गया है।

मंत्रालय के परिणाम बजट 2011-12 का संक्षिप्त सार इस प्रकार हैः

मांग संख्या 32 - आर्थिक कार्य विभाग

आर्थिक कार्य विभाग केंद्रीय सरकार का नोडल विभाग है। यह देश की आर्थिक नीतियां और ऐसे कार्यक्रम बनाता है जिनका आर्थिक प्रबंधन के रा-ट्रीय एवं अंतर्रा-ट्रीय पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है। यह विभाग वार्-िक केन्द्रीय बजट (रेल बजट को छोड़कर) और आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करता है।

कुछ मुख्य कार्यकलापों एवं कार्यक्रमों का उल्लेख इस प्रकार हैः

- मोटर स्पीरिट और हाई स्पीड डीजल पर अतिरिक्त लेवी के प्रति रेलवे सुरक्षा कार्यों (₹1102.45 करोड़) के लिए अंशदान (आयोजना) - 2012-13 के दौरान इस योजना के अंतर्गत, रेल मंत्रालय ने 2500 स्थानों पर कार्मिकों की नियुक्ति करके, उठाए जाने वाले 150 बैरियर लगाकर तथा 1000 स्थलों पर आधारभूत ढांचे की व्यवस्था करके लेवल क्रासिंग की सुरक्षा सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखा है। सभी फाटकों, जहां कार्मिक तैनात हैं, पर टेलीफोन लगाए जाएंगे। सीमित ऊंचाई वाले 500 सब वे और 200 रोड ओवर/अंडर ब्रिज का निर्माण किया जाना भी प्रस्तावित है।
- अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी की वित्तीय सहायता योजना में परियोजना की कुल परियोजना लागत के 20 प्रतिशत तक सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर निधियन (वीजीएफ) की व्यवस्था का उल्लेख है। अब तक, ₹61,826.28 करोड़ की कुल परियोजना लागत तथा ₹11,996.87 करोड़ के व्यवहार्यता अंतर निधियन से 111 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है। तथापि, इन प्रस्तावों की व्यवहार्यता अंतर निधियन की वास्तविक राशि, नीलामी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही ज्ञात हो पाएगी। 25 परियोजनाओं के लिए वित्तीय परिसमापन की स्थिति प्राप्त हो गयी है। मध्य प्रदेश और गुजरात में 14 परियोजनाओं को प्रीमियम पर दिया गया है जहां किसी वीजीएफ सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। वीजीएफ योजना के अंतर्गत दिसंबर, 2011 तक ₹332.23 करोड़ की राशि संवितरित की गयी है। प्रायोजन प्राधिकारी की आवश्यकताओं और पहले से अंतिम अनुमोदन प्रदत्त परियोजनाओं की संख्या के आधार पर बजट अनु. 2012-13 में ₹437.55 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।
- भारत अवंसरचना परियोजना विकास निधि योजना में, सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के कुल परियोजना विकास व्यय के 75 प्रतिशत तक सहायता दी जाती है। अब तक, इस योजना के अंतर्गत ₹60.06 करोड़ की सहायता से 49 परियोजनाएं अनुमोदित की गयी हैं। वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 में इस योजना के तहत क्रमशः ₹1.32 करोड़, ₹7.55 करोड़ और ₹7.00 करोड़ की राशि संवितरित की गयी है। वर्ष 2011-12 में दिसंबर, 2011 तक, लगभग ₹2.56 करोड़ की राशि संवितरित की गयी है।
- वर्ष 2012-13 के दौरान, एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया को ब्याज समकरण सहायता के लिए ₹225.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह योजना 2003-04 में प्रारंभ की गयी थी। 8 वर्षों की अवधि के दौरान एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से भारत सरकार समर्थित 155 क्रेडिट श्रृंखलाएं अनुमोदित की गयीं। इनमें, कुल मिलाकर, 8,749.67 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण राशि सम्मिलित रही। ये ऋण श्रृंखलाएं विश्व के भिन्न-भिन्न महाद्वीपों में स्थित 61 विकासशील देशों को दी गयीं। हमने 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (दिसंबर, 2011 तक) के दौरान क्रमशः ₹118.87 करोड़, ₹127.70 करोड़ और ₹123.40 करोड़ की ब्याज समकरण सहायता संवितरित की है।

मांग सं. 33- वित्तीय सेवाएं विभाग

वित्तीय सेवाएं विभाग की जवाबदेही सरकारी क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, कृ-ि ऋण, सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों और पेंशन

सुधार से संबंधित मुद्दों के लिए है। प्रमुख कार्यकलापों का सारांश निम्न प्रकार से हैः

- ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत किसानों को अल्पावधिक ऋण प्रदान करने के लिए व-र्ा 2011-2012 के बजट अनुमान में ₹4868 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया था जिसे व-र्ा 2011-2012 के संशोधित अनुमान में घटाकर ₹4000.00 करोड़ किया गया। दिसंबर 2011 तक ₹1422.96 करोड़ की राशि रिलीज की गई थी। इस योजना के लिए व-र्ा 2012-13 के दौरान ₹6000.00 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।
- व-र्ा 2011-2012 के बजट अनुमान में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पूंजीकरण हेतु ₹6000.00 करोड़ प्रदान किए गए ताकि सरकारी क्षेत्र के बैंक जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी अनुपात के 8% के स्तर पर बनाए रख सकें और सभी सरकारी बैंकों में भारत सरकार की धारिता को 58% तक बढ़ाया जा सके। व-र्ा 2012-2013 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए लिए ₹14588.00 करोड़ की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।
- सरकार द्वारा भारतीय निर्यात-आयात (एक्जिम) बैंक तथा भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लि. (आईआईएफसीएल) को इक्विटी सहायता प्रदान की जाती है ताकि उनकी प्रदत्त पूंजी का स्तर उनकी प्राधिकृत पूंजी के स्तर तक बढ़ाया जा सके। व-र्ा 2011-12 के दौरान एक्जिम बैंक के लिए ₹300.00 करोड़ और आईआईएफसीएल के लिए ₹500 करोड़ रिलीज किए गए हैं। व-र्ा 2011-2012 के बजट अनुमान में एक्जिम बैंक के लिए ₹200.00 करोड़ और आईआईएफसीएल के लिए ₹400.00 करोड़ की राशि की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।
- व-र्ा 2011-12 के बजट अनुमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पुनर्पूंजीकरण के लिए ₹500.00 करोड़ प्रदान किए गए ताकि उनके सीआरएआर को समयबद्ध तरीके से 7 प्रतिशत तक लाने और आगे पुनः 9 प्रतिशत तक ले जाने में उनकी सहायता की जा सके। दिसम्बर, 2011 तक ₹110.83 करोड़ जारी किए गए थे। इस उद्देश्य के लिए बजट अनुमान 2012-13 में ₹200.00 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है।
- असंगठित क्षेत्र के लोगों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए नई पेंशन प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत करवा कर उन्हें बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु व-र्ा 2010-11 के दौरान "स्वावलंबन स्कीम" शुरू की गई थी जिसमें अभिदाताओं के एनपीएस खाते में ₹1000.00 के सरकारी अंशदान की व्यवस्था है । इस स्कीम के लिए व-र्ा 2011-12 के बजट अनुमान में ₹220.00 करोड़ का प्रावधान किया गया था जिसे 2011-12 के संशोधित अनुमान में घटाकर ₹110.00 करोड़ कर दिया गया। इस स्कीम के लिए व-र्ा 2012-13 के बजट अनुमान में ₹220.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि का प्रावधान करने का प्रस्ताव है।
- नाबार्ड के पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए व-र्ा 2011-12 में ₹1000.00 करोड़ और 2012-13 में ₹500.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है ताकि यह अपने विकासपरक अधिदेश को पूरा करने के लिए अपनी उधार क्षमता को बढ़ा सके।
- महिलाओं के स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देकर महिलाओं को समर्थ बनाने के लिए नाबार्ड में ₹500.00 करोड़ के कापर्स के साथ महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि बनाई गई है। व-र्ा 2011-12 में इस निधि के लिए ₹100.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस निधि के लिए व-र्ा 2012-13 के बजट अनुमान में ₹200.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि का प्रावधान करने का भी प्रस्ताव है।

मांग संख्या 38 - व्यय विभाग

व्यय विभाग, केन्द्र सरकार में सार्वजनिक व्यय-प्रबंधन प्रणाली और राज्य वित्त से संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार है । यह केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में व्यय प्रबंधन पर निगरानी रखता है तथा व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर नजर रखता है । यह विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के परिणाम बजट का समन्वय करता है, विकास कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को निधियां जारी करता है और केन्द्रीय योजना संबंधी मामलों पर निगरानी रखता है । इसके प्रमुख कार्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैंः

- जिन महत्वपूर्ण फ्लैगशिप स्कीमों के लिए वर्ष 2011-12 में योजना के तहत निधियां दी गई हैं, उनमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि स्कीम आदि शामिल हैं । व्यय विभाग की मांग संख्या 35 में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता हेतु बजट अनुमान वर्ष 2011-12 में ₹80741.61 करोड़ के परिव्यय के मुकाबले में दिनांक 15.02.2012 की स्थिति के अनुसार ₹61138.93 करोड़ जारी किए गए हैं । वित्त वर्ष 2012-13 में राज्य योजना स्कीमों के लिए ₹99543.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है जो ₹80741.61 करोड़ के बजट अनुमान 2011-12 के मुकाबले में 23.29 प्रतिशत अधिक है ।
- 01 जनवरी से 31 दिसम्बर, 2011 के बीच सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की 50 बैठकें हुईं । इन बैठकों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के ₹58042.42 करोड़ के योजना निवेश प्रस्तावों/स्कीमों पर विचार किया गया। इस अवधि के दौरान सार्वजनिक निवेश बोर्ड की 5 बैठकें हुईं जिनमें ₹15833.57 करोड़ की लागत के प्रस्तावों पर विचार किया गया ।
- राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एन.आई.एफ.एम.) की प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने हेतु केन्द्रीय योजना स्कीम के लिए वर्ष 2012-13 में राजस्व खंड के तहत ₹4.00 करोड़ का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है । इस प्रावधान में से ₹3.00 करोड़ केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के 50 अधिकारियों को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट (पी.जी.डी.बी.एम.)- वित्त के मूलभूत तत्वों को शामिल करते हुए उच्च स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण देने के लिए हैं । वर्ष 2011-12 में 40 प्रायोजित उम्मीदवारों ने भाग लिया जिनमें केन्द्र सरकार (15), आंध्र प्रदेश (1), बिहार (2), हिमाचल प्रदेश (2), मध्य प्रदेश (1), केरल (1), मणिपुर (5), मिजोरम (2), उड़ीसा (2), राजस्थान (4) तमिलनाडु (1), त्रिपुरा (1) उत्तर प्रदेश (1), उत्तराखंड (2) और निजी क्षेत्र (2) के अभ्यर्थी शामिल हैं । राजस्व खंड के अंतर्गत ₹1.00 करोड़ का प्रावधान राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन फाइनेंसियल मार्किट में केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के 20 अधिकारियों को एक वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए है ।

मांग सं0 41 - राजस्व विभाग

- राजस्व विभाग के अंतर्गत मुख्य व्यय केन्द्रीय बिक्री कर(सीएसटी) की चरणबद्ध समाप्ति के कारण राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की

सरकारों को प्रतिपूर्ति के प्रति है जिसके लिए वर्ष 2012-13 के बजट में ₹300 करोड़ रखे गये हैं । दूसरा मुख्य व्यय मूल्य वर्धित कर संबंधी व्यय है जिसके लिए 2012-13 के बजट में ₹200 करोड़ रखे गये हैं । परिणामी बजट में शामिल अन्य गैर योजना व्यय में वैट योजना के कार्यान्वयन, कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली (टीआईएनएक्सएसवाईएस) की स्थापना एवं सरकारी अफीम एवं क्षारोध कार्य से संबंधित व्यय रखा गया है ।

- सभी राज्यों में वैट का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन एक उपलब्धि है । वैट प्रतिपूर्ति के लिए राज्यों को ₹19,002.82 करोड़ की राशि जारी की गई है जिसमें वर्ष 2005-06 में जारी ₹2471.27 करोड़, 2006-07 में ₹4092.13 करोड़, 2007-08 में ₹3880.48 करोड़, 2008-09 में ₹4361.95 करोड़ और 2009-10 में ₹3002 करोड़ और 2010-11 में ₹879.17 करोड़ और वर्ष 2011-12 (31 दिसम्बर, 2011 तक) ₹315.82 करोड़ जारी की गई राशि शामिल है । सभी राज्यों के दावे निपटाए गए हैं ।
- केन्द्रीय बिक्री कर की दर 1 अप्रैल,2007 से 4%से घटाकर 3% और 1.6.2008 से 3%से घटाकर 2 % कर दी गई है । राज्यों को ₹30860.42 करोड़ की प्रतिपूर्ति राशि जारी की गई है जिसमें 2007-08 में ₹2168.88 करोड़, 2008-09 में ₹1950 करोड़ और 2009-10 में ₹8735.18 करोड़ और 2010-11 में ₹13833.78 करोड़ और ₹4172.58 करोड़ (31 दिसम्बर, 2011 तक) की जारी राशि शामिल है ।
- राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कराधान अध्ययन के लिए दो संस्थानों की स्थापना/उन्नयन सहित राज्य कर प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए, वैट कार्यान्वयन से संबंधित व्यय और वैट तथा केन्द्रीय ब्रिक्री कर के कारण होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति के लिए बजट अनुमान 2012-13 में कुल ₹500 करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं । वैट/केन्द्रीय बिक्री कर योजना के कार्यान्वयन तथा वैट से संबंधित व्यय के प्रति राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की प्रतिपूर्ति के लिए होने वाला व्यय इस अनुदान के अंतर्गत वर्ष 2011-12 में होने वाले कुल व्यय का 86.81% है और 2012-13 में यह 42.42% है।
- राज्य सरकार के वाणिज्य कर प्रशासनों के कम्प्यूटरीकरण हेतु मिशन मोड परियोजना के लिए ₹1133.41 करोड़ की समग्र लागत अनुमोदित की गई है और 31 दिसम्बर, 2011 तक केन्द्रीय हिस्सा के रूप में ₹422.98 करोड की राशि जारी की गई जिसमें से वर्ष 2009-10 में जारी ₹145 करोड़ और वर्ष 2010-11 में जारी ₹206.32 करोड़ और वर्ष 2011-12 में जारी (31 दिसम्बर, 2011 तक) ₹71.66 करोड़ शामिल है।
- गाजीपुर और नीमच स्थित सरकारी अफीम एवं क्षारोध कार्य निर्यात के लिए कच्ची अफीम का प्रसंस्करण करते हैं, अफीम क्षारोध का निर्माण और अन्य संबंधित कार्य करते हैं । उन्होंने 2010-11 में बजट अनुमान के ₹308 करोड़ की तुलना में ₹237.54 करोड़ के राजस्व की वसूली की है। 2011-12 में (दिसम्बर, 2011 तक) ₹432.47 करोड़ के संशोधित अनुमान की तुलना में ₹289.40 करोड़ के राजस्व की वसूली की है।
- पोस्त खेतिहरों के लिए स्मार्ट कार्ड परियोजना को वर्ष 2007-08 में विस्तारित कर दिया गया है जिससे कि सभी 17 अफीम प्रभाग इसमें शामिल किए जा सकें । एक बार इस परियोजना का पूर्णतः और सफलतापूर्वक कार्यान्वयन होने से विभिन्न खेतिहर गतिविधियों की निगरानी की जा सकेगी तथा नीति स्तरीय निर्णयों के लिए भी यह उपयोगी होगा ।
- प्रशासनिक एवं समन्वय यूनिटों द्वारा परिणामी बजट से संबंधित अपनी-अपनी मदों के संबंध में मासिक रिपोर्ट देने की प्रणाली प्रारंभ की गई है । परिणामी बजट के तहत व्यय की प्रवृत्ति एवं प्रगति की मासिक एवं त्रैमासिक समीक्षा विभाग/मंत्रालय के स्तर पर की जाती है । प्रमुख परियोजना मदों के संबंध में कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए परियोजना मानिटरिंग/कार्यान्वयन समिति स्थापित की गई हैं । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के विशाल कम्प्यूटरीकरण उद्यम हेतु समन्वित प्रयासों तथा तेजी से निर्णय लेने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति भी कार्य कर रही है जिसमें निजी क्षेत्र के श्रेष्ठ विशेषज्ञ भी सदस्य हैं ।

मांग संख्या 42- प्रत्यक्ष कर

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी बी डी टी) शीर्ष संस्था है जिसे भारत में प्रत्यक्ष कर कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 17 निदेशालयों द्वारा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की सहायता की जाती है जो इसके संबद्ध कार्यालय के रूप में काम करते हैं। विभिन्न मुख्य आयकर आयुक्त पूरे देश में प्रत्यक्ष करों के संग्रहण का पर्यवेक्षण करते हैं और करदाता सेवाएं प्रदान करते हैं जबकि आयकर महानिदेशक (जांच) कर अपवंचन को रोकने एवं बेहिसाबी धन का पर्दाफाश करने के उद्देश्य से जांच तत्रं का पर्यवेक्षण करते हैं। अपीली तंत्र भी हैं जिसमें आयकर आयुक्त (अपील) शामिल हैं जो कर निर्धारण अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ अपीलों का निर्णय करने का अर्द्ध- न्यायिक कार्य सम्पन्न करते हैं ।

- 'सूचना प्रौद्योगिकी' के अन्तर्गत 2012-13 के बजट अनुमान में ₹225.00 करोड़ के परिव्यय का प्रावधान किया गया है जिसे अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों/योजनाओं पर खर्च किया जाना है:
  - आयकर विभाग में व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के चरण-III के लिए संदर्शी योजना
    - कम्प्यूटर एकीकरण
    - पूरे भारत में कर नेटवर्क
  - कर सूचना नेटवर्क (टिन)
  - करोबार प्रक्रिया रि-इंजीनियरिंग
  - करदाता सेवाएं
    - आयकर संपर्क केन्द्र
    - आयकर विवरणियों की ई- फाईलिंग
    - करों का ई- भुगतान
    - प्रतिदायों का ऑन-लाइन पता लगाना
  - आयकर विवरणियों का केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र
    - (कागजी और ई-फाईलिंग दोनों)
  - टीडीएस विवरणियों हेतु केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र
  - लेखा रखने हेतु ऑन लाइन मानीटरिंग प्रणाली
    - राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय
- विभिन्न स्थानों पर कार्यालय आवास के क्रय/ निर्माण हेतु जिसमें दिल्ली के एम सी डी सिविक केन्द्र में कार्यालय स्थान के अधिग्रहण को पूरा करना, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर में एक उन्नत प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण, नोएडा, बंगलुरू और नरीमन प्वॉइंट, मुम्बई में कार्यालय भवन का निर्माण, मोहाली में आर टी

आई भवन का निर्माण, लखनऊ एवं श्रीनगर में कार्यालय एवं आवासीय भवन का निर्माण तथा गोल्फ लिंक, नई दिल्ली में अतिथि गृह का निर्माण शामिल है, 2012-13 के बजट अनुमान में पूंजी खण्ड के अन्तर्गत ₹777.48 करोड़ के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

- पुणे एवं जम्मू में आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए 2012-13 के बजट अनुमान में पूंजी खंड के अन्तर्गत ₹30.00 करोड़ के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।
- विभाग द्वारा अपनाए गए उपायों एवं पहलों का उद्देश्य कर कानूनों एवं प्रक्रियाओं को सरल बनाना, करदाताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना और करदाताओं एवं पदाधिकारियों के बीच मानव मध्यस्थता को न्यूनतम करना है। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, आयकर विवरणी ऑन लाइन तैयार करने एवं दायर करने की सुविधाएं, विवरणियों की क्रेंद्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र, प्रतिदाय बैंकर योजना जिसमें प्रतिदायों को इलेक्ट्रानिक समाशोधन (ईसीएस), द्वारा सीधे करदाता के खाते में डाला जाना, करों को ई-भुगतान, प्रतिदायों की ऑन लाइन ट्रेकिंग, कर विवरणी तैयारकर्ता योजना (टीआरपीएस), एकल खिड़की करदाता सेवाओं हेतु 60 आयकर सेवा केन्द्रों का गठन, आयकर सम्पर्क केन्द्र (कॉल सेंटर) आदि शामिल हैं। अभी नए फिर से लिखे गए सिटिज़न चार्टर पर आधारित जन-सेवा प्रदाता में उत्कृष्टता लाने के उद्देश्य से एक 'सेवोत्तम' योजना भी शुरू की गई है।
- भूमि, कार्यालय भवन, आवासीय क्वार्टर, वाहन एवं फर्नीचर आदि जैसी परिसम्पत्ति जिनका प्रत्येक का अंकित मूल्य दो लाख रूपए या अधिक है का परिसम्पत्ति रजिस्टर तैयार करने एवं मानीटर करने के लिए आयकर विभाग के अवसंरचना निदेशालय ने एक तंत्र स्थापित किया है। 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार ऐसी परिसम्पत्तियों का मूल्य ₹4408.71 करोड़ है।
- 2010-11 में इस अनुदान के अंतर्गत वास्तविक व्यय ₹4345.31 करोड़ के संशोधित अनुमान के विरूद्ध ₹4270.24 करोड़ था जो 98.27% का उपयोग दर्शाता है। वर्ष 2011-12 के दौरान, 31 दिसम्बर 2011 तक वास्तविक व्यय ₹3315.78 करोड़ के संशोधित अनुमान के विरूद्ध ₹2351.29 करोड़ है जो 70.91 % के उपयोग को दर्शाता है।

मांग सं. 43 - अप्रत्यक्ष कर

- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना समेकन परियोजना के लिए ₹598.97 करोड़ के संशोधित खर्च को सी सी ई ए ने मंजूरी दे दी है और अब इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है । व्यापक तौर पर कम्प्यूटरीकरण किया गया है जिसमें वृहद क्षेत्रीय/स्थानीय क्षेत्रीय नेटवर्क शामिल है जिससे सभी कार्यालयों, समुद्री पत्तनों, हवाई अड्डों, कंटेनर डिपो को जोड़ा गया है, डाटावेयर हाउस की स्थापना की गयी है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में आटोमेशन किया गया है तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है जिससे आयात आदि का तेजी से क्लियरेंस किया जा सके। इस परियोजना के विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन के लिये विक्रेताओं को ठेके दे दिए गए हैं। अधिकांश घटक तो लगभग पूरे हो गये हैं शेष घटकों के मार्च 2011 तक पूरा हो जाने की संभावना है। वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 और 2010-11 में क्रमशः ₹84.46 करोड़, ₹167.17 करोड़ और ₹186.41 करोड़ तथा ₹145.53 करोड़ खर्च किए गए हैं। 2011-12 के दौरान दिसंबर 2011 तक ₹87.33 करोड़ खर्च किए गए।
- सभी प्रमुख सीमाशुल्क पत्तनों/एयरपोर्ट पर जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) प्रचालनरत हैं जो भारत के 95% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कवर करते हैं। आर एम एस का नया उन्नत संस्करण 69 अवस्थानों पर कार्यरत है।

कार्गो क्लीयरेंस हेतु 7 और इलेक्ट्रॉनिक कंटेनर स्कैनर (3 मोबाईल गामा रे स्कैनर और 4 फिक्स्ड एक्स-रे स्कैनर) प्राप्त करने का प्रयास चल रहा है। मोबाईल स्कैनरों को वर्ष 2011-12 और फिक्स्ड स्कैनरों को वर्ष 2012-13 में लगा दिए जाने की संभावना है। जल क्षेत्र में तस्करी रोधी संचालनों को सुदृढ़ करने के लिए 109 समुद्री जलयान भी प्राप्त किए जा रहे हैं और 95 जलयान दिसम्बर, 2010 तक प्राप्त किए जा चुके हैं। सभी जलयानों के वित्तीय वर्ष 2011-12 तक प्राप्त कर लिए जाने की आशा है।

वर्ष 2012-13 के लिए कुल ₹87.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं के तहत वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 और 2010-11 में क्रमशः ₹27.42 करोड़, ₹99.88 करोड़ और ₹78.64 करोड़ तथा ₹33.20 करोड़ खर्च किए गए हैं। 2011-12 के दौरान दिसंबर 2011 तक ₹2.95 करोड़ खर्च किए गए।

- उत्पाद शुल्क, आय कर/कारपोरेट कर और सेवा कर का भुगतान करने वाले बड़े कर दाताओं के लिए बेंगलोर, चेन्नई, मुम्बई और दिल्ली में सिंगल विंडो सेवा की स्थापना की गई है। कोई भी व्यक्ति अथवा कम्पनी जिसने पिछले किसी भी वर्ष के दौरान ₹10 करोड़ से अधिक आय कर/कारपोरेट कर अथवा ₹5 करोड़ उत्पाद शुल्क अथवा सेवा कर का भुगतान कर चुका है, संबंधित बड़े करदाता यूनिट के लिए सहमति प्रदान करते हुए बड़े करदाता के रूप में कार्य करने के विकल्प का चयन कर सकता है।
- क्षमता निर्माण और विभिन्न क्षेत्रीय यूनिटों की अवसंरचना में सुधार वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान संग्रहित क्रमशः ₹71.42 करोड़ और ₹113.63 करोड़ के बढ़े हुए राजस्व का 1% उपयोग करके शुरु किया गया है। इसके लिए वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 और 2010-11 में क्रमशः ₹29.41 करोड़, ₹16.12 करोड़, ₹27.70 करोड़ तथा ₹13.03 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। 2011-12 के दौरान विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में ₹14.82 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। वर्ष 2012-13 के लिए, ₹32.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मांग संख्या 44 - विनिवेश विभाग

अधिदेश

विनिवेश विभाग केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सरकारी शेयरधारिता का विनिवेश करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, यह विभाग केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पूर्ववर्ती उद्यमों में बिक्री की पेशकश या निजी भागीदारी के जरिए केन्द्रीय सरकार की इक्विटी बिक्री से संबंधी सभी मामलों पर कार्रवाई करता है।

कार्यपद्धति (ऐप्रोच)

इस समय, विनिवेश के लिए निम्नलिखित कार्यपद्धति अपनायी गयी हैं:-

(i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पहले से ही सूचीबद्ध, लाभ कमाने वाले उद्यम, जो 10% की आम जनमानस की शेयरधारिता की शर्त को पूरा नहीं करते, उन्हें सरकारी शेयरधारिता में से सार्वजनिक पेशकश के जरिए या संबंधित सीपीएसई द्वारा नई इक्विटी निर्गम या दोनों के संयोजन के साथ यह शर्त पूरी करनी होगी।

(ii) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के वे सभी असूचीबद्ध उद्यम, जिनकी निवल संपत्ति सकारात्मक है और जिनका कोई संचित घाटा नहीं है तथा जिन्होंने पिछले तीन वर्षों से लगातार लाभ अर्जित किया है, उन्हें सरकारी शेयरधारिता में से सार्वजनिक पेशकश के जरिए या कंपनी द्वारा नई इक्विटी के निर्गम या दोनों के संयोजन के साथ सूचीबद्ध किया जाएगा।

(iii) अपनी पूंजीगत निवेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश कर सकते हैं और भारत सरकार उसके साथ-साथ या स्वतंत्र रूप से ऐसे उद्यमों में अपनी शेयरधारिता के हिस्से की पेशकश कर सकती है।

(iv) विनिवेश के सभी मामलों पर मामला दर मामला आधार पर निर्णय लिया जाएगा क्योंकि प्रत्येक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम की इक्विटी संरचना, वित्तीय क्षमता, निधि की आवश्यकता, संचालन का क्षेत्र आदि जैसे घटक अलग-अलग होते हैं जो एकरूपता की अनुमति नहीं देते।

(v) सार्वजनिक पेशकशों के माध्यम से विनिवेश के सभी मामलों में, सरकार कम से कम 51% इक्विटी और प्रबंधन नियंत्रण अपने पास बनाए रखती है।

विनिवेश के लाभ

(i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश और उनको स्टॉक एक्सचेंजो में सूचीबद्ध करना जो नीति स्तर पर आर्थिक सुधार कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है और अन्य बातों के साथ-साथः

➳ **निगमित शासन को बेहतर बनाना**

- जैसा कि सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा अधिदेश किया गया है और कंपनी नियम के तहत उच्च प्रकटीकरण स्तर से बेहतर पारदर्शिता तथा जवाबदेही आती है। निरीक्षण तंत्र मजबूत तथा बहुस्तरीय बन जाता है।
- स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करने से निगमित नियंत्रण मे बृद्धि।
- उच्च स्तर की सकेन्द्रित निवेशक समीक्षा और अनुसंधान व्यवसाय के पेशेवर आचरण के अनुपालन की मांग करते हैं जिसके परिणामस्वरुप निगमित संस्कृति में सुधार आता है।
- कंपनी बाजार अनुशासन के अध्यधीन होगी जिससे प्रबंधकीय स्तर और कार्यशाला स्तर, दोनों स्तरों पर कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। कारोबार मूल्य में दिन-प्रतिदिन के उतार-चढ़ाव से न केवल प्रतिस्पर्धा के साथ कंपनी के निष्पादन को आंका जा सकता है बल्कि इससे दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के प्रभाव को भी व्यक्त किया जा सकता है।

➳ **इक्विटी संरचना के विस्तारण के माध्यम से पूंजीगत बाजार का विकास तथा विस्तार करना**

- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने से पूंजीगत बाजार के विस्तार तथा विकास में सुविधा होती है और इक्विटी संरचना का विस्तार होता है।
- बाजार से निधियां जुटाने के लिए पर्याप्त रुप से विकसित क्षेत्रों में अवरुद्ध संसाधनों को अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों में लगाया जा सकता है जो अपने आर्थिक विकास के कारण बाजार से संसाधन जुटाने में समर्थ नहीं है।
- जब आधारभूत संरचना के विकास के लिए अधिक संसाधन प्रयोग में लाये जाते हैं तो इससे बेरोजगारों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होते हैं और साथ ही साथ इससे आर्थिक विकास को एक बड़ा मंच उपलब्ध होता है।
- इससे सीपीएसई में अवरूद्ध संसाधनों के पुनर्नियोजन के लिए राजकोषीय दायरे का भी सृजन होता है।

➳ सभी शेयरधारकों, जैसे कि निवेशकों, संबंधित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम के कर्मचारियों, कंपनी और सरकार के लिए उद्यमों के वास्तविक मूल्य को दर्शाना

- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सूचीबद्ध करने के परिणामस्वरुप वे अपनी पूंजीगत अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पूंजी बाजार में पहुंच बनाने में सक्षम हो जाएंगे जैसे कि निजी कंपनियों के मामले में होता है। इस प्रकार सरकारी वित्त पोषण पर निर्भरता कम हो जाएगी।

(ii) सरकार के लिए बजटीय संसाधन जुटाना

विनिवेश से प्राप्त निधियों का उपयोग।

- विनिवेश से प्राप्त राशि को "राष्ट्रीय निवेश कोष" (एनआईएफ) में जमा किया जाता है। निधि से प्राप्त आय को सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को उन्नत बनाने वाली हैं, के वित्त पोषण और सरकारी क्षेत्र के लाभ कमाने वाले तथा पुनरुद्धार योग्य उद्यमों के विस्तार/विविधिकरण का वित्त पोषण करने हेतु उनकी पूंजीगत निवेश की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है।
- हालांकि; वर्ष 2008-09 की वैश्विक मंदी द्वारा उत्पन्न कठिन आर्थिक स्थिति और भीषण सूखे के कारण 11वीं योजना के विकास कार्यनिष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नवंबर, 2009 में यह निर्णय लिया कि अप्रैल, 2009 से मार्च, 2012 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त एनआईएफ में जमा समस्त धनराशि, योजना आयोग/व्यय विभाग द्वारा निर्धारित सामाजिक क्षेत्र की विशिष्ट योजनाओं के पूंजीगत व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से उपयोग में लाई जाएगी। एनआईएफ की यथापूर्व स्थिति अप्रैल, 2012 से बहाल कर दी जाएगी।

अत: अप्रैल, 2009 से विनिवेश से प्राप्त धनराशि का एनआईएफ के माध्यम से सरकार के सामाजिक क्षेत्र के निम्नलिखित कार्यक्रमों के पूंजी व्यय का वित्त पोषण करने के लिए उपयोग किया जा रहा है:-

(i) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
(ii) इंदिरा आवास योजना
(iii) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
(iv) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन
(v) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
(vi) त्वरित ऊर्जा विकास और सुधार कार्यक्रम।

बजट लक्ष्य

वर्ष 2011-12 के लिए विनिवेश के लिए बजटीय लक्ष्य ₹40,000 करोड़ है। सरकार को, दिसम्बर, 2011 तक पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि. द्वारा 15% प्रदत्त इक्विटी के नए निर्गम के संयोजन में कंपनी की 5% प्रदत्त इक्विटी के घरेलू बाजार में अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से विनिवेश से ₹1144.55 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है।

अनुबंध

वित्त मंत्रालय के अंतर्गत बजटीय प्रावधानों का सारांश

(करोड़ रुपए)

विवरण	वास्तविक 2010-11			बजट अनुमान 2011-12			संशोधित अनुमान 2011-12			बजट अनुमान 2012-13		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
मांग संख्या 32 आर्थिक कार्य विभाग												
जोड़ - राजस्व भाग	**2865.62**	**3305.45**	**6171.07**	**2581.26**	**4367.40**	**6948.66**	**3685.58**	**3966.68**	**7652.26**	**4704.90**	**4376.45**	**9081.35**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	2865.62	3305.45	**6171.07**	2581.26	4367.40	**6948.66**	3685.58	3966.68	**7652.26**	4704.90	4376.45	*9081.35*
जोड़ - पूंजी भाग	**125.00**	**7961.70**	**8086.70**	**499.37**	**14184.19**	**14683.56**	**300.00**	**12800.17**	**13100.17**	**437.55**	**59523.54**	**59961.09**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	125.00	7961.70	**8086.70**	499.37	14184.19	**14683.56**	300.00	12800.17	**13100.17**	437.55	59523.54	*59961.09*
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	***2990.62***	***11267.15***	***14257.77***	***3080.63***	***18551.59***	***21632.22***	***3985.58***	***16766.85***	***20752.43***	***5142.45***	***63899.99***	***69042.44***
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	2990.62	11267.15	**14257.77**	3080.63	18551.59	**21632.22**	3985.58	16766.85	**20752.43**	5142.45	63899.99	69042.44
मांग संख्या 33 वित्तीय सेवा विभाग												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**34874.75**	**34874.75**	**50.00**	**15841.94**	**15891.94**	**200.00**	**7547.96**	**7747.96**	**200.00**	**8335.23**	**8535.23**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	34874.75	**34874.75**	50.00	15841.94	**15891.94**	200.00	7547.96	**7747.96**	200.00	8335.23	8535.23
जोड़ - पूंजी भाग	**7430.00**	**15120.63**	**22550.63**	**7800.00**	**14.00**	**7814.00**	**14000.00**	**14.01**	**14014.01**	**15888.00**	**14.01**	**15902.01**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	7430.00	15120.63	**22550.63**	7800.00	14.00	**7814.00**	14000.00	14.01	**14014.01**	15888.00	14.01	15902.01
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	***7430.00***	***49995.38***	***57425.38***	***7850.00***	***15855.94***	***23705.94***	***14200.00***	***7561.97***	***21761.97***	***16088.00***	***8349.24***	***24437.24***
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	7430.00	49995.38	**57425.38**	7850.00	15855.94	**23705.94**	14200.00	7561.97	**21761.97**	16088.00	8349.24	24437.24
मांग संख्या 34 विनियोग - ब्याज अदायगियां												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**244742.82**	**244742.82**	**...**	**272330.28**	**272330.28**	**...**	**284234.60**	**284234.60**	**...**	**324769.43**	**324769.43**
भारित	...	*244742.82*	**244742.82**	...	*272330.28*	**272330.28**	...	*284234.60*	**284234.60**	...	*324769.43*	324769.43
स्वीकृत	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**...**	***244742.82***	***244742.82***	**...**	***272330.28***	***272330.28***	**...**	***284234.60***	***284234.60***	**...**	***324769.43***	***324769.43***
भारित	...	*244742.82*	**244742.82**	...	*272330.28*	**272330.28**	...	*284234.60*	**284234.60**	...	*324769.43*	324769.43
स्वीकृत	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...

विवरण	वास्तविक 2010-11			बजट अनुमान 2011-12			संशोधित अनुमान 2011-12			बजट अनुमान 2012-13		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
मांग संख्या 35												
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण												
जोड़ - राजस्व भाग	**62020.88**	**41018.45**	**103039.33**	**79473.61**	**59173.62**	**138647.23**	**73968.59**	**58974.82**	**132943.41**	**95908.00**	**68022.46**	**163930.46**
भारित	...	*31514.19*	**31514.19**	...	*49298.62*	**49298.62**	...	*47571.82*	**47571.82**	...	*58357.46*	58357.46
स्वीकृत	62020.88	9504.26	**71525.14**	79473.61	9875.00	**89348.61**	73968.59	11403.00	**85371.59**	95908.00	9665.00	105573.00
जोड़ - पूंजी भाग	**10213.75**	**...**	**10213.75**	**9000.00**	**1000.00**	**10000.00**	**10000.00**	**3000.00**	**13000.00**	**11000.00**	**1000.00**	**12000.00**
भारित	*10213.75*	...	**10213.75**	...	...	**...**	*10000.00*	*3000.00*	**13000.00**	*11000.00*	*1000.00*	*12000.00*
स्वीकृत	...	...	**...**	9000.00	1000.00	**10000.00**	...	...	**...**	...	...	...
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	***72234.63***	***41018.45***	***113253.08***	***88473.61***	***60173.62***	***148647.23***	***83968.59***	***61974.82***	***145943.41***	***106908.00***	***69022.46***	***175930.46***
भारित	*10213.75*	*31514.19*	**41727.94**	...	*49298.62*	**49298.62**	*10000.00*	*50571.82*	**60571.82**	*11000.00*	*59357.46*	*70357.46*
स्वीकृत	62020.88	9504.26	**71525.14**	88473.61	10875.00	**99348.61**	73968.59	11403.00	**85371.59**	95908.00	9665.00	105573.00
मांग संख्या 36												
सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**236.19**	**236.19**	**...**	**300.00**	**300.00**	**...**	**250.00**	**250.00**	**...**	**250.00**	**250.00**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	236.19	**236.19**	...	300.00	**300.00**	...	250.00	**250.00**	...	250.00	250.00
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**...**	***236.19***	***236.19***	**...**	***300.00***	***300.00***	**...**	***250.00***	***250.00***	**...**	***250.00***	***250.00***
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	236.19	**236.19**	...	300.00	**300.00**	...	250.00	**250.00**	...	250.00	250.00
विनियोग संख्या 37												
ऋण की वापसी अदायगी												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**2814774.04**	**2814774.04**	**...**	**3155216.93**	**3155216.93**	**...**	**3524713.20**	**3524713.20**	**...**	**3786074.35**	**3786074.35**
भारित	...	*2814774.04*	**2814774.04**	...	*3155216.93*	**3155216.93**	...	*3524713.20*	**3524713.20**	...	*3786074.35*	*3786074.35*
स्वीकृत	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**...**	***2814774.04***	***2814774.04***	**...**	***3155216.93***	***3155216.93***	**...**	***3524713.20***	***3524713.20***	**...**	***3786074.35***	***3786074.35***
भारित	...	*2814774.04*	**2814774.04**	...	*3155216.93*	**3155216.93**	...	*3524713.20*	**3524713.20**	...	*3786074.35*	3786074.35
स्वीकृत	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...

विवरण	वास्तविक 2010-11			बजट अनुमान 2011-12			संशोधित अनुमान 2011-12			बजट अनुमान 2012-13		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
मांग संख्या 38												
व्यय विभाग												
जोड़ - राजस्व भाग	**2.31**	**83.64**	**85.95**	**3.00**	**96.97**	**99.97**	**2.45**	**125.01**	**127.46**	**4.00**	**131.24**	**135.24**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	2.31	83.64	**85.95**	3.00	96.97	**99.97**	2.45	125.01	**127.46**	4.00	131.24	135.24
जोड़ - पूंजी भाग	**7.20**	**...**	**7.20**	**2.00**	**...**	**2.00**	**1.03**	**...**	**1.03**	**...**	**...**	**...**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	7.20	...	**7.20**	2.00	...	**2.00**	1.03	...	**1.03**	...	...	...
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	***9.51***	***83.64***	***93.15***	***5.00***	***96.97***	***101.97***	***3.48***	***125.01***	***128.49***	***4.00***	***131.24***	***135.24***
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	9.51	83.64	**93.15**	5.00	96.97	**101.97**	3.48	125.01	**128.49**	4.00	131.24	135.24
मांग संख्या 39												
पेंशन												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**15943.83**	**15943.83**	**...**	**17000.00**	**17000.00**	**...**	**18030.00**	**18030.00**	**19800.00**	**...**	**19800.00**
भारित	...	*64.57*	**64.57**	...	*80.00*	**80.00**	...	*80.00*	**80.00**	*90.00*	...	90.00
स्वीकृत	...	15879.26	**15879.26**	...	16920.00	**16920.00**	...	17950.00	**17950.00**	19710.00	...	19710.00
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**...**	***15943.83***	***15943.83***	**...**	***17000.00***	***17000.00***	**...**	***18030.00***	***18030.00***	***19800.00***	**...**	***19800.00***
भारित	...	*64.57*	**64.57**	...	*80.00*	**80.00**	...	*80.00*	**80.00**	*90.00*	...	90.00
स्वीकृत	...	15879.26	**15879.26**	...	16920.00	**16920.00**	...	17950.00	**17950.00**	19710.00	...	19710.00
मांग संख्या 40												
भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**2245.80**	**2245.80**	**...**	**2388.88**	**2388.88**	**...**	**2430.97**	**2430.97**	**...**	**2558.49**	**2558.49**
भारित	...	*68.93*	**68.93**	...	*74.52*	**74.52**	...	*78.53*	**78.53**	...	*78.83*	78.83
स्वीकृत	...	2176.87	**2176.87**	...	2314.36	**2314.36**	...	2352.44	**2352.44**	...	2479.66	2479.66
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**18.33**	**18.33**	**...**	**9.68**	**9.68**	**...**	**4.00**	**4.00**	**...**	**10.00**	**10.00**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	18.33	**18.33**	...	9.68	**9.68**	...	4.00	**4.00**	...	10.00	10.00
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**...**	***2264.13***	***2264.13***	**...**	***2398.56***	***2398.56***	**...**	***2434.97***	***2434.97***	**...**	***2568.49***	***2568.49***
भारित	...	*68.93*	**68.93**	...	*74.52*	**74.52**	...	*78.53*	**78.53**	...	*78.83*	78.83
स्वीकृत	...	2195.20	**2195.20**	...	2324.04	**2324.04**	...	2356.44	**2356.44**	...	2489.66	2489.66

विवरण	वास्तविक 2010-11			बजट अनुमान 2011-12			संशोधित अनुमान 2011-12			बजट अनुमान 2012-13		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
मांग संख्या 41 राजस्व विभाग												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**15448.78**	**15448.78**	**...**	**13339.01**	**13339.01**	**...**	**5377.08**	**5377.08**	**...**	**1167.05**	**1167.05**
भारित	...	...	**...**	...	*0.02*	**0.02**	...	*0.02*	**0.02**	...	*0.02*	0.02
स्वीकृत	...	15448.78	**15448.78**	...	13338.99	**13338.99**	...	5377.06	**5377.06**	...	1167.03	1167.03
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**25.11**	**25.11**	**...**	**17.89**	**17.89**	**...**	**5.71**	**5.71**	**...**	**11.54**	**11.54**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	25.11	**25.11**	...	17.89	**17.89**	...	5.71	**5.71**	...	11.54	11.54
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**...**	***15473.89***	***15473.89***	**...**	***13356.90***	***13356.90***	**...**	***5382.79***	***5382.79***	**...**	***1178.59***	***1178.59***
भारित	...	...	**...**	...	*0.02*	**0.02**	...	*0.02*	**0.02**	...	*0.02*	0.02
स्वीकृत	...	15473.89	**15473.89**	...	13356.88	**13356.88**	...	5382.77	**5382.77**	...	1178.57	1178.57
मांग संख्या 42 प्रत्यक्ष कर												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**2697.95**	**2697.95**	**...**	**2975.85**	**2975.85**	**...**	**2991.57**	**2991.57**	**...**	**3071.18**	**3071.18**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	2697.95	**2697.95**	...	2975.85	**2975.85**	...	2991.57	**2991.57**	...	3071.18	3071.18
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**1572.28**	**1572.28**	**...**	**905.70**	**905.70**	**...**	**324.21**	**324.21**	**...**	**809.28**	**809.28**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	1572.28	**1572.28**	...	905.70	**905.70**	...	324.21	**324.21**	...	809.28	809.28
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**...**	***4270.23***	***4270.23***	**...**	***3881.55***	***3881.55***	**...**	***3315.78***	***3315.78***	**...**	***3880.46***	***3880.46***
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	4270.23	**4270.23**	...	3881.55	**3881.55**	...	3315.78	**3315.78**	...	3880.46	3880.46
मांग संख्या 43 अप्रत्यक्ष कर												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**2979.43**	**2979.43**	**...**	**3251.34**	**3251.34**	**...**	**3258.84**	**3258.84**	**...**	**3481.88**	**3481.88**
भारित	...	*0.45*	**0.45**	...	*0.50*	**0.50**	...	*0.50*	**0.50**	...	*0.50*	0.50
स्वीकृत	...	2978.98	**2978.98**	...	3250.84	**3250.84**	...	3258.34	**3258.34**	...	3481.38	3481.38
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**123.09**	**123.09**	**...**	**127.55**	**127.55**	**...**	**92.95**	**92.95**	**...**	**119.20**	**119.20**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	123.09	**123.09**	...	127.55	**127.55**	...	92.95	**92.95**	...	119.20	119.20
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**...**	***3102.52***	***3102.52***	**...**	***3378.89***	***3378.89***	**...**	***3351.79***	***3351.79***	**...**	***3601.08***	***3601.08***
भारित	...	*0.45*	**0.45**	...	*0.50*	**0.50**	...	*0.50*	**0.50**	...	*0.50*	0.50
स्वीकृत	...	3102.07	**3102.07**	...	3378.39	**3378.39**	...	3351.29	**3351.29**	...	3600.58	3600.58

विवरण	वास्तविक 2010-11			बजट अनुमान 2011-12			संशोधित अनुमान 2011-12			बजट अनुमान 2012-13		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
					मांग संख्या 44							
					विनिवेश विभाग							
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**63.05**	**63.05**	**...**	**62.63**	**62.63**	**...**	**50.58**	**50.58**	**...**	**63.24**	**63.24**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	63.05	**63.05**	...	62.63	**62.63**	...	50.58	**50.58**	...	63.24	63.24
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**...**	***63.05***	***63.05***	**...**	***62.63***	***62.63***	**...**	***50.58***	***50.58***	**...**	***63.24***	***63.24***
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	63.05	**63.05**	...	62.63	**62.63**	...	50.58	**50.58**	...	63.24	63.24

आर्थिक कार्य विभाग

प्रस्तावना

आर्थिक कार्य विभाग देश की आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों, जिनका आर्थिक प्रबन्धन के आंतरिक और बाहरी पहलुओं पर असर होता है, को तैयार और मॉनीटर करता है। इस विभाग की एक प्रमुख जिम्मेदारी प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय बजट (रेल बजट को छोड़कर) और आर्थिक समीक्षा को तैयार करना है। अन्य मुख्य कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- बृहत आर्थिक नीतियों को तैयार और मॉनीटर करना जिनके अंतर्गत शामिल हैं - राजकोषीय नीति और लोक वित्त, मुद्रास्फीति, लोक ऋण प्रबंधन और पूंजी बाजार एवं स्टॉक एक्सचेंजों के कार्यकरण से संबंधित मामले; तथा बाजार उधारों और लघु बचतों के जरिए आंतरिक संसाधन जुटाने के लिए अर्थोपाय;
- बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय सरकारी विकास सहायता और सार्वभौम विदेशी उधारों, विदेशी निवेशों के जरिए विदेशी संसाधनों की मॉनीटरिंग एवं उन्हें जुटाना तथा भुगतान संतुलन सहित विदेशी मुद्रा संसाधनों की मॉनिटरिंग करना;
- विभिन्न मूल्यवर्गों के बैंक नोटों एवं सिक्कों, डाक लेखन सामग्री, डाक टिकटों इत्यादि का उत्पादन करना; और
- भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के अधिकारियों का संवर्ग प्रबन्धन, कैरियर प्लानिंग और प्रशिक्षण।

इस मांग में, बजट का अधिकांश हिस्सा लाभांश राहत के लिए रेलवे को सब्सिडी, स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइनों के संचालन पर रेलवे को हुई क्षतियों की प्रतिपूर्ति, रेलवे सुरक्षा कार्यों के लिए अंशदान, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष/एशियाई विकास बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं को अभिदान, भारत सरकार के लिए एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता, अन्य विकासशील देशों को रियायती ऋण श्रृंखलाएं और भारतीय रिजर्व बैंक को की गई सिक्कों की आपूर्ति की लागत देने के लिए है। इसके अलावा, किए जाने वाले व्यय में इस विभाग, जिसमें जी-20 सचिवालय, करेंसी निदेशालय और इसके अधीनस्थ कार्यालय अर्थात राष्ट्रीय बचत संस्थान (एनएसआई), प्रतिभूति अपील अधिकरण भी आते हैं, का स्थापना संबंधी व्यय तथा अंतरराष्ट्रीय निकायों को दिया जाने वाला अंशदान विषयक व्यय सम्मिलित है। अतः बहुत कम ऐसे क्रियाकलाप और परिव्यय हैं, जिन्हें मूर्त, निर्धारित करने योग्य/मापीय शब्दों में वर्णित किया जा सके। वित्त वर्ष 2012-13 के लिए ''परिव्यय'' और ''परिणाम'' के रूप में दर्शित करते हुए आयोजना और आयोजना-भिन्न कार्यकलापों का वर्णन निम्नलिखित विवरणों में दिया जाता है:

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012 - 13 (₹ करोड़)			प्रमात्रात्मक प्रदाय/ वास्तविक उपलब्धियया	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) आयोजना-भिन्न	4(ii) आयोजना	4(iii) बजट-बाह्य संसाधन				
1.	**मुख्य शीर्ष 3054 - मोटर स्प्रिट तथा उच्च गति डीजल पर अतिरिक्त उद्ग्रहणों के लिए रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए अंशदान। (आयोजना)**	यातायात के लिए निर्बाध और सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने के लिए इस योजना के तहत केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत धनराशि का प्रयोग मानव रहित लेवल क्रासिंग्स पर रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों और रेलवे उपरि सेतुओं/ अधोसेतुओं के निर्माण के वित्तपोषण हेतु किया जाएगा ।	...	1102.45	...	- 2500 स्थानों पर पहरेदारों की तैनाती। - 150 स्थानों पर उत्थापक अवरोधक। - 1000 स्थानों पर मूलभूत अवसंरचना। - सभी मानवयुक्त गेटों पर टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी है। - 386 स्थानों पर अन्तःपाशन। - सीमित ऊंचाई वाले 500 सबवे का निर्माण। - 200 सड़क उपरिसेतुओं / अधोसेतुओं का निर्माण।	मानव रहित रेलवे क्रांसिंग पर सुरक्षा सुनिश्चित करना और यातायात के लिए निर्बाध रास्ता प्रदान करना। जहां उपरि सेतु/अधोसेतु बनाए जाते हैं वहां ईंधन में बचत होती है और कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है।	- मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को मानव युक्त बनाने के लिए फाटकों/उत्थापक अवरोधों का निर्माण किया जाता है और चौकीदारों के लिए ड्यूटी कुटीरों/ फाटकों और लॉजों का निर्माण हो गया है। चिकित्सीय रूप से उत्तीर्ण उपयुक्त इच्छुक चौकीदारों का चयन किया जाता है और फाटकों पर उन्हें तैनात किया जाता है। - स्टेशन से लेवल क्रासिंग स्थान तक केबल बिछाना, सिग्नल प्रणाली और टेलीफोनों को लेवल क्रासिंग स्थान से जोड़ना।	- रेलवे उपरिसेतुओं/ अधोसेतुओं का निर्माण करना रेलवे और राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों का संयुक्त कार्य है। - दूर-दराज के स्थानों में सामग्री और ठेकेदारों की अनुपलब्धता। - संविदा संबंधी समस्याएं/भूमि अधिग्रहण और अतिक्रमण हटाने में विलम्ब। - गैटमेन-भर्ती में देरी।
2.	**मुख्य शीर्ष 5475 - अवसंरचना विकास के लिए सहायता अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) (आयोजना स्कीम)**	व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण के प्रावधान के माध्यम से अवसंरचना क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।	...	437.55	...	अब तक सिद्धान्ततः/अंतिम रूप से अनुमोदित 111 प्रस्तावों हेतु व्यवहार्यता अन्तराल वित्त पोषण (वीजीएफ) अनुदान के लिए कुल ₹11,996.87 करोड़ के अनुमोदन हैं। एक बार बोली प्रक्रिया पूरी होने पर इन प्रस्तावों की वीजीएफ राशि के वास्तविक स्तर का पता चलता है।	सरकारी निजी भागीदारी के माध्यम से अवसंरचना का विकास।	'सिद्धान्ततः' अनुमोदन और अंतिम संवितरण की अनुमति के बीच समयान्तर होता है। इस राशि का उपयोग 31 मार्च, 2012 तक किया जाएगा।	संवितरण तभी हो सकता है जब परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो चुका हो तथा निजी पक्षकार का चयन प्रति-स्पर्धात्मक बोली लगाने के जरिए हो गया हो और उसने अपना इक्विटी शेयर निवेश कर दिया हो।

1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) आयोजना-भिन्न	4(ii) आयोजना	4(iii) बजट-बाह्य संसाधन				
3.	**मुख्य शीर्ष 3475 - भारतीय निर्यात आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता (आयोजना-भिन्न)**	इसका उद्देश्य भारत के नीतिगत आर्थिक हितों को विदेशों में बढ़ावा देना और दीर्घावधि आर्थिक सम्बन्धों को विकसित करना है। यह योजना, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत सरकार समर्थित ऋण सहायता हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता भी प्रदान करती है।	225.00	...	...	भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए निर्यात-आयात बैंक के माध्यम से अन्य विकासशील देशों को क्रेडिट श्रृंखलाएं प्रदान करना।	भारत सरकार समर्थित भारतीय आयात निर्यात बैंक ऋण सहायता के संबंध में भारतीय एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता भारत सरकार द्वारा दी जाती है। अंगोला, बुर्किना फासो, कम्बोडिया, चाड, कांगो, कोट डी आइवर जिबूती, गिनी बिसाऊ, गुयाना, आदि जैसे विकासशील देशों के साथ भारतीय निर्यात को बढ़ाने, नीतिगत तथा आर्थिक संबंधों के विकास हेतु ऋण श्रृंखला प्रदान की जाती है।	इस प्रावधान का उपयोग 31 मार्च, 2013 तक किया जाना है।	यदि प्राप्तकर्त्ता देश अदायगी नहीं करता है, भारत सरकार एग्जिम बैंक को राशि की अदायगी करेगी क्योंकि भारत सरकार की प्रति-गारंटी एग्जिम बैंक को ऋण श्रृंखलाओं के संबंध में दी गई है।
4.	**मुख्य शीर्ष 3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग; कोलम्बो योजना के अंतर्गत दक्षिण-पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता; अंशदान (आयोजना-भिन्न)**	कोलम्बो योजना के तहत, भारतीय संस्थानों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के जरिए मानव संसाधन विकास को सहायता उपलब्ध कराते हुए, देशों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।	1.00	...	...	कोलम्बो योजना से संबंधित कार्य अप्रैल 2010 से विदेश मंत्रालय को अंतरित हो गया है। विभिन्न कोलम्बो प्लान देशों से जिन विद्यार्थियों ने 2009-10 के दौरान भारत में स्थित संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उनके बारे में शेष वित्तीय देनदारियों को पूरा करने के लिए बजट व्यवस्था की जाती है।	कोलम्बो योजना देशों को तकनीकी सहायता जारी रखते हुए दीर्घावधिक आर्थिक संबंधों का विकास करना।	भारत में अनुमोदित संस्थानों में चल रहे प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षार्थियों को वायु किराया, ट्यूशन फीस, आवास और जीवनयापन भत्ता प्रदान किया जाता है।	इसमें कोई जोखिम शामिल नहीं है क्योंकि धन का उपयोग कालम 3 में वर्णित उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है

सुधार उपाय तथा नीतिगत पहल

1.1 **आधारभूत ढांचा विकास हेतु सहायता (आयोजना)**

यह योजना व्यवहार्यता अंतर के वित्त पोषण के माध्यम से आधारभूत ढांचा क्षेत्र में सरकारी-निजी भागीदारी के एक नवीन वित्त पोषण तंत्र को लागू करने के लिए है। सरकार देश में महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचे की उपलब्धता और स्तर में काफी अधिक सुधार करने की जरूरत को स्वीकारती है ताकि अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और इसे उच्च वृद्धि के मार्ग पर अग्रसर किया जा सके। अधिक निवेश करके भौतिक आधारभूत ढांचे के विकास की गति बढ़ाने के लिए आधारभूत ढांचा क्षेत्र में सरकारी-निजी भागीदारी को बढावा देने का निर्णय लिया गया है। आधारभूत ढांचे के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सड़कों, बंदरगाहों, हवाई-अड्डों, रेलवे, सम्मेलन केन्द्रों, विद्युत, जलापूर्ति, शहरी क्षेत्रों में मल-जल निपटान और ठोस अपशिष्ट पदार्थ निपटान इत्यादि में सरकारी-निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण की सहायता हेतु प्रावधान किया गया है। राज्य एवं नगरपालिका स्तर पर सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण को त्वरित एवं सुदृढ़ बनाने तथा राज्य स्तर पर क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों में सरकारी निजी भागीदारी के बारे में क्षमता निर्माण कार्यक्रम को समेकित करने हेतु, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा विश्व बैंक और केएफडब्ल्यू विकास बैंक के सहयोग से, एक बृहद राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम बनाया गया है। इसे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, और चौदह राज्य प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थानों तथा केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए आनलाइन टूलकिट, जोखिम एवं आकस्मिक देयता ढांचा तथा सरकारी निजी भागीदारी के लिए सम्प्रेषण कार्यनीति बनायी गयी है। ये पीपीपीज पर आर्थिक कार्य विभाग की वेबसाइट www.pppinindia.com. पर उपलब्ध हैं। सरकारी निजी भागीदारी टूलकिट एक वेब आधारित साधन है जिसे भारत में सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के ढांचे के लिए निर्णय लेने तथा भारत में क्रियान्वित की जा रही सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के ढांचे की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायता के लिए बनाया गया है। सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं को प्रोत्साहित और यह सुनिश्चित करने कि पारदर्शिता, प्रतियोगी नीलामी प्रक्रिया, वहनीयता और धन के मूल्य की निर्धारित प्रक्रिया और सिद्धांतों का पालन करते हुए, सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं का प्रबंध और क्रियान्वयन किया जाता हैं, के लिए सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं की नीति का प्रारुप और इनके नियमों का प्रारुप तैयार किए गए हैं। इनको अंतिम रूप देने से पहले, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के स्तर पर इनके बारे में व्यापक विचार-विमर्श चल रहा है।

अवसंरचना सेक्टर में सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता (आयोजना)

अवसंरचना परियोजनाओं की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि परियोजनाओं से उत्पन्न सकारात्मक बाहरी सुविधाओं से केवल राजस्व प्राप्त करना नहीं हो सकता है। इस प्रकार कोई परियोजना वाणिज्यिक दृष्टि से क्षम न होकर आर्थिक दृष्टि से आवश्यक हो सकती है। जो परियोजनाएं मामूली रूप से क्षम अथवा अक्षम होती हैं, उन्हें अनुदान के माध्यम से वित्तीय दृष्टि से आकर्षक बनाया जा सकता है। सरकार ने अवसंरचना सेक्टर में ऐसी परियोजनाओं के लिए **व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण** (निधियन) की व्यवस्था बनायी है। अब तक, ₹ 61,826.28 करोड़ की कुल परियोजना लागत तथा ₹ 11,996.87 करोड़ की व्यवहार्यता अंतर निधियन सहायता से 111 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है। तथापि, इन प्रस्तावों की व्यवहार्यता अंतर निधियन की वास्तविक राशि, नीलामी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही ज्ञात हो पाएगी। 25 परियोजनाओं के लिए वित्तीय परिसमापन की स्थिति प्राप्त हो गयी है। मध्य प्रदेश और गुजरात में 14 परियोजनाओं को प्रीमियम पर दिया गया है जहां किसी वीजीएफ सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। वीजीएफ योजना के अंतर्गत दिसंबर, 2011 तक ₹ 332.23 करोड़ की राशि संवितरित की गयी है। प्रायोजन प्राधिकारी की आवश्यकताओं और पहले से अंतिम अनुमोदन प्रदत्त परियोजनाओं की संख्या के आधार पर बजट अनुमान 2012-13 में ₹ 437.55 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

1.2 **अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ) (आयोजना-भिन्न)**

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2007-08 के अपने बजट भाषण में परियोजना तैयारी की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ₹ 100 करोड़ की समग्र राशि से आवर्ती निधि की स्थापना की घोषणा की थी। इस प्रतिबद्धता की पूर्ति के लिए, भारत सरकार ने राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों को स्तरीय परियोजना विकास क्रियाकलापों हेतु वित्तीय सहायता प्रारंभ करने हेतु भारत अवसरंचना परियोजना विकास निधि हेतु योजना एवं दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। इसका उद्देश्य परामर्शदाता तथा लेनदेन सलाहकार को नियोजित करने की लागत सहित सरकारी निजी भागीदारी परियोजनाओं के परियोजना विकास व्ययों का वित्त पोषण करना है ताकि सफल सरकारी निजी भागीदारी की गुणवत्ता तथा मात्रा में वृद्धि हो सके तथा अच्छी व्यवहार्यता रिपोर्टों के आधार पर सरकार विवेकपूर्ण निर्णय ले सके । भारत अवसरंचना परियोजना विकास निधि उन परियोजनाओं में सहायता करेगी जो सरकारी निजी भागीदारी परियोजना का चयन करने तथा उसे तैयार करने में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को आधार बनाए। अब तक ₹ 60.06 करोड़ की आईआईपीडीएफ सहायता से 49 परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है। इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2008-09 में ₹ 1.32 करोड़ और 2009-10 में ₹ 7.55 करोड़ और 2010-11 में ₹ 7.00 करोड़ की आईआईपीडीएफ सहायता की राशि संवितरित की जा चुकी है। वर्ष 2011-12 में दिसंबर, 2011 तक ₹ 2.56 करोड़ की राशि संवितरित की गयी है।

1.3 **अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग - भारत के निर्यात-आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता**

इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार ब्याज समकरण सहायता (अर्थात भारत के निर्यात-आयात बैंक की ब्याज-दर और उस रियायती ब्याज दर जिस पर ऋण-श्रृंखला दी जाती है, के बीच अंतर की राशि), प्रदान करती है। अधिकांश मामलों में, मूल राशि की अदायगी और ब्याज-अदायगी की भारत सरकार की प्रतिगारंटी भी एक्जिम बैंक को दी जाती है। अप्रैल से दिसंबर, 2011 तक, ₹ 123.40 करोड़ की ब्याज समकरण सहायता मुहैया कराई गई है। इस अवधि के दौरान, इस विभाग ने भारत के एक्जिम बैंक की भारत सरकार समर्थित 14 ऋण-श्रृंखलाओं को मंजूरी दी है। इनकी कुल राशि 476.29 मिलियन अमरीकी डालर है।

1.4 **राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ)**

स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और अभिनव परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि सृजित की गयी है। भारत में उत्पादित कोयले पर और आयातित कोयले पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगाया जा रहा है। इस प्रकार संग्रहित किए गए उपकर को राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि में अंतरित कर दिया जाता है। अभिज्ञात योजनाओं पर होने वाले व्यय का प्रावधान अनेक मंत्रालयों/विभागों की अनुदान-मांगों में किया जा रहा है।

1.5 वित्तीय कृतिक बल

वित्तीय कृतिक बल (एफएटीएफ) एक अंतरराष्ट्रीय नीति निर्माता निकाय है। इसे धन-शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण का विरोध करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित करने का शासकीय अधिदेश प्राप्त है। भारत इस वित्तीय कृतिक बल का 34वां सदस्य जून, 2010 में बना। इस समय इसके 36 सदस्य है और यह 34 देशों और दो संगठनों से मिलकर बना है। एफएटीएफ की सदस्यता एक सुसंगठित और पारदर्शी प्रणाली की वास्तविक मान्यता है। एफएटीएफ की सिफारिशों से यह भी सुनिश्चित होगा कि हमारी वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता और मजबूत हो।

एफएटीएफ का सदस्य बनने के समय, भारत ने कतिपय कमियों/ खामियों को समयबद्ध ढंग से दूर करने के लिए एक कार्य योजना दी है। इस कार्य योजना के विषय तीन भागों- तत्काल, अल्पावधि और दीर्घकालिक विषयों में विभक्त किए गए, जिन्हें क्रमशः जून, 2010, मार्च, 2011 और मार्च, 2012 तक पूरा किया जाना है। भारत ने तत्काल और अल्पावधि विषयों को पूरा कर लिया है और मध्यावधि विषयों को भी पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रगति कर ली है। धन-शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण का विरोध करने की विश्वव्यापी पहल में शामिल होने के हिस्से के रूप में, भारत धन-शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण के विरोध के लिए एफएटीएफ जैसे क्षेत्रीय निकायों; एशिया प्रशांत ग्रुप एवं यूरेशिया ग्रुप का सदस्य भी है। भारत धन-शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण का विरोध करने के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समीक्षा ग्रुप का सह-अध्यक्ष भी है।

1.6 वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी)

वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और अंतर-विनियामक समन्वय बढ़ाने के लिए प्रणाली (तंत्र) को सुदृढ़ और संस्थागत बनाने की दृष्टि से, सरकार ने एक उच्च स्तरीय वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की स्थापना की है। इस परिषद के अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री हैं और वित्तीय सेक्टर विनियामक प्राधिकरणों के प्रमुख; वित्त सचिव और या आर्थिक कार्य विभाग के सचिव; वित्तीय सेवा विभाग के सचिव; और मुख्य आर्थिक सलाहकार इस परिषद के सदस्य हैं। विनियामकों की स्वायत्तता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह परिषद बड़े वित्तीय निकायों की कार्य-प्रणाली सहित अर्थव्यवस्था के वृहत विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की मानीटरी करेगी। यह अंतर-विनियामक समन्वय संबंधी विषयों का समाधान करेगी तथा इस प्रकार वित्तीय सेक्टर का विकास बढ़ेगा। यह वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन पर भी ध्यान देगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में इस परिषद की एक उपसमिति भी बनायी गयी है।

1.7 वित्तीय सेक्टर विधायी सुधार आयोग

सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री बी.एन.श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में वित्तीय सेक्टर विधायी सुधार आयोग गठित किया है। यह वित्तीय सेक्टर के कानूनों, नियमों और विनियमों को पुनः बनाने और संगत करने के लिए किया गया है ताकि इस सेक्टर की समसामयिक आवश्यकताओं का समाधान किया जा सके। इस आयोग से यह उम्मीद है कि यह अपनी रिपोर्ट 24 माह की अवधि के भीतर दे देगा जो मार्च, 2013 में पूरी होती है।

1.8 लघु और मझौले उद्यम

लघु और मझौले उद्यमों के लिए पूंजी जुटाने के लिए, सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि लघु एवं मझौले उद्यमों द्वारा जारी प्रतिभूतियों की लिस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए विद्यमान विनिमय केंद्रों के समर्पित विनिमय केंद्रो/प्लेटफॉर्मो के संवर्धन को प्रोत्साहित किया जाए। सेबी ने अब, लघु एवं मझौले उद्यमों के लिए एक समर्पित स्टॉक एक्सचेंज या एक ट्रेडिंग प्लेटफार्म की स्थापना करने हेतु राष्ट्रव्यापी ट्रेडिंग टर्मिनलों वाला एक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की अनुमति दे दी है। इसके अलावा, विनियमों में आवश्यक संशोधन भी किए गए हैं और इस विषय में दिशा-निर्देश भी जारी किए गए। जैसा कि सेबी द्वारा अवगत कराया गया है, दो स्टॉक एक्सचेंज - राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज को लघु एवं मझौले उद्यम प्लेटफार्म शुरु करने के लिए अंतिम अनुमोदन क्रमशः 14 अक्टूबर, 2011 और 27 सितंम्बर, 2011 को प्रदान किए गए हैं। आशा है कि ये एक्सचेंज, वित्त वर्ष 2012-13 की पहली छमाही से पूर्व लिस्टिंग और ट्रेडिंग शुरु कर देंगे।

परिणाम बजट 2010-11 की प्रास्थिति

क्र. सं.	स्कीम/कार्य का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11 (₹ करोड़)		प्रमात्रात्मक प्रदाय/वास्तविक उपलब्धियां	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	जोखिम कारक	31 मार्च, 2011 तक की स्थिति
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
1.	**मुख्य शीर्ष 3054 - मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल पर अतिरिक्त उद्ग्रहणों हेतु रेलवे सुरक्षा निर्माण के लिए अंशदान। (आयोजना)**	इस स्कीम के अधीन केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत धनराशि का प्रयोग मानव-तैनात व्यस्त रेलवे क्रासिंग्स पर ऊपर के और नीचे के पुलों के निर्माण तथा मानव-रहित रेलवे क्रासिंग्स पर रेल सुरक्षा कार्यों में वित्त पोषण हेतु किया जाएगा ताकि सुरक्षित और सुचारु यातायात सुनिश्चित किया जा सके।	876.73	932.81	- 800 स्थानों (संशोधित लक्ष्य 1500) पर व्यक्तियों की तैनाती। - 295 स्थानों पर उठाए जाने वाले अवरोध। - 1628 स्थानों पर आधारभूत अवसंरचना। - मानव तैनाती वाले सभी गेटों पर टेलीफोन लगाया जाना। - 333 स्थानों पर इंटरलॉकिंग। - सीमित ऊचाई वाले 150 सबवे का निर्माण। - सड़क के उपर के/नीचे के 100 पुलों का निर्माण।	- मानवरहित लेवल क्रॉसिंग के संचालन के लिए, गेटेड/लिफ्टिंग बैरियर्स का निमार्ण किया जाना है और डयूटी हट्स/गेट लॉजों का निर्माण गेटकीपरों के लिए किया जाना है। योग्य/ उपयुक्त इच्छुक चौकीदारों का चयन किया जाना है और उन्हें फाटकों पर तैनात किया जाना है। - सिग्नल प्रणाली और टेलीफोनों को लेवल क्रॉसिंग स्थान से जोड़ने हेतु स्टेशन/लेवल क्रॉसिंग स्थान के बीच केबल बिछाना।	सड़क के ऊपर/नीचे पुलों का निर्माण करना रेलवे तथा राज्य सरकार/स्थानीय निकायों का संयुक्त कार्य है। कभी-कभी राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा, संविदात्मक समस्याओं, भूमि की अनुपलब्धता अनधिकृत कब्जों/ वित्तीय साधनों की कमी, आदि की वजह से कार्य को समय पर न शुरू किए जाने के कारण निर्माण कार्य में विलम्ब हो जाता है।	₹ 932.81 करोड़ के पूरे परिव्यय की राशि जारी की जा चुकी है। निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल हुई हैं: - 1234 स्थानों पर आदमियों की तैनाती। - 272 स्थानों पर लिफ्टिंग बैरियर्स। - 1619 स्थानों पर बुनियादी अवसंरचना का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। - 551 स्थानों पर इंटरलॉकिंग। - 219 स्थानों पर टेलीफोन। - सीमित ऊचाई वाले 384 सबवेज का निर्माण कार्य पूरा हुआ। - सड़क के ऊपर/ नीचे 67 पुलों का निर्माण कार्य पूरा हुआ। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा किया गया सम्पर्क सड़कों का निर्माण कार्य सम्मिलित है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
2.	**मुख्य शीर्ष 5475 - अवसंरचना विकास के लिए सहायता, अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी)**	व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण का प्रावधान करके अवसंरचना क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।	480.00 (आयोजना)	125.00 (आयोजना)	इस स्कीम के अंतर्गत 84 प्रस्तावों को सशक्त संस्था द्वारा सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान किया गया। 25 प्रस्तावों के लिए वित्तीय परिसमापन की स्थिति प्राप्त हो गयी है और इनमें से 14 प्रस्तावों को प्रीमियम पर दिया गया है जिनमें व्यवहार्यता अंतराल वित्त-पोषण की आवश्यकता नहीं होगी।	'सिद्धांततः' अनुमोदित और अंतिम संवितरण के बीच समयांतर होता है। सामान्यतः किसी प्रस्ताव को सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान करने के पश्चात, बोली की प्रक्रिया और वित्तीय समापन में 12 से 18 माह का समय लगता है।	परियोजना निर्माण कार्य शुरू होने के बाद, निधि का संवितरण किया जाता है, और प्रतिस्पर्धात्मक बोली के जरिए निजी पक्षकार अपनी इक्विटी शेयर का निवेश करता है।	इस योजना के तहत 84 प्रस्तावों को सशक्त संस्था द्वारा मार्च, 2011 तक सिद्धांततः अनुमोदित किया गया था। परियोजनाओं के प्रायोजनकारी प्राधिकरणों द्वारा सुझाए गए संवितरण लक्ष्यों की जांच-पड़ताल के पश्चात, ब.अनु. 2010-11 में किए गए ₹ 480.00 करोड़ के बजट आवंटन को सं. अनु. 2010-11 में घटाकर ₹125.00 करोड़ तक सीमित कर दिया गया था। ₹ 125.00 करोड़ की संपूर्ण राशि संवितरित कर दी गई।
3.	**मुख्य शीर्ष 3475 - भारतीय एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता**	इसका उद्देश्य भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक हितों को विदेशों में बढ़ावा देना और दीर्घावाधिक स्थायी आर्थिक संबंध विकसित करना है। इस स्कीम में, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत सरकार समर्थित ऋण श्रृंखला हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता भी प्रदान करने की व्यवस्था है।	130.00	127.77	अंगोला, बुर्किना फासो, कम्बोडिया, चाड, कांगो, कोट डी आइवर, जीबूती आदि जैसे देशों के साथ भारतीय निर्यातों में वृद्धि, नीतिगत एवं आर्थिक संबंधों को विकसित करने के लिए प्रदत्त भारत सरकार समर्थित एक्जिम बैंक क्रेडिट श्रृंखलाओं के संबंध में भारतीय एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता भारत सरकार द्वारा दी जाती है।	इन निधियों का उपयोग 31 मार्च, 2011 तक किया जाना था।	यदि प्राप्तकर्त्ता देश द्वारा अदायगी में चूक हो जाती है तो भारत सरकार एक्जिम बैंक को इस राशि का वापसी भुगतान करेगी क्योंकि ऋण श्रृंखलाओं के लिए एक्जिम बैंक को भारत सरकार की प्रतिगारंटी दी हुई है।	वर्ष 2010-11के दौरान ब्याज समकरण सहायता के तौर पर ₹ 127.70 करोड़ की राशि भारतीय निर्यात आयात बैंक को अदा कर दी गई है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
4.	**मुख्य शीर्ष 3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग, कोलंबो योजना के अंतर्गत तथा दक्षिण पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता; अंशदान**	कोलंबो प्लान के अंतर्गत, भारतीय संस्थानों द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों के जरिए मानव संसाधन विकास को सहायता उपलब्ध कराते हुए, देशों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।	8.45	7.95	कोलंबो प्लान देशों से प्रत्येक वर्ष 410 विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के जरिए मानव संसाधन विकास।	कोलम्बो प्लान देशों को अनवरत तकनीकी सहायता के जरिए स्थायी आर्थिक संबंधों का संवर्धन।	इसमें कोई जोखिम कारक शामिल नहीं है क्योंकि निधियों का उपयोग कालम 3 में बताए गए उद्देश्य के लिए किया जा रहा है।	वर्ष 2009-10 के दौरान विभिन्न कोलम्बो योजना देशों से लगभग 450 विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के संबंध में वित्तीय देनदारियों को पूरा करने के लिए ₹ 5.86 करोड़ की राशि खर्च की गई है।

विगत कार्य-निष्पादन की समीक्षा
परिणाम बजट 2011-12 की प्रास्थिति

क्र. सं.	स्कीम/कार्य का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012 - 13 (₹ करोड़)			प्रमात्रात्मक प्रदाय/वास्तविक उपलब्धियां	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	जोखिम कारक	31 मार्च, 2011 तक की स्थिति
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.	4(iii) ब.बाह्य संसाधन				
1.	**मुख्य शीर्ष 3054 - मोटर स्पिरिट तथा हाई-स्पीड डीजल पर अतिरिक्त उद्ग्रहणों हेतु रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए अंशदान (आयोजना)**	इस स्कीम के अधीन केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम के अंतर्गत धनराशि का प्रयोग मानवरहित रेलवे क्रासिंग्स पर रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों और रेलवे उपरि-सेतुओं/अधोसेतुओं के निर्माण के वित्त पोषण हेतु किया जाता है ताकि यातायात के लिए सहज और सुरक्षित मार्ग मुहैया कराया जा सके।	1040.63	1059.56	...	- 800 स्थानों (संशोधित लक्ष्य 1500) पर आदमियों की तैनाती। - 160 स्थानों पर उठाए जाने वाले अवरोधक। - 1011 स्थानों पर बुनियादी अवसंरचना। - तैनाती वाले सभी गेटों पर टेलीफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। - 386 स्थानों पर इंटरलॉकिंग। - सीमित ऊंचाई वाले 225 सबवे का निर्माण। - सड़क के ऊपर/नीचे के 100 पुलों का निर्माण।	- मानवरहित लेवल क्रॉसिंग के संचालन के लिए फाटकों/उठाए जाने वाले अवरोधों का, और गेटकीपरों के लिए ड्यूटी कुटीरों/फांटक लॉजों का निर्माण किया जाना है। योग्य/उपयुक्त इच्छुक चौकीदारों का चयन करके उन्हें फाटकों पर तैनात किया जाना है। - सिग्नल प्रणाली और टेलीफोन को आपस में जोड़ने के लिए स्टेशन/ लेवल क्रॉसिंग स्थल के बीच केबल बिछाना।	सड़क के ऊपर/नीचे के पुलों का निर्माण करना रेलवे तथा राज्य सरकार/स्थानीय निकायों का संयुक्त कार्य है। कभी-कभी संविदागत समस्याओं, भूमि की अनुपलब्धता के कारण, तथा वित्तीय तंगी/ अनधिकृत कब्जों इत्यादि की वजह से राज्य सरकार/स्थानीय निकायों के समय पर कार्य न शुरू किए जाने के कारण निर्माण कार्य में विलम्ब हो जाता है।	दिसंबर, 2011 तक ₹780.45 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। निम्नलिखित उपलब्धियां हुई है: - 631 स्थानों पर आदमी तैनात किए गए - 503 स्थानों पर अवसंरचना का कार्य पूरा, पर तैनाती नहीं की गई। - 71 स्थानों पर उठाए जाने वाले अवरोधक प्रदान किए गए। - 690 स्थानों पर बुनियादी अवसंरचना का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। - 269 स्थानों पर इंटरलॉकिंग हुई। - 538 स्थानों पर टेलीफोन लगाए गए। - दिसंबर, 2011 तक सीमित ऊचाई वाले 147 सबवे का निर्माण कार्य पूरा हुआ। - सड़क के ऊपर/ नीचे के 32 पुलों का निर्माण कार्य पूरा हुआ।

1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.	4(iii) ब.बाह्य संसाधन				
2.	**मुख्य शीर्ष 5475 - अवसंरचना विकास के लिए सहायता, अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) (आयोजना)**	व्यवहार्यता अंतराल वित्त-पोषण का प्रावधान करके, अवसंरचना क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।	499.37 (आयोजना)	300.00 (आयोजना)	...	111 प्रस्तावों को सशक्त संस्था द्वारा सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान किया किया गया। 25 प्रस्तावों के संबंध में बोली की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है जिनमें से 14 प्रस्तावों को प्रीमियम पर दिया गया, जहां वीजीएफ की आवश्यकता नहीं होगी।	सिद्धांततः अनुमोदित और अंतिम संवितरण के बीच समयांतर होता है और सामान्यतः किसी प्रस्ताव में सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान करने के पश्चात, बोली की प्रक्रिया से/वित्तीय समापन तक 12 से 18 माह का समय लगता है।	परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो जाने, तथा प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए चयनित निजी पक्षकार के अपने इक्विटी शेयर का निवेश कर दिए जाने के बाद, संवितरण होता है।	बजट अनुमान 2011-12 में ₹499.37 करोड़ का प्रावधान, प्रायोजक प्राधिकरणों द्वारा की गई मांग के आधार पर, किया गया था। सं.अनुमान 2011-12 ₹ 300.00 करोड़ है। इसमें कमी मुम्बई मैट्रो लाइन 2 प्रोजेक्ट में हुए विलंब के कारण की गई। इसमें यह भी अनुमान लगाया गया कि 2011-12 में ₹ 200 करोड़ की वीजीएफ राशि की आवश्यकता होगी। तथापि, 2011-12 में इस परियोजना के लिए वीजीएफ की कोई आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए दिसंबर, 2011 तक ₹88.78 करोड़ की राशि संवितरित की गई हैः (i) दामोह-जबलपुर सड़क परियोजना-₹ 7.40 करोड़; (ii) बीना-खीमलासा सड़क परियोजना-₹3.18 करोड़; (iii) सागर-दामोह सड़क परियोजना – ₹8.59 करोड़; (iv) भिंड-गोपालपुर सड़क परियोजना–₹ 5.43 करोड़; (v) झज्जर विद्युत परियोजना - ₹ 32.68 करोड़; और (vi) नासिक-औरंगाबाद सड़क परियोजना – 31.50 करोड़।

1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.	4(iii) ब.बाह्य संसाधन				
3.	**मुख्य शीर्ष 3475 - भारतीय निर्यात आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता (आयोजना-भिन्न)**	इसका उद्देश्य भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक हितों को विदेशों में बढ़ावा देना और स्थायी आर्थिक सम्बन्ध विकसित करना है। यह स्कीम, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत सरकार समर्थित ऋण श्रृंखला हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता भी प्रदान करती है।	139.69	139.00	...	अंगोला, बुर्किना फासो, कम्बोडिया, चाड, कांगो, कोट-डी-आइवर, जिबूती आदि जैसे देशों के साथ भारतीय निर्यातों में वृद्धि, नीतिगत और आर्थिक संबंध विकसित करने आदि के लिए प्रदान की गई। भारत सरकार समर्थित भारतीय आयात बैंक ऋण श्रृंखलाओं के संबंध में भारतीय एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता भारत सरकार द्वारा दी जानी है।	इन निधियों का उपयोग 31 मार्च, 2011 तक किया जाना है।	यदि प्राप्तकर्ता देश द्वारा अदायगी में चूक हो जाती है तो भारत सरकार एक्जिम बैंक को यह राशि अदा करेगी क्योंकि स्वीकृत ऋण श्रृंखलाओं के लिए एक्जिम बैंक को भारत सरकार की प्रति-गारंटी दी हुई है।	वर्ष 2011-12 के दौरान 31 दिसम्बर, 2011 तक, ब्याज समीकरण सहायता के तौर पर ₹123.40 करोड़ की राशि का भुगतान एक्जिम बैंक को किया गया है।
4.	**मुख्य शीर्ष 3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग, कोलंबो योजना के अंतर्गत तथा दक्षिण पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता।** **अंशदान**	भारतीय संस्थानों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के माध्यम से मानव संसाधन विकास को सहायता प्रदान करके, कोलंबो योजना के अंतर्गत देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना ।	3.00	1.10	...	कोलंबो योजना देशों से प्रत्येक वर्ष 410 विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा देकर मानव संसाधन विकास।	अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, फिजी, इंडोनेशिया, ईरान, कोरिया, मलेशिया, लाओस, नेपाल, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, श्रीलंका, पापुआ, न्यू गिनी, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों को अनवरत तकनीकी सहायता के जरिए स्थायी आर्थिक संबंधों का संवर्धन।	इसमें कोई जोखिम कारक अंतर्विष्ट नहीं है क्योंकि निधियों का उपयोग कालम 3 में उल्लिखित उद्देश्य हेतु किया जा रहा है ।	कोलम्बो योजना से संबंधित कार्य अप्रैल, 2010 से विदेश मंत्रालय को अंतरित हो गया है। विभिन्न कोलम्बो प्लान देशों के लगभग 450 विद्यार्थियों के संबंध में शेष वित्तीय देनदारियों को पूरा करने के लिए वर्ष 2011-12 के दौरान दिसम्बर, 2011 तक ₹1.42 करोड़ व्यय किए गए है। इन विद्यार्थियों को 2009-10 में भारत के भिन्न-भिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण दिया गया।

अनुदान सं.32-आर्थिक कार्य विभाग के तहत योजनाओं की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़)

क्र.सं.	योजना	2010 - 2011			2011-2012			2012-13
		ब.अनु.	सं.अनु.	वास्तविक	ब.अनु.	सं.अनु.	वास्तविक (दिसम्बर 2011 तक)*	ब.अनु.
1.	अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी), व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) (मु.शीर्ष 5475) - आयोजना	480.26	125.00	125.00	499.37	300.00	88.78	437.55
2.	मोटर स्पिरिट और हाईस्पीड डीजल पर अतिरिक्त लेवी के प्रति रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए अंशदान (मु.शीर्ष 3054)- आयोजना	876.73	932.81	932.81	1040.63	1059.56	780.45	1102.45
3.	भारत के निर्यात आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता (मु.शीर्ष 3475) - आयोजना-भिन्न	130.00	127.77	127.70	139.69	139.00	123.40	225.00
4.	अन्य देशों के साथ तकनीकी आर्थिक सहयोग - कोलम्बो योजना के तहत दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता (मु.शीर्ष 3605) आयोजना-भिन्न	8.45	7.95	5.86	3.00	1.10	1.42	1.00
	जोड़	**1495.44**	**1185.59**	**1191.37**	**1682.69**	**1499.66**	**994.05**	**1766.00**

* *अनन्तिम*

वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के बजट अनुमान/संशोधित अनुमान की स्थिति की तुलना में हुआ वास्तविक व्यय दर्शाने वाला विवरण

(सकल) (करोड़ रुपए)

विवरण	मुख्य शीर्ष	2009-10			2010-11			2011-12		
		ब.अनु.	सं.अनु.	वास्तविक	ब.अनु.	सं.अनु.	वास्तविक	ब.अनु.	सं.अनु.	वास्तविक (दिसम्बर 2011 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
भाग-क आयोजना-भिन्न मद										
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	**2052**	**66.37**	**66.18**	**62.89**	**70.37**	**79.30**	**71.37**	**84.71**	**76.68**	**57.43**
अन्य राजकोषीय सेवाएं										
राष्ट्रीय बचत संस्थान	2047	11.07	11.61	11.10	11.48	12.25	11.21	12.40	12.45	8.71
अनिवार्य जमा (आयकर दाता योजना, 1974) के अन्तर्गत जमाराशियों पर ब्याज	2047	0.15	0.10	0.05	0.10	0.05	0.00	0.03	0.03	0.00
अन्य व्यय	2047	0.21	0.21	0.17	0.21	0.21	0.20	0.23	0.24	0.02
जोड़	**2047**	**11.43**	**11.92**	**11.32**	**11.79**	**12.51**	**11.41**	**12.66**	**12.72**	**8.73**
अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
13वां/14वां वित्त आयोग	2070	13.80	13.59	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवेश आयोग	2070	0.90	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी)	2070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.40	2.14
अन्य व्यय (प्रति.अपील अधि.)	2070	3.26	3.76	3.54	3.72	3.88	3.28	3.28	3.87	2.39
जोड़	**2070**	**17.96**	**18.10**	**16.35**	**3.72**	**3.88**	**3.28**	**4.28**	**8.27**	**4.53**
विविध सामान्य सेवाएं										
गारंटी मोचन निधि	2075	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00
अन्य कार्यक्रम	2075	0.12	0.07	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
जोड़	**2075**	**300.12**	**300.07**	**300.01**	**300.03**	**300.01**	**300.01**	**300.01**	**300.01**	**100.01**
सामान्य शिक्षा										
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण										
असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि	2235	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
संरक्षित बचत स्कीम (अन्य प्रभार)	2235	0.01	0.10	0.14	0.10	0.14	0.03	0.14	0.05	0.00
जोड़	**2235**	**0.01**	**0.10**	**0.14**	**0.10**	**0.14**	**0.03**	**0.14**	**0.05**	**0.00**
अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि	2416	45.00	45.00	41.83	40.00	35.52	35.52	40.00	39.76	39.76
अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि को अतिरिक्त पूरक अंशदान	2416	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़	**2416**	**45.01**	**45.00**	**41.83**	**40.00**	**35.52**	**35.52**	**40.00**	**39.76**	**39.76**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अन्य परिवहन सेवाएं										
लाभांश राहत और अन्य रियायतों के लिए रेलवे को सब्सिडी	3075	2086.43	2243.44	2155.86	2829.88	2190.87	2013.27	3022.61	2598.26	2015.06
महत्वपूर्ण (स्ट्रेटेजिक) रेलवे लाइनों के संचालन पर हानियां	3075	600.00	654.48	654.48	600.00	648.97	634.38	657.92	652.00	219.30
जोड़	**3075**	**2686.43**	**2897.92**	**2810.34**	**3429.88**	**2839.84**	**2647.65**	**3680.53**	**3250.26**	**2234.36**
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं										
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय निर्धारण प्रभार	3466	0.35	0.38	0.38	2.19	0.22	0.00	0.23	0.39	0.38
प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपातकालीन सहायता	3466	4.39	4.42	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अफगानिस्तान पुनर्निर्माण न्यास निधि	3466	0.00	1.00	0.92	1.00	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00
विश्व बैंक पीपीए	3466	0.00	3.00	0.11	12.50	6.00	8.09	7.50	1.87	1.78
साउथ एक्सपीरियंस विनिमय न्यास निधि (एसईईटीएफ)	3466	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़	**3466**	**4.74**	**8.80**	**5.78**	**15.69**	**9.55**	**9.02**	**7.73**	**2.26**	**2.16**
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं										
अंतरराष्ट्रीय सहयोग	3475	13.81	9.42	9.28	9.23	19.33	18.64	19.33	20.41	10.20
अन्य प्रभार/आईईएस/टोक्यो, बीजिंग और वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास	3475	12.80	12.34	10.40	11.61	16.58	13.22	20.25	17.92	5.79
अन्य संस्थाओं को सहायता अनुदान	3475	2.23	2.74	2.59	2.60	2.77	2.75	2.93	22.93	11.30
यूएन एजेंसियों में गैर-भारतीय कार्मिकों पर सीमाशुल्क और आयात शुल्क	3475	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.00	0.03	0.03	0.00
अनिवासी भारतीय बांड योजना के अंतर्गत मुद्रा हानि	3475	0.50	0.50	0.03	0.50	0.50	2.85	0.50	0.50	0.00
सरकारी निजी भागीदारी हेतु विश्व बैंक अनुदान	3475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता	3475	278.00	139.41	118.87	130.00	127.77	127.70	139.69	139.00	123.40
तुर्कमेनिस्तान सरकार को 1995 में विस्तारित ऋण श्रृंखला के तहत देय बकाया और बकाया ऋणों पर ब्याज/दंडात्मक ब्याज को माफ करना	3475	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	24.44	0.00	0.00	0.00
सेशेल्स गणराज्य को दिए गए ऋणों के बकाया और उन पर ब्याज को माफ करना	3475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	6.22	4.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कज़ाकस्तान सरकार को 1993 में विस्तारित ऋण श्रृंखला के अंतर्गत देय बकाया और बकाया ऋणों पर ब्याज/ दंडात्मक ब्याज ब्याज को माफ करना	3475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.91	34.91
उजबेकिस्तान सरकार को 1994 में विस्तारित ऋण श्रृंखला के अंतर्गत देय बकाया और बकाया ऋणों पर ब्याज/ दंडात्मक ब्याज ब्याज को माफ करना	3475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.39
धन-शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण का विरोध करने के लिए यूरेशिया ग्रुप को सहायता	3475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00
जोड़	**3475**	**307.37**	**164.44**	**141.20**	**153.97**	**191.46**	**189.60**	**200.73**	**242.64**	**190.59**
अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग										
यूएनडीपी को अंशदान	3605	22.05	22.43	22.43	22.55	21.59	21.55	22.55	21.21	21.20
अन्य देशों के साथ सहयोग	3605	16.56	20.01	19.63	19.51	18.57	16.02	14.05	12.66	13.23
अन्य व्यय	3605	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विकास सहायता	3605	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
एशियाई विकास बैंक की 46वीं वार्षिक आम बैठक	3605	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00
जोड़	**3605**	**38.62**	**42.45**	**42.06**	**42.07**	**40.17**	**37.57**	**36.61**	**34.03**	**34.43**
मुद्रा, सिक्का एवं टकसालों का पूंजी परिव्यय										
एसपीएमसीआईएल से सिक्कों की खरीद	4046	894.00	894.00	894.00	1063.20	1852.00	1463.42	1584.80	1225.00	635.94
विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजी परिव्यय										
बजट प्रेस के लिए मशीन की खरीद	4075	3.00	3.00	0.25	3.00	2.50	2.17	1.50	1.47	1.44
सामान्य वित्तीय और व्यापार संस्थाओं में निवेश										
भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)	5465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)	5465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.90	0.00
जोड़	**5465**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400.00**	**501.90**	**0.00**
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश	**5466**									
आईबीआरडी को अभिदान	5466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.65	183.65	0.00
अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को अभिदान	5466	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	9.17	0.00
एशियाई विकास बैंक को अभिदान	5466	0.00	0.00	0.00	216.19	199.85	199.85	199.85	205.52	205.52
अफ्रीकी विकास निधि पहल को अभिदान	5466	14.51	14.51	14.50	14.93	37.37	37.36	22.12	22.12	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अफ्रीकी विकास निधि को बहुपक्षीय										
ऋण सहायता का भुगतान	5466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	1.83	0.00
अफ्रीकी विकास बैंक को अभिदान	5466	0.00	0.00	0.00	0.01	5.21	5.03	5.21	0.01	0.00
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को अभिदान										
(प्रतिभूतियों में)	5466	3035.60	3094.26	0.00	0.01	0.00	6243.43	11729.41	0.00	0.00
मूल्य अनुरक्षण दायित्व (एमओवी)	5466	3653.93	12836.26	3653.93	0.01	0.00	0.00	0.01	1609.79	1609.78
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उधार संसाधनों										
के लिए भारत का अंशदान	5466	0.00	0.00	0.00	63.67	63.67	2.85	50.00	25.00	0.00
जोड़	**5466**	**6704.04**	**15945.03**	**3668.43**	**294.83**	**306.11**	**6488.52**	**12192.09**	**2057.09**	**1815.30**
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर										
पूंजी परिव्यय										
पीपीपी का मुख्य धारा में लाने के क्रियाकलाप	5475	2.10	2.10	0.66	2.10	1.12	0.83	0.80	2.67	0.04
भारत अवसंरचना परियोजना विकास										
निधि (आईआईपीडीएफ)	5475	10.50	7.00	7.55	7.00	7.00	6.75	5.00	9.00	2.56
जोड़	**5475**	**12.60**	**9.10**	**8.21**	**9.10**	**8.12**	**7.58**	**5.80**	**11.67**	**2.60**
अन्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण										
नई उधार व्यवस्था के अंतर्गत										
अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष को ऋण	7475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9003.04	6657.64
जोड़	**7475**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9003.04**	**6657.64**
विदेशी सरकारों को अग्रिम ऋण										
श्रीलंका	7605	0.01	2.84	2.61	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़	**7605**	**0.01**	**2.84**	**2.61**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
जोड़ आयोजना-भिन्न		**11091.71**	**20408.95**	**8005.42**	**5437.76**	**5681.11**	**11267.15**	**18551.59**	**16766.85**	**11784.92**
भाग-ख योजनागत मद										
विविध सामान्य सेवाएं										
असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु										
राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि	2235	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	500.00	500.00	0.00
नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा	2810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1066.46	1066.46
सड़क एवं पुल	3054	2158.36	1895.86	1895.86	1753.46	1865.62	1865.62	2081.26	2119.12	1560.90
अवसंरचना विकास के लिए										
सहायता - वीजीएफ	5475	150.00	45.95	45.85	480.26	125.00	125.00	499.37	300.00	88.78
कुल आयोजनागत		**2308.36**	**1941.81**	**1941.71**	**3233.72**	**2990.62**	**2990.62**	**3080.63**	**3985.58**	**2716.14**
कुल जोड़		***13400.07***	***22350.76***	***9947.13***	***8671.48***	***8671.73***	***14257.77***	***21632.22***	***20752.43***	***14501.06***

वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के बजट अनुमान/संशोधित अनुमान की तुलना में हुआ मद शीर्ष-वार वास्तविक व्यय

(सकल) (करोड़ रुपए)

विवरण	2009-10			2010-11			2011-12		
	ब.अनु.	सं.अनु.	वास्तविक	ब.अनु.	सं.अनु.	वास्तविक	ब.अनु.	सं.अनु.	वास्तविक (दिसम्बर 2011 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राजस्व खंड									
01-वेतन	60.50	59.11	57.93	52.96	57.30	53.65	59.17	52.32	47.85
02-मजदूरी	0.43	0.41	0.40	0.43	0.36	0.36	0.45	0.28	0.29
03-समयोपरि भत्ता	0.43	0.38	0.27	0.40	0.30	0.24	0.41	0.17	0.11
06-चिकित्सा उपचार	1.07	1.12	0.84	1.12	0.96	1.02	1.35	1.17	0.56
11-घरेलू यात्रा व्यय	2.08	2.21	1.86	1.75	2.38	2.00	2.15	2.54	1.41
12-विदेशी यात्रा व्यय	4.14	3.72	2.74	4.77	5.07	4.49	5.82	5.82	3.46
13-कार्यालय व्यय	9.13	9.03	8.85	8.36	8.18	8.41	8.38	8.99	5.91
14-किराया, दर एवं कर	7.09	7.58	6.82	3.45	4.19	2.08	4.65	4.30	1.69
16-प्रकाशन	4.08	3.49	3.16	4.20	3.75	3.69	4.37	5.27	3.29
20-अन्य प्रशासनिक व्यय	1.31	1.45	1.25	0.84	2.91	1.81	4.99	5.25	1.81
21-पूर्ति एवं सामग्री	0.80	1.00	0.90	1.05	1.05	0.77	1.05	0.85	0.58
26-विज्ञापन एवं प्रचार	0.56	0.50	0.43	0.56	0.72	0.53	0.65	0.61	0.04
27-लघु निर्माण कार्य	0.86	1.02	1.10	1.06	1.38	0.95	2.16	1.97	0.03
28-प्रोफेशनल सेवाएं	2.08	3.99	2.50	5.20	3.61	2.22	4.30	5.18	2.63
31-सामान्य सहायता अनुदान	2.34	2.76	2.60	2.61	2.79	2.75	2.95	22.95	11.30
32-अंशदान	101.99	102.46	98.62	92.47	98.53	99.90	96.11	94.55	84.41
33-सब्सिडी	2964.43	3037.33	2929.21	3559.88	2967.61	2775.34	3820.22	3389.26	2357.76
42-एकमुश्त	0.01	0.05	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
44-विनिमय घट-बढ़	0.50	0.50	0.03	0.50	0.50	2.85	0.50	0.50	0.00
45-ब्याज	0.19	0.14	0.05	0.14	0.08	0.03	0.09	0.09	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50-अन्य प्रभार	12.05	14.34	10.07	1023.22	21.23	13.32	26.36	19.91	7.20
51-मोटर वाहन	0.13	0.15	0.08	0.13	0.10	0.09	0.12	0.11	0.08
52-मशीनरी एवं उपकरण	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53-वृहद कार्य	1200.00	1068.75	1068.75	876.73	932.81	932.81	1040.63	1059.56	780.45
63-अंतर-खाता अंतरण	1258.36	1127.11	1127.11	1176.73	2232.81	2232.81	1840.63	2926.02	1946.91
64-बट्टे-खाते डालना/हानियां	0.01	0.00	0.00	0.00	24.50	24.44	18.00	41.52	39.90
सूचना प्रौद्योगिकी - अन्य प्रभार	1.84	2.24	2.21	2.50	4.88	4.51	3.15	3.06	1.68
जोड़ राजस्व	**5636.42**	**5450.84**	**5327.78**	**6821.08**	**6378.00**	**6171.07**	**6948.66**	**7652.26**	**5299.36**
पूंजी खंड									
32-अंशदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
42-एकमुश्त	150.00	45.95	45.85	480.26	125.00	125.00	499.37	300.00	88.78
52-मशीनरी और उपकरण	3.00	3.00	0.25	3.00	2.50	2.17	1.50	1.47	1.44
55-ऋण एवं अग्रिम	0.01	2.84	2.61	0.01	0.00	0.00	0.00	9003.04	0.00
60-अन्य पूंजी व्यय	894.00	894.00	894.00	1126.87	1915.67	1466.27	1634.80	1250.00	635.94
63-अंतर-खाता अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50-अन्य व्यय	12.60	9.10	8.21	9.10	8.12	7.58	5.80	11.67	2.60
54-निवेश	6704.04	15945.03	3668.43	231.16	242.44	6485.68	12542.09	2033.99	1815.30
20-नई उधार व्यवस्था (एनएबी)	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6657.64
जोड़	**7763.65**	**16899.92**	**4619.35**	**1850.40**	**2293.73**	**7961.70**	**14683.56**	**13100.17**	**9201.70**
कुल जोड़	***13400.07***	***22350.76***	***9947.13***	***8671.48***	***8671.73***	***11267.15***	***21632.22***	***20752.43***	***14501.06***

वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान किए गए व्यय का विश्लेषण

आयोजना-भिन्न

मुख्य शीर्ष 2052 - सचिवालय सामान्य सेवाएं

इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान आर्थिक कार्य विभाग के सचिवालय, जी-20 सचिवालय एवं करेंसी निदेशालय के व्यय के लिए रखा गया है। 2010-11 के दौरान, संशोधित अनुमान, नए बने करेंसी निदेशालय के लिए बढ़ा दिया गया है। सं.अनु. 2011-12 में कमी जी-20 सचिवालय और करेंसी निदेशालय में पदों को न भरे जाने के कारण की गई है। दिसंबर, 2011 तक हुए व्यय का प्रवाह संतोषजनक है।

मुख्य शीर्ष 2047 - अन्य राजकोषीय सेवाएं

इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान राष्ट्रीय बचत संस्थान और इसके तहत क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क के व्यय के लिए है। इसमें अनिवार्य निक्षेप (आयकर दाता) योजना, 1974 के अधीन जमाराशियों पर ब्याज, आईएमएफ रेजीडेंट आफिस की किराया लागत और अंतरराष्ट्रीय बचत बैंक संस्थाओं में भारत के अंशदान के संबंध में प्रावधान भी शामिल है। दिसंबर, 2011 तक हुए व्यय का प्रवाह संतोषजनक है।

मुख्य शीर्ष 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं

इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान निवेश आयोग, 13वें वित्त आयोग, प्रतिभूति अपील अधिकरण और वित्तीय सेक्टर विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) के व्यय के लिए है। वर्ष 2010-11 में व्यय में कमी, जनवरी, 2010 में 13वें वित्त आयोग के समापन तथा निवेश आयोग के समापन के कारण हुई है। नए बने एफएसएलआरसी के लिए किए गए प्रावधान के कारण 2011-12 में वृद्धि की गई है।

मुख्य शीर्ष 2075 - विविध सामान्य सेवाएं

इस शीर्ष में प्रावधान कालातीत मामलों में केन्द्रीय प्रतिभूतियों पर ब्याज अदायगियों तथा सरकारी लेखाओं में जमा की गई दावा न की गयी प्रतिभूतियों के बारे में भुगतान के लिए है। वर्ष 2009-10 से, ₹300.00 करोड़ का प्रावधान गारंटी मोचन निधि के अंतरण के लिए रखा जा रहा है। इससे पहले के वर्षों के लिए, यह प्रावधान वित्तीय सेवा विभाग के अनुदान में किया जाता था। इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत, वर्ष 2009-10 के लिए ₹0.10 करोड़ का सांकेतिक प्रावधान किया गया था और यह इस विभाग के सहायता लेखा और लेखा-परीक्षा प्रभाग की संस्थागत मजबूती व क्षमता निर्माण के लिए था। यह परियोजना अब पूर्ण हो गयी है।

मुख्य-शीर्ष 2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

यह प्रावधान संरक्षित बचत योजनाओं के लिए किया गया है। वर्ष 2009-10 के दौरान सांकेतिक प्रावधान रखा गया है। इसे संशोधित अनुमान 2009-10 में बढ़ाकर ₹0.10 करोड़ तथा बजट अनुमान 2010-11 में किए गए ₹0.10 करोड़ के प्रावधान को संशोधित अनुमान 2010-11 में बढ़ाकर ₹0.14 करोड़ किया गया है।

मुख्य-शीर्ष 2416 - कृषि वित्तीय संस्थाएं

भारत आईएफएडी का एक संस्थापक देश है और उसने 7वें आपूरण तक आईएफएडी संसाधनों में अब तक 79 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान किया है। आठवें आपूरण के लिए, भारत ने 25 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान करने का वचन दिया है। यह भुगतान तीन किस्तों में किया जाएगा। वर्ष 2009-10 के लिए यह किस्त 9 मिलियन अमरीकी डालर तथा 2010-11 व 2011-12 के लिए 8 - 8 मिलियन अमरीकी डालर है। तीसरी और अंतिम किस्त का भुगतान सितंबर 2011-12 में कर दिया गया। विनियम दर घट-बढ़ के कारण कम व्यय हुआ है।

मुख्य शीर्ष 3075 - अन्य परिवहन सेवाएं (रेलवे को लाभांश राहत और अन्य रियायतों के लिए सब्सिडी)

लाभांश राहत और अन्य रियायतों के संबंध में प्रदत्त सब्सिडी चल रहे पूंजीगत कार्य पर निर्भर करती है। इसी प्रकार, महत्वपूर्ण (स्ट्रेटेजिक) लाइनों के संचालन पर होने वाली हानियों की भरपाई ऐसी लाइनों के संचालन पर रेलवे के कार्यशील व्ययों पर निर्भर करती है। इस प्रकार हुए वास्तविक व्यय और किए गए प्रावधान के बीच अंतर होता है। वर्ष 2009-10 के दौरान, 1.00 लाख की सांकेतिक मांग प्राप्त हुई थी क्योंकि 211.48 करोड़ की बचतें अनुदान के राजस्व खंड में उपलब्ध थीं।

मुख्य शीर्ष 3466 - अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं

यह प्रावधान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय वार्षिक निर्धारण प्रभारों, प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपातिक सहायता हेतु अंशदान, अफगान पुनर्निर्माण न्यास निधि, विश्व बैंक तकनीकी सहायता ऋण और दक्षिण-दक्षिण एक्सपीरियंस विनिमय न्यास निधि के लिए है। प्राकृतिक आपदा आपातिक सहायता के बारे में प्रतिबद्ध राशि की सभी किस्तों का भुगतान 2009-10 तक कर दिया गया था। इसलिए 2010-11 के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। अफगानिस्तान पुनर्निर्माण न्यास निधि के लिए ₹1.00 करोड़ और विश्व बैंक तकनीकी सहायता ऋण हेतु 3.00 करोड़ के प्रावधान हेतु 2009-10 की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच में सांकेतिक अनुदान मांग प्राप्त हो गयी थी। संशोधित अनुमान 2010-11 और 2011-12 में, विश्व बैंक तकनीकी सहायता ऋण के लिए यह प्रावधान कम मांग के कारण घटा दिया गया था। दक्षिण-दक्षिण एक्सपीरियंस विनिमय न्याय निधि में विश्व बैंक को भारत के अंशदान के रूप में 500,000 अमरीकी डालर का एकमुश्त भुगतान करने के लिए 2010-11 की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच में सांकेतिक अनुपूरक अनुदान मांग प्राप्त हो गयी। 2010-11 के दौरान सांस्कृतिक विरासत और संपोषणीय पर्यटन-न्यास निधि के संबंध में अंशदान के लिए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान मांग भी प्राप्त हुई थी।

मुख्य शीर्ष 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

इस शीर्ष के अधीन, इस प्रावधान में तकनीकी सहायता के लिए राष्ट्रमंडल निधि, और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों, वाशिंगटन, टोकियो और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास के आर्थिक स्कन्ध, भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण, एशियाई विकास बैंक में भारत न्यास निधि, विनिमय अंतर और अन्य संस्थाओं को सहायता-अनुदान और एक्जिम बैंक को ब्याज समरकण सहायता का प्रावधान आता है। एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता के लिए प्रावधान में बजट अनुमान 2009-10 में किए गए ₹278.00 करोड़ के प्रावधान को कम दावे प्राप्त होने के कारण, संशोधित अनुमान 2009-10 में घटाकर ₹139.41 करोड़ कर दिया गया। बजट अनुमान 2010-11 और 2011-12 के लिए यह प्रावधान क्रमशः ₹130.00 करोड़ और 139.69 करोड़ किया गया है। वर्ष 2009-10 और 2010-11 में वास्तविक व्यय क्रमशः ₹118.87 करोड़ और ₹127.70 करोड़ हुआ है। संशोधित अनुमान 2010-11 में इस मुख्य शीर्ष के अंतर्गत, भारतीय दूतावास के नए बने आर्थिक और वाणिज्यिक स्कंध, बीजिंग; भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण पर अधिक हुए व्यय; अफ्रीकी विकास बैंक के साथ तकनीकी सहयोग के संबंध में अंशदान (₹10.00 करोड़); वर्ष 2010 के लिए एफएटीएफ को 15000 यूरो (₹0.10 करोड़) के स्वैच्छिक सदस्यता अंशदान; और भारत सरकार द्वारा तुर्कमेनिस्तान सरकार को दी गई रियायती ऋण श्रृंखला के लिए बकाया देय राशियों, ब्याज और दण्ड ब्याज (₹24.50 करोड़) की माफी; के कारण कुल मिलाकर वृद्धि हुई। कजाकस्तान (₹34.92 करोड़) एवं उज्बेकिस्तान (₹0.40 करोड़) की सरकार को दी गई एलओसी (लाइन ऑफ क्रेडिट) के संबंध में बकाया देयों/ब्याज की माफी; एक बजट उदघोषणा (2011-12) के क्रियान्वयन के अनुसरण में,

मद्रास स्कूल ऑव इकोनोमिक्स और दिल्ली स्कूल ऑव इकोनोमिक्स को सहायता अनुदान; धनशोधन और आतंकवादी वित्तपोषण का विरोध करने के लिए यूरेशिया ग्रुप को अंशदान; तथा सीएफटीसी में अंशदान की बाबत विनिमय दर बढ़ जाने के कारण ब.अनु. 2011-12 में किए गए प्रावधान को संशोधित अनुमान 2011-12 में बढ़ा दिया गया है।

मुख्य शीर्ष 3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग

इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), कोलम्बो योजना के अंतर्गत वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) तकनीकी सहायता के लिए अंशदान शामिल है। प्रारंभिक तैयारी संबंधी कार्यों के लिए, एशियाई विकास बैंक के गवर्नर बोर्ड की मई, 2013 में होने वाली 46वीं वार्षिक आम सभा के लिए सांकेतिक प्रावधान (₹0.15 करोड़) किया गया है। कोलम्बो योजना के अंतर्गत दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता संबंधी यह योजना अप्रैल, 2010 से विदेश मंत्रालय को अंतरित कर दी गई है। तथापि, विभिन्न कोलम्बो योजना देशों से वर्ष 2009-10 के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से संबंधित लम्बित बिलों का भुगतान करने हेतु संशोधित अनुमान 2011-12 में प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष 4046 - करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल का पूंजी परिव्यय

यह प्रावधान भारत प्रतिभूति मुद्रा तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड से सिक्कों की खरीद के लिए है। वर्ष 2009-10 के लिए किए गए ₹894.20 करोड़ के प्रावधान का पूर्णतः उपयोग कर लिया गया है। बजट अनुमान 2010-11 में किए गए ₹1063.20 करोड़ के प्रावधान को संशोधित अनुमान 2010-11 में बढ़ाकर ₹1852.00 करोड़ कर दिया गया है। इसमें से ₹1463.42 करोड़ की राशि खर्च की गई। सिक्कों की लागत के बारे में मूल्य पहले लागू 10 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत करने से कम व्यय हुआ। 2011-12 के दौरान किया गया ₹1584.80 करोड़ का प्रावधान, सिक्कों की लागत कम हो जाने के कारण संशोधित अनुमान अवस्था पर घटाकर ₹1225.00 करोड़ कर दिया गया। इस पर कोई नकद खर्च नहीं होगा क्योंकि सम्पूर्ण राशि सिक्कों के प्रचालन से भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ऋण से वसूली के रूप में काट ली जाएगी।

मुख्य शीर्ष 4075 - विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

वर्ष 2009-10 के लिए, गैदरिंग मशीन की खरीद हेतु ₹3.00 करोड़ का प्रावधान किया गया था। तथापि, इस राशि का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि निविदा प्रक्रिया में कुछ और जानकारी की आवश्यकता हुई। इसलिए बजट अनुमान 2010-11 में गैदरिंग मशीन की खरीद के लिए रखा गया ₹3.00 करोड़ का प्रावधान संशोधित अनुमान स्तर पर कम करके 2.50 करोड़ कर दिया गया है क्योंकि इसके लिए आंशिक भुगतान किया गया था। शेष राशि के भुगतान के लिए ₹1.50 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

मुख्य शीर्ष 5465 - सामान्य वित्तीय तथा व्यावसायिक संस्थाओं में निवेश

टकसालों और मुद्रणालयों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए बजट अनुमान 2011-12 में ₹400.00 करोड़ की व्यवस्था की गई है। तथापि, औपचारिकताओं को पूरा न किए जाने के कारण इसे संशोधित अनुमान 2011-12 में घटाकर शून्य कर दिया गया है। इस मुख्य शीर्ष के अंतर्गत 2011-12 के लिए प्रावधान में, राष्ट्रीय कौशल विकास निधि तकनीकी सहायता की संग्रह राशि में अतिरिक्त अंशदान की बाबत ₹500.00 करोड़ की राशि तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम में भारत सरकार की इक्विटी के संबंध में ₹1.90 करोड़ की राशि सम्मिलित है। इसके लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच में कुल ₹501.90 करोड़ की राशि प्राप्त हो गई है।

मुख्य शीर्ष 5466 - अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश

इसके अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए), एशियाई विकास बैंक (एडीबी), अफ्रीकी विकास बैंक, अफ्रीकी विकास निधि, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को अंशदान वैल्यू बाध्यता पूरी करने और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उधार संसाधनों की बाबत भारत के अंशदान के लिए प्रावधान है। वर्ष 2009-10 में ₹3094.26 करोड़ के आबंटन आईएमएफ में भारत कोटा बढ़ने के संबंध में (एकमुश्त) प्रत्याशित भुगतान के लिए किए गए। तथापि, वर्ष 2010-11 के दौरान, ₹11,327.15 करोड़ की अनुपूरक अनुदान मांग प्राप्त हुई थी, जिसमें से ₹6243.43 करोड़ की राशि खर्च की गई तथा शेष राशि को सरकार के खाते में रखे गए एसडीआर से डाइवर्ट कर दिया गया। बजट अनुमान 2011-12 में किए गए ₹11,729.41 करोड़ के प्रावधान को संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर शून्य कर दिया गया, क्योंकि विद्यमान वित्त वर्ष के दौरान भुगतान किए जाने की संभावना नहीं है। बजट अनुमान 2009-10 में ₹3653.93 करोड़ का प्रावधान, आईएमएफ द्वारा प्राप्त भारतीय रुपयों के मूल्य समायोजन के संबंध में मूल्य बनाए रखने हेतु आईएमएफ को अभिदान के लिए, किया गया था। यह प्रावधान, संशोधित अनुमान 2009-10 में बढ़ाकर ₹12836.26 करोड़ कर दिया गया था। तथापि, ₹3653.93 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया है। 2010-11 के लिए ₹0.01 करोड़ का सांकेतिक प्रावधान रखा गया। इसे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि भारत ने के पक्ष में एसडीआर विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण भुगतान प्राप्त किए हैं। आईएफएफ/एमओवी के लिए 2011-12 में ₹1609.79 करोड़ का अनुपूरक अनुदान प्राप्त हुआ है। यह राशि पूरी तरह उपयोग कर ली गई है। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को अभिदान के लिए बजट अनुमान और संशोधित अनुमान 2011-12 में ₹183.65 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। अंतरराष्ट्रीय विकास एसोसिएशन (आईडीए) को अभिदान के लिए ₹9.17 करोड़ का अनुपूरक अनुदान प्राप्त हुआ है। आईएमएफ के उधार संसाधनों की बाबत अंशदान के लिए बजट अनुमान 2010-11 में ₹63.67 करोड़ का प्रावधान किया गया। यह प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक को ब्याज के रूप में प्राप्त एसडीआर के समतुल्य का मूल्य अंतरित करने के लिए किया जाता है। नोट क्रय करार के अधीन प्रतिभूतियों पर ब्याज की बाबत भुगतान करने की कम आवश्यकता के कारण ₹2.85 करोड़ का वास्तविक व्यय हुआ। इसी प्रकार बजट अनुमान 2011-12 में किए गए ₹50.00 करोड़ के प्रावधान को संशोधित अनुमान 2011-12 में घटाकर ₹25.00 करोड़ कर दिया गया है।

मुख्य शीर्ष 5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

यह प्रावधान इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना विकास निधि के लिए तथा सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के मुख्य कार्यकलापों के लिए है। इस निधि के लिए बजट अनुमान 2009-10 में किए गए ₹10.50 करोड़ के प्रावधान को, प्रायोजक अधिकारियों द्वारा इंगित कम मांगों और परियोजना की प्रास्थिति के कारण, संशोधित अनुमान 2009-10 में घटाकर ₹7.00 करोड़ कर दिया गया। जयपुर मैट्रो रेल परियोजना और दिल्ली जल बोर्ड, मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्य सरकारों की परियोजनाओं को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, 2011-12 में किए गए ₹5.00 करोड़ के प्रावधान को बढ़ाकर ₹9.00 करोड़ कर दिया गया है। बजट अनुमान 2009-10 में सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के क्रियाकलापों के लिए ₹2.10 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी गयी है। परामर्शी सेवाओं का अनुमोदन न किए जाने के कारण 2010-11 में किया गया ₹2.10 करोड़ का प्रावधान घटाकर ₹1.12 करोड़ कर दिया गया है। जिस अतिरिक्त सहायता के लिए अनुपूरक अनुदान प्राप्त हुआ है, उसके लिए बजट अनुमान 2011-12 में किया गया ₹0.80 करोड़ का प्रावधान बढ़ाकर ₹2.67 करोड़ कर दिया गया है।

मुख्य शीर्ष 7475 - अन्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को ऋण, नई उधार व्यवस्था और इस

व्यवस्था में भारत के निवेश के संबंध में नोट क्रय करार के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के माध्यम से संशोधित अनुमान 2011-12 में ₹9003.04 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दिसंबर, 2011 तक व्यय का प्रवाह संतोषजनक रहा है।

मुख्य शीर्ष-7605 - विदेशी सरकारों को अग्रिम

यह प्रावधान भारत से वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को संवर्धित करने के लिए सरकार से सरकार ऋण श्रृंखला के माध्यम से विदेशी सरकारों को अग्रिम देने के लिए है। चूंकि विदेशों को सहायता प्रदान करने की यह योजना 2003-04 से बन्द कर दी गई है, कोई नई ऋण श्रंखलाएं अनुमोदित नहीं की जा रही हैं। पिछली ऋण श्रृंखलाओं के संबंध में संवितरण जारी हैं। इसलिए इन प्रावधानों में क्रमिक रूप से कमी हुई है। वर्ष 2009-10 में, श्रीलंका सरकार से संबद्ध दावों के निपटान के लिए ₹2.84 करोड़ का प्रावधान किया गया था। बजट अनुमान 2010-11 में 0.01 करोड़ का सांकेतिक प्रावधान किया गया, और संशोधित अनुमान 2011-12 के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

आयोजना

मुख्य शीर्ष 2235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अनुसरण में, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए, बजट अनुमान 2010-11 में ₹1000.00 करोड़ के प्रारंभिक आबंटन से राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना की गई है। इस राशि का पूरी तरह उपयोग कर लिया गया है। 2011-12 के लिए बजट अनुमान और संशोधित अनुमान में ₹500.00 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

मुख्य शीर्ष 2810 - नई और नवीकरणीय ऊर्जा

स्वच्छ ऊर्जा आदि में अनुसंधान संबंधी विभिन्न नई परियोजनाओं, जो अनेक मंत्रालयों/विभागों द्वारा क्रियान्वित की जाएंगी, में वित्तपोषण के लिए व्यय की पूर्ति के लिए भारत के लोक लेखा में बनाए रखी जाने वाली 'राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि' में प्रारंभिक अंतरण के लिए 2011-12 की पहली अनुपूरक अनुदान मांग के माध्यम से ₹1066.46 करोड़ का प्रावधान प्राप्त हुआ है।

मुख्य शीर्ष 3054 - सड़क और पुल

यह प्रावधान रेल सुरक्षा कार्य के लिए है। पेट्रोल और डीजल पर उद्ग्रहीत किया जा रहा उपकर, रेलवे ओवर/अंडर ब्रिजों एवं अन्य सुरक्षा कार्यों के निर्माण में वित्तपोषण हेतु केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार आवंटित किया जाता है। यह प्रावधान कड़ाई से रेलवे से अपेक्षाओं तथा उपकर संग्रहणों के उनके हिस्से के अनुसार किया जाता है। अंतर खाता अंतरण के रूप में, समतुल्य राशि केंद्रीय सड़क प्रारक्षित निधि में अंतरित की जाती है। अंतर खाता अंतरण के रूप में, समतुल्य राशि केंद्रीय सड़क प्रारक्षित निधि में अंतरित की जाती है। वर्ष 2009-10 में ₹958.36 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसे घटाकर संशोधित अनुमान 2009-10 में ₹827.11 करोड़ कर दिया था। अंतर खाता अंतरण के रूप में, समतुल्य राशि केन्द्रीय सड़क प्रारक्षित निधि में अंतरित कर दी गयी थी। बजट अनुमान 2009-10 के दौरान, रेलवे सुरक्षा कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट सहायता के रूप में ₹241.64 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई थी। 2010-11 में, ₹876.73 करोड़ की व्यवस्था की गई थी। संशोधित अनुमान 2010-11 में, रेलवे से अधिक मांग प्राप्त होने के कारण, इसे बढ़ाकर ₹932.81 करोड़ कर दिया गया है। इसे पूरी तरह उपयोग कर लिया गया है। बजट अनुमान 2011-12 में किए गए ₹1040.63 करोड़ का प्रावधान, केंद्रीय सड़क प्रारक्षित निधि के अंतर्गत मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल पर लगे उपकर में वृद्धि हो जाने के कारण, बढ़ाकर संशोधित अनुमान 2011-12 में ₹1059.56 करोड़ कर दिया गया है।

मुख्य शीर्ष 5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

यह प्रावधान अवंसरचना विकास - व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) के लिए सहायता देने के संबंध में है। वर्ष 2009-10 के बजट अनुमान में किए गए ₹150.00 करोड़ रुपये के प्रावधान को, अर्थव्यवस्था में सामान्य मंदी की वजह से घटाकर ₹45.95 करोड़ रुपये कर दिया गया था। मंदी की वजह से तीन परियोजनाओं के लिए बोलियां प्राप्त नहीं की जा सकीं। वर्ष 2009-10 में इस पर वास्तविक व्यय ₹45.85 करोड़ हुआ। वर्ष 2010-11 में किए गए ₹480.26 करोड़ के प्रावधान को सिद्धांततः अनुमोदन प्रदत्त परियोजनाओं के वित्तीय प्रस्तावों की धीमी परिसमापन स्थिति के कारण संशोधित अनुमान 2010-11 में कम करके ₹125.00 करोड़ कर दिया गया है। इसका पूर्णतः उपयोग कर लिया गया है। बजट अनुमान 2011-12 में किया गया ₹499.37 करोड़ का प्रावधान कम करके संशोधित अनुमान 2011-12 में ₹300.00 करोड़ कर दिया गया है। यह कमी मुम्बई मैट्रो परियोजना के क्रियान्वयन में हुए विलम्ब के कारण हुई जहां ₹200.00 करोड़ की वीजीएफ राशि का 2011-12 में जरूरत होने का अनुमान था। तथापि, 2011-12 में इस परियोजना के लिए वीजीएफ राशि की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर दिसंबर, 2011 तक ₹88.78 करोड़ की वास्तविक राशि का व्यय किया गया।

2011-12 में आर्थिक कार्य विभाग के अनुदान के मद शीर्षवार मुख्य संघटक

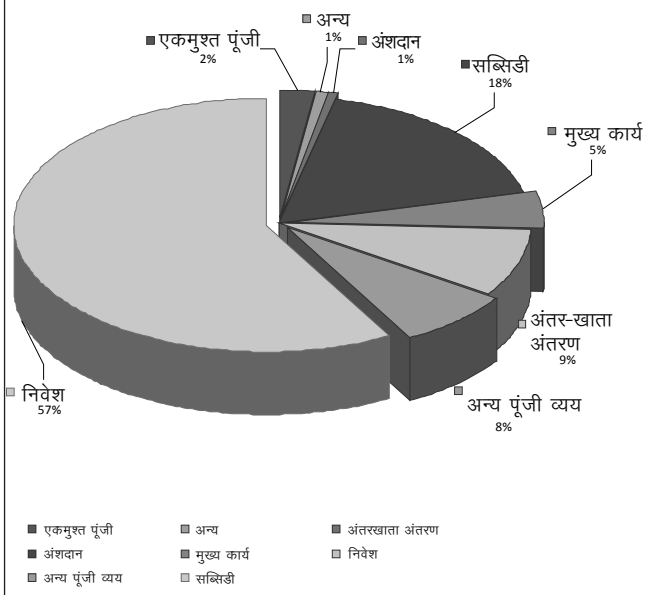

- निवेश-मुख्य अंश, भारत के कोटा वृद्धि के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को भुगतान (₹11,729.41 करोड़), एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास को अभिदान, आईबीआरडी को अभिदान - सामान्य/चयनात्मक पूंजीगत वृद्धि (₹183.65 करोड़) भारत प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लि. (₹400 करोड़) के लिए (कुल ₹12,542.09 करोड़) है।
- सब्सिडी - सब्सिडी का मुख्य अंश, लाभांश राहत एवं अन्य रियायतों के लिए रेलवे को तथा एक्जिम बैंक को ब्याज (₹139.69 करोड़) समकरण सहायता के लिए जाता है (₹3820.22 करोड़)।
- मुख्य कार्यों के लिए निधि, रेलवे उपरि/अधोसेतुओं और अन्य रेलवे सुरक्षा कार्यों के निर्माण में वित्तपोषण के लिए है (₹1040.63 करोड़)।
- अंतर-खाता अंतरण, असंगठित क्षेत्र कामगार और गारंटी मोचन निधि के लिए केंद्रीय सड़क निधि, सामाजिक सुरक्षा निधि में निधियों के अंतरण के लिए है (₹1840.63 करोड़)।
- अन्य पूंजी व्यय, एसपीएमसीआईएल से सिक्कों की खरीद तथा आईएमएफ से प्राप्त ब्याज की अदायगी आरबीआई को करने के लिए है (₹1634.80 करोड़)।
- विभिन्न अंतरराष्ट्रीय निकायों और संगठनों को अंशदान (₹96.11 करोड़)।
- अन्य - इसमें वेतन एवं अन्य स्थापना व्यय शामिल है (₹158.37 करोड़)।
- एकमुश्त पूंजी, व्यवहार्यता अंतराल निधि के माध्यम से अवसंरचना क्षेत्र के विकास में सरकारी निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए है (₹499.37 करोड़)।

आर्थिक कार्य विभाग के अधीन सांविधिक एवं स्वायत्तशासी निकाय

इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) एकमात्र स्वायत्तशासी निकाय है। इसे कोई सरकारी अनुदान नहीं दिया जाता है। आर्थिक कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड सरकारी स्वामित्व वाला निगम है। इस संगठन का विवरण इस प्रकार है:

भारत प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

- भारत प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड का निगमन 13 जनवरी, 2006 को किया गया था। इसका मुख्यालय जवाहर व्यापार भवन, नई दिल्ली में स्थित है। इसे 10 फरवरी, 2006 से काम करने की स्वीकृति दी गई थी। यह वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के अधीन भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। इसके प्रमुख, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक हैं। सरकार और प्रयोक्ता विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों के अलावा, निगम के बोर्ड में तीन कार्यात्मक निदेशक हैं।
- सभी नौ टकसालों/मुद्रणालयों/कारखाना के निगमीकरण के पश्चात, भारत प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। ये टकसाल/मुद्रणालय पहले आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के करेंसी और सिक्का प्रभाग के नियंत्रण में काम करती था। ये निम्नलिखित हैं।

  भारत सरकार टकसाल, मुम्बई
  भारत सरकार टकसाल, कोलकाता
  भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद
  भारत सरकार टकसाल, नोएडा
  प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद
  भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नाशिक
  चालार्थ पत्र मुद्रणालय, नाशिक
  बैंक नोट मुद्रणालय, देवास
  प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद

- कंपनी की अनंतिम रूप से आस्तियां और देयताएं ₹3,237 करोड़ हैं। भारत प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की सभी नौ यूनिटों की स्टाफ संख्या, इस समय, लगभग 13500 है। करेंसी नोटों के लिए दो करेंसी मुद्रणालयों का ग्राहक भारतीय रिजर्व बैंक है। नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पेपरों और संबद्ध स्टाम्पों के लिए अन्य दो प्रतिभूति मुद्रणालयों के ग्राहक राज्य सरकारें हैं, साथ ही, डाक-सामग्री, स्टाम्पों आदि के लिए ग्राहक डाक विभाग है। प्रतिभूति मुद्रणालय अनेक ग्राहकों के लिए चेक जैसे विभिन्न प्रतिभूति वस्तुएं, तथा विदेश मंत्रालय के लिए पासपोर्ट, वीजा स्टीकर और अन्य यात्रा संबंधी दस्तावेज भी उत्पादित करते हैं। टकसालों का मुख्य कार्य आरबीआई के लिए सिक्कों का निर्माण करने तथा कारपोरेट निकायों के माध्यम से वितरण के लिए मेडल तैयार करने से संबंधित है। तथापि, स्मारक सिक्कों आदि के लिए व्यक्तियों से छोटे-मोटे भुगतान प्राप्त होते हैं।
- 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार, निगम का ₹4,978.09 करोड़ का एक आस्ति आधार है तथा उक्त अवधि के लिए कर पश्चात लाभ ₹577.19 करोड़ है। निगम ने वित्त वर्ष 2010-11 में ₹115.44 करोड़ के लाभांश तथा ₹19.17 करोड़ के लाभांश वितरण कर का भुगतान किया है।
- विद्यमान वित्त वर्ष के दौरान, यह निगम करेंसी/बैंक नोटों के उत्पादन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त मांग आदेशों की पूर्ति करने में सफल रहा। इसने भारत सरकार के लिए सिक्कों का निर्माण करने, डाक विभाग के लिए डाक-सामग्री तथा राज्य एवं अन्य एजेंसियों के लिए स्टाम्प पेपर मुद्रित करने का लक्ष्य प्राप्त किया है।
- इस निगम की नौ यूनिटें प्रतिभूति कागज के उत्पादन, प्रतिभूति दस्तावेजों के मुद्रण और सिक्कों, मेडलों आदि का निर्माण कार्य करती हैं। मौजूदा वर्ष में निर्मित मुख्य उत्पादों का ब्यौरा इस प्रकार है:

01 अप्रैल, 2011 से 31 दिसंबर, 2011 की अवधि के दौरान उत्पादन का ब्यौरा

क्र. सं.	उत्पाद	उत्पादन (मिलियन संख्या)
1.	बैंक नोट	4454
2.	सिक्के	4610.36
3.	पोस्ट कार्ड	77.77
4.	लिफाफे	15.77
5.	अंतरदेशीय पत्र कार्ड	21.22
6	डाक टिकट और भारतीय पोस्टल आर्डर	28.15
7	स्मारक स्टाम्प	9.234
10	चिपकने वाले स्टाम्प	7.344
11	नॉन जुडिशियल एवं संबद्ध स्टाम्प	253.85
12	बचत लिखतें	33.290
13	एमआईसीआर-भिन्न चेक	0.842
14	एमआईसीआर चेक	30.248
15	विविध प्रतिभूति फॉर्म व न्यायालय की स्टाम्प्स	45.20
16	पासपोर्ट एवं संबद्ध पुस्तिकाएं	5.84
17	स्टीकर्स/लेबल/पहचान-पत्र/मोहरें	4.588
18	प्रतिभूति कागज	2137 मी.टन

01 अप्रैल, 2011 से 31 दिसंबर, 2012 की अवधि के दौरान मुख्य उत्पादों की बिक्री का ब्यौरा

क्र. सं.	मुख्य उत्पाद	बिक्री (₹ करोड़)
1.	बैंक नोट	746
2.	सिक्के एवं मेडल	953
3.	अन्य प्रतिभूति उत्पाद	436
	जोड़	**2135**

- वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने बैंक नोट प्रेस, देवास, मध्य प्रदेश में एक नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन का शुभारंभ किया है। अत्याधुनिक नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन से अतिरिक्त प्रिंट आधारित प्रतिभूति विशेषताओं को सम्मिलित करने में आसानी होगी ताकि नकली करेंसी रोकी जा सके। इसमें आनलाइन निरीक्षण, उत्पादन प्रबंध के लिए साफ्टवेयर और ऊर्जा किफायती एवं पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल कार्यों से युक्त उन्नत फीडिंग सिस्टम की सुविधाएं हैं।
- कंपनी प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) में स्टाक प्रिपेरेशन प्लांट सहित एक नई बैंक नोट पेपर लाइन की भी स्थापना कर रही है। बैंक नोटों की वार्निशिंग कोटिंग मशीन ने चालार्थ पत्र मुद्रणालय, नाशिक में काम करना शुरू कर दिया है।

- कंपनी ने बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीएनपीएम आईपीएल) के साथ एक संयुक्त उद्यम लगाने का करार करके भारत में करेंसी पेपर के स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कार्य की शुरुआत की है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग ₹1200 करोड़ है और इसके वित्त वर्ष 2014-15 में पूरा होने की संभावना है। इस परियोजना के पूरा हो जाने पर, कंपनी करेंसी पेपर की अपनी अधिकांश जरूरतों को स्वदेश में ही पूरा करेगी तथा करेंसी पेपर के आयात पर निर्भर नहीं होगी।
- इस वर्ष कंपनी ने प्रतिभूति कागज, प्रतिभूति मुद्रण और सिक्का धातु-कर्म के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पर्यावरण एवं सामाजिक विकास के क्षेत्र में अभिनव सीएसआर परियोजनाएं भी पूर्ण की हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लोक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक पहल होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) में की गईं। भारतीय रेडक्रास सोसाइटी की सहायता से महाराष्ट्र के कल्याण और ठाणे जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए मिड डे मील कार्यक्रम भी शुरू किया गया। कंपनी ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्यों में जनसंख्या स्थिरता कोष के माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम में भी सहायता प्रदान की।
- इस वर्ष कंपनी ने माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री के कर कमलों द्वारा अपना अधिप्राप्ति मैनुअल मई, 2011 में विमोचित कराया। इसे अब अधिप्राप्ति कार्यों में कंपनी की सभी यूनिटों द्वारा जोरदार तरीके से लागू किया जा रहा है।
- इस निगम ने प्रतिभूति कागज कारखाने को आधुनिकीकृत करने, प्रतिभूति कागज उत्पादन की क्षमता बढ़ाने, करेंसी मुद्रणालय यूनिटों को आधुनिकीकृत बनाने और परम्परागत तरीके से की जा रही अनेक गतिविधियों के स्वचालन की परिकल्पना की है। बैंक नोट पेपर, इंक एवं आर एण्ड डी आदि के स्वदेशीकरण के माध्यम से नकली करेंसी से बचने हेतु महत्त्वपूर्ण पहलों की पूर्ति के लिए, अनेक परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं, चल रही और क्रियान्वयन की सूचीगत परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष 2012-13 में क्रियान्वित की जा रही/की जाने वाली महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं का ब्यौरा

परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत (₹ राशि करोड़)	पूरा होने की नियत तारीख	वर्ष के शुरु होने तक कुल संचयी व्यय	2012-13 के दौरान आयोजनागत कुल व्यय	पूरा होने की संभावित तारीख	उपलब्धि/ परिणाम	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद में वन लाइन-कागज कारखाना	494	31.10.2013	104	312	31.10.2013	6000 मी.टन/वर्ष	पुराने मौजूदा संयंत्र के स्थान पर।
पुराने प्रिंटिंग, फिनिशिंग प्लांट एवं मशीनरी को बदलना	580	31.03.2014	180	100	31.03.2014		पुराने 3 मौजूदा संयंत्र के स्थान पर।
बैंक नोट प्रेस/ करेंसी नोट प्रेस में आनलाइन निरीक्षण प्रणाली/ आनलाइन जॉगिंग उपकरण	15	31.03.2013	-	15	30.03.2013		करेंसी मुद्रण मशीन का उन्नयन।
नया प्रतिभूति कागज कारखाना लगाने के लिए बीआरबीएनएम पीएल के साथ संयुक्त उद्यम	1200 (एसपीएमसी आईएल की हिस्सेदारी 50%)	30.04.2014	100	200	30.04.2014	12000 मी.टन/वर्ष (एसपीएमसी आईएल की हिस्सेदारी 50%)	बीआरबीएनएमपीएल के साथ संयुक्त उद्यम में आयात विकल्प के रूप में कागज का उत्पादन
6 कलर आफसेट शीट युक्त मशीन	20	31.03.2013	-	20	31.03.2013		पुरानी मशीनों को बदलना
अर्ध-फिनिशिंग मशीनें (गिनाई, बैंडिंग, श्रिंक रैप एवं लेबलिंग मशीन)	12	31.03.2013	-	12	31.03.2013		नोटों को काटने के लिए, हाथ से होने वाले कार्य को कम करने हेतु आधुनिकीकरण।
प्रूफ मेडलों और सिक्कों के लिए बहु-विधि मेडल मुद्रणालय	37	31.03.2013	19	18	31.03.2013		

1	2	3	4	5	6	7	8
विभिन्न यूनिटों में सिक्का ढलाई	106	31.12.2012	56	50	31.12.2012		पुरानी मशीनों को बदलना, अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करना।
सेंट्रीफुगल फिनिशिंग लाइन (सिक्का पॉलिशिंग)	75	31.03.2013	45	30	31.03.2013		
ब्लैंक सिक्कों के लिए स्वचालित दृश्य निरीक्षण मशीन	10	31.03.2013	-	10	31.03.2013		सिक्कों की गुणवत्ता में सुधार लाना।
मुम्बई/हैदराबाद में गोल्ड/सिलवर रिफाइनिंग प्लांट	9	31.03.2013	-	9	31.03.2013		मुम्बई/हैदराबाद में शोधन क्षमता का निर्माण करना।
टकसालों में सीसीटीवी एवं अन्य सुरक्षा व्यवस्था	20	31.03.2014	6	7	31.03.2014		टकसालों में मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना।
नाइट्रोजन प्लांट का समग्र रूप से विद्युत भट्टी से तापानुशीतन/ कठोरीकरण	6	31.03.2013	-	6	31.03.2013		
लेजर मार्किंग सिस्टम, हाइड्रोलिक होबिंग प्रेस	08	31.03.2013	-	8	31.03.2013		
कम्प्यूटर की सहायता से डिजाइन (सीएडी) और कम्प्यूटर टू आफसेट प्लेट (सीटीओपी)	40	31.03.2014	8	16	31.03.2014		आर एंड डी प्रयास के रूप में अपने यहां बैंक नोटों का डिजाइन तैयार करने के लिए क्षमता-निर्माण
इनटैलियो प्लेट टू कम्प्यूटर (सीटीआईपी)	40	31.03.2013	-	40	31.03.2013		आर एंड डी प्रयास के रूप में अपने यहां बैंक नोटों का डिजाइन तैयार करने के लिए क्षमता-निर्माण
ईआरपी परियोजना	60	30.06.12	32	28	30.06.12		सूचना एकत्र करने में कोई समय गंवाए बिना, निर्णय लेने के लिए विभिन्न यूनिटों के डाटा का आनलाइन विश्लेषण
नोएडा में कारपोरेट मुख्यालय की आवासीय परियोजना	90	31.03.2014		30	31.03.2014		इस समय, कम्पनी के कारपोरेट ऑफिस के लिए कम्पनी की कोई बिल्डिंग नहीं है और उसे पट्टे पर लिए आवास से कार्य करना पड़ रहा है। लगभग 12,000 वर्ग फुट का मौजूदा स्थान उसकी 30,000 वर्ग फुट की आवश्यकताओं से कम पड़ता है।
जोड़	**2222**		**550**	**885**			

वित्तीय सेवाएं विभाग

प्रस्तावना

वित्तीय सेवाएं विभाग मुख्य तौर पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और वित्तीय संस्थाओं के कामकाज सहित उनसे संबंधित नीतिगत मुद्दों, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों (सीएमडी) और कार्यकारी निदेशकों (ईडी) की नियुक्ति विधायी मामलों, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संबंध, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर/डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति, नाबार्ड, कृषि वित्त निगम, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), ग्रामीण/कृषि ऋण, वित्तीय समावेशन से संबंधित मामलों, बीमा क्षेत्र और सरकारी बीमा कंपनियों के कार्य-निष्पादन से संबंधित मामलों, विभिन्न बीमा अधिनियमों के प्रशासन, नई पेंशन पद्धति (एनपीएस) सहित पेंशन सुधारों, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से संबंधित विधायी एवं अन्य मामलों आदि के लिए उत्तरदायी है।

वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा संचालित प्रमुख स्कीमें निम्नानुसार हैं:-

(1) **किसानों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज सहायता**- सरकार ब्याज सहायता स्कीम के माध्यम से किसानों को दिए गए ऋणों पर ब्याज दर में सब्सिडी देती है ताकि किसानों को 3.00 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसल ऋण 7% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर उपलब्ध हो सकें। यह स्कीम, वर्ष 2006-07 से क्रियान्वित की जा रही है और इसे वर्ष-प्रति-वर्ष जारी रखा जा रहा है। सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के संबंध में 'नाबार्ड' और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा इस स्कीम का क्रियान्वयन किया जाता है। स्कीम को वर्ष 2011-12 के दौरान जारी रखने के लिए दिए गए अनुमोदन के अनुसार किसानों को 3.00 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसल ऋण **7%** प्रति वर्ष की दर से उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सहायता दिए जाने के अलावा निम्नलिखित संघटक जोड़े गए हैं:

(क) ऐसे किसानों को 3% की अतिरिक्त ब्याज सहायता देना जो अपने ऋण को समय पर चुकाते हैं।

(ख) किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले लघु एवं सीमांत किसानों को कटाई उपरांत छह महीनों के लिए ठीक उसी दर पर ब्याज सहायता दिया जाना जिस दर पर किसानों को माल गोदामों में अपनी उपज रखने के लिए परक्राम्य गोदाम रसीदों के एवज में अल्पकालिक फसल ऋण दिया जाता है।

वर्ष 2010-11 के दौरान स्कीम के अंतर्गत 3531.19 करोड़ रुपये (नाबार्ड को 2100 करोड़ रुपये और आरबीआई को 1431.19 करोड़ रूपये) की धनराशि रिलीज की गई। वर्ष 2011-12 में 4868 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जिसे नोडल एजेंसियों से प्राप्त दावों की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए घटा कर 4000 करोड़ रुपये कर दिया गया था। वर्ष 2011-12 (दिसम्बर, 2011 तक) के दौरान 1422.96 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई। बजट प्राक्कलन 2012-13 में 6000 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कीम के अंतर्गत बैंकों द्वारा संवितरित आर्थिक सहायता प्राप्त कृषि ऋणों की मात्रा नीचे दी गई है:

वर्ष	संवितरित आर्थिक सहायता प्राप्त ऋणों की मात्रा (₹करोड़)		
	सरकारी बैंक	सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	कुल
2008-09	94,147.87	62,642.72	156,790.59
2009-10	128,164.75	86,748.05	214,932.80
2010-11	74,344.21*	102,335.49	176,679.70

* (अनंतिम)

(ii) **दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) का पुनरुज्जीवन** वैद्यनाथन कार्यबल-II की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा 26.2.2009 को दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) के लिए एक पुनरुज्जीवन पैकेज का अनुमोदन किया गया। एलटीसीसीएस के क्रियान्वयन के लिए कुल परिव्यय 3070.00 करोड़ रु. था (भारत सरकार के लिए 2206.00 करोड़ रु., राज्य सरकार के लिए 482.00 करोड़ रु. तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के लिए 382.00 करोड़ रु. है)। वर्ष 2008-09 के दौरान इस पैकेज का क्रियान्वयन करने के लिए नाबार्ड को 20.00 करोड़ रु. की धनराशि रिलीज की गई। बजट प्राक्कलन 2010-11 के साथ-साथ वर्ष 2011-12 में 1000.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया। हालांकि, भारत सरकार ने कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस), 2008 और लघु अवधि सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) पैकेज के क्रियान्वयन का एलटीसीसीएस की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया था। कार्यबल की रिपोर्ट को ध्यान में रख कर एलटीसीसीएस के लिए पैकेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(iii) **वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफआईटीएफ)**-सरकार ने दो निधियों को सृजित किया था। "वित्तीय समावेशन निधि'के नाम से जाने वाली निधि का सृजन वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए विकासपरक एवं संवर्धनात्मक मध्यस्थताओं (इंटरवेन्शनों) की लागत को पूरा करने के लिए किया गया था और प्रौद्योगिकी अपनाए जाने की लागत को पूरा करने के लिए" वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि के नाम से दूसरी निधि सृजित की गई थी। ये निधियां नाबार्ड में रखी गई हैं और यह 500.00 करोड़ रु. की समग्र प्रारंभिक निधि से बनी हैं जिसमें निधियों के उपयोग के आधार पर पाँच वर्षों की कालावधि में चरणबद्ध तरीके से 40:40:20 के अनुपात में भारत सरकार, आरबीआई और नाबार्ड द्वारा योगदान दिया जाएगा। तदनुसार, उन दोनों निधियों का सृजन करने के लिए भारत सरकार के प्रारंभिक अंशदान के रूप में 2007-08 में नाबार्ड को 10.00 करोड़ रु. प्रत्येक की धनराशि रिलीज की गई। वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 में भी उन दोनों निधियों के लिए नाबार्ड को 10 करोड़ रु. प्रत्येक की धनराशि रिलीज की गई। बजट प्राक्कलन 2012-13 में एफआईएफ के लिए 20 करोड़ रुपये और एफआईटीएफ के लिए 30 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव है।

(iv) **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पूंजीकरण**-सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) अपना टीयर-1 सीआरएआर 8% तक बरकरार रखने में सक्षम हो सकें और सभी पीएसबी में भारत सरकार की धारिता (होल्डिंग) 58% तक बढ़ाई जा सके, उसके लिए सरकार ने 2010-11 में सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों में 20,117.23 करोड़ रुपये की धनराशि लगाई। सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता पर विचार किए जाने पर बजट प्राक्कलन 2011-12 में 6,000 करोड़ रुपये के प्रावधान को संशोधित प्राक्कलन 2011-12 में बढ़ाकर 12000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वर्ष 2012-13 के दौरान पीएसबी के पुनर्पूंजीकरण के लिए 14,588 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव है।

(v) **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनर्पूंजीकरण** - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के सीआरएआर को समयबद्ध तरीके से कम से कम 7% करने और आगे मार्च, 2012 तक 9% करने के लिए उपाय सुझाने के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, डा. के.सी. चक्रवर्ती की अध्यक्षता में गठित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूंजीकरण समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्पूंजीकृत करने का निर्णय लिया। तदनुसार, वर्ष 2010-11 के दौरान 350.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया जिसमें से पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में 66.49 करोड़ रुपये की धनराशि रिलीज की गई। वर्ष 2011-12 में बजट प्राक्कलन में 500.00 करोड़ रु. की धनराशि का प्रावधान किया गया था। (दिसम्बर, 2011 तक) जिसमें से दस आरआरबी को 110.83 करोड़ रुपये की धनराशि रिलीज की गई थी। बजट प्राक्कलन 2012-13 के लिए 200 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव है।

(vi) **15.00 लाख रु. तक के गृह ऋण पर ब्याज सहायता** - इस स्कीम के अंतर्गत 15.00 लाख रु. तक के गृह ऋणों पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ पंजीकृत गृह वित्त कंपनियों को नोडल एजेंसियों अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से 1% की ब्याज सहायता प्रदान की जाती है। ब्याज सब्सिडी मार्च, 2013 तक उपलब्ध होगी। वर्ष 2010-11 में इस स्कीम के अंतर्गत नोडल एजेंसियों को 38.54 करोड़ रुपये रिलीज किए गए। वर्ष 2011-12 में बजट प्राक्कलन में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान संशोधित प्राक्कलन में घटाकर 300 करोड़ रुपये कर दिया गया और दिसम्बर, 2011 तक 99.61 करोड़ रुपये की धनराशि रिलीज की गई।

(vii) **नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत स्वाबलंबन स्कीम** - चूंकि कुल कार्यबल का केवल लगभग 12-13 प्रतिशत ही किसी औपचारिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली से कवर किया जाता है इसलिए, देश में एक सुदृढ़ एवं टिकाऊ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए भारत में पेंशन क्षेत्र सुधारों की शुरुआत की गई। पर्याप्त सेवानिवृत्ति आय उपलब्ध कराने के प्रयोजन से भारत सरकार द्वारा नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) शुरू की गई और इसे 01 जनवरी, 2004 से सरकार (सशस्त्र सेनाओं के सिवाय) में होने वाली नई भर्तियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया।

जैसाकि वर्ष 2010-11 के बजट भाषण में घोषणा की गई थी, सरकार ने असंगठित क्षेत्र को एनपीएस का लाभ प्रदान करने के लिए 'स्वाबलंबन स्कीम' को अनुमोदित किया। स्कीम का उद्देश्य है- एनपीएस के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के लोगों को अपने आपको पंजीकृत करवा कर अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक रूप से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना। असंगठित क्षेत्र के जो कोई भी नागरिक न्यूनतम 1,000.00 रु. और अधिकतम 12,000.00 रु. के वार्षिक अंशदान के साथ एनपीएस ज्वाइन करते हैं, सरकार उनके एनपीएस खाते में 1,000 रु. का अंशदान देगी। इस तरह, भारत सरकार प्रत्येक नागरिक की वृद्धावस्था आय सुरक्षा में प्रत्यक्ष शेयरधारक हो गई है। यह स्कीम वर्ष 2013-14 तक के लिए उपलब्ध है। वर्ष 2010-11 में स्कीम के अंतर्गत 53.50 करोड़ रूपये की धनराशि रिलीज की गई। वर्ष 2011-12 में अनुमोदित 220 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान संशोधित प्राक्कलन में घटाकर 110 करोड़ रुपये कर दिया गया। बजट प्राक्कलन 2012-13 में स्कीम के लिए और 220 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रस्ताव किया गया है।

(viii) **वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई)**- 55 वर्ष और अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के निमित्त वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) 14.7.2003 को शुरू की गई थी और 09.07.2004 को यह योजना वापस ले ली गई थी। स्कीम के अंतर्गत लगभग 35 लाख पेंशनभोगियों ने पंजीकरण करवाया है जो अपने निवेश पर 9% प्रतिवर्ष की प्रभावी प्राप्ति प्राप्त करते हैं। पेंशनभोगी को प्रदत्त 9% की प्रभावी प्राप्ति और एलआईसी द्वारा अर्जित प्राप्ति के बीच के अंतर की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा एलआईसी को की जाती है। वर्ष 2010-11 में 175.70 करोड़ रु. की धनराशि रिलीज की गई थी। बजट प्राक्कलन 2012-13 में 199.61 करोड़ रुपये की धनराशि संशोधित प्राक्कलन 2011-12 में मामूली रूप से घटाकर 190.38 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। बजट प्राक्कलन 2012-13 में स्कीम के लिए और 182.25 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रस्ताव किया गया है।

(ix) **जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई)** - यह योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले तथा गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर रहने वाले ग्रामीण और शहरी लोगों को जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। यह स्वाभाविक मृत्यु पर 30,000 रुपए, दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता पर 75,000 रुपए तथा आंशिक स्थायी अपंगता पर 37,500 रुपए प्रदान करती है। शुल्क मुक्त ऐड-आन लाभ के रूप में छात्रवृति भी प्रत्येक बच्चे के लिए प्रतिमाह 100.00 रुपए की दर से 9 वीं से 12 वीं कक्षा के बीच अध्ययन कर रहे लाभार्थियों के अधिकतम दो बच्चों के लिए प्रदान की जाती है। योजना के तहत प्रीमियम 200.00 रुपए प्रति वर्ष है जिसका 50% भारत सरकार द्वारा अंशदान की गई और एलआईसी द्वारा बनाए रखी गई सामाजिक सुरक्षा निधि से आहरित की जाती है। बैंकों से जुड़े सभी महिला स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) के कवरेज का दायरा तेजी से बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) पर इस स्कीम के अंतर्गत विशेष ध्यान दिया गया है। बैंकों से जुड़े ऋण सम्बद्ध सभी महिला एसएचजी पर कवरेज का विस्तार करने के लिए एलआईसी बैंकों, नाबार्ड और अन्य राज्य एजेंसियों के साथ समन्वयन करता है।

वर्ष 2010-2011 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत कुल मिलाकर 2,09,78,825 जीवन कवर किए गए। 30.11.2011 की स्थिति के अनुसार 12,30,318 महिला एसएचजी में 96,85,795 जीवन कवर किए गए हैं।

एलआईसी द्वारा बनाई रखी गई सामाजिक सुरक्षा निधि में भारत सरकार द्वारा 2008-09 में 500 करोड़ रुपये रखे गए। निधि के 'कॉरपस'के खत्म होने को ध्यान में रखकर एलआईसी द्वारा प्रस्तुत जरूरत के अनुसार सरकार ने वर्ष 2011-12 के दौरान निधि में और 100 करोड़ रुपये की धनराशि का योगदान करने का निर्णय लिया और बजट प्राक्कलन 2012-13 में 175 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रस्ताव है।

(x) **नाबार्ड के पूंजी आधार का बढ़ाया जानाः** - भारत सरकार ने 2011-12 में 1,000 करोड़ रुपये और 2012-13 के दौरान 2,000 करोड़ रुपये के दो अंशों में 3,000 करोड़ रुपये की ईक्विटी लगाकर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की पूंजी बढ़ोतरी करने का अनुमोदन किया है जिससे कि इसका पूंजी आधार सुदृढ़ हो सके और जिससे अपने विकासपरक अधिदेश को पूरा करने के लिए उसकी उधार क्षमता में बढ़ोतरी की जा सके।

(xi) **महिला स्वयं सहायता समूह विकास निधिः** - बजट घोषणा, 2011-12 के अनुसरण में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देकर उन्हें सशक्त करने के लिए नाबार्ड में महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) विकास निधि सृजित की गई है। इस निधि का महिला एसएचजी विकासपरक कार्यकलापों को पहली बार दिए गए ऋणों के एवज में बैंकों को पुनर्वित्तीयन प्रदान करने के लिए अभिचिह्नित जिलों में, महिला एसएचजी द्वारा गठित सूक्ष्म उद्यमों का वित्त पोषण करने में और परियोजना क्षेत्र में महिला एसएचजी को बढ़ावा देने के लिए समर्थन करने में इस्तेमाल किया जाएगा। इस निधि के लिए 2011-12 के दौरान 100.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और बजट प्राक्कलन 2012-13 में 200.00 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव है।

परिव्यय और परिणाम का विवरण 2012-13

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12 (रूपए करोड़ में)			मात्रात्मक प्रदाय/ वास्तविक परिणाम	परकिल्पित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना	4(ii) योजना	4(iii) सीईबीआर*				
1.	मुख्य शीर्ष 2235-वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान करना।	वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना को आर्थिक सहायता देना	182.25	-	-	स्कीम के अंतर्गत लगभग 3.5 लाख पेंशनभोगी 9% प्रति वर्ष की प्रभावी प्राप्ति प्राप्त करते हैं।	स्कीम की प्रवर्तनावधि के दौरान लगभग 3.5 लाख वरिष्ठ नागरिकों ने पंजीकरण करवाया था। उन्हें स्कीम के अंतर्गत हितलाभ प्रदान किए जा रहे हैं।	यह स्कीम 14.7.2003 से 09.7.2004 तक प्रचलन में थी। हालांकि, अभिदाताओं को फायदे मिलना जारी हैं।	कोई जोखिम निहित नहीं।
2.	मुख्य शीर्ष 2235-स्वाबलंबन स्कीम	नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत कवरेज का 30 लाख अभिदाताओं तक विस्तार करना।	220.00	-	-	स्कीम का उद्देश्य है- असंगठित क्षेत्र के लोगों को एनपीएस के अंतर्गत पंजीकृत करवा कर उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक रूप से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना।	स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष और 10 लाख अभिदाताओं को पंजीकृत करवाना	मार्च, 2014	परिकल्पित परिणाम अनौपचारिक श्रम बाजार परिस्थितियों, अल्प विरामशील आमदनी और निम्न वित्तीय जानकारी, एग्रीगेटरों और पीओपी के कार्यनिष्पादन की शर्तों के अधीन है।
3.	मुख्य शीर्ष-2235-जनश्री बीमा योजना के लिए एलआईसी द्वारा बनाई गई सामाजिक सुरक्षा निधि में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार का योगदान	इस स्कीम में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और गरीबी रेखा से मामूली रूप से ऊपर रहने वाले ग्रामीण एवं शहरी व्यक्तियों को जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है।	175.00	-	-	इस स्कीम के अंतर्गत प्रीमियम 200/- रु. प्रति वर्ष है, जिसके 50% का योगदान लाभार्थी/ राज्य सरकार/ नोडल एजेंसी द्वारा किया जाता है और शेष 50% भारत सरकार के योगदान से बनी और एलआईसी द्वारा बनाए रखी गई सामाजिक सुरक्षा निधि से लिया जाता है।	इस स्कीम के अंतर्गत 18 से 59 वर्ष के आयु-समूह के ऐसे व्यक्तियों को बीमा कवर दिया जाता है जो अभिचिह्नित 45 पेशागत /व्यावसायिक समूहों के सदस्य हैं।	जारी स्कीम	सरकार के लिए इस स्कीम के लिए समय-समय पर सामाजिक सुरक्षा निधि की पुनःपूर्ति करना अपेक्षित है।

** सीईबीआर - अनुपूरक बजट-बाह्य संसाधन यानि इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार के सिवाय अन्य संगठनों द्वारा प्रतिबद्ध व्यय।*

1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना	4(ii) योजना	4(iii) सीईबीआर				
4.	मुख्य शीर्ष 2416- किसानों को अल्पावधि ऋण देने के लिए ब्याज सहायता	अल्पावधि उत्पादन ऋण पर किसानों को ब्याज राहत	6000.00	-	-	किसानों को 3.00 लाख रुपए की राशि तक अल्पावधि उत्पादन ऋण 7% प्रतिवर्ष पर प्रदान करना	किसान अल्पावधि ऋणों पर अत्यंत जरूरी ब्याज राहत का लाभ उठाएंगे।	2006-07 से वर्ष-दर-वर्ष आधार पर जारी	यह किसानों के लिए सब्सिडी है। इसमें कोई जोखिम कारक शामिल नहीं है।
5.	मुख्य शीर्ष 2416- दीर्घावधि सहकारी ऋण ढ़ांचे (एलटीसीसीएस) के पुनरुद्धार के लिए सहायता अनुदान	देश में दीर्घावधि सहकारी ऋण ढ़ांचे का पुनरुद्धार करना।	500.00	-	-	दीर्घावधि सहकारी ऋण ढ़ांचे के पुनरुद्धार के लिए पुनरुद्धार पैकेज करना।	देश में दीर्घावधि सहकारी ऋण ढ़ांचे को सुदृढ़ किया जाएगा।	पैकेज में ऐसे कतिपय परिवर्तन किए जाने जरूरी थे जिन्हें सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।	यह देश में सहकारी ऋण ढांचे के लिए एक सब्सिडी है। इसमें कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है। सरकार ने पैकेज का क्रियान्वयन करने से पहले कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडी आरएस) योजना 2008 और एसटीसी सीएस पैकेज के कार्यान्वयन का एलटीसीसीएस की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया था। इस कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जो सरकार द्वारा स्वीकृत कर ली गई है। पैकेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना	4(ii) योजना	4(iii) सीईबीआर				
6.	मुख्य शीर्ष 2416-अनुदान सहायता-वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ)	विशेष कर कमजोर वर्गों, निम्न आय वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों /अब तक बैंक सुविधा रहित क्षेत्रों में, अधिक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए संवर्धनात्मक और विकासात्मक कार्यकलापों को सहायता देना।	20.00	-	-	वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने की दृष्टि से व्यावसायिक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कमजोर वर्गों, और निम्न आय वर्गों को वहन करने योग्य लागत पर समय से और पर्याप्त ऋण तथा वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	वित्तीय रूप से वंचित समूहों को बैंकिंग सेवा प्रदान की जाएगी।	यह निधि वर्ष 2007-08 से कार्यान्वित की जा रही है	नाबार्ड द्वारा बनाए रखी गई यह निधि भारत सरकार, आरबीआई और नाबार्ड द्वारा 40:40:20 के अनुपात में गठित की गई है। भारत सरकार के हिस्से के रूप में वर्ष 2007-08, 2009-10 2010-11 और 2011-12 में 10.00 करोड़ रु. प्रत्येक जारी किए गए।
7.	मुख्य शीर्ष 2416-वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफआईटीएफ)	वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, वित्तीय समावेशन में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के अंतरण को प्रेरित करने और बढ़ाने के उद्देश्य से सूचना संचार प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ाना।	30.00	-	-	वित्तीय समावेशन में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के अंतरण को प्रेरित करने के उद्देश्य से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों को वहनीय लागत पर समय से और पर्याप्त ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकीय विकास के अंतर्गत सुविधा देना।	वित्तीय रूप से वंचित समूहों को बैंकिंग सेवा प्रदान की जाएगी।	यह निधि वर्ष 2007-08 से कार्यान्वित की जा रही है	नाबार्ड द्वारा बनाए रखी गई यह निधि भारत सरकार, आरबीआई और नाबार्ड द्वारा 40:40:20 के अनुपात में गठित की गई है। भारत सरकार के हिस्से के रूप में वर्ष 2007-08, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 में 10.00 करोड़ रु. प्रत्येक जारी किए गए।
8.	मुख्य शीर्ष 2416-महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) विकास निधि के लिए नाबार्ड को सहायता अनुदान देना।	इस निधि से असेवित और अल्पसेवित क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।	-	200.00	-	यह देश के पिछड़े क्षेत्रों/जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों के वित्त-पोषण को बढ़ावा देगी।	इससे बैंक पिछड़े क्षेत्रों में निर्धन महिलाओं तक अपनी पहुंच का विस्तार करने में सक्षम हो पाएंगे। इससे महिला स्वयं सहायता समूह आर्थिक कार्यकलापों को शुरू करने में समर्थ होंगे।	वर्ष 2013-14 तक	यह बैंकों के लिए पुनर्वित्तीयन है।

1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना	4(ii) योजना	4(iii) सीईबीआर				
9.	मुख्य शीर्ष 2885-नोडल एजेंसियों अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक को आर्थिक सहायता का भुगतान करना।	नोडल एजेंसियों अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से 15.00 लाख रुपए तक के आवास ऋणों पर 1% की ब्याज सहायता देने के लिए प्रावधान	400.00	-	-	यह सहायता अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और राष्ट्रीय आवास बैंक से पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों के माध्यम से दी जाएगी।	आवास जनसंख्या की आधारभूत आवश्यकता है। आवास क्षेत्र में श्रम प्रधान कार्यकलापों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से और सीमेंट तथा स्टील जैसे उद्योगों के लिए अतिरिक्त मांग उत्पन्न करके अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन करने की अपार संभावना है।	मार्च, 2013 तक।	कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है।
10.	मुख्य शीर्ष 3465-भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयर के अधिकार निर्गम में अंशदान के मद में प्रतिभूति मोचन निधि में अंतरण करना।	भारतीय स्टेट बैंक ने इक्विटी शेयर के अधिकार निर्गम, 2008 में अंशदान के लिए जारी की गई विक्रेय प्रतिभूति के मोचन के लिए प्रतिभूति मोचन निधि में योगदान करना।	625.00	-	-	यह भारतीय स्टेट बैंक को उसके अधिकार निर्गम, 2008 में अंशदान के लिए जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियां-2024 का मोचन करने के लिए सृजित की गई प्रतिभूति मोचन निधि में अंतरण करने के लिए है।	इन प्रतिभूतियों के मोचन के लिए सृजित इस निधि में सरकार द्वारा 625.00 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण प्रतिवर्ष किया जाना है।	वर्ष 2024 तक	कोई जोखिम कारक अतर्गस्त नही हैं क्योंकि यह इस प्रयोजन के लिए पहले से गठित प्रतिभूति मोचन निधि में किया जाने वाला एक अंतरण है।
11.	मुख्य शीर्ष 4416-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनर्पूंजीकरण	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जोखिम-भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी-अनुपात (सीआरएआर) को समयबद्ध तरीके से कम से कम 7% तथा आगे और 9% करना।	-	200.00	-	40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण से उनके सीआरएआर को कम से कम 7% तक लाने में मदद मिलेगी।	आरआरबी की वित्तीय स्थिति बेहतर करना जिससे कि वे अपनी हानि कम कर सकें और उधार देने की अपनी क्षमता बढ़ा सकें।	मार्च, 2014	यह सरकारी निवेश है। कोई भी जोखिम कारक अंतर्गस्त नहीं है।
12.	मुख्य शीर्ष 4416-नाबार्ड की शेयर पूंजी में अंशदान करना।	3000 करोड़ रुपये की इक्विटी लगा कर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पूंजी आधार को बढ़ाना।	-	500.00	-	नाबार्ड के पूंजी आधार को सुदृढ़ करना और इस तरह, इसके विकासपरक अधिदेश को पूरा करने के लिए इसकी उधार क्षमता को बढ़ाना।	इससे नाबार्ड की अपने विकासपरक अधिदेश को पूरा करने की क्षमता बढ़ेगी।	अनुमोदन के अनुसार निधि दो श्रृंखलाओं, यानि 2011-12 में 1000 करोड़ रुपये और 2012-13 के दौरान 2000 करोड़ रुपये, में उपलब्ध कराई जानी है।	यह नाबार्ड के पूंजी आधार को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार का अंशदान है। कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं।

1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना	4(ii) योजना	4(iii) सीईबीआर				
13.	मुख्य शीर्ष 4885- इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि. (आईआईएफसीएल) की शेयर पूंजी में अंशदान	वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं के लिए उपलब्ध दीर्घावधि- वित्त सुविधा का सम्पूरण करना।	-	400.00	-	आईआईएफसीएल दीर्घावधि-अवसंरचना वित्त सुविधा में जो कमी है उसे पूरा करेगी, क्योंकि बैंक और अन्य संस्थाएं इसे पूरा नहीं कर पाती हैं।	कंपनी की प्रदत्त पूंजी को बढ़ाना। इससे कंपनी अपने ऋण पोर्टफोलियो को विस्तारित करने और अपनी बुनियादी स्थिति को सुदृढ़ करने में सक्षम हो पाएगी।	एक वर्ष	वित्तीय मध्यवर्ती संगठन के रुप में आईआईएफसीएल लि. ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम का सामना करती है।
14.	मुख्य शीर्ष 4885- एक्जिम बैंक की शेयर पूंजी में अंशदान करना।	एक्जिम बैंक का इक्विटी आधार सुदृढ़ बनाना	-	200.00	-	वित्तीय वर्ष 2011--12 के दौरान निर्यात ऋण व्यवस्था (एलओसी) के अंतर्गत बैंक का संवितरण बढ़ा कर 907 मिलियन यूएस डालर करना (वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान एलओसी के अंतर्गत किए गए अनुमानित 756 मिलियन यूएस डालर के संवितरण की तुलना में लगभग 20% की बढ़ोतरी)	अन्य देशों में भारत के निर्यात को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी।	एक वर्ष	ऋण जोखिम, चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम एवं विदेशी मुद्रा जोखिम।
15.	मुख्य शीर्ष 5465- सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का पुनर्पूंजीकरण	इक्विटी समर्थन के जरिए पीएसबी का पुनः पूंजीकरण करना जिससे कि वे अपनी टीयर 1 सीआरएआर 8% बनाए रख सकें और सभी पीएसबी में भारत सरकार की शेयरधारिता बढ़ कर 58% हो सके।	-	14588.00	-	सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को टीयर -1 सीआरएआर का सहज स्तर बनाए रखने में समर्थ करना तथा सभी पीएसबी में सरकार की शेयरधारिता को 58% तक बढ़ाना।	सीआरएआर के सुविधाजनक स्तर से सरकारी क्षेत्र के बैंक अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की ऋण जरूरतों का अनुसमर्थन करने में सक्षम हो पाएंगे जिससे अन्य बातों के साथ-साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देश के समग्र जीडीपी में बढ़ोतरी होगी।	एक वर्ष	यह पीएसबी में सरकार द्वारा किया गया निवेश है जिससे कि वे अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की बढ़ती ऋण जरूरतों को सकारात्मक एवं प्रभावी रुप से पूरा कर सकें ।

सुधार उपाय तथा नीतिगत पहलें

1. विधायी पहलें

विभाग ने निम्नलिखित विधायी पहलें आरंभ की है :-

(i) **फैक्टरिंग विनियामक अधिनियम, 2011** - शामिल पक्षकारों के अधिकारों, उत्तरदायित्वों तथा बाध्यतों को निर्धारित करके भारत में फैक्टरिंग व्यवसाय के विकास के लिए व्यापक विधायी ढांचा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फैक्टरिंग विनियामक अधिनियम, 2011 को अधिनियमित किया गया है। इससे औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों, विशेष रूप से एम.एस. एम. ई. इकाईयों को लंबित भुगतानों की समस्या को दूर करने में सहायता मिलेगी और एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे आर्थिक विकास तथा रोजगार में वृद्धि होगी।

(ii) **बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011** - इस विधेयक को लोक सभा में 22 मार्च, 2011 को पुरःस्थापित किया गया है, जिसमें बैंककारी विनियामक अधिनियम, 1949, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 में संशोधन प्रार्थित है। यह भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक शक्तियों को सुदृढ़ करेगा तथा बोनस और अधिकार निर्गम के जरिए पूंजी बढ़ाने में राष्ट्रीयकृत बैंक को भी सक्षम बनाएगा और 3000 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा तक आबद्ध हुए बिना सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से प्राधिकृत पूंजी को बढ़ाने तथा कम करने में सक्षम होगा। इस विधेयक को जांच तथा तत्पश्चात इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था। समिति ने 13 दिसम्बर, 2011 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और कुछेक संशोधनों के अध्यधीन विधेयक को अधिनियमित करने की सिफारिश की है।

(iii) **जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक,** 2011 संसद द्वारा पारित किया गया। संशोधन से एलआईसी अपनी इक्विटी पूंजी को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर सकेगा और अपने व्यवसाय के विस्तार करने तथा अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए प्रयोग की जाने वाली आरक्षित निधि सृजित कर सकेगा।

(iv) **एक्जिम बैंक अधिनियम, 1981** को बैंक की प्राधिकृत पूंजी को 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए करने, प्राधिकृत पूंजी को और बढ़ाने के लिए भारत सरकार को अधिकार सम्पन्न बनाकर और अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के अलावा 2 पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति का प्रावधान करके एक्जिम बैंक संशोधन विधेयक, 2011 के जरिए संशोधित किया गया है। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया तथा महामहिम राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात अधिनियम में किए गए संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि से एक्जिम बैंक को और उधार लेने की गुंजाइश को बढ़ाने, निर्यात ऋण व्यवस्था निधि सृजित करने, बैंक को अपनी अंतर्राष्ट्रीय ऋण रेटिंग को अपनी समग्र रेटिंग के स्तर पर बनाये रखने तथा बैंक को एकल/सामूहिक ऋण जोखिम मानदण्डों का पालन करने में सहायता मिलेगी। अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के अलावा दो पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति के उपबंध से कार्य निष्पादन के उच्च स्तरीय मानक बनाए रखने के उद्देश्य से उच्च स्तर पर संगठनात्मक संरचना को सुदृढ़ करेगा तथा एक्जिम बैंक को वित्तीय संस्थाओं जैसे नाबार्ड तथा सिडबी, जहां अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के अलावा दो पूर्णकालिक निदेशक हैं, के अनुरूप बनाएगा।

2. भारत में अदायगी प्रणाली से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए सचिव (वित्तीय सेवाएं) की अध्यक्षता में 16 नवम्बर, 2011 को एक मुख्य सलाहकार समूह का गठन किया गया है। मुख्य सलाहकार समूह के विचारार्थ विषय निम्नानुसार है :-

(i) अदायगी प्रणाली के संबंध में विद्यमान विधि/विनियामक/संस्थागत ढांचे तथा प्रभाव की समीक्षा ;

(ii) क्षेत्र की सुव्यवस्थित वृद्धि के लिए नीतिगत पहलों सहित कार्य योजना;

(iii) क्षेत्र की सुव्यवस्थित वृद्धि के लिए अपेक्षित विधिक/संस्थागत/विनियामक पहल संबंधी उपायों की सिफारिश करना ;

(iv) भारत में इलेक्ट्रानिक अदायगी प्रणालियों, समाशोधन गृह, मुद्रा पेटिका, ए.टी.एम., ऋण तथा डेबिट कार्ड में सुधार के लिए अध्ययन करना।

3. हरित पहल -ई-गवर्नेंस-सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक अदायगी प्रणालियों, सी.बी.एस. की क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग नेटवर्क का एक ओर नियंत्रक कार्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों तथा दूसरी ओर शाखाओं/ कार्यालयों तथा ग्राहकों और अन्य प्राधिकारियों के बीच त्रुटिहीन संवाद के लिए प्रभावी तथा विस्तृत विडियो क्रांफ्रेसिंग सुविधा लागू करना।

सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को कुछेक सक्रिय कदम जैसे इलेक्ट्रॉनिक अदायगी प्रणालियों का अधिक से अधिक उपयोग, उत्तर दिनांकित चैकों का निपटान तथा चैकों को धीरे-धीरे समाप्त करने के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों तथा एनबीएफसी को उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी करने की सलाह दी है।

4. पेंशन सुधार - इस पृष्ठभूमि की तुलना में कि कुल श्रमिकों का लगभग केवल 12-13 प्रतिशत ही किसी औपचारिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली द्वारा कवर किया गया था, देश में सुदृढ़ तथा सतत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए भारत में पेंशन क्षेत्र सुधार आरंभ किया गया था। भारत सरकार द्वारा नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) 1 जनवरी, 2004 से आरंभ की गई है। नई पेंशन प्रणाली के स्वरूप की विशेषताएं स्व-पोषणीय, वहनीय तथा पैमानीय है। व्यक्तिगत विकल्प के आधार पर, सुदृढ विनियम के आधार पर किफायती तथा कुशल पेंशन प्रणाली के रूप में इसकी परिकल्पना की गई है। पूर्णतः "निर्धारित अंशदान" उत्पाद के रूप में, बिना किसी निर्धारित लाभ घटक के प्राप्ति पूर्णतः बाजार से सम्बद्ध होगी। कुछेक विनियामक प्रतिबंधों के अधीन नई पेंशन प्रणाली में लोगों को विभिन्न निवेश विकल्पों तथा एक निवेश से दूसरे निवेश या एक निधि प्रबंधक से दूसरे निधि प्रबंधक में परिवर्तन का विकल्प उपलब्ध कराता है।

इसे निर्धारित लाभ पेंशन प्रणाली के स्थान पर सरकारी सेवा में आने वाले सभी नये कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य बनाया गया है। एनपीएस को 1 मई, 2009 से स्वैच्छिक आधार पर सभी नागरिकों के लिए आरंभ किया गया है। सभी नागरिकों के लिए एनपीएस उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में उपस्थिति स्थान (पीओपी) के रूप में सैंतीस संस्थागत कंपनियों सहित एनपीएस मध्यवर्तियों, जो पेंशन खाता खोलने तथा संग्रहण केन्द्रों, जो एक केन्द्रीयकृत रिकार्ड रखने वाली एजेंसी (सी.आर.ए.) के रूप में कार्य करेंगे, तथा निवेशकों के पेंशन निधि के प्रबंधन के लिए छः पेंशन निधि प्रबंधकों की नियुक्ति शामिल है। पीएफआरडीए में सर्वोतम अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुरूप एनपीएस मध्यवर्तियों के चयन की प्रक्रिया के लिए पारदर्शी, भेदभाव रहित, प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदा प्रक्रिया अपनायी गई है, जिससे इष्टतम लागत पर एनपीएस के अंशदाताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सेवा सुपुर्दगी सुनिश्चित होती है।

आज की तारीख तक 27 राज्यों/संघ राज्य सरकारों को एनपीएस में शामिल होने के लिए अधिसूचित किया गया है। इनमें से 23 राज्यों में एनपीएस न्यास के साथ करार पर पहले ही हस्ताक्षर किए हैं और 24 राज्यों ने नई पेंशन योजना के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए सीआरए के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं। अन्य राज्य एनपीएस को लागू करने के लिए तैयारी के अलग-अलग चरण में हैं। इसके अलावा, केन्द्र तथा राज्य सरकारों के 18.74 लाख कर्मचारी पहले से ही एनपीएस के भाग हैं। एनपीएस के अंतर्गत प्रबंध की जा रही धनराशि 12407.37 करोड़ रुपये है। पीएफआरडीए का प्रयास व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति खाते की और शीघ्रता से बढ़ाना है ताकि सरकारी अंशदाताओं को व्यक्तिगत निवेश का लाभ उपलब्ध हो सके।

सभी नागरिकों के लिए एनपीएस के अंतर्गत, अंशदाता को पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त 37 उपस्थिति बिन्दु (पीओपी) के किसी भी पंजीकृत शाखा (अभी तक 14891 शाखा) में एनपीएस खाता खोलने की सुविधा है। आरंभ में पीओपी समिति संख्या में शाखाओं पर एनपीएस उपलब्ध कराता है। तथापि, कालाक्रम में ऐसी शाखाओं की संख्या बढ़ेगी और देश के सभी भाग को शामिल किया जाएगा। यह आगामी वर्षों में पीएफआरडीए के लिए मुख्य फोकस क्षेत्र होगा। प्रस्ताव दस्तावेज में एनपीएस का ब्यौरा, एनपीएस खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र और स्वागत विवरण पीएफआरडीए की वेबसाइट (www.pfrda.org.in) और अन्य एनपीएस मध्यवर्तियों की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उपस्थिति बिन्दु तथा पेंशन निधि सहित एनपीएस मध्यवर्तियों का ब्यौरा भी पीएफआरडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

5. वित्तीय समावेशन

बैंकिंग सेवाओं के उपलब्ध लाभ "आम आदमी" को उपलब्ध कराने को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख बैंक योजना के आधार पर उच्च स्तरीय समिति गठित की है। इस समिति की सिफारिशों का सावधानीपूर्वक आकलन करने के पश्चात तथा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ आगे परामर्श करके, सरकार ने 2000 से अधिक जनसंख्या वाले आवास स्थलों के लिए उपयुक्त बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए फरवरी, 2011 में स्वाभिमान योजना आरंभ की है। मार्च, 2012 तक 2000 से अधिक जनसंख्या वाले 73,000 आवास स्थलों की पहचान चरणबद्ध रूप में व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी की सहायता से अन्य मॉडलों के जरिए उपयुक्त बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए की गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत बीमा तथा मजदूरी की अदायगी तथा बैंकिंग चैनलों के जरिए लक्षित लाभार्थियों को अन्य अदायगी का विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया है। 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा निजी क्षेत्र के बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सहकारी बैंकों द्वारा 52,623 आवास स्थलों को शामिल किया गया है।

विगत कार्यनिष्पादन की समीक्षा

कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना, 2008 (एडीडब्ल्यूडीआरएस)

वर्ष 2008-09 में सरकार ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), सहकारी बैंकों (यूसीबी सहित) तथा स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों (एलएबी) द्वारा वितरित 31 दिसम्बर, 2007 की स्थिति के अनुसार अतिदेय, 29.2.2008 तक अदेय, सभी कृषि ऋणों को शामिल करके सभी किसानों के लिए एडीडब्ल्यूडीआरएस की घोषणा की थी। यह छोटे तथा सीमान्त किसानों के लिए पूर्ण माफी योजना थी, जबकि इन अवधियों के दौरान शामिल ऋणों के लिए अन्य किसानों हेतु एक बारगी निपटान योजना थी। ओटीएस 75% की शेष राशि की अदायगी पर 25% की छूट का प्रस्ताव करता है। योजना को इसकी नियत तिथि अर्थात 30.06.2008 तक कार्यान्वित किया गया था ताकि वे उधार देने वाली संस्थाओं से नये ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकें। योजना को इसकी नियत तिथि अर्थात 30 जून 2008 तक कार्यान्वित किया गया । तथापि, ओटीएस योजना के अंतर्गत "अन्य किसानों" द्वारा 75% की अदायगी के लिए अंतिम तिथि को 30 जून, 2010 तक बढ़ाया गया था।

संबंधित नोडल एजेंसी अर्थात आरबीआई और नाबार्ड के जरिए विधिवत सत्यापित तथा लेखापरीक्षित दावों के आधार पर उधार देने वाली संस्थाओं के दावों की प्रतिपूर्ति किस्तों में की जाती है। योजना के अंतर्गत उधार देने वाली संस्थाओं को वर्ष 2008-09 के दौरान 25,000 करोड़ रुपये, वर्ष 2009-10 के दौरान 15000 करोड़ रुपये, वर्ष 2010-11 के दौरान 11,340.47 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2011-12 (दिसम्बर, 2011 तक) में 1079.41 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की गई थी।

इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों तथा स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों के संबंध में 104 लाख कृषि ऋण खातों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) तथा सहकारी बैंकों के संबंध में 186.92 लाख कृषि ऋण खातों को लाभ प्राप्त हुआ है। इस प्रकार योजना के अंतर्गत 52,419.88 करोड़ रुपये की सीमा के अंतर्गत 2.91 करोड़ कृषि खातों को लाभ प्राप्त हुआ है।

कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस) के कार्यान्वयन के प्रति उधार देने वाली संस्थाओं को ब्याज

उधार देने वाली संस्थाओं के दावों के प्रतिपूर्ति के लिए अलग-अलग कार्यक्रम तैयार करने के कारण, भारत सरकार ने उधार देने वाली संस्थाओं को योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त के दावों की प्रतिपूर्ति के परिणामस्वरूप उधार देने वाली संस्थाओं को ब्याज देने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा 3 अक्टूबर, 2008 को 3,872 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई थी। वर्ष 2008-09 के दौरान 149.79 करोड़ की राशि, वर्ष 2009-10 के दौरान 458.85 करोड़ तथा वर्ष 2011-12 के दौरान 1434 करोड़ रुपये की राशि की अदायगी ब्याज के रूप में की गई है। वर्ष 2011-12 के लिए 287 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया था, जिसमें से दिसम्बर, 2011 तक 178.46 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है।

लघु अवधि सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) को सुदृढ़ करने के लिए अनुदान

देश में लघु अवधि ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना में लगभग 92000 प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण सोसाइटी (पीएसीएम), 370 केन्द्रीय सहकारी बैंक (सीसीबी) तथा 31 राज्य सहकारी बैंक शामिल हैं। राज्यों में लघु अवधि सहकारी ऋण संरचना को पुनः सुदृढ़ करने के लिए प्रो. वैद्यनाथन की अध्यक्षता वाले कार्य बल की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा 13.596 करोड़ रुपये का पैकज अनुमोदित किया गया था। व्यय का वहन भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा सहकारी ऋण सोसाइटी के द्वारा 68:28:4 के अनुपात में किया जाना है। 25 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा नाबार्ड तथा भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के साथ इसमें तेजी आई है। भारत सरकार ने पैकेज के कार्यान्वयन के लिए 9245.28 करोड़ रुपये का अपना सम्पूर्ण भाग जारी कर दिया है। 31 दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार सतरह राज्यों में 53,205 पात्र पीएसीएस के लिए पुनःपूंजीकरण के लिए नाबार्ड द्वारा भारत सरकार के भाग के रूप 9002.92 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, 1,510 अपात्र पीएसीएस तीन राज्यों में 30 सीसीबी तथा उड़ीसा में 13 सीसीबी से संबद्ध हैं।

आईडीबीआई बैंक लि. की देयता की पुनर्संरचना

सरकार ने फरवरी, 2005 में वर्ष 2003-04 से 2007-08 के दौरान आईडीबीआई (अब आईडीबीआई बैंक लि.) की उच्च लागत देयताओं को पूरा करने के लिए ब्याज विभेद को अदा करके 2,521.89 करोड़ रुपये की राशि जारी की थी। वर्ष 2010-11 तक आईडीबीआई बैंक लि. को 2521.89 करोड़ रुपये की सम्पूर्ण राशि जारी कर दी गई थी।

आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई)

एएबीवाई ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के मुखिया को प्राकृतिक मृत्यु के साथ-साथ दुर्घटना मृत्यु और आंशिक/स्थायी अपंगता के लिए बीमा प्रदान करने के लिए 02 अत्तूबर, 2007 को शुरु की गई थी। इस योजना में लाभार्थियों के 9वीं से 12वीं कक्षा के बीच अध्ययन कर रहे अधिकतम दो बच्चों तक प्रति बच्चा प्रति तिमाही 300.00 रुपए की दर पर छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने का (एड-आन) लाभ भी परिकल्पित है। प्रति सदस्य देय वार्षिक प्रीमियम 200.00 रुपए है, जिसमें 50% केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा शेष 50% राज्य सरकार द्वारा चुकाया जाएगा। योजना की वार्षिक लागत को ध्यान में रखते हुए योजना की कार्पस निधियों में 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान प्रत्येक वर्ष 1000.00 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत देश में 1,93,26,860 ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को शामिल किया गया है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना (यूएचआईएस)

सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों द्वारा कार्यान्वित की गई सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना में परिवार के समस्त सदस्यों के अस्पताल में भर्ती होने पर फ्लोटर आधार पर 30,000 रुपए तक के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, परिवार के मुख्य अर्जक की दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 25,000 रुपए के मृत्यु बीमा तथा अर्जक सदस्य की अर्जन हानि होने पर अधिकतम 15 दिन तक 50.00 रुपए प्रतिदिन की दर पर प्रतिपूर्ति देने का प्रावधान है। योजना को सितम्बर 2008 में आशोधित किया गया जिसमें मातृत्व लाभ, 70 वर्ष की आयु तक कवरेज, पूर्व विद्यमान बीमारियों को शामिल करके तथा लाभ को बढ़ाकर बीमित की पत्नी/पति की मजदूरी की हानि के लाभ को भी शामिल किया गया है। अक्टूबर, 2011 तक इस योजना के तहत 1,70,052 परिवारों को कवर करते हुए 37,226 पालिसियां जारी की गई हैं।

ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)/ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (डीआरएटी)

ऋणों के त्वरित न्यायनिर्णयन तथा त्वरित वसूली के लिए बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के तहत 33 डीआरटी तथा 5 डीआरएटी स्थापित किए गए हैं। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (एसएआरएफएईएसआई), 2002 के अधिनियमन के पश्चात डीआरटी की भूमिका और बढ़ गई है जो व्यथित पक्षों को डीआरटी के समक्ष अपील करने का अवसर देते हैं।

अनंतिम आंकड़ों के अनुसार डीआरटी द्वारा 01.01.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान 18,885 करोड़ रुपए के संबंध में 10,877 मामलों को निपटाया गया।

परिव्यय और परिणाम 2010-11 के संदर्भ में परिणामी स्थिति

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2010-2011 परिव्यय (रूपए करोड़ में)		मात्रात्मक प्रदाय/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार उपलब्धियां
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
1.	मुख्य शीर्ष-2235 किसानों के लिए कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008 के क्रियान्चयन के लिए किसान ऋण राहा कोष	ऋण माफ किए जाने पर किसान सामान्य नियमों के अनुसार बैंकों से नए कृषि ऋण के लिए पात्र हो जाएंगे।	12000.00	12000.00	यह योजना 31 मार्च, 2007 तक ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा संवितरित सभी कृषि ऋण जो 31 दिसम्बर, 2007 तक बकाया थे तथा 31.12.2007 तक अतिदेय थे और जो 29.02.2008 तक चुकाए नहीं गए, को कवर करती है। लघु तथा सीमांत किसानों के लिए पूर्ण माफी है जबकि इस अवधि के दौरान कवर किए गए ऋणों के लिए अन्य किसानों हेतु एकबारगी निपटान योजना है। एकबारगी निपटान में 75% के भुगतान पर 25% की राहत दी जाती है।	ऋण माफी के लिए यह योजना अपनी नियत तिथि अर्थात 30.06.2008 तक क्रियान्वित की गई। ऋण राहत के संबंध में अन्य किसानों को अपना भुगतान करके शेष राशि पर 25% की राहत प्राप्त करने के लिए 30.06.2010 तक समय बढ़ाया गया।	यह किसानों के लिए एक सब्सिडी है। इसमें कोई जोखिम कारक शामिल नहीं है।	11,340.47 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।
2.	मुख्य शीर्ष-2235 किसानों के लिए कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008 के लिए ऋणदात्री संस्थाओं को ब्याज का भुगतान	शेष प्रतिपूर्ति योग्य दावों पर ब्याज का भुगतान किए जाने पर, ऋणदात्री संस्थाओं को आरबीआई द्वारा अपेक्षित अपने प्रतिपूर्ति योग्य दावों के लिए प्रावधान नहीं करने पड़ेंगे।	1434.00	1434.00	एडीडब्ल्यूडीआरएस के अंतर्गत ऋणदात्री संस्थाओं के प्रतिपूर्ति योग्य दावों के लिए भिन्नकालिक भुगतान के कारण, सरकार ने एडीडब्ल्यूडीआरएस के अंतर्गत दूसरी, तीसरी और चौथी किस्तों के लिए इन ऋणदात्री संस्थाओं के लिए 3872.00 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया है।	मार्च 2012 तक	इस योजना के अंतर्गत बैंकों को सरकार द्वारा किए गए भिन्नकालिक प्रतिपूर्ति पर बैंकों को ब्याज का एक भुगतान है। इसमें कोई जोखिम शामिल नहीं है।	1434 करोड़ रूपए का सम्पूर्ण प्रावधान जारी कर दिया गया।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
3.	मुख्य शीर्ष-2235 सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को समुदाय आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए भुगतान	गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा में सुधार लाना।	20.00	25.00	6.66 लाख परिवारों को कवर करने के लिए	-	सब्सिडी होने के कारण कोई जोखिम कारक शामिल नहीं है।	22.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। 7,76,959 परिवारों को कवर करते हुए 78,299 पालिसियां जारी की गई।
4.	मुख्य शीर्ष-2235 वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान	वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के लिए सब्सिडी देना	209.32	175.70	इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले पेंशनभोगी 9% वार्षिक प्रभावी आय प्राप्त करते हैं।	इस योजना को 09.07.2004 से बंद कर दिया गया।	योजना के अंतर्गत सब्सिडी उन पेंशनभोगियों को उपलब्ध कराई जाती है, जो इस पेंशन योजना में अंशदान करते हैं। कोई जोखिम कारक शामिल नहीं है।	175.70 करोड़ रुपए जारी किए। योजना से जुड़े 3.5 लाख पेंशनभोगियों को कवर किया जा रहा है।
5.	मुख्य शीर्ष-2416 - अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे (एसटीसीसीएस) का पुनः सुदृढ़ीकरण	देश में अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे का पुनः सुदृढ़ीकरण	984.65	1014.65	जो राज्य इस पैकेज को कार्यान्वित करते हैं, में एसटीसीसीएस को पुनः सुदृढ़ करना तथा इस प्रयोजन हेतु समझौता ज्ञापन पर सहमत होना।	राज्यों की इच्छा एवं सहायता पर निर्भर करते हुए एसटीसीसीएस को पुनः अर्थक्षम बनाने का कार्य अगले 1-2 वर्ष के अंदर पूरा किया जाना है।	यह देश में सहकारी ऋण संरचना के लिए एक अनुदान है। कोई जोखिम कारक शामिल नहीं है।	1014.65 करोड़ रूपए जारी किए गए। पैकेज को कार्यान्वित करने के लिए 25 राज्यों ने नाबार्ड और भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन किया है।
6.	मुख्य शीर्ष-2416 - किसानों को अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सहायता	अल्पावधि उत्पादन ऋण पर किसानों को ब्याज राहत	3000.00	4000.00	किसानों को 3.00 लाख रुपए की राशि तक 7% वार्षिक ब्याज की दर पर अल्पावधि उत्पादन ऋण देना। अपनी निधियों से किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में वर्ष 2010-11 के दौरान ऋणदात्री संस्थाओं को 1.5% की ब्याज सहायता उपलब्ध कराई जाती है।	क्रियान्वयन की अवधि वार्षिक आधार पर बढ़ाई गई है।	यह किसानों के लिए सब्सिडी है। कोई जोखिम कारक शामिल नहीं है।	3531.19 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई। लघु अवधि ऋणों पर अत्यंत अपेक्षित ब्याज सहायता के कारण किसानों को लाभ प्राप्त हो रहा है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
7.	मुख्य शीर्ष-2416 - दीर्घावधिक सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) के पुनः सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता अनुदान	देश में दीर्घावधिक सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) को पुनः सुदृढ़ करना	1000.00	500.00	देश में एलटीसीसीएस को पुनः सुदृढ़ करने के लिए पुनरुज्जीवन सहायता प्रदान करना।	एलटीसीसीएस के पुनः सुदृढ़ीकरण के लिए एक प्रारुप संशोधित पैकेज सरकार के समक्ष विचाराधीन है।	यह देश में सहकारी ऋण संरचना के लिए सब्सिडी नहीं है। कोई जोखिम कारक शामिल नहीं है।	भारत सरकार ने एलटीसीसीएस की वित्तीय स्थिति पर एसटीसीसीएस पैकेज और एडीडब्ल्यू-डीआरएस, 2008 के क्रियान्वयन के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया था। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। तदनुसार संशोधित पैकेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
8.	मुख्य शीर्ष-2416 - वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ)	अधिक वित्तीय समावेशन, विशेषकर कमजोर वर्गों, कम आय समूहों और पिछड़े क्षेत्रों/बैंक सुविधारहित क्षेत्रों में, सुनिश्चित करने की दृष्टि से संवर्धनात्मक और विकासात्मक कार्यकलापों को सहायता	10.00	10.00	649.54 लाख किसान परिवारों की वित्तीय सेवाएं और समयबद्ध एवं पर्याप्त ऋण सुविधा तक पहुंच सुनिश्चित करना।	इस निधि को वर्ष 2007-08 से कार्यान्वित किया जा रहा है और समय-सीमा 5 वर्ष है।	निधि का रख-रखाव भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड द्वारा 40:40:20 के अनुपात में अंशदान के साथ नाबार्ड द्वारा किया जा रहा है। कोई जोखिम कारक अपेक्षित नहीं है।	भारत सरकार द्वारा 30.00 करोड़ रूपए (वर्ष 2007-08, 2009-10 और 2010-11 में 10-10 करोड़ रूपए जारी किए गए।
9.	मुख्य शीर्ष-2416 - वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफआईटीएफ)	वित्तीय सेवा प्रदाताओं/प्रयोक्ताओं की अवशोषण क्षमता में सुधार करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा तथा वित्तीय समावेशन में अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी के अंतरण को प्रोत्साहित करना।	10.00	10.00	649.54 लाख किसान परिवारों को प्रौद्योगिकीय विकास के जरिए वित्तीय सेवाएं तथा समय पर पर्याप्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करना।	निधि को वर्ष 2007-08 से कार्यान्वित किया जा रहा है और समय-सीमा 5 वर्ष है।	निधि का रख-रखाव भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड द्वारा 40:40:20 के अनुपात में अंशदान के साथ नाबार्ड द्वारा किया जा रहा है। कोई जोखिम कारक अपेक्षित नहीं है।	भारत सरकार द्वारा 30.00 करोड़ रूपए (वर्ष 2007-08, 2009-10 और 2010-11 में 10-10 करोड़ रूपए जारी किए गए।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
10.	मुख्य शीर्ष-2885 -नोडल एजेंसियों अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय आवास बैंक को सब्सिडी का भुगतान	10.00 लाख रूपए तक के आवास ऋण पर नोडल एजेंसियों अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय आवास बैंक के जरिए 1% ब्याज सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान है।	700.00	100.00	ब्याज सहायता राष्ट्रीय आवास बैंक में पंजीकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा आवास वित्त कंपनियों के जरिए दी जाएगी।	डेढ़ वर्ष	कोई जोखिम घटक शामिल नहीं है।	नोडल एजेंसियों से प्राप्त दावों के आधार पर 38.54 करोड़ रूपए जारी किए गए थे।
11.	मुख्य शीर्ष-2885 - भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई)	आईडीबीआई बैंक लि. की उच्च लागत देयताओं को पूरा करने के लिए ब्याज विभेदक के रूप में आईडीबीआई बैंक लि. को 2521.89 करोड़ रूपए की सहायता उपलब्ध कराने के लिए।	154.33	154.33	इससे बैंकों को उच्च लागत की पूर्व देयताओं को पूरा करने के संबंध में संभावित क्षति को पूरा करने में सहायता मिलेगी।	-	कोई जोखिम घटक शामिल नहीं है।	वर्ष 2010-11 में 154.33 करोड़ रूपए की राशि जारी करके भारत सरकार ने 2521.89 करोड़ रूपए की कुल परिकलित ब्याज विभेदक राशि आईडीबीआई बैंक लि. को जारी कर दी है।
12.	मुख्य शीर्ष-3465 - प्रतिभूति परिदान निधि को अंशदान	एसएलआर प्रतिदान के लिए प्रतिभूति प्रतिदान निधि में अंशदान। भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयरों के अधिकार निर्गम में अंशदान के प्रति विपणनयोग्य प्रतिभूति जारी करना।	625.00	625.00	यह भारतीय स्टेट बैंक के अधिकार निर्गम, 2008 के प्रति नियत तारीख को अंशदान के प्रति बैंक को जारी सरकारी प्रतिभूतियां - 2024 के परिदान के लिए सृजित प्रतिभूति परिदान निधि में अंशदान है।	16 वर्ष(2024 तक)	कोई जोखिम घटक शामिल नहीं है।	625.00 करोड़ रुपए जारी किए गए।
13.	मुख्य शीर्ष-3465 - देश में बैंकरहित ब्लाकों में बैंक शाखाएं खोलना	देश के 129 बैंकरहित ब्लाकों में बैंक शाखाएं खोलना।	50.00	50.00	देश के 129 बैंकरहित ब्लाकों में बैंक शाखाएं खोलना।	इसे बैंकों के जरिए पूरा किया जाना है।	कोई जोखिम घटक शामिल नहीं है।	इस योजना को वित्तीय समावेशन अभियान में शामिल किया गया था।
14.	मुख्य शीर्ष-4885 - एक्जिम बैंक की शेयर पूंजी के लिए अंशदान	एक्जिम बैंक का इक्विटी आधार सुदृढ़ करना।	300.00	300.00	वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान वित्तीय वर्ष 2009-10 से 20% अधिक निर्यात ऋण व्यवस्था (एलओसी) के अंतर्गत बैंकों के संवितरण में सुधार लाना। एलओसी संवितरण स्तर 414 मि. यू.एस. डालर है।	-	ऋण जोखिम, नकदी जोखिम, ब्याज दर जोखिम तथा विदेशी विनियम जोखिम	प्रदत्त पूंजी को बढ़ाकर 2000.00 करोड़ रूपए तक करने के लिए 300.00 करोड़ रूपए जारी किए गए। बैंक ने एलओसी के अंतर्गत कुल 630.00 मिलियन यू. एस. डालर संवितरित किया है (वर्ष

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
								2010-11 के दौरान भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए)।
15.	मुख्य शीर्ष-4885 - भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी लि. (आईआई-एफसीएल) की शेयर पूंजी में अभिदान	अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए दीर्घावधिक वित्तीय सहायता में सुधार लाना।	500.00	500.00	कंपनी दीर्घावधिक अवसंरचनात्मक - वित्त के लिए कमी को पूरा करेगी, जो बैंक और अन्य संस्थाएं उपलब्ध नहीं करा सकती।		वित्तीय मध्यवर्तियों के रूप में कंपनी ऋण जोखिम, नकदी जोखिम तथा परिचालन जोखिम का सामना करती है।	आईआईएफसीएल को 200.00 करोड़ रूपए जारी किए गए थे। मार्च 2011 के अंत तक कंपनी द्वारा 176 परियोजनाओं में दी गई संचयी स्वीकृति 31,777.66 करोड़ रूपए है।
16.	मुख्य शीर्ष-4885 -अपनी पूंजीगत निधि में वृद्धि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के टीयर-I लिखत में अंशदान	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, यूको बैंक, विजया बैंक तथा युनाइटेड बैंक आफ इंडिया की पूंजीगत निधि में वृद्धि के लिए।	1500.00	1500.00	सीआरएआर के सुविधाजनक स्तर को बनाए रखने के लिए सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, यूको बैंक, विजया बैंक तथा युनाइटेड बैंक आफ इंडिया की शेयर पूंजी में वृद्धि के लिए।	एक वर्ष एक वर्ष एक वर्ष	यह देश की बढ़ती हुई ऋण आवश्यकताओं के प्रति सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सकारात्मक और प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा निदेश है।	1500.00 करोड़ रूपए का सम्पूर्ण प्रावधान जारी कर दिया गया है।
17.	मुख्य शीर्ष-5465 - विश्व बैंक ऋण के जरिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण	अर्थव्यवस्था की ऋण की अवश्यकता को पूरा करने के लिए, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पूंजीगत सहायता उपलब्ध कराने तथा सीआरएआर को 8% के आस-पास बनाए रखना।	15000.00	12657.00	बासेल-II पद्धति के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सीआरएआर के स्तर को 8% के आस-पास सुविधाजनक स्तर पर बनाए रखने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सक्षम बनाने के लिए।		यह देश की बढ़ती हुई ऋण आवश्यकताओं के प्रति सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सकारात्मक और प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा निदेश है। कोई जोखिम कारक शामिल नहीं है।	12617.23 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक देश की ऋण आवश्यकताओं के लगभग 70% को पूरा करते हैं।
18.	मुख्य शीर्ष-5465 - एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री स्थापित करने के लिए पूंजी के प्रति सरकार का अंशदान	धोखाधड़ी को कम करने में मदद करना, प्रतिभूति तथा बंधक बाजार में सुधार लाना।	25.00	25.00	वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्संरचना से संबंधित प्रतिभूतिकरण से संबद्ध लेनदेन के पंजीकरण के लिए।		कोई जोखिम घटक शामिल नहीं है।	25.00 करोड़ रूपए जारी किए गए। केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री स्थापित की गई है और यह कार्य कर रही है।

परिव्यय और परिणाम 2011-12 के संदर्भ में परिणाम स्थिति

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2011-2012 परिव्यय (रूपए करोड़ में)		मात्रात्मक प्रदाय/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक	31 दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार उपलब्धियां
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
1.	मुख्य शीर्ष 2235- किसानों के लिए कृषि ऋण माफी और ऋण राहत (एडीडब्ल्यूडी-आरएस) योजना, 2008 के कार्यान्वयन के लिए किसान ऋण राहत निधि	ऋण माफी प्राप्त होने पर किसान सामान्य नियमों के अनुरूप बैंकों से नए कृषि ऋण प्राप्त करने के पात्र हो जाएंगे।	6000.00	1500.00	इस योजना में 31 मार्च 2007 तक ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा संवितरित सभी कृषि ऋणों, जो 31 दिसम्बर 2007 तक अतिदेय थे तथा जिनका दिनांक 29.02.2008 तक भुगतान नहीं किया गया है, को सम्मिलित किया गया है। इस योजना में छोटे और सीमांत किसानों का ऋण पूर्णतया माफ है जबकि अन्य किसानों के लिए इन अवधियों के दौरान सम्मिलित ऋणों के लिए एकबारगी निपटान (ओटीएस) योजना है। ओटीएस में शेष 75% की राशि के भुगतान पर 25% की छूट सम्मिलित है।	इस योजना को ऋण माफी के लिए इसकी अंतिम तिथि अर्थात 30.6.2008 तक कार्यान्वित कर दिया गया था। जहां तक ऋण राहत का संबंध है, अन्य किसानों को भुगतान करने और देय राशि पर 25 प्रतिशत की रियायत प्राप्त करने के लिए 30.06.2010 तक का समय विस्तार दिया गया था।	यह किसानों के लिए एक सब्सिडी है। इसमें कोई जोखिम कारक अन्तर्ग्रस्त नहीं है।	1079.41करोड़ रुपए जारी किए गए। 2.91 करोड़ किसान इस योजना के तहत लाभान्वित हुए हैं।
2.	मुख्य शीर्ष 2235- किसानों के लिए कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, (एडीडब्ल्यूडीआरएस) 2008 के लिए ऋणदात्री संस्थाओं को ब्याज का भुगतान।	शेष प्रतिपूर्ति योग्य दावों पर ब्याज के भुगतान की संस्वीकृति होने से ऋणदात्री संस्थाओं को उनके प्रतिपूर्ति योग्य दावों के लिए कोई प्रावधान नहीं करना पड़ेगा जैसाकि आरबीआई द्वारा अपेक्षित है।	287.00	287.00	एडीडब्ल्यूडीआरएस के अंतर्गत ऋणदात्री संस्थाओं के दावों की प्रतिपूर्ति के लिए लंबी अवधि के कार्यक्रम के कारण, सरकार ने इन ऋणदात्री संस्थाओं को दूसरी, तीसरी और चौथी किस्तों के लिए ब्याज का भुगतान करने का निर्णय लिया है। सरकार ने 2009-10 से 2011-12 तक की अवधि के लिए इस प्रयोजन के लिए 3872.00 करोड़ रु. अनुमोदन किया है।	मार्च, 2012 तक	कोई जोखिम अन्तर्ग्रस्त नहीं है।	आरबीआई और नाबार्ड से प्राप्त दावों के अनुसार 178.46 करोड़ रुपए जारी किए गए।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
3.	मुख्य शीर्ष 2416- किसानों को अल्पावधि ऋण देने के लिए ब्याज सहायता।	अल्पावधिक उत्पादन ऋण पर किसानों को ब्याज राहत।	4868.00	4000.00	3.00 लाख रूपये तक की राशि के लिए किसानों को 7 प्रतिशत पर अल्पावधि उत्पादन ऋण प्रदान करना।	एक वर्ष	यह किसानों के लिए सब्सिडी है। इसमें कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है।	1422.96 करोड़ रु. संस्वीकृत।
4.	मुख्य शीर्ष 2416- अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे (एसटीसीसीएस) के पुनरुद्धार के लिए सहायता अनुदान	देश में अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे का पुनरुद्धार करना।	0.01	0.01	पैकेज को कार्यान्वित करने के इच्छुक राज्यों में अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे का पुनरुद्धार करने के लिए ।	अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे का पुनरुद्धार, राज्यों की सहमति और सहायता पर निर्भर करते हुए, अगले 1-2 वर्ष के दौरान पूरा किया जाना है।	यह देश में अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे के पुनरुद्धार के लिए एक अनुदान है। इसमें कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है।	भारत सरकार ने पैकेज के कार्यान्वयन के लिए 9245.28 करोड़ रुपये का अपना सम्पूर्ण भाग जारी कर दिया है।
5.	मुख्य शीर्ष 2416- दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे (एलटीसीसीएस) के पुनरुद्धार के लिए सहायता अनुदान	देश में दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे का पुनरुद्धार करना।	1000.00	0.01	दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे के पुनरुद्धार के लिए पुनरुद्धार पैकेज प्रदान करना।	पैकेज में ऐसे कतिपय परिवर्तन किए जाने जरूरी थे जिन्हें सरकार का अनुमोदन मिलना अभी शेष है।	सरकार ने कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस), 2008 के कार्यान्वयन और एलटीसीसीएस की वित्तीय स्थिति पर एसटीसीसीएस पैकेज के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया था । उस कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जो सरकार द्वारा स्वीकृत कर ली गई है ।	इस पैकेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
6.	मुख्य शीर्ष 2416- वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ)	विशेष रूप से कमजोर वर्गो, अल्प आय समूहों और पिछड़े क्षेत्रों / अब तक बैंक सुविधा रहित क्षेत्रों में अधिक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को सहायता प्रदान करना।	10.00	10.00	वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने की दृष्टि से व्यावसायिक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कमजोर वर्गो, और अल्प आय समूहों को वहन करने योग्य लागत पर समय से और पर्याप्त ऋण तथा वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	यह निधि वर्ष 2007-2008 से कार्यान्वित की जा रही है।	गठित की गई इस निधि का रखरखाव नाबार्ड द्वारा किया जाएगा, जिससे भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड की हिस्सेदारी 40:40:20 के अनुपात में होगी। भारत सरकार के अंश के रूप में वर्ष 2007-08 और 2009-10 और 2010-11 में 10.00 करोड़ रु प्रत्येक जारी किए गए थे।	10 करोड़ रुपए का समग्र प्रावधान संस्वीकृत ।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
7.	मुख्य शीर्ष 2416 - वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफआईटीएफ)	वित्तीय सेवा प्रदाताओं/ प्रयोक्ताओं की प्रौद्योगिकीय आमेलन क्षमता बढ़ाते हुए, वित्तीय समावेशन में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के अंतरण को प्रोत्साहित करने वाले वित्तीय समावेशन के संवर्द्धन पर लक्षित सूचना प्रसार प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ाना।	10.00	10.00	वित्तीय समावेशन में अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी के अंतरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों को वहनीय लागत पर समय से और पर्याप्त ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकीय विकास के अंतर्गत सुविधा देना।	यह निधि वर्ष 2007-08 से कार्यान्वित की जा रही है।	भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा क्रमशः 40:40:20 के अनुपात में अंशदान से एक निधि का गठन किया गया है, जिसका रखरखाव नाबार्ड द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार के हिस्से के रूप में 10.00 करोड़ रु. प्रत्येक की राशि वर्ष 2007-08, 2009-2010 और 2010-11 में जारी की गयी थी।	10 करोड़ रुपए का समग्र प्रावधान संस्वीकृत ।
8.	मुख्य शीर्ष 4416- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनर्पुंजीकरण	जोखिम-भारत परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी-अनुपात (सीआरएआर) को समयबद्ध तरीके से बढ़ा कर कम से कम 7% करना और इसे मार्च, 2012 तक आगे 9% करना।	500.00	200.00	40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण से उनके सीआरएआर को कम से कम 7% तक लाने में मदद मिलेगी।	एक वर्ष	यह सरकारी निवेश है। कोई भी जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है।	10 आरआरबी के पुनर्पुंजीकरण के लिए 110.83 करोड़ रुपए रिलीज किए गए।
9.	मुख्य शीर्ष 3465 - प्रतिभूति मोचन निधि में अंशदान	भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयर के अधिकार निर्गम, 2008 में अंशदान के लिए जारी की गई विक्रय प्रतिभूति के मोचन के लिए प्रतिभूति मोचन निधि में योगदान करना।	625.00	625.00	यह भारतीय स्टेट बैंक को उसके अधिकार निर्गम, 2008 में अंशदान करने के लिए जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियां-2024 का मोचन करने के लिए सृजित की गई प्रतिभूति मोचन निधि में एक अंशदान है।	वर्ष 2024 तक	कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है क्योंकि यह इस प्रयोजन के लिए पहले से गठित प्रतिभूति मोचन निधि में किया जाने वाला एक अंशदान है।	-
10.	मुख्य शीर्ष 5465 - सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का पुनर्पुंजीकरण	इक्विटी समर्थन के जरिए पीएसबी का पुनः पूंजीकरण करना जिससे कि वे अपना टीयर-I सीआरएआर 8% बनाए रख सकें और सभी पीएसबी में भारत सरकार की शेयरधारिता बढ़ कर 58% हो सके।	6000.00	12000.00	सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को टीयर-I सीआरएआर का सुविधाजनक स्तर बनाए रखने में समर्थ करना और सभी पीएसबी में भारत सरकार की शेयरधारिता को 58% तक बढ़ाना।	-	यह पीएसबी में सरकार द्वारा किया गया निवेश है जिससे कि वे देश की बढ़ती ऋण जरूरतों को सकारात्मक एवं प्रभावी रूप से पूरा कर सकें।	भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक वित्तीय संकट का सामना करने में समर्थ रही है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
11.	मुख्य शीर्ष 3465 - " स्वाबलंबन स्कीम" के अंतर्गत "नो फ्रिल्स" खाते खोलने के लिए बैंकों को वित्तीय सहायता।	इसमें लगभग 73.000 अभिचिह्नित वास-स्थानों 5.11 करोड़ "नो फ्रिल्स" खाते खोलने के लिए प्रति वित्तीय समावेशन लाभार्थी खाता 140 रुपए की दर से बैंकों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।	50.00	0.00	यह वित्तीय समावेशन योजनाओं के भाग के रुप में उपर्युक्त प्रौद्योगिकीय अनुसमर्थन के साथ कारोबार सम्पर्की (बीसी) एवं अन्य मॉडलो के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने पर लक्षित है।	तीन वर्ष	कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है क्योंकि यह केवल "नो फ्रिल्स" खातों को खोलने की एककालिक नियत लागत को पूरा करने के लिए है।	योजना को बीच में ही बंद कर दिया गया और योजना के तहत कोई निधि जारी नहीं की गई। वित्तीय समावेशन के तहत 55,000 अभिचिह्नित निवास स्थानों को शामिल किया गया है।
12	मुख्य शीर्ष 4885 - इंडिया इफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि. (आईआईएफसीएल) की शेयर पूंजी के लिए अंशदान"	वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं के लिए उपलब्ध दीर्घावधि -वित्त सुविधा का सम्पूरण करना।	1000.00	500.00	आईआईएफसीएल दीर्घावधि - अवसंरचना वित्त सुविधा में जो कमी है उसे पूरा करेगी, क्योंकि बैंक और अन्य संस्थाएं इसे पूरा नहीं कर पाती।		वित्तीय मध्यवर्ती संगठन के रुप में आईआईएफसीएल लि. ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम का सामना करती है।	दिसम्बर, 2011 की समाप्ति पर आईआईए-फसीएल ने संचयी रूप से 56058 करोड़ रुपए की राशि वाली 245 परियोजनाओं के लिए संस्वीकृति दी है।
13	मुख्य शीर्ष 4885 - एक्जिम बैंक की शेयर पूंजी के लिए अंशदान करना।	एक्जिम बैंक का इक्विटी आधार सुदृढ़ बनाना।	300.00	300.00	वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान निर्यात ऋण व्यवस्था (एलओसी) के अंतर्गत बैंक का संवितरण बढ़ा कर 600 मिलियन यूएस डालर करना (वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान एलओसी के अंतर्गत संवितरित किए गए अनुमानित 500 मिलियन यूएस डालर की तुलना में लगभग 20% की बढ़ोतरी)	एक वर्ष	ऋण जोखिम, चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम एवं विदेशी मुद्रा जोखिम।	756 लाख एलओसी संवितरित।
14	मुख्य शीर्ष 2235 - वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना हेतु जीवन बीमा निगम को भुगतान	वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना हेतु सब्सिडी देना	199.61	190.38	योजना के तहत पेंशनर 9% का प्रभावी प्रतिफल प्राप्त करते हैं।	योजना को 09.7.2004 से बंद कर दिया गया है।	कोई जोखिम अन्तर्ग्रस्त नहीं है।	

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
15	मुख्य शीर्ष - 2235 सामुदाय आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना (यूएचआईएस) के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को भुगतान	बीपीएल परिवारों के स्वास्थ्य लाभ की पहुंच में सुधार करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की चार साधारण बीमा कंपनियां यूएचआईएस को क्रियान्वित कर रही हैं।	20.00	20.00	6.66 लाख परिवारों को कवर करना	—	यह गरीबों के लिए कल्याण योजना है। कोई जोखिम अंतर्ग्रस्त नहीं है।	4.00 करोड़ रु. जारी। 1,70,052 परिवारों को कवर करते हुए अत्तूबर, 2011 तक 37,326 पालिसियां जारी की गई।
16	मुख्य शीर्ष 2235 "स्वावलंबन योजना"	नई पेंशन प्रणाली के तहत 20 लाख अभिदाताओं को कवरेज प्रदान करना	220.00	110.00	यह योजना असंगठित क्षेत्र के लोगों को एनपीएस के तहत स्वयं को नामांकित करके अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने पर लक्षित है।	नामांकन का स्तर एग्रीगेटर्स के निष्पादन पर आधारित होगा/ तीन वर्ष	औपचारिक श्रम बाजार स्थिति, आंतरायिक आय और कम वित्तीय ज्ञान	2010-11 के दौरान 53.50 करोड़ रुपए जारी किए गए। 2010-11 तक कुल 3,01,920 अभिदाताओं को नामांकित किया गया है। 90,256 अतिरिक्त अभिदाताओं को 2011-12 के दौरान नामांकित गया गया है।
17	मुख्य शीर्ष 2885 नोडल एजेंसियों अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय आवास बैंक को आर्थिक सहायता का भुगतान	नोडल एजेंसियों अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से 15.00 लाख रुपए तक के आवास ऋणों पर 1% की ब्याज सहायता देने के लिए प्रावधान	500.00	300.00	यह ब्याज सहायता अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा राष्ट्रीय आवास बैंक में पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों के माध्यम से प्रदान की जाएगी।	डेढ़ वर्ष	कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है।	99.61 करोड़ रु. जारी किए गए।

वित्तीय सेवाएं विभाग मांग संख्या - 33 के अन्तर्गत योजनाओं की संक्षिप्त स्थिति

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम	2010-11 बजट अनुमान	2010-11 संशोधित अनुमान	2010-11 वास्तविक	2011-12 बजट अनुमान	2011-12 संशोधित अनुमान	2011-12 वास्तविक दिस.,2010 तक	2012-13 बजट अनुमान
गैर-योजना								
1	कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस),2008-किसान ऋण राहत नीधि को अंतरण (मुख्य शीर्ष - 2235)	12000.00	16000.00	16000.00	2000.00	0.01	...	0.01
2	एडीडब्ल्यूडीआरएस, 2008 के लिए ऋणदात्री संस्थाओं के माध्यम से ऋण राहत/ऋण माफी (मुख्य शीर्ष-2235)	12000.00	12000.00	11340.47	6000.00	1500.00	1079.41	0.01
3	एडीडब्ल्यूडीआरएस, 2008 के लिए ऋणदात्री संस्थाओं को ब्याज का भुगतान (मुख्य शीर्ष - 2235)	1434.00	1434.00	1434.00	287.00	287.00	178.46	0.01
4	सामुदाय आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को सब्सिडी (मुख्य शीर्ष - 2235)	20.00	25.00	22.00	20.00	20.00	4.00	0.01
5	वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना हेतु एलआईसी को ब्याज सब्सिडी (मुख्य शीर्ष - 2235)	209.32	175.70	175.70	199.61	190.38	...	182.25
6.	असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों को नई पेंशन प्रणाली (एनपीएएस) में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्वावलम्बन योजना							
	6.1 स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अभिदाताओं को सरकार का अंशदान (मुख्य शीर्ष - 2235)	...	100.00	50.00	200.00	100.00	...	200.00
	6.2 स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत नामांकन एवं अंशदान हेतु संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यकलापों हेतु निधीयन सहायता (मुख्य शीर्ष - 2235)	..	10.00	3.50	20.00	10.00	...	20.00
7	जनश्री बीमा योजना के लिए एलआईसी द्वारा प्रबंधित सामाजिक सुरक्षा निधि के संवर्धन हेतु सरकारी अंशदान (मुख्य शीर्ष-2235) ..	..	..	..	100.00	...	175.00	
8	अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) के सुदृढ़ीकरण हेतु नाबार्ड के माध्यम से अनुदान (मुख्य शीर्ष - 2416)	984.65	1014.65	1014.65	0.01	0.01	...	0.01
9	किसानों को अल्पावधि ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज सहायता (मुख्य शीर्ष-2416)	3000.00	4000.00	3531.19	4868.00	4000.00	1422.96	6000.00
10	दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) का पुनरुजीवन (मुख्य शीर्ष-2416)	1000.00	500.00	..	1000.00	0.01	...	500.00
11	वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) में अंशदान (मुख्य शीर्ष-2416)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00
12	वित्तीय समावेशन प्रोद्योगिकी निधि (एफआईएफ) में अंशदान (मुख्य शीर्ष -2416)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	30.00
13	नोडल एजेंसियों अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक एवं राष्ट्रीय आवास बैंक को आवास ऋण के लिए 1% की सब्सिडी के रूप में सब्सिडी का भुगतान (मुख्य शीर्ष-2885)	700.00	100.00	38.54	500.00	300.00	99.61	400.00
14	स्ट्रैस्ड ऐसेट स्टेबलाइजेशन फंड (एसएएसएफ) को जारी प्रतिभूतियों का मोचन (मुख्य शीर्ष-2285) ..	300.00	300.00	..	300.00	...	...	
15	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लि. (आईडीबीआई) (मुख्य शीर्ष- 2885)	154.33	154.33	154.33	..	..	...	...
16	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि. (आईआईएफसीएल) को इक्विटी सहायता (मुख्य शीर्ष-4885)	500.00	500.00	200.00	..	..	...	...

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम	2010-11			2011-12			2012-13
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक दिस.,2010 तक	बजट अनुमान
17	गोवान बैंक को आर्थिक सहायता (मुख्य शीर्ष -2885)	0.08	0.08	0.08	0.08	0.04	0.04	...
18	भारतीय स्टेट बैंक के ईक्विटी शेयरों के अधिकार निर्गम में अभिदान हेतु प्रतिभूति मोचन निधि में अंशदान (मुख्य शीर्ष- 3465)	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	...	625.00
19	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पुनर्पूंजीकरण हेतु अंशदान (आरआरबी) (मुख्य शीर्ष-4416)	..	350.00	66.49	..	..	...	...
20	भारतीय आयात निर्यात बैंक की शेयर पूंजी में अभिदान (मुख्य शीर्ष - 4885)	300.00	300.00	300.00	..	..	...	...
21	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण (मुख्य शीर्ष- 5465)	16500.00	14157.00	14117.23	..	..	...	...
22	एसएआरएएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के तहत सेंट्रल इलैक्ट्रानिक रजिस्टरी की स्थापना हेतु पूंजी के लिए सरकार का अंशदान (मुख्य शीर्ष - 5465)	25.00	25.00	25.00	..	..	...	...
23	भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) को विश्व बैंक सहायता (मुख्य शीर्ष- 5465 एवं मुख्य शीर्ष- 6885)	..	420.12	411.90	14.00	14.00	...	14.00
	कुल गैर-योजना	**49472.38**	**52210.88**	**49830.08**	**15753.70**	**7466.45**	**2804.48**	**8166.30**
	योजना							
24	एनएचबी में आरबीआई के पण की अधिग्रहण लागत (मुख्य शीर्ष - 5465)	..	450.00	..	..	..	...	...
25	नाबार्ड में आरबीआई के पण की अधिग्रहण लागत (मुख्य शीर्ष - 5465)	..	1430.00	1430.00	..	..	...	...
26	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण (मुख्य शीर्ष- 5465) ..	6000.00	6000.00	6000.00	12000.00	...	14588.00	
27	बैंक सुविधारहित खंडों में बैंक शाखाएं खोलने हेतु सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सहायता (मुख्य शीर्ष- 3465)	50.00	50.00	..	..	..	...	....
28	वित्तीय समावेशन योजना के भाग के रूप में स्वाभिमान योजना के अंतर्गत "नो फ्रिल्स" खाते खोलने हेतु सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सहायता (मुख्य शीर्ष - 3465)	..	...	..	50.00	..	....	...
29	भारतीय सूक्ष्म वित्त इक्विटी निधि का सृजन करने के लिए (मुख्य शीर्ष-3465) लघु उघोग विकास बैंक (सिडबी) को वित्तीय सहायता	..	..	..	..	100.00	...	...
30	महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि के सृजन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष-2416)	..	...	..	..	100.00	...	200.00
31	भारतीय आयात निर्यात बैंक की शेयर पूंजी के लिए अभिदान (मुख्य शीर्ष - 4885)	..	..	..	300.00	300.00	—-	200.00
32	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस कंपनी लि. (आईआईएफसीएल) के लिए इक्विटी सहायता (मुख्य शीर्ष-4885)	..	..	..	1000.00	500.00	...	400.00
33	नाबार्ड की शेयर पूंजी में अभिदान (मुख्य शीर्ष- 4416)	..	..	..	..	1000.00	...	500.00
34	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को पुनर्पूंजीकरण हेतु अंशदान (मुख्य शीर्ष-4416)	..	..	..	500.00	200.00	110.83	200.00
	कुल योजना	**50.00**	**7930.00**	**7430.00**	**7850.00**	**14200.00**	**110.83**	**16088.00**
	सकल योग (योजना + गैर योजना)	**49522.38**	**60140.88**	**57260.08**	**26303.70**	**21666.45**	**2915.31**	**24254.30**

वित्तीय सेवाएं विभाग के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अर्जित निवल लाभ तथा अदा किए गए लाभांश का विवरण

क्रम सं.	बैंक का नाम	31.03.2011 के अनुसार कुल चुकता पूंजी	31.03.2011 के अनुसार चुकता पूंजी में सरकार का अंश	2010-11 में करोपरान्त लाभ	2010-11 में अदा किया गया लाभांश	2011-12 में लाभांश की अदायगी हेतु बजट अनुमान	2011-12 में लाभांश की अदायगी हेतु संशोधित अनुमान	2012-13 में लाभांश की अदायगी हेतु बजट अनुमान
1.	इलाहाबाद बैंक	476.22	276.21	1,423.00	165.73	115.00	165.73	175.00
2.	आध्रा बैंक	559.58	324.56	1,267.00	178.52	210.00	178.52	190.00
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	392.81	224.02	4,242.00	368.41	250.00	368.41	400.00
4.	बैंक ऑफ इंडिया	547.22	360.40	2,489.00	251.92	205.00	251.92	270.00
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	481.71	381.71	330.00	76.34	50.00	76.34	85.00
6.	केनरा बैंक	443.00	300.00	4,026.00	330.00	250.00	330.00	350.00
7.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	404.14	324.14	1,252.00	110.20	60.00	110.20	120.00
8.	कार्पोरेशन बैंक	148.13	86.69	1,413.00	173.39	120.00	173.39	190.00
9.	देना बैंक	333.39	193.40	612.00	42.54	25.00	42.54	50.00
10.	इंडियन बैंक	429.77	343.81	1,714.00	257.86	200.00	257.86	275.00
11.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	618.75	407.57	980.00	203.77	100.00	203.77	220.00
12.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	291.00	168.78	1,503.00	175.99	100.00	175.99	190.00
13.	पंजाब नैशनल बैंक	316.81	183.75	4,434.00	404.25	0.00	404.25	440.00
14	पंजाब एंड सिंध बैंक	223.06	183.07	526.00	51.34	350.00	51.34	60.00
15.	सिंडिकेट बैंक	573.29	398.26	1,048.00	147.37	80.00	147.37	160.00
16.	यूको बैंक	627.52	427.53	907.00	128.26	40.00	128.26	140.00
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	524.33	299.21	2,082.00	239.37	130.00	239.37	150.00
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	344.00	292.40	524.00	64.77	35.00	64.77	70.00
19.	विजया बैंक	472.67	272.68	523.00	68.17	50.00	68.17	75.00
20.	भारतीय स्टेट बैंक	635.00	377.21	8,265.00	1,131.62	1,000.00	1,131.62	1,150.00
21.	आईडीबीआई बैंक लि.	985.00	641.53	1,650.00	224.45	100.00	224.45	250.00
22.	भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)	5.00	5.00	22,752.34	1,137.62	1,147.94	1,192.09	1,273.62
23	भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी)	430.00	430.00	1,033.47	206.40	190.00	200.00	210.00
24.	नेशनल इंश्योरेंश कं. लि. (एनआईसीएल)	100.00	100.00	74.65	0.00	20.00	20.00	20.00
25.	न्यू इंडिया एश्योरेंश कं. लि. (एनआईएसीएल)	200.00	200.00	-421.56	0.00	130.00	130.00	90.00
26.	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंश कं. लि. (यूआईआईसीएल)	150.00	150.00	130.54	30.00	144.00	82.00	100.00
27.	ओरियन्टल इंश्योरेंश कं. लि. (ओआईसीएल)	100.00	100.00	54.62	0.00	30.00	0.00	30.00
	कुल	**10,812.40**	**7451.93**	**64,834.06**	**6,168.29**	**5,131.94**	**6,418.36**	**6,733.62**

वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के बजट अनुमान/संशोधित अनुमान में किए गए प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	मदों/योजनाओं का विवरण	मुख्य शीर्ष	2009-10 बजट अनुमान	2009-10 संशोधित अनुमान	2009-10 वास्तविक	2010-11 बजट अनुमान	2010-11 संशोधित अनुमान	2010-11 वास्तविक	2011-12 बजट अनुमान	2011-12 संशोधित अनुमान	2011-12 वास्तविक दिस.11 तक
	भाग क - गैर-योजना मदें										
	सचिवालय - सामान्य सेवाएं	**2052**	**13.28**	**13.61**	**12.89**	**12.40**	**14.17**	**13.56**	**15.02**	**14.08**	**11.25**
	अन्य राजकोषीय सेवाएं										
	अन्य व्यय (विशेष न्यायालय और अभिरक्षण का कार्यालय)	2047	10.42	8.56	7.52	8.44	7.64	7.39	7.78	7.78	5.34
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर)	2070	3.21	2.23	2.18	2.20	2.45	2.27	2.57	2.38	1.79
	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर)	2070	10.25	9.47	8.16	8.43	13.04	12.84	12.19	10.98	7.09
	ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)	2070	50.18	42.89	40.52	38.78	41.05	38.43	48.06	43.67	35.08
	पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)	2070	16.00	16.00	11.70	16.00	16.00	8.00	16.00	16.00	8.32
	कुल अन्य प्रशासानिक सेवाएं		**45.46**	**55.42**	**46.80**	**79.64**	**70.59**	**62.56**	**65.41**	**72.54**	**46.92**
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं										
	अन्य व्यय (न्यायालय परिसमापक का कार्यालय, कोलकाता)	3475	1.10	0.57	0.56	0.47	1.54	0.47	0.62	0.62	0.39
	कुल -अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं		1.10	0.57	0.56	0.47	1.54	0.47	0.62	0.62	0.39
	लोक निर्माण संबंधी पूंजीगत परिव्यय										
	ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)										
	डीआरटी, चंडीगढ़ के लिए भवन का निर्माण	4059	0.01	...	...	...	...	...	...	...	...
	डीआरटी, चंडीगढ़ के लिए भवन निर्माण हेतु भूमि की खरीद	4059	0.01	0.01	...	...	...	...	...	0.01	
	कुल - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय		**0.02**	**0.01**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**0.01**	**...**
	औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं										
	नोडल एजेंसियों अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक को आवास ऋण के लिए 1% सब्सिडी के रूप में सब्सिडी का भुगतान	2885	0.00	0.00	0.00	700.00	100.00	38.54	500.00	300.00	99.61
	स्ट्रेस्ड ऐसेट स्टेबलाइजेशन फंड (एसएएसएफ) को जारी की गई प्रतिभूतियों को छुड़ाना 2885	0.00	400.00	300.00	0.00	300.00	300.00	...	300.00	....	
	इंडस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. को अनुदान	2885	0.00	0.00	0.00	154.33	154.33	154.33	...	...	....
	भारतीय निर्यात-आयात बैंक को शेयर पूंजी के लिए अंशदान	4885	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	...	...	....
	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कं. लि. (आईआईएफसीएल) को व्यय की प्रतिपूर्ति	2885	1.61	1.61	1.60	0.00	0.00	....	....	....	....
	आईआईएफसीएल को इक्विटी सहायता	4885	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	200.00	...	...	....

क्रम सं.	मदों/योजनाओं का विवरण	मुख्य शीर्ष	2009-10 बजट अनुमान	2009-10 संशोधित अनुमान	2009-10 वास्तविक	2010-11 बजट अनुमान	2010-11 संशोधित अनुमान	2010-11 वास्तविक	2011-12 बजट अनुमान	2011-12 संशोधित अनुमान	2011-12 वास्तविक दिस.11 तक
	बाह्य सहायता प्राप्त संघटक के लिए आईसीआईसीआई बैंक को अनुदान	2885	...	...	...	...	...	82.33	...	...	....
	कुल औद्योगिक वित्तीय संस्थाए	**801.61**	**1201.61**	**1101.60**	**1654.33**	**1354.33**	**1075.20**	**500.00**	**600.00**	**99.61**	
	कृषि वित्तीय संस्थाए										
	अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) को सुदृढ़ बनाने के लिए नाबार्ड के जरिए अनुदान	2416	0.00	800.00	800.00	984.65	1014.65	1014.65	0.01	0.01	....
	किसानों को अल्पावधि ऋण देने के लिए ब्याज सहायता	2416	2011.00	2011.00	2011.00	3000.00	4000.00	3531.19	4868.00	4000.00	1422.96
	दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे (एलटीसीसीएस) को पुनरुज्जीवन देना	2416	1000.00	1.00	....	1000.00	500.00	...	1000.00	0.01	....
	वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) के लिए योगदान	2416	....	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी के लिए अंशदान निधि (एफआईटीएफ)	2416	....	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पुनर्पुंजीकरण के लिए अंशदान	4416	....	....	....	....	350.00	66.49	...	...	....
	कुल कृषि वित्तीय संस्थाएं	**3011.00**	**2832.00**	**2831.00**	**5004.65**	**5884.65**	**4632.33**	**5888.01**	**4020.02**	**1442.96**	
	सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं										
	भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयरों के अधिकार निर्गम अंशदान के प्रति प्रतिभूतियों को छुड़ाने के लिए प्रतिभूति मोचन निधि का अंतरण	3465	....	....	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	....
		5465	625.00	625.00	....	....	....	....	....	....	....
	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण	5465	....	2466.00	2466.00	16500.00	14157.00	14117.23	...	...	....
	एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक रजिस्ट्री की स्थापना हेतु पूंजी में सरकार का अंशदान	5465	....	....	....	25.00	25.00	25.00	...	...	....
	विश्व बैंक से सहायता प्राप्त सूक्ष्म वित्त परियोजना के तहत भारत में सूक्ष्म वित्त तक पहुंच में सुधार करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को विश्व बैंक सहायता	5465	....	....	....	....	420.12	411.90	14.00	...	
		6885	...	...	...	...	...	...	...	14.00	....
	गोवान बैंक को ब्याज सब्सिडी 2885	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.04	0.04	
	कुल सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं		**625.08**	**3091.08**	**3091.08**	**17150.08**	**15227.20**	**15179.21**	**639.08**	**639.04**	**0.04**
	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण										

क्रम सं.	मदों/योजनाओं का विवरण	मुख्य शीर्ष	2009-10 बजट अनुमान	2009-10 संशोधित अनुमान	2009-10 वास्तविक	2010-11 बजट अनुमान	2010-11 संशोधित अनुमान	2010-11 वास्तविक	2011-12 बजट अनुमान	2011-12 संशोधित अनुमान	2011-12 वास्तविक दिस.11 तक
	किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत योजना										
	किसान ऋण राहत निधि में अंतरण	2235	15000.00	15000.00	15000.00	12000.00	16000.00	16000.00	2000.00	0.01	....
	किसानों को ऋण माफी एवं ऋण राहत के प्रति ऋणदात्री संस्थाओं को भुगतान	2235	15000.00	15000.00	15000.00	12000.00	12000.00	11340.47	6000.00	1500.00	1079.41
	ऋणदात्री संस्थाओं को ब्याज का भुगतान	2235	2151.00	2151.00	458.85	1434.00	1434.00	1434.00	287.00	287.00	178.46
	किसानों के लिए कुल ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना		**32151.00**	**32151.00**	**30458.85**	**25434.00**	**29434.00**	**28774.47**	**8287.00**	**1787.01**	**1257.87**
	समुदाय आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना (यूएचआईएस) के लिए सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को सब्सिडी	2235	6.39	28.00	28.00	20.00	25.00	22.00	20.00	20.00	4.00
	वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना हेतु जीवन बीमा निगम को ब्याज सब्सिडी	2235	172.00	270.82	270.76	209.32	175.70	175.70	199.61	190.38	....
	असंगठित क्षेत्र के लोगों को नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्वावलम्बन योजना	2235	...	...	...			...	...	...	
	स्वावलम्बन योजना के नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अभिदाताओं को सरकार का अंशदान		....	....	....	....	100.00	50.00	200.00	100.00	....
	स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत नामांकन एवं अंशदान हेतु संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यकलापों हेतु निधीयन सहायता	-	....	....	....	....	10.00	3.50	20.00	10.00	....
	जनश्री बीमा योजना के लिए एलआईसी द्वारा क्रियान्वित सामाजिक सुरक्षा निधि के संवर्धन में सरकार का अंशदान	2235	...	...	...			...	...	100.00	....
	कुल सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण		**32329.39**	**32449.82**	**30757.61**	**25663.32**	**29744.70**	**29025.67**	**8726.61**	**2207.39**	**1261.87**
	कुल गैर-योजना		**36871.54**	**39667.85**	**37864.82**	**49559.10**	**52306.77**	**49995.37**	**15855.94**	**7561.97**	**2873.74**
	भाग ख - योजनागत मदें										
	भारतीय निर्यात-आयात बैंक की शेयर पूंजी के लिए अंशदान	4885	...	...	...	...	...	...	300.00	300.00	....
	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि.	4885	...	...	...	...	...	...	1000.00	500.00	.....
	महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि के निर्माण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को सहायता अनुदान	2416	...	...	...	...	...	...	...	100.00	....
	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की शेयर पूंजी के लिए अंशदान	4416	...	...	...	...	...	...	...	1000.00	....
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए सरकार का अंशदान	4416	...	...	...	...	...	...	500.00	200.00	110.83
	नाबार्ड में भारतीय रिजर्व बैंक के पण की अधिग्रहण लागत	5465	1100.00	1450.00	...	...	1430.00	1430.00	...	...	....

क्रम सं.	मदों/योजनाओं का विवरण	मुख्य शीर्ष	2009-10			2010-11			2011-12		
			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक दिस.11 तक
	राष्ट्रीय आवास बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक के पण की लागत	5465	442.00	...	...	...	450.00	...	...	...	....
	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण	5465	...	...	...	...	6000.00	6000.00	6000.00	12000.00	....
	बैंकों को स्वाभिमान योजना के अंतर्गत वित्तीय समावेशन योजना के भाग के रुप में 'नो फ्रिल्स खाते' खोलने के लिए वित्तीय सहायता	3465	...	...	...	...	...	...	50.00	...	....
	बैंक रहित खण्डों में बैंक शाखाएं खोलने के लिए वित्तीय सहायता	3465	...	...	...	50.00	50.00	...	....	....	....
	इंडिया माइक्रोफाइनेंस इक्विटी फंड के निर्माण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को वित्तीय सहायता	3465	...	...	...	...	...	...	...	100.00	....
	कुल योजना		**1542.00**	**1450.00**	**0.00**	**50.00**	**7930.00**	**7430.00**	**7850.00**	**14200.00**	**110.83**
	कुल योग (योजना + गैर-योजना)		**38413.54**	**41117.85**	**37864.82**	**49609.10**	**60236.77**	**57425.37**	**23705.94**	**21761.97**	**2984.57**
	संशोधित अनुमान के सन्दर्भ में प्रतिशत			**92.09%**			**97.82%**			**13.71%**	

वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के बजट अनुमान/संशोधित अनुमान प्रावधानों की तुलना में वस्तु शीर्ष-वार वास्तविक व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	2009-10			2010-11			2011-12		
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक दिस.11तक
	राजस्व अनुभाग									
	वेतन	54.60	50.49	49.17	43.12	48.14	47.08	51.51	46.06	39.68
	मजदूरी	0.29	0.23	0.17	0.26	0.26	0.18	0.26	0.31	0.14
	समयोपरि भत्ता	0.25	0.15	0.11	0.18	0.16	0.11	0.16	0.11	0.05
	चिकित्सा उपचार	1.07	0.72	0.48	0.84	1.01	0.78	1.00	0.99	0.40
	देशीय यात्रा व्यय	1.43	1.21	0.96	1.40	1.31	1.16	1.37	1.22	0.87
	विदेश यात्रा व्यय	0.40	0.36	0.14	0.40	0.40	0.27	0.45	0.50	0.32
	कार्यालय व्यय	8.00	7.52	7.17	8.31	8.45	7.62	9.04	7.97	5.69
	किराया, दरें एवं कर	15.69	11.23	9.77	10.59	14.44	13.98	17.45	16.35	11.31
	प्रकाशन	0.33	0.25	0.20	0.30	0.30	0.17	0.30	0.30	0.16
	अन्य प्रशासनिक व्यय	0.25	0.23	0.20	0.25	0.25	0.19	0.25	0.25	0.18
	विज्ञापन एवं प्रचार	0.18	0.33	0.34	0.23	0.35	0.30	0.26	0.46	0.05
	गौण कार्य	0.28	0.25	0.19	0.27	0.26	0.25	0.26	0.36	0.08
	वृत्तिक सेवाएं	2.45	2.19	1.16	2.44	1.23	1.07	1.32	1.12	0.74
	सहायता अनुदान	16.00	816.00	811.70	1204.98	1244.98	1262.80	86.01	226.01	8.32
	अंशदान	0.00	20.00	645.00	645.00	745.00	695.00	845.00	220.00	20.00
	सब्सिडी	3189.47	2310.90	2309.84	4929.40	4800.78	3767.51	6587.69	4510.43	1526.60
	एकमुश्त	1.10	0.57	0.56	0.47	1.54	0.47	0.62	0.62	0.39
	विनिमय विभिन्नता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ब्याज	2151.00	2151.00	458.85	1434.00	1434.00	1434.00	287.00	287.00	178.46
	अन्य प्रभार	15003.73	15403.23	15302.79	12001.67	12301.80	11641.80	6001.99	1802.89	1080.30
	अंतर लेखा अंतरण	15000.00	15000.00	15000.00	12000.00	16000.00	16000.00	2000.00	625.01	0.00
	जोड़ राजस्व भाग	**35446.52**	**35776.84**	**34598.82**	**32284.10**	**36604.65**	**34874.74**	**15891.94**	**7547.96**	**2873.74**
	पूंजी खण्ड									
	निवेश	2967.02	5341.00	3266.00	17325.00	23632.12	22550.63	7814.00	14000.01	110.83
	ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00
	कुल पूंजी भाग	**2967.02**	**5341.00**	**3266.00**	**17325.00**	**23632.12**	**22550.63**	**7814.00**	**14014.01**	**110.83**
	कुल योग (सकल)	**38413.54**	**41117.84**	**37864.82**	**49609.10**	**60236.77**	**57425.37**	**23705.94**	**21761.97**	**2984.57**

वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान बजट प्रावधान और वास्तविक व्यय का विश्लेषण

वर्ष 2009-10 के दौरान बजट अनुमान में 38,413.54 करोड़ रु. (राजस्व खण्ड के अंतर्गत 35,446.52 करोड़ रु. और पूंजीगत खण्ड के अंतर्गत 2,967.02 करोड़ रु.) का प्रावधान किया गया था। संशोधित अनुमान में इसे बढ़ाकर 41,117 क्रमशः करोड़ रु (राजस्व खण्ड में 35776.84. करोड़ रु और पूंजी खण्ड में 5341.00 करोड़ रु.) कर दिया गया था। वास्तविक व्यय 37864.82 करोड़ रु. हुआ था (राजस्व खण्ड के अंतर्गत 34598.82 करोड़ रु. और पूंजीगत खण्ड के अंतर्गत 3266.00 करोड़ रु.) जो बजटीय प्रावधान का 92.09% था। व्यय का 99% से अधिक औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, कृषि वित्तीय संस्थाओं, सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थाओं और समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण से संबंधित भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में और 1% से भी कम सचिवालय एवं अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर खर्च हुआ है।

वर्ष 2010-11 के दौरान बजट अनुमान में 49,609.10 करोड़ रुपए (राजस्व के अंतर्गत 32284.10 करोड़ रुपए और पूंजीगत खण्ड के अंतर्गत 17325.00 करोड़ रु.) का प्रावधान किया गया। संशोधित अनुमान में इसे बढ़ाकर 60236.77 करोड़ रु. कर दिया गया (राजस्व खण्ड बढ़ाकर 36604.65 करोड़ रु. और पूंजीगत खण्ड 23632.12 करोड़ रु. हो गया)। वास्तविक व्यय 57425.37 करोड़ रु. हुआ (राजस्व खण्ड के अंतर्गत 34874.74 करोड़ रु. और पूंजीगत खण्ड के अंतर्गत 22,550.63 करोड़ रु.)। वर्ष 2010-11 के दौरान भी 99.80% से भी अधिक व्यय औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, कृषि वित्तीय संस्थओं, सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थाओं तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण से संबंधित भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के लिए किया गया । सचिवालय और अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर व्यय, विभाग के कुल व्यय का 0.20% से भी कम था।

वर्ष 2011-12 के दौरान बजट अनुमान में 23705.05 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया (राजस्व के अंतर्गत 15891.94 करोड़ रु. तथा पूंजी वर्ग के अंतर्गत 7,814.00 करोड़ रु.) था। संशोधित अनुमान 2011-12 में राजस्व खण्ड के अंतर्गत प्रावधान को घटाकर 9247 करोड़ रुपए कर दिया गया और पूंजी वर्ग के अंतर्गत इसे बढ़ाकर 14014.01 करोड़ रुपए कर दिया गया। वर्ष 2011-12 के दौरान भी, 99% से ज्यादा निधियां औद्योगिक वित्त संस्थाओं तथा सामाजिक सुरक्षा और कल्याण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए खर्च किया गया है। तथापि, दिसम्बर, 2011 तक वास्तविक व्यय 2984.57 करोड़ रु.(राजस्व के अंतर्गत 2873.74 करोड़ रु. तथा पूंजी वर्ग के अंतर्गत 110.83 करोड़ रु.) था। चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य संस्थाओं के पूंजीकरण से संबंधित प्रस्ताव वर्ष 2011-12 के अंतिम तिमाही में किया जाएगा, दिसंबर 2011 तक के व्यय की स्थिति अनुपातिक रूप से कम है।

विगत तीन वर्षों (2009-10 से 2011-12) के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित व्यय का समग्र रुझान निम्नवत बार चार्ट में परिलक्षित होता है।

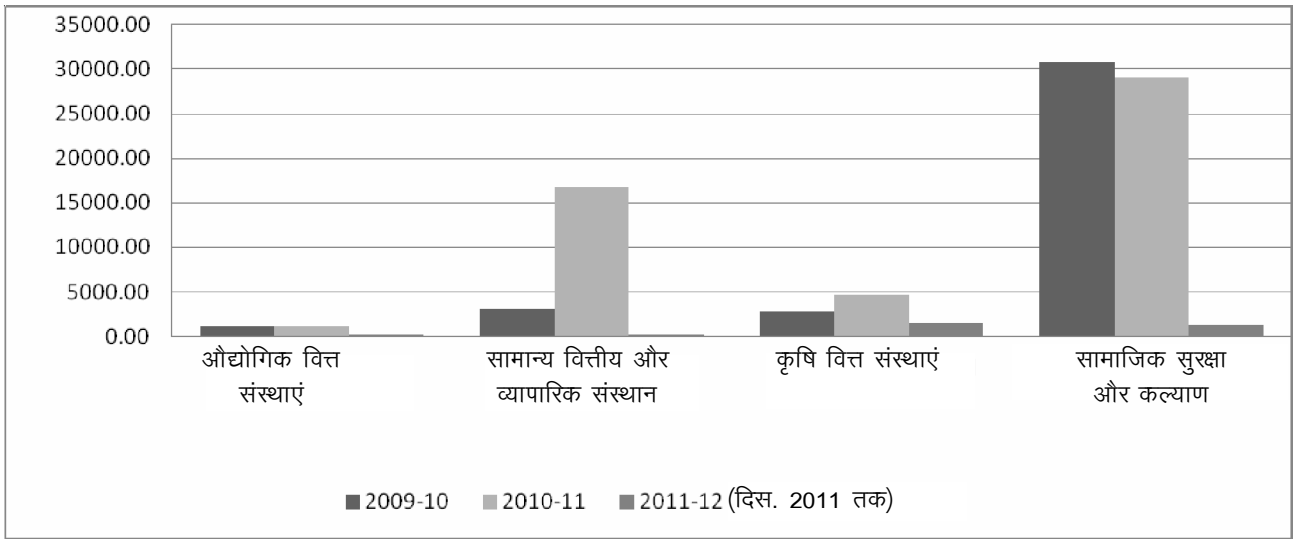

वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सांविधिक और स्वायत्तशासी अभिकरणों के प्रदर्शनों की समीक्षा

सार्वजनिक क्षेत्र बैंक (पीएसबी)

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वित्तीय क्षेत्र में एक अहम् भूमिका निभाते हैं। उनके अधिदेश के भाग के रूप में, पीएसबी ने विविध क्षेत्रों और कृषि क्षेत्र, मझोले, लघु और सूक्ष्म उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र, कमजोर वर्गों, स्वयं सहायता समूहों और सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों इत्यादि सहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण दिया है।

ज्यादातर पीएसबी ने, 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार, अपने अपने ऋण लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। करीब करीब सभी मोर्चों पर अच्छे प्रदर्शन के बावजूद, पीएसबी वर्ष 2011-12 के दौरान अनगिनत चुनौतियों का सामना कर रहें हैं, जो पिछले वर्षों के मुकाबले ज्यादा अहम हो रही हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था की बढ़ी हुई आवश्यकताएं जो उच्चतर स्तर का निवेश मांगती है, के कारण पीएसबी का ऋण पोर्टफोलियों, जमा पोर्टफोलियों के मुकाबले ज्यादा मजबूती से बढ़ा है। इसके अलावा कृषि और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों जैसे रोजगार गहन क्षेत्रों की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाना था। पीएसबी ये यह अपेक्षित है कि वे विनियमित निकाय के रूप में पूंजी को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखें और उनमें लोगों का विश्वास बनाए रखना भी अपेक्षित है। इसलिए, सरकार ने पीएसबी में पूंजी लगाने का निर्णय लिया ताकि अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की ऋण आवश्यकता को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सके।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड):

नाबार्ड कृषि, लघु और कुटीर तथा ग्राम उद्योग और ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बद्ध गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कर एकीकृत ग्रामीण विकास को समुन्नत करता है तथा राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी), राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी), अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा कृषि विकास के लिए प्रदत्त ऋण का पुनर्वित्तीयन करता है तथा भारत सरकार द्वारा यथा अनुमोदित अनेक प्रकार की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, मौसमी कृषि परिचालन, फसलों का विपणन, कृषि निविष्टियों का विपणन एवं वितरण, उत्पादन, एकत्रीकरण, कुटीर, ग्राम और लघु पैमाने के औद्योगिक सहकारी समितियों की बाजार गतिविधियां, प्राथमिक और उच्च बुनकर समितियों और राज्य हैंडलूम और हस्तशिल्प विकास निगमों को प्रदत्त अल्पकालिक ऋण के लिए पुनर्वित्त प्रदान करता है। वाणिज्यिक बैंकों को भी राज्य हस्तकरघा विकास निगम की कार्यकारी पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, अल्पकालिक पुनिर्वत्त प्रदान किया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त पुनर्वित्त निम्न प्रकार से थाः

(करोड़ रु में)

अभिकरण	2009-10		2010-11		2011-12 (06.01.2012 की स्थिति के अनुसार)	
	संस्वीकृत	अधिकतम बकाया	संस्वीकृत	अधिकतम बकाया	संस्वीकृत	अधिकतम बकाया
सहकारी बैंक	18286.59	17617.44	23975.09	23894.86	31005.49	23857.98
आरआरबी	7374.13	7098.03	10399.69	10301.03	12936.80	9321.50
कुल	**25660.72**	**24715.47**	**34374.78**	**34195.89**	**43942.29**	**33179.48**

उन किसानों को सहायता देने के लिए सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मध्यावधि पुनर्वित्त भी प्रदान किए जाते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण के कारण बैंकों को उत्पादन ऋण बकायों का भुगतान करने में असमर्थ हैं। किसानों और उद्यमियों को उत्पादन और आय-वृद्धि में बढ़ोतरी करने वाले कृषि और गैर-कृषि कार्यकलापों में निवेश के उद्देश्य के लिए वाणिज्यिक बैंकों सहित सभी ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है। वित्तपोषित निवेश में सूक्ष्म सिंचाई, भूमि विकास, कृषि यंत्रीकरण, पौध-रोपण तथा बागवानी, भंडारण तथा बाजार परिसर, डेयरी, मुर्गीपालन, भेड़/बकरी/सुअर/मत्स्य पालन जैसी संबंधित गतिविधियां, गैर-कृषि कार्यकलाप, ग्रामीण आवास इत्यादि शामिल हैं। ये निवेश ग्रामीण क्षेत्रों में निजी पूंजी संरचना को बढ़ावा देते हैं । बैंक द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे उद्देश्यों के लिए प्रदान किए गए पुनर्वित्त (एसएचजी वित्त पोषण सहित) निम्न प्रकार से हैंः-

(करोड़ रु में)

अभिकरण	2009-10 के दौरान वितरित	2010-11 के दौरान वितरित	2011-12 के लिए लक्ष्य	2011-12 (06.01.2012 की स्थिति के अनुसार)
एससीएआरडीबी	2221.30	2351.85	2200.00	1854.20
एससीबी	1251.95	1356.62	1525.00	700.23
वाणिज्यिक बैंक	6057.19	7348.49	7562.00	2779.16
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2457.46	2287.84	2733.00	2075.82
पीयूबी/एडीएफसी	21.18	141.07	260.00	157.32
अन्य	-	-	220.00	0.66
कुल	**12009.08**	**13485.87**	**14500.00**	**7567.39**

वर्ष 2009-10 के दौरान, 3,25,000 करोड़ रुपए के कृषि क्षेत्र लक्ष्य की तुलना में, वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 482.30 लाख किसानों को 3,84,514 करोड़ रुपए का ऋण दिए। वर्ष 2010-11 के दौरान, 3,75,000 करोड़ रुपए के कृषि क्षेत्र लक्ष्य की तुलना में उन्होंने 549.60 लाख किसानों को 4,59,3414 करोड़ रुपए का ऋण दिया। वर्ष 2010-11 के दौरान 57.30 लाख नए किसानों को बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया गया था।

पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)

पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), पेंशन क्षेत्र के लिए एक विनियामक निकाय के रूप में स्थापित, संपूर्ण एनपीएस संरचना के संबंध में अभी तक की गई पहलों को समेकित करने तथा एनपीएस संवितरण नेटवर्क की पहुंच बढ़ाने में लगा है। एनपीएस को सभी नागरिकों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में यह आवश्यक हो गया था कि उपस्थिति केन्द्रों (पीओपी) के रूप में ऐसी अट्ठाईस संस्थागत संस्थाएं गठित की जाए, जो पेंशन खाता खोलने और वसूली केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगीं। इसके अलावा एनपीएस बिचौलियों, केन्द्रीकृत रिकार्ड कीपिंग और लेखा एजेंसी (सीआरए) तथा निवेशकों की पेंशन संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए छः पेंशन निधि प्रबंधकों की नियुक्ति करने की भी आवश्यकता थी। पीएफआरडीए ने सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुरूप एनपीएस बिचौलियों के चयन के लिए पारदर्शी, गैर-भेदकारी, प्रतिस्पर्धात्मक बोली की प्रक्रिया अपनाई, जिसने एनपीएस अभिदाताओं को इष्टतम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया।

2. एनपीएस संरचना पारदर्शी और वेब समर्थ है। यह एक अभिदाता को अपने निवेश और प्रतिफल की निगरानी करने की अनुमति देता है। आने वाले समय में अपना निवेश विकल्प/निधि प्रबंधकों को परिवर्तित करने में सक्षम करने के अलावा अभिदाता के पास अपने निधि प्रबंधक और निवेश विकल्पों को चुनने का विकल्प देता है, निर्विध्न वहनीयता की सुविधा को इस प्रकार संरचित किया गया है कि अभिदाता अपनी पूरी बचत अवधि में एकल पेंशन खाता बनाए रख सकता है।

3 सभी नागरिकों के लिए एनपीएस के तहत, एक अभिदाता को पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त की गई 37 पीओपी की पंजीकृत शाखाओं (अब तक 14891 शाखाएं) से किसी भी शाखा में एनपीएस खाता खोलने की सुविधा प्राप्त है। प्रारंभ में पीओपी, एनपीएस का प्रस्ताव सीमित शाखाओं में कर रहे हैं। तथापि, यथा समय इन शाखाओं की संख्या में वृद्धि होगी और देश का प्रत्येक भाग इसमें शामिल होगा। प्रस्ताव पत्र में जिसमें एनपीएस का ब्यौरा, एनपीएस खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र होता है, पीएफआरडीए की वेबसाइट (www.pfrda.org.in) और अन्य एनपीएस बिचौलियों की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए)

बीमा क्षेत्र को बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधिनियमन द्वारा गैर-सरकारी भागीदारी के लिए खोला गया था। वर्तमान में आईआरडीए अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्यों से बना है। यह प्राधिकरण हैदराबाद, आंध्र प्रदेश स्थित अपने मुख्यालय से कार्य कर रहा है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यों में (i) बीमाकर्ताओं तथा बीमा बिचौलियों को लाइसेंस प्रदान करना; (ii) वित्तीय तथा विनियामक पर्यवेक्षण; (iii) प्रीमियम दरों का नियंत्रण एवं विनियमन; और (iv) पालिसीधारकों के हितों की रक्षा करना इत्यादि सम्मिलित हैं। बीमा क्षेत्र के विकास को सुकर बनाने की दृष्टि से प्राधिकरण ने पालिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए; ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के संबंध में उत्तरदायित्वों; सूक्ष्म बीमा तथा एजेंटों, कारपोरेट एजेंटों, ब्रोकरों और तृतीय पक्ष प्रशासकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए विनियम जारी किए हैं। यह बीमा कंपनियों के पंजीकरण के लिए, शोधक्षमता अंतर को बनाए रखने के लिए निवेश तथा वित्तीय रिपोर्टिंग अपेक्षाओं इत्यादि के लिए विनियामक ढांचे संबंधी प्रावधान के अतिरिक्त है।

भारतीय आधारभूत ढांचा वित्त कंपनी लि. (आईआईएफसीएल)

भारतीय आधारभूत ढांचा वित्त कंपनी लि. (आईआईएफसीएल), भारत सरकार की पूर्ण स्वमित्व वाली कंपनी है, जिसकी स्थापना सड़क, राजमार्ग, विद्युत, विमानपतन, बंदरगाह, शहरी अवसंरचना इत्यादि जैसे क्षेत्रों के व्यवहार्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए योजना के अनुसार व्यवहार्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए की गयी है। कंपनी जनवरी 2006 में अधिनियमित हुई और इसने अप्रैल 2006 में अपना परिचालन शुरु किया।

अत्तूबर 2011 में, सरकार ने प्राधिकृत पूंजी में 2000 करोड़ रुपए से 5000 करोड़ रु. की वृद्धि का अनुमोदन किया। इसके अलावा सरकार ने आईआईएफसीएल को एनबीएफसी-आईएफसी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षी परिधि में लाने का भी अनुमोदन किया।

दिसंबर 2011 के अंत तक, कंपनी द्वारा संचयित सकल ऋण संस्वीकृति समेकित आधार पर 245 अवसंरचना परियोजनाओं में 56,058 करोड़ रु. थी। कंपनी द्वारा की गई संचयित निवल संस्वीकृति समेकित आधार पर 239 अवसंरचना परियोजनाओं में 48,408 करोड़ रु. थी । समेकित आधार पर विद्युत वित्तीय कंपनी और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को 3500 करोड़ के पुनर्वित और 110 करोड़ रु. के अंतरण वित्त सहित 19,396 करोड़ रु. का संचयित संवितरण किया गया। 41 परियोजनाओं [आईआईएफसीएल(यूके)]की 2 परियोजनाएं सहित में वाणिज्यिक परिचालन तिथि हासिल कर ली गयी है।

बैंक के निवेश और आस्ति देयता विसंगति अवरोध का निवारण कर आधारभूत ढांचा क्षेत्र का वर्द्धनात्मक ऋण सुसाध्य कर आईआईएफसीएल ने अप्रैल 2010 में अंतरण वित्तपोषण कार्यान्वित किया है। अंतरण वित्तपोषण योजना में संशोधन के पश्चात, आईआईएफसीएल ने 20 परियोजनाओं में 2897 करोड़ रु. संस्वीकृत किया है जिसमें से 31 दिसंबर 2011 तक कंपनी ने 2 परियाजनाओं में 110 करोड़ रु. संवितरित किया है। आईआईएफसीएल ने 5 सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों और आईडीएफसी एवं एलआईसी और अन्य कई बीमा कंपनियों के साथ अंतरण वित्तपोषण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

5 जनवरी 2012 को, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने आईआईएफसीएल के ऋण वृद्धि के प्रथम प्रायोगिक अंतरण की संस्वीकृति की शुरुआत की। यह नवीन उत्पाद बीमा कंपनियां और पेंशन निधियां जैसे निवेशकों का एक नया वर्ग सृजित कर अवसंरचना बॉड बाजार के विकास में सहायता करेगा। इससे निवेश और अस्ति देयता विसंगति और निवेश मानदण्डों की कठिनाईयों को दूर कर नई परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए बैंक की पूंजी बच पाएगी।

इसके अलावा, अवसंरचना परियाजनाओं के प्रत्यक्ष वित्त पोषण के लिए एक वित्तीय तंत्र सृजित करने के लिए आईआईएफसीएल ने भारतीय जीवन बीमा निगम और सात मुख्य सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों नामतः भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आईडीबीआई बैंक लि. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। आईआईएफसीएल और हुडको के बीच भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, जो दोनों संगठनों से संबंधित पूरक स्त्रोतों और दक्षता के संयुक्त संयोजन के द्वारा भारत में अवसंरचना वित्तपोषण के पहलों को सहायता देगा।

आईआईएफसीएल ने अपना परिचालन शुरु करने से अब तक, घरेलू बॉड जारी कर 4100 करोड़ रु., एलआईसी से दीर्घावधिक ऋण के रूप में 1000 करोड़ रु., राष्ट्रीय लघु बचत निधि से 1500 करोड़ रुपए और कर मुक्त बॉड जारी कर 91 करोड़ रु. की उगाही की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कंपनी को 1200 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण संस्वीकृत किया है जिसमें से आईआईएफसीएल ने 19.56 अमेरिकी डालर लिया है। केएफडब्ल्यू से 50 मिलियन यूरो के ऋण से, कंपनी ने जनवरी 2011 तक 28.25 मिलियन यूरो उठाया है।

आईआईएफसीएल ने भारतीय रिजर्व बैंक से 5 बिलियन अमेरिकी डालर का उधार लेने और सिर्फ भारत से बाहर पूंजी व्यय को पूरा करने के उद्देश्य से देश में अवसंरचना परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही भारतीय कंपनियों को उधार देने के उद्देश्य से लंदन में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली एक अनुषंगी कंपनी आईआईएफसी (यूके) स्थापित की है। आईआईएफसी (यूके) ने अपना परिचालन अप्रैल 2008 में शुरु किया और दिसंबर 2011 तक बंदरगाह, विद्युत क्षेत्र, गैस पाइपलाइन और सार्वजनिक त्वरित वाहन (मेट्रो रेल) क्षेत्र के 28 अवसंरचना परियोजनाओं में 3.25 विलियन अमेरिकी डालर संस्वीकृत किया है। आईआईएफसी (यूके) ने भारतीय रिजर्व बैंक से दो किस्तों में 380 मिलियन अमेरिकी डालर की उगाही की है, जिसमें से कंपनी ने 360.80 अमेरिकी डालर का संवितरण किया है। इसके अलावा, दिसंबर 2011 के अंत तक, 301 मिलियन अमेरिकी डालर का चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया है।

भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक)

भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की स्थापना भारतीय विदेशी व्यापार को वित्त पोषण सुविधा-सेवा देने, संवर्धन करने के उद्देश्य से, संसद के अधिनियम द्वारा, वर्ष 1982 में की गयी थी, जो निर्यात और आयात के वित्त पोषण में लगे संस्थानों के कार्यों के समन्वयन के लिए देश की प्रधान संस्था है। एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। एक्जिम बैंक विदेशी संस्थाओं, राष्ट्रीय सरकारों, क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं (एलओसी), और वाणिज्यिक बैंकों को ऋण व्यवस्था प्रदान करने पर विशेष जोर देता है।

वर्ष 2010-11 के दौरान एक्जिम बैंक ने भारत से परियोजनाओं, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को सहायता प्रदान करने के लिए 2.38 बिलियन अमेरिकी डालर की 22 ऋण व्यवस्थाएं कीं। इनमें से कई व्यवस्थाएं भारत सरकार की ओर से की गई। वर्ष 2009-10 के दौरान 38,843 करोड़ रु. की तुलना में वित्तीय वर्ष 20010-11 के दौरान बैंक ने 47,798 करोड़

रूपए के ऋण का अनुमोदन किया है। पिछले वर्ष के 33248 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष 34,423 करोड़ रुपए की राशि संवितरित हुई। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार ऋण आस्ति 39036 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार 45,655 करोड़ रुपए हो गई।

एक्ज़िम बैंक भारतीय कंपनियों द्वारा, उनके वैश्विक बाजारों में बढ़ी हुई पहुंच के प्रयास को विदेशों में निवेशों को सक्रिय सहायता और सुसाध्य करता है। वर्ष 2010-11 के दौरान 64 कंपनियों को 28 देशों में उनके विदेशी निवेश के अंश वित्त पोषण के लिए कुल 83.25 बिलियन रु की निधि आधारित और गैर निधि आधारित सहायता संस्वीकृत की गई। एक्जिम बैंक ने अब तक आस्ट्रिया, बंगलादेश, ब्राजील, कनाडा, चीन, क्रोशिया इजिप्ट, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इजराइल, इटली, मलेशिया, माल्टा, मारीशस, मोरक्को, नेपाल, नीदरलैंड, ओमान, रोमानिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका, सुडान, यूएई, यूके, अमेरिका और वियतनाम सहित 68 देशों में 268 से अधिक कंपनियों द्वारा शुरू किए गए 331 उद्यमों को वित्त पोषित किया है।

राष्ट्रीय आवास बैंक

राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 द्वारा, आवास वित्त संस्थानों (एचएफसी) का संवर्द्धन करने और ऐसे संस्थानों को वित्तीय और दूसरी सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक प्रधान एजेंसी के रुप में की गई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक की मुख्य गतिविधियों में, बैंकों और आवास वित्त निगमों का विनियमन और पर्यवेक्षण और प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं को पुनर्वित्त, शामिल हैं। वर्तमान में 54 आवास वित्त निगम राष्ट्रीय आवास बैंक से विनियमित हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक भारत में आवास वित्त तंत्र के विकास और संवर्द्धन के लिए पहल करने के अलावा बैंकों और आवास वित्त निगमों को पुनर्वित्त और सरकारी एजेंसियों और स्वयं सहायता समूहों को परियोजना वित्त भी प्रदान करता है। इस समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित राष्ट्रीय आवास बैंक की चुकता पूंजी 450.00 करोड़ रुपए है।

राष्ट्रीय आवास बैंक का निष्पादन

(रुपए करोड़ में)

वित्तीय वर्ष (जुलाई-जून)	2008-09	2009-10	2010-11
ऋण और अग्रिम (बकाया)	16,850.96	19,836.66	22,581.45
वितरण	10,889.03	8,159.29	12,034.79
कुल आस्तियां	24,476.35	22,471.72	25,780.76
निवल अनुपयोज्य आस्तियां	0.00	0.00	0.00
करोपरांत लाभ	235.62	280.25	278.93
सीआरएआर (%)	18.19	19.59	20.64

इस समय निम्नलिखित कार्यक्रम राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यान्वयन के अंतर्गत हैं -

कार्यक्रमों का निष्पादन

(रुपए करोड़ में)

कार्यक्रम	सरकारी सहायता	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (जुलाई से दिसम्बर तक)
1. स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास पुनर्वित योजना (जेआरएचआरएस) निगरानी एवं पुनर्वित		718.44	1,680.00	3781.92	1454.61
2. नियमित पुनर्वित योजना		4393.89	4311.94	5937.21	4962.15
		3979.81 (एसआरएफ)	100.00 (एसआरएफ)		
3. ग्रामीण आवास निधि (आरएचएफ)	4760.33	1761.48	2015.82	2003.66	1628.51
4. एमएफआई सहित परियोजना वित्त योजना (मुख्यतःईडब्ल्यूएस/ एलआईजी के लिए)		35.41	51.53	311.79	62.77

(क) एनएचबी की ग्रामीण आवास निधि (आरएचएफ), (ख) विपरीत बंधक ऋण (ग) विपरीत बंधक ऋण प्रदत्त वार्षिकी (आरएमएलइए) (घ) 10 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर 1% की ब्याज सहायता (इ) निवास बंधक समर्थित प्रतिभूतिकरण पर सूचना/स्थिति निम्नलिखित हैः

(क) ग्रामीण आवास निधि (आरएचएफ) : आरएचएफ के प्रथम वर्ष अर्थात वर्ष 2008-09 (जुलाई से जून) में एनएचबी ने आरएचएफ के अंतर्गत, इस अवधि के दौरान प्राप्त 1760.33 करोड़ रु की राशि की तुलना में, 1761.48 करोड़ रु संवितरित किए थे। वर्ष 2009-10 के दौरान 2000 करोड़ रुपए की आबंटित राशि की तुलना में एनएचबी ने 2015.82 करोड़ रु संवितरित किए। वर्ष 2010-11 के दौरान एनएचबी ने अब 2,000.00 करोड़ रु की आवंटित राशि की तुलना में 2003.66 करोड़ रूपए संवितरित किए । चालू वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान (जुलाई से दिसंबर) एनएचबी ने 3000 करोड़ रु. में से अब तक 1628.51 करोड़ रु. से वितरित किए हैं।

(ख) विपरीत बंधक ऋण (आरएमएल) : एनएचबी ने अनन्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों के स्वामित्व वाले मकानों को शामिल करने के लिए विपरीत बंधक ऋण (आरएमएल) की संकल्पना की है। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा 28 फरवरी, 2007 के केन्द्रीय बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसरण में एनएचबी ने आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) और बैंकों के साथ गहन विचार-विमर्श करने के बाद मई 2007 में विपरित बंधक ऋण के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश अधिसूचित किए। इसके अतिरिक्त, एनएचबी ने प्रतिष्ठित वैध फर्मों से परामर्श करके एचएफसी और बैंकों द्वारा विपरीत बंधक ऋण के तहत उनके उधार के संबंध में उपयुक्त रूप से अपनाए जाने हेतु ऋण दस्तोवजों के मॉडल प्रारुप तैयार करके परिचालित किए।

माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2008-09 के केन्द्रीय बजट में आयकर अधिनियम के लिए प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में दो प्रमुख घोषणाएं की थी। ये हैं (i) आयकर अधिनियम की धारा 47 के लिए नई उपधारा (xvi) जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि विपरीत बंधक रखा जाना "अंतरण नहीं माना जाएगा और (ii) आयकर अधिनियम की धारा 10 के तहत एक नई उपधारा (43) शामिल करना ताकि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के तहत आरएमएल के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक द्वारा प्राप्त भुगतानों को आय नहीं माना जाएगा, क्योंकि वे पूंजी प्राप्तियों की प्रकृति के होते हैं।

भारत सरकार ने अब दिनांक 30.09.2008 के राजपत्र अधिसूचना द्वारा विपरीत बंधक योजना को अधिसूचित कर दिया है। आयकर विभाग द्वारा आवश्यक संशोधन भी कर दिए गए हैं कि आरएमएल के तहत वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्राप्त आय को आय नहीं माना जाएगा, क्योंकि वे पूंजी प्राप्ति प्रकृति के हैं।

23 बैंकों और 2 एचएफसी ने आरएमएल योजना शुरू की है। आरएमएल के तहत करीब 1658 करोड़ रु संस्वीकृत किए गए हैं (30 सितंबर 2011 तक)।

(ग) विपरीत बंधक ऋण प्रदत्त वार्षिकी (आरएमएलईए) : आरएमएल के अंतर्गत भुगतान को उधारकर्ता के शेष जीवन काल तक देने को ध्यान में रखते हुए, एनएचबी द्वारा एक नये प्रकार का उत्पाद अर्थात विपरीत बंधक ऋण प्रदत्त वार्षिकी (आरएमएलईए) की परिकल्पना की गयी और इसे दिसम्बर 2009 में शुरू किया गया ।

आरएमएलईए भारत में पहली बार आवास वित्त बाजार और बीमा क्षेत्र के बीच प्रत्यक्ष उत्पाद एकीकरण का निष्कर्ष है। इस योजना में बीमा कंपनी के माध्यम से बैंक एचएफसी वरिष्ठ नागरिक उधारकर्ता को आश्वासित जीवनपर्यंत भुगतानों की परिकल्पना है। एनएचबी ने प्राथमिक ऋणदात्री संस्था द्वारा कार्यान्वयन के लिए आरएमएलईए के परिचालन दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। अब तक स्टार यूनियन दायइची लाइफ इंश्यारेंस कं. लि. (एसयूडी लाइफ) के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आरएमएलईए योजना कार्यान्वित की गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने इस उत्पाद में अपनी रूचि दिखाई है और एलआईसी जल्द ही कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सहयोग से यह उत्पाद लाएगा।

एनएचबी नियमित सेमिनार/कार्यशालाओं/ अंतः क्रियाओं के माध्यम से आरएमएल/आरएमएलईए पर सूचनाओं का व्यापक प्रसार कर रहा है। अप्रैल 2010 से मार्च 2011 की अवधि के दौरान एनएचबी द्वारा 15 सेमिनार आयोजित किए गए थे। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 8 सेमिनार आयोजित किए गए हैं। वे स्थान जहॉ ये सेमिनार आयोजित किए गए हैं, उनमें बहरामपुर, चंडीगढ़, चेन्नै, गाजियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, नई दिल्ली और मुंबई शामिल हैं।

एनएचबी ने कार्यक्रम के परिचालन के लिए वरिष्ठ नागरिकों के मुद्दों के निवारण में लगे प्रतिष्ठित एनजीओ के साथ भागीदारी दृष्टिकोण अपनाते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए विपरीत बंधक ऋण परामर्श केन्द्र शुरू किए हैं। वर्ष 2011 के दौरान एनएचबी ने हेल्पएज इंडिया के साथ मिलकर लखनऊ में एक परामर्श केन्द्र खोला है। इसके अतिरिक्त, एनएचबी ने पहले ही अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली (2) में प्रतिष्ठित एनजीओ के साथ आरएमएल परामर्श केन्द्र खोले हैं।

इस योजना के अंतर्गत अब तक (31 मार्च 2011 तक) 29 करोड़ रु. की राशि के 88 खाते संस्वीकृत किए जा चुके हैं।

(घ) आवास ऋणों पर 1% की ब्याज सहायता योजना : देश के मध्यम एवं निम्न आय वर्ग जनसंख्या में आवास ऋण की मांग बढ़ाने के लिए सरकार ने 10 लाख रुपये के व्यक्तिगत आवास ऋणों पर 1% ब्याज सहायता शुरु की है बशर्ते कि घर की कीमत 20 लाख रुपए से अधिक न हो। वित्त वर्ष 2011-12 के लिए इस योजना को 15 लाख रुपए तक के ऋण के लिए बढ़ा दिया गया है, जहॉ घर की कीमत 25 लाख रु. से अधिक न हो।

इस योजना के उद्देश्य पात्र उधारकर्ताओं के आवास वहनीयता में सुधार लाने के उपाय के रूप में आवास ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान करना और ऋण के लिए अतिरिक्त मांग सृजित करना है। यह योजना पूरे देश में परिचालित की जा रही है और यह 1 अक्तुबर, 2009 से 31 मार्च, 2012 तक परिचालन में है। यह योजना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एस सी बी) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) से पंजीकृत आवास वित्त पोषण कम्पनियों (एच एफ सी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। वित्त वर्ष 2011-12 के लिए इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एनएचबी को एससीबी और एचएफसी के लिए एक केन्द्रीय एजेंसी के रूप में रखा गया है।

पात्र उधारकर्ताओं को ऋणों की संस्वीकृति एवं संवितरण के उपरांत एससीबी एवं एचएफसी , एनएचबी से मासिक आधार पर सब्सिडी का दावा करेंगी। एनएचबी द्वारा आयोजित एचएफसी के मुख्य कार्यकारियों और बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियो की बैठकों के दौरान इस स्कीम की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत हुई प्रगति के बारे में एनएचबी के निदेशक मंडल को भी सूचित किया जाता है।

एससीबी और एचएफसी को इस स्कीम के बारे में जागरूकता लाने और इसके त्वरित कार्यान्वयन के लिए समुचित उपाय करने की सलाह दी गयी है ताकि इस स्कीम का लाभ अधिकतम वांछित लाभार्थियों को मिल सके।

एचएफसी के लिए नोडल एजेंसी के रूप में एनएचबी के माध्यम से एचएफसी से प्राप्त 1% की ब्याज सहायता योजना के दावों की स्थिति रिपोर्ट नीचे सारणी में दी गयी है :

क्र.सं.	विवरण	ब्याज सब्सिडी राशि
1	एचएफसी से प्राप्त कुल दावे	62.06 करोड़ रु.
2	मंत्रालय को भेजे गए कुल दावे	49.78 करोड़ रु.
3	एचएफसी को संवितरित धनराशि	49.26 करोड़ रु.

(ड.) एनएचबी सूचकांक : एनएचबी रेसिडेक्स विभिन्न शहरों और लंबे समय में भारत में आवासीय मूल्यों का एक सूचकांक प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की एक पहल है। राष्ट्रीय आवास बैंक ने वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग की ओर से वर्ष 2005-06 में एक पहल शुरु की और राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का एक सूचकांक तैयार करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एक प्रायोगिक अध्ययन किया। एनएचबी ने जुलाई 2007 में, वर्ष 2001 को आधार वर्ष बनाते हुए वर्ष 2005 तक के आंकड़ों को कवर करते हुए भारत में आवासीय सम्पत्तियों के मूल्यों का अवलोकन करने के लिए रेसिडेक्स शुरु किया। इस प्रायोगिक अध्ययन ने 5 शहरों यथा बेंगलुरु, भोपाल, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई को कवर किया। तत्पश्चात्, एनएचबी रेसिडेक्स का, 10 और शहरों नामतः अहमदाबाद, फरीदाबाद, चेन्नई, कोच्ची, हैदराबाद, जयपुर, पटना, लखनऊ, पूणे और सूरत को कवर करने के लिए विस्तार किया गया। एनएचबी रेसिडेक्स अब 15 शहरों को कवर कर रहा है और वर्ष 2007 को आधार वर्ष के रूप में तिमाही आधार पर अद्यतित और जारी किया जाता है। सितम्बर 2011 (जुलाई-सितम्बर, 2011) की तिमाही के अंत के दौरान मूल्यों में परिवर्तन के लिए अद्यतित और जारी किया गया है।

जुलाई-सितम्बर, 2011 की तिमाही के दौरान मूल्यों मे परिवर्तन

आवासीय संपत्तियों के मूल्यों के परिवर्तन पिछली तिमाही की तुलना में जुलाई-सितंबर 2011 तिमाही के दौरान नौ शहरों में कमी का रुझान दिखाते हैं। तथापि, वर्षोत्तर आधार पर, दो शहरों को छोड़कर सभी शहरों में मूल्य परिवर्तन बढ़ने की प्रवृति दर्शाता है।

वृद्धि रुझानः 6 शहरों में आवासीय घरों के मूल्यों ने जून 2011 (अप्रैल-जून 2011) को समाप्त तिमाही की तुलना सितंबर 2011 (जुलाई-सितंबर 2011) को समाप्त तिमाही के दौरान मूल्यों में वृद्धि दर्शाता है, शहर जो अधिकतम वृद्धि दर्शाता है वह है पूणे(13%), उसके बाद चेन्नई(9%), मुंबई(7%), दिल्ली(5%), जयपुर (2%) और बेगलुरु(1%) है।

घटने का रुझानः 9 शहरों में पिछली तिमाही की तुलना में मूल्य में कमी आयी है, अधिकतम कमी कोच्ची (-9%) द्वारा दिखाई गई है, उसके बाद हैदराबाद (-8%), भोपाल (-7%), सूरत (-7%), फरीदाबाद (-6%), अहमदाबाद (-4%), लखनऊ (-4%), पटना (-3%) और कोलकाता (-2%) आता है।

(च) आवास बंधक समर्थित प्रतिभूतिकरण : एनएचबी ने अब तक 14 आवास बंधक समर्थित प्रतिभूतिकरण अंतरण पूरे किए हैं जिनमें 6 आवास वित्त कम्पनियों (एचएफसी) और एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के 862.20 करोड़ रुपये के 38,809 व्यक्तिगत आवास ऋण शामिल हैं । आरएमबीएस के निर्गमों की सफलता ने ऐसे अंतरणों और ऐसे निर्गमों के लिए सहायक वातावरण के लिए विभिन्न नीतिगत मुदों के विधिक, विनियामकीय, राजकोषीय, लेखा और अन्य पूंजीगत बाजार सम्बन्धी मसलों को बेहतर ढंग से समझाने और निवारण के लिए महत्वपूर्ण रूप से एक साधन प्रदान किया है।

एनएचबी के आरएमबीएस निर्गमों की संरचना राष्ट्रीय आवास बैंक संशोधन अधिनियम 2000 की धारा [14 (ड. क.), 14(ड.ख) 14(ड.ग.) और 18] के प्रावधानों के अन्तर्गत तैयार की गयी है जो बैंक को प्रतिभूतिकृत अंतरण करने और बंधक समर्थित प्रतिभूतियों को लाभकारी हित के न्यास प्रमाणपत्र के रूप में जारी करने तथा ऐसी प्रतिभूतियों के धारकों के लिए तथा न्यासी की भूमिका निभाने के लिए प्राधिकृत करते हैं ।

अप्रैल 2010 से मार्च 2011 की अवधि के दौरान 1 आरएमबी अंतरण सहित अब तक 7 आरएमबी अंतरण और उनसे संबंधित विशेष प्रयोजन निकाय न्यास बंद कर दिए गए हैं।

व्यय विभाग

प्रस्तावना

संगठन और कार्य-कलाप

व्यय विभाग, केन्द्र सरकार में सार्वजनिक व्यय प्रबंधन प्रणाली और राज्य वित्त से संबंधित मामलों की देख-रेख के लिए नोडल विभाग है । इस विभाग के प्रमुख कार्य-कलापों में सभी प्रमुख स्कीमों/परियोजनाओं (योजना और गैर योजना व्यय दोनों) का स्वीकृति-पूर्व मूल्यांकन; राज्यों को अंतरित केन्द्रीय बजटीय संसाधनों का रख-रखाव; वित्त आयोग की संस्तुतियों को लागू करना; वित्तीय सलाहकारों के माध्यम से केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में व्यय प्रबंधन पर निगरानी रखना; वित्तीय नियमों, विनियमों के संबंध में संशोधन और दिशा-निर्देश जारी करना; तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियों/प्रेक्षणों की मॉनिटरिंग; केन्द्र सरकार के लेखों को तैयार करना; केन्द्र सरकार में कार्मिक प्रबंधन के वित्तीय पहलुओं को देखना; सार्वजनिक सेवाओं की लागत व मूल्य नियंत्रण में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की सहायता करना; तथा सार्वजनिक व्यय के इष्टतम निष्कर्षों और परिणामों की प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करके संगठन की पुनः इंजीनियरिंग करना शामिल है। यह विभाग वित्त मंत्रालय से संबंधित मामलों में समन्वय भी करता है जिसमें मंत्रालय का संसद से संबंधित कामकाज शामिल है । राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एन.आई.एफ.एम.), फरीदाबाद भी इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है ।

विभाग को आबंटित कामकाज निम्नलिखित प्रभागों/एककों के माध्यम से किया जाता हैः-

प्रशासन प्रभाग

- प्रशासन प्रभाग, विभाग के सचिवालयी कामकाज को देखता है तथा इसमें वित्त मंत्री का कार्यालय, संवर्ग प्रशासन अनुभाग, लेखा एवं बजट, सामान्य तथा कार्मिक प्रशासन, राजभाषा अनुभाग शामिल हैं।

संस्थापना प्रभाग

- संस्थापना प्रभाग, केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों की वेतन संरचना तथा सेवा-शर्तों के निर्धारण, वेतन नीति के निर्धारण, वेतनमानों के संशोधन, पदों के सृजन, वेतन निर्धारण के आधारभूत सिद्धांतों, मकान किराया भत्ता, यात्रा/दैनिक भत्ता, महंगाई भत्ता तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित अन्य विविध प्रतिपूरक भत्तों के निर्धारण जैसे मामलों के लिए जिम्मेदार है।

केंद्रीय लोक प्रापण पोर्टल

- ई-प्रकाशन के साथ-साथ ई-प्रापण मॉड्यूल (URL eprocure.gov.in) के साथ केंद्रीय लोक प्रापण पोर्टल की स्थापना की गई है । यह अनिवार्य हो गया है कि निम्नलिखित तारीखों से निविदा पूछताछ, उससे संबंधित शुद्धिपत्र तथा सौंपी गई निविदाओं के विवरण (कुछ व्यक्तिगत मामलों जहां गोपनीयता की आवश्यकता है, को छोड़कर) ई-प्रकाशन मॉड्यूल का उपयोग करते हुए इस पोर्टल पर प्रकाशित किए जाएंः

(क) 01 जनवरी, 2012 से केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा ।

(ख) 01 फरवरी, 2012 से केंद्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा।

(ग) 01 अप्रैल, 2012 से स्वायत्त/सांविधिक निकायों द्वारा ।

नीति एवं समन्वय स्कंध

- नीति एवं समन्वय स्कंध परिणाम बजट, वार्षिक रिपोर्ट, सामान्य वित्तीय नियमावली एवं वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी नियमावली के प्रशासन; रक्षा अधिग्रहण; गैर-योजना व्यय समिति; सरकारी प्रापण प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं; संस्थापना संबंधी व्यय के पुनर्विनियोजन; विदेश में प्रतिनियुक्ति संबंधी प्रस्तावों; व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों तथा व्यय प्रबंधन में किफायत बरतने संबंधी अनुदेशों को लागू कराने; लोक लेखा समिति; मासिक लेखों की समीक्षा; सूचना का अधिकार अधिनियम; पुनरीक्षण/टिप्पणी के लिए प्राप्त विधिक प्रस्तावों; रिपोर्टों/रिटर्न; विभिन्न समितियों और स्वायत्त निकायों में विभागीय प्रतिनिधित्व; वित्त मंत्रालय में संसद संबंधी समन्वय कार्य; मंत्रिमंडल/मंत्रीसमूह/सचिवों की समिति के लिए नियत उन सभी नीतिगत मामलों एवं प्रस्तावों को देखता है जो कि विभाग में किसी अन्य स्कंध/प्रभाग द्वारा नहीं देखे जाते हैं।

योजना वित्त-I एवं वित्त आयोग प्रभाग

- योजना वित्त-I प्रभाग एवं वित्त आयोग प्रभाग, योजना आयोग से निकट समन्वय बनाए रखते हुए राज्यों की वित्तीय स्थिति और योजना परिव्यय संबंधी सभी मामलों को देखता है, राज्यों में विकास कार्यों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को निधियां जारी करता है तथा वार्षिक उगाहियों का परिकलन और प्रबंधन करता है। यह राज्यों के लिए लागू वित्त आयोगों के अधिनिर्णयों का कार्यान्वयन करता है तथा राज्यों के आपदा राहत संबंधी मामलों, केन्द्र-राज्य तथा अंतर्राज्यीय वित्तीय मामलों को भी देखता है।

योजना वित्त-II प्रभाग

- योजना वित्त-II प्रभाग मुख्यतया केन्द्रीय योजना से जुड़े मामलों से संबंधित है और केन्द्रीय सरकार की परियोजनागत तथा सैक्टरल नीति दोनों ही स्तर पर विकासात्मक कार्यकलापों के समूचे परिप्रेक्ष्य के अवलोकन के प्रयोजन से वित्त मंत्रालय में एक विन्डो (खिड़की) के तौर पर कार्य करता है । इसका फोकस बेहतर परियोजना निरूपण, परिणामों व डिलीवरेबल पर विशेष बल, प्रभाव के आकलन, परियोजनाकरण (मिशन एप्रोच) एवं संकेन्द्रीकरण के द्वारा विकासात्मक व्यय की गुणवत्ता बेहतर बनाने पर रहा है । यह प्रभाग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्संरचना के लिए ब्यूरो (बीआरपीएसई) की सिफारिशों पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय पुनर्संरचना से भी संबंधित कार्य करता है। यह प्रभाग केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता देने के लिए कार्यविधि तैयार करने, बजट की तैयारी के लिए आई एंड ईबीआर उत्पादन के मात्रा निर्धारण, उत्पादन में अधिक दक्षता सुनिश्चित करने हेतु संयंत्र एवं उपकरण के आधुनिकीकरण को अंतिम रूप देने में सक्रिय रूप से शामिल है । माइक्रो स्तर पर योजना वित्त-II प्रभाग खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम सब्सिडी से संबंधित मुद्दों, जिनमें उनका मात्रा निर्धारण तथा स्टेकहोल्डरों को

सहायता देना शामिल है, को देखता है । माइक्रो स्तर पर यह प्रभाग प्रभावी लक्ष्य सुनिश्चित किए जाने हेतु संबंधित विभाग/ मंत्रालय के साथ सरकार की भावी सब्सिडी नीति तैयार करने में सक्रिय रूप से भाग लेता है।

एकीकृत वित्त एकक

- एकीकृत वित्त एकक, मांग संख्या 38 - व्यय विभाग, जिसमें सामान्य सचिवालयी सेवाएं तथा अन्य प्रशासनिक सेवाएं शामिल हैं तथा मांग संख्या- 39 - पेंशन, जिसमें सेवानिवृत्ति के विभिन्न लाभों का प्रावधान है, के तहत व्यय तथा बजट संबंधी प्रस्तावों को देखता है । दो अन्य मांगों अर्थात् मांग संख्या- 35 - राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को अंतरण तथा मांग संख्या- 40 - भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के संबंध में संबंधित प्रभाग बजटीय अनुमानों को प्रत्यक्ष रूप से डील करते हैं। तथापि, समग्र मॉनिटरिंग एकीकृत वित्त एकक द्वारा की जाती है । यह एकक विभाग के खर्च को मॉनिटर और नियंत्रित करने तथा विभाग के विभिन्न संगठनों द्वारा अनुपालन हेतु मितव्ययिता अनुदेशों को लागू कराने के लिए भी उत्तरदायी है।

विविध विभाग प्रभाग

- वित्तीय सलाहकार (वित्त) के अधीन विविध विभाग प्रभाग, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के लिए एसोसिएट फाइनेंस के रूप में कार्य करता है।

वेतन अनुसंधान एकक

- वेतन अनुसंधान एकक मुख्यतः केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के कर्मचारियों के वेतन एवं विभिन्न प्रकार के भत्तों पर होने वाले वास्तविक व्यय तथा कर्मचारियों की संख्या से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण, समेकन और विश्लेषण के लिए उत्तरदायी है।

कर्मचारी निरीक्षण एकक

- कर्मचारी निरीक्षण एकक का गठन 1964 में प्रशासनिक दक्षता के अनुरूप सरकारी संगठनों में स्टाफिंग में मितव्ययिता बरतने तथा निष्पादन मानकों और कार्य मानकों को विकसित करने के उद्देश्य से किया गया था, अब यह एकक पाँच विशिष्ट क्षेत्रों यथा- संगठनात्मक प्रणाली, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, डिलीवरी प्रणाली, ग्राहक-संतुष्टि तथा कर्मचारियों से संबंधित मामलों आदि क्षेत्रों में संगठनात्मक विश्लेषण संबंधी अध्ययन के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों और स्वायत्त निकायों की संगठनात्मक दक्षता और कुशलता को बढ़ाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है।

लागत लेखा शाखा

- लागत लेखा शाखा का गठन एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में उत्पादन की लागत का आकलन करने और रक्षा-खरीद सहित सभी किस्म की सरकारी खरीद का उचित बिक्री मूल्य निर्धारित करने और प्रशासित मूल्य तंत्र (ए.पी.एम.) के तहत अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कई उत्पादों जैसे पेट्रोलियम, इस्पात, कोयला, सीमेंट आदि का मूल्य निर्धारित करने के लिए किया गया है । यह विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी एजेंसियों को लागत, प्रबंधन तथा वित्तीय जवाबदेही में पेशेवर सहायता भी प्रदान करता ह ।

महालेखा नियंत्रक

- महालेखा नियंत्रक, केन्द्र सरकार का शीर्षस्थ लेखाकरण प्राधिकरण है, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर केंद्र तथा राज्य सरकारों के लेखांकन के विनिर्दिष्ट प्रारूपों के लिए संविधान के अनुच्छेद 150 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है।

मॉनिटरिंग सेल

- मॉनिटरिंग सेल, महालेखा नियंत्रक कार्यालय के तहत कार्य करता है । यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.एंड ए.जी.) की रिपोर्ट में निहित विभिन्न पैराओं पर की गई सुधारात्मक/ उपचारात्मक कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों को प्रस्तुत करने, और उनके समन्वय, समेकन और प्रबोधन के लिए भी जवाबदेह है । यह लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) की रिपोर्टों में शामिल पैराओं/ सिफारिशों के व्यवस्थापन को भी मॉनिटर करता है।

केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय

- केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, केन्द्रीय सरकारी सिविल पेंशनरों के लिए प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से पेंशन भुगतान स्कीम की व्यवस्था करता है । यह मुख्यतः पेंशन अनुदान के लिए बजट तैयार करने और उसके लेखांकन; विशेष सील प्राधिकार (एस.एस.ए.) जारी करने तथा बैंकों द्वारा किए गए पेंशन भुगतान की लेखापरीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है।

मुख्य लेखा नियंत्रक

- मुख्य लेखा नियंत्रक, वेतन बिलों, अन्य सभी व्यक्तिगत भुगतानों, पेंशनरी भुगतानों, विभाग द्वारा राज्य सरकारों को स्वीकृत ऋणों और अनुदानों के भुगतान के लिए जवाबदेह है तथा यह ऋणों की मूल तथा ब्याज राशि की प्राप्ति पर भी नजर रखता है । यह विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा के तौर पर भी काम करता है तथा लेखांकन संबंधी मामलों में तकनीकी सलाह भी देता है । यह मासिक लेखों और विनियोजन लेखों का समेकन कार्य भी करता है।

शासकीय लेखा एवं वित्त संस्थान

- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र कोलकाता, चेन्नई, नवी मुंबई और आइजोल में हैं जो वित्तीय प्रबंधन एवं शासकीय लेखा और वित्त की विविध विधाओं में लगे लेखा कर्मियों और सिविल मंत्रालयों/विभागों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देते हैं । इसने वर्ष 1995 से अन्य देशों के कार्मिकों के लिए भी सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किए हैं।

परिव्यय और परिणामों का विवरण 2012-13

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13 (करोड़ रुपए में)			परिमेय डिलीवरेबल्स/ वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समय-सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना	4(ii) योजना	4(iii) सीईबीआर*				
1.	**मुख्य शीर्ष 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं।** राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय योजना स्कीम	(i) राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की प्रबंधन सोसाइटी द्वारा लेखा और वित्त संबंधी मामलों को डील करने वाले अधिकारियों के लिए बिजनेस मैनेजमेंट (फाइनेंस) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के मूलभूत तत्वों को कवर करने वाला उच्च स्तरीय प्रोफेशनल कोर्स।	-	3.00	-	केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के 50 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया । इस कार्यक्रम में छह तिमाही कार्यक्रम हैं और प्रत्येक तिमाही की अवधि 12 से 14 सप्ताह है। यह क्लासरूम टीचिंग और परियोजना कार्य का संयोजन है।	वित्त प्रबंधन कौशल तथा वाणिज्यिक और शासकीय लेखांकन, सार्वजनिक वित्त, बजटिंग, वित्तीय नीति निरूपण/निर्णय लेने की क्षमता और परियोजना प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में क्षमता निर्माण। वर्ष 2011 में इस स्कीम के अंतर्गत 50 अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।	दो वर्ष	राजस्व खंड के तहत् 3.00 करोड़ रुपए जिसमें इस कार्यक्रम के शुल्क घटक को कवर किया जाएगा।
		(ii) केंद्र/राज्य/संघ राज्य सरकारों के अधिकारियों के लिए फाइनेंशियल मार्किट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ।	-	1.00	-	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से केंद्र/ राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के 20 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह कार्यक्रम एक वर्ष का है। यह क्लासरूम टीचिंग और परियोजना कार्य का संयोजन है।	वित्तीय बाजारों तथा सरकारी निजी भागीदारी के क्षेत्र में जानकारी देगा। वर्ष 2012 में 20 अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।		शुल्क घटक के लिए राजस्व खंड के अंतर्गत 1.00 करोड़ रुपए।

* *सीईबीआर - पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन अर्थात् केन्द्र सरकार से अलग इकाइयों द्वारा किसी प्रयोजन के लिए वचनबद्ध खर्चे।*

सुधार उपाय और नीतिगत पहल

व्यय विभाग ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन की प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए कई उपायों की शुरुआत की है जिससे बेहतर गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा । प्रधानमंत्री के प्रमुख क्षेत्रों में संस्थागत सुधारों यथा- विकेन्द्रीकरण, सरलीकरण, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं ई-गवर्नेंस की पाँच घोषणाएं शामिल हैं । इसकी प्रतिध्वनि बजट 2005-06 में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत तैयार की गई राजकोषीय नीति संबंधी कार्यनीति विवरण (एफ.पी.एस.एस.) में वित्त मंत्री द्वारा घोषित व्यय प्रबंधन संबंधी पहलों में देखी जा सकती है तथा कार्य योजना स्थापित करने संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांत बन गई हैं।

परिणाम बजट/निष्पादन बजट के लिए संशोधित दिशा-निर्देश

परिणाम बजट और निष्पादन बजट दस्तावेजों को एक ही दस्तावेज में समेकित करने, मॉनिटरिंग तंत्र (मैकेनिज्म) के विशिष्ट उल्लेख को निर्धारित करने तथा सार्वजनिक सूचना प्रणाली को मंत्रालय द्वारा स्थापित करने के लिए 12 दिसम्बर, 2006 के का.ज्ञा. सं. 2(1)/कार्मिक/संस्था समन्वय/ ओ.बी./2005 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, ताकि वर्ष के दौरान वास्तविक और वित्तीय प्रगति को नियमित तौर पर मॉनीटर किया जा सके तथा सामान्य जन समुदाय को भी इस बारे में सूचित किया जा सके । इस संबंध में दिशा-निर्देश मई, 2009 में जारी किए गए थे, जिनमें इस बात पर जोर दिया गया था कि जहां तक व्यवहार्य हो, विभिन्न विकास स्कीमों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ से संबंधित स्कीमों के अंतर्गत लाभ पाने वाली महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को शामिल किए जाने से संबंधित उप-लक्ष्यों का अलग-अलग उल्लेख किया जाए । नवीनतम दिशा-निर्देश दिसम्बर, 2011 में जारी किए गए है।

व्यय को युक्तिसंगत बनाना

गैर-विकास संबंधी व्यय को नियंत्रित करने और इस प्रकार प्राथमिक विकास उन्मुख स्कीमों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जारी करके वित्त मंत्रालय समय-समय पर सरकार में "मितव्ययिता उपायों" के संबंध में दिशानिर्देश जारी करता रहा है। ऐसे उपायों का उद्देश्य सरकार की प्रचालन संबंधी कुशलता को सीमित किए बगैर राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देना है। इन निर्देशों का पिछला सेट जुलाई, 2011 के का. ज्ञा. सं. 7(1)/ई कॉर्ड/2011 के तहत जारी किया गया था। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ गैर-योजना (ब्याज के भुगतान, ऋण अदायगी, रक्षा पूंजी, पेंशन और राज्यों के लिए वित्त आयोग के अनुदान को छोड़कर) भुगतान में कटौती और नए वाहनों की खरीद, विदेशी यात्राओं पर प्रतिबंध आदि शामिल है।

केंद्रीय लोक प्रापण पोर्टल

ई-प्रकाशन के साथ-साथ ई-प्रापण मॉड्यूल (URL eprocure.gov.in) वाले केंद्रीय लोक प्रापण पोर्टल की स्थापना की गई है। यह अनिवार्य हो गया है कि (01 जनवरी, 2012 से केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा, 01 फरवरी, 2012 से केंद्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा, और 01 अप्रैल, 2012 से स्वायत्त/ सांविधिक निकायों द्वारा) निविदा पूछताछ, उस पर शुद्धिपत्र तथा सौंपी गई निविदा के विवरण (कुछ व्यक्तिगत मामलों जहां गोपनीयता की आवश्यकता है, को छोड़कर) ई-प्रकाशन मॉड्यूल का उपयोग करते हुए इस पोर्टल पर प्रकाशित किए जाएं।

राज्य वित्त प्रभाग

व्यय विभाग का राज्य वित्त (योजना वित्त-I तथा वित्त आयोग) प्रभाग राज्य सरकारों के वित्त संबंधी सभी मामले देखता है जिनमें वित्त आयोगों की सिफारिश पर राज्य क्षेत्र में योजना राशि तथा गैर-योजना राशि जारी करना शामिल है । राज्य सरकारों की ऋण क्षमता का आकलन भी इस प्रभाग द्वारा किया जाता है जिसमें वार्षिक ऋण उगाही की उच्चतम सीमा का निर्धारण, भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत ऋण उगाहियों की अनुमति देना, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ निकट समन्वय बनाए रखते हुए राज्यों की अर्थोपाय स्थिति का प्रबोधन, ऋण बट्टे खाते डालना (बारहवें एवं तेरहवें वित्त आयोगों द्वारा संस्तुत) आदि शामिल हैं । यह प्रभाग वित्त मंत्रालय की मांग सं. 35 का परिचालन करता है, जिसमें दोनों योजना एवं गैर-योजना प्रयोजनों के लिए निधियां जारी की जाती हैं।

राज्य योजना स्कीमों के तहत अनुदान

योजना पक्ष से संबंधित स्कीमों के लिए धनराशि योजना आयोग/ संबंधित नोडल मंत्रालय की सिफारिश पर जारी की जाती है । ऐसी महत्वपूर्ण फ्लैगशिप स्कीमों जिनके लिए वर्ष 2011-12 में योजना शीर्ष के अंतर्गत धनराशि प्रदान की जा रही है, उनमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि स्कीम, आदि शामिल हैं । व्यय विभाग की मांग संख्या 35 में राज्य योजनाओं की केंद्रीय सहायता के लिए बजट अनुमान 2011-12 में 80741.61 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में 15.02.2012 की स्थिति के अनुसार 61138.93 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं । वित्त वर्ष 2012-13 के लिए राज्य योजना स्कीमों के लिए 99543.00 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है जो बजट अनुमान 2011-12 के 80741.61 करोड़ रुपए की तुलना में 23.29 प्रतिशत अधिक है । राज्य बजट प्रणाली को ज्यादा सक्षम बनाने, निर्धारित समय में लेखों के समाधान को बढ़ावा देने, प्रबंधन सूचना प्रणाली को सुदृढ़ करने एवं सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली में पारदर्शिता एवं दक्षता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत राज्य के राजकोष के कंप्यूटरीकरण के लिए 626 करोड़ रुपए के कुल व्यय और 482 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता वाली एक स्कीम जून, 2010 में अनुमोदित की गई । अब तक इस स्कीम के तहत 156.60 करोड़ रुपए की वचनबद्धता वाली 8 परियोजनाएं अनुमोदित की जा चुकी हैं और 24.02.2012 तक 62.64 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

गैर-योजना अनुदान

वर्ष 2011-12 तेरहवें वित्त आयोग (एफसी-XIII) 2010-15 की अधिनिर्णय अवधि का द्वितीय वर्ष है। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए विभिन्न अनुदानों जिनमें गैर-योजना अनुदान और स्थानीय निकायों, शिक्षा, आपदा राहत (क्षमता निर्माण सहित), वन, न्याय प्रणाली, यूआईडी, सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार, कर्मचारी और पेंशन डाटा बेस, जल क्षेत्र प्रबंधन, सड़कों और पुलों का रख-रखाव तथा राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं आदि के लिए 2011-12 में 49,298.62 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान शामिल (2010-11 के बजट अनुमान से 48 प्रतिशत अधिक) है। 15.02.2012 की स्थिति के अनुसार इन प्रयोजनों के लिए 33770.46 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं । इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के तहत 4525.00 करोड़ रुपए का प्रावधान है जिसमें से 15.02.2012 तक 1636.64 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2012-13 के लिए गैर-योजना अनुदानों के लिए 58357.46 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव है जो बजट अनुमान 2011-12 की तुलना में 18.38 प्रतिशत अधिक है ।

उधार

13वें वित्त आयाग की रिपार्ट के अनुरूप वर्ष 2010-15 के दौरान राज्यों की वार्षिक उधार सीमा निर्धारित करने की कार्यविधि तैयार कर ली गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित राजकोषीय सुधार विधि के अनुसार राज्यों के लिए उधार सीमाओं की गणना की जा रही है और उसे लागू किया जा रहा है । इससे 2014-15 तक ऋण कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 24.3 प्रतिशत हो जाएगा ।

ऋण समेकन एवं राज्यों को दी गई ऋण माफी

अपनी अधिनिर्णय अवधि (2005 - 2010) के दौरान बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ऋण समेकन एवं राहत सुविधा राज्यों को दी गई थी । इस सुविधा में शामिल हैं:

(i) वित्त मंत्रालय से 31.03.2004 तक अनुबंधित तथा 31.03.2005 को बकाया ऋणों का 7.5 प्रतिशत वार्षिक दर पर 20 वर्षों की नई अवधि के लिए समेकन तथा

(ii) राज्यों को उनके राजकोषीय कार्य निष्पादन के आधार पर ऋण माफी।

इस सुविधा के अंतर्गत, बारहवें वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि के दौरान वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 26 राज्यों को दिए गए 113601.00 करोड़ रुपए के ऋण समेकित किए गए । पात्र राज्यों को 20567.00 करोड़ रुपए की ऋण माफी दी गई है । बारहवें वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि के दौरान अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लागू न करने के कारण पश्चिम बंगाल और सिक्किम इस सुविधा का उपयोग नहीं कर पाए ।

तेरहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2010-15 की अपनी अधिनिर्णय अवधि के लिए बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर सिक्किम और पश्चिम बंगाल को उनके एफआरबीएम अधिनिर्णय लागू करने पर ऋण समेकन की सुविधा प्रदान की है । पश्चिम बंगाल और सिक्किम ने 2010-11 के दौरान अपने एफआरबीएम अधिनियमों को लागू किया । अतः तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर पश्चिम बंगाल और सिक्किम को वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए क्रमशः 8633.50 करोड़ रुपए तथा 113.45 करोड़ रुपए के केंद्रीय ऋणों को 20 वर्ष की नई अवधि के लिए 7.51 प्रतिशत की ब्याज दर पर समेकित किया गया है ।

ऋण समेकन एवं राहत सुविधा स्कीम (डीसीआरएफ) 31.03.2010 को समाप्त हो गई। वर्तमान में वर्ष 2009-10 (बारहवें वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि का अंतिम वर्ष) के लिए ऋण माफी हेतु राज्यों की पात्रता के आकलन पर कार्य हो रहा है जो राज्यों के वित्त लेखे 2009-10 से वास्तविक राजकोषीय कार्यनिष्पादन पर प्राप्त सूचना पर आधारित है।

राज्यों का राजकोषीय समेकन (2010-15)

तेरहवें वित्त आयोग ने प्रत्येक राज्य के लिए राजकोषीय समेकन रूपरेखा तैयार की है। जिसमें राज्यों को वर्ष 2014-15 तक राजस्व घाटा समाप्त करना होगा और अपने-अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 3 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटा प्राप्त करना होगा । तेरहवें वित्त आयोग ने संयुक्त ऋण लक्ष्य को 2008-09 के सकल घरेलू उत्पाद के 27 प्रतिशत से कम करके 2014-15 में 24.3 प्रतिशत लाने की सिफारिश की है । संयुक्त ऋण कमी लक्ष्य को प्रत्येक लक्ष्य के लिए प्रत्येक राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में बकाया ऋण के संदर्भ में व्यक्त किया जाना है ।

तेरहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि ऋण राहत उपायों और सभी राज्य विशिष्ट अनुदान जारी किए जाने के लिए प्रत्येक राज्य के राजकोषीय समेकन लक्ष्यों को शामिल करते हुए अपने वित्तीय जिम्मेदारी एवं बजट प्रबंधन अधिनियमों का अधिनियमन/संशोधन एक पूर्व अपेक्षा होगी ।

15.02.2012 की स्थिति के अनुसार 13वें वित्त आयोग द्वारा यथा-निर्धारित अपने वित्तीय जिम्मेदारी बजट प्रबंधन अधिनियमों के अधिनियमन एवं संशोधन (अध्यादेश के माध्यम से दो राज्यों सहित) करने के बारे में 27 राज्यों से सूचना प्राप्त हो चुकी है। शेष 1 राज्य के संबंध में जिसने 2006 में अपनी वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम बनाया था, राजकोषीय समेकन की रूपरेखा पहले से ही है और वह अधिनिर्णय अवधि के पहले तीन वर्षों (अर्थात् 2010-11 से 2012-13) के लिए तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है । राज्य सरकार को तेरहवें वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि के अंतिम दो वर्षों के लिए लक्ष्य शामिल करने हेतु अपनी वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन करने के लिए कहा गया है।

13वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई ऋण राहत

13वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए निम्नलिखित ऋण राहतों की सिफारिश की है जो इस शर्त के अध्यधीन है कि वे उसके द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए तय किए गए राजकोषीय सुधारों हेतु अपने एफआरबीएमए अधिनियमित करें/उनमें संशोधन करें:

(i) राज्यों द्वारा वर्ष 2006-07 तक राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) से अनुबंधित ऋणों और एफआरबीएम अधिनियम बनाए जाने/संशोधन किए जाने के पूर्व वर्ष के अंत तक बकाया ऋणों के लिए ब्याज दर को 9 प्रतिशत पर पुनर्निधारित करना । इसके अतिरिक्त ब्याज दर का वास्तविक निर्धारण उस तारीख से किया जाएगा जब से एफआरबीएम अधिनियमित किया जाएगा/संशोधन किया जाएगा। तथापि, पुनर्भुगतान अनुसूची अपरिवर्तित रहेगी। एनएसएसएफ ऋणों पर ब्याज राहत के लिए राज्यों की पात्रता का अनुमान लगाने के लिए एक समिति गठित की गई है।

(ii) वित्त मंत्रालय से भिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों/केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए राज्यों को भारत सरकार से प्राप्त ऋणों जैसा कि वर्ष 2009-10 के अंत में बकाया थे, की माफी । इस उद्देश्य के लिए 2055.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । उपरोक्त ऋण राहत के लिए राज्यों की पात्रता का अनुमान लगाने के लिए समिति की बैठक पहले ही हो चुकी है । राहत संबंधी मामलों को वर्ष 2011-12 में ही प्रोसेस कर लिए जाने की उम्मीद है।

व्यय वित्त समिति और सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा परियोजनाओं की स्वीकृति

01 जनवरी से 31 दिसम्बर, 2011 की अवधि के दौरान सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की 50 बैठकों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के 58042.42 करोड़ रुपए के 52 योजना निवेश प्रस्तावों/स्कीमों पर विचार किया। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक निवेश बोर्ड की भी 5 बैठकें हुई जिनमें 15833.57 करोड़ रुपए के मामलों पर विचार किया गया तथा निम्नलिखित विवरण के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्तुत किए गए थे :-

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग	अनुमोदन के लिए अनुशंसित परियोजनाओं की संख्या	लागत (करोड़ रु.)
1.	विद्युत	1	2978.80
2.	पोत परिवहन	2	1944.22
3.	रसायन एवं पेट्रोरसायन	1	8879.21
4.	खान	1	2031.34
	जोड़	**5**	**15833.57**

ई-भुगतान पहल

महालेखा नियंत्रक कार्यालय ने इलेक्ट्रॉनिक विधि से विभिन्न मंत्रालयों के भुगतान एवं लेखा कार्यालयों में भुगतान हेतु एक प्रणाली का विकास किया है । ई-भुगतान की यह प्रणाली कॉम्पैक्ट, बैंकों की बैंकिंग सॉल्यूशन तथा सरकारी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान गेटवे (जीईपीजी) के एक साझा प्लेटफार्म पर लगाई जाती है ।

यह ई-भुगतान प्रणाली वित्त मंत्रालय के कुछ भुगतान एवं लेखा कार्यालयों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई है । इसे 01 अप्रैल, 2012 से मंत्रालय के सभी भुगतान एवं लेखा कार्यालयों में कार्यान्वित किया जाएगा । इस पद्धति के अनुसार सभी भुगतान एवं लेखा अधिकारियों के लिए आवश्यक होगा कि वे प्रत्याशित प्राप्त बैंकों को चेक के बजाय इलेक्ट्रॉनिक एडवाइजरी जारी करें । इस उद्देश्य के लिए कॉम्पैक्ट अनुप्रयोग में अंक पृथक मॉड्यूल का विकास किया गया है जिसके माध्यम से भुगतान एवं लेखा अधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान एडवाइज बनाई जाती है ।

इस प्रणाली में कई सुरक्षा विशेषताएं अंतर्निहित हैं जिससे यह निधियों के अंतरण की एक सुरक्षित विधि है । यह सरकार में पहला सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षर आधारित प्रणालियों में से एक है । सरकारी भुगतानों में सुरक्षा और कुशलता को बढ़ाने के अलावा इससे सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त उपायों में मदद मिलेगी क्योंकि इससे सरकारी कार्यालयों और अधिकारियों से भुगतान प्राप्त करने में लाभार्थियों की निर्भरता बहुत कम हो जाएगी । भुगतान प्रक्रिया भी पहले की प्रणाली की तुलना में अपेक्षाकृत तेज हो जाएगी ।

परिणाम बजट 2010-11 के परिणाम की स्थिति

क्र. सं.	स्कीम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	2009-10 में परिव्यय (₹ करोड़ में)		परिमेय डेलिवरेबल्स/ वास्तविक उत्पादन	प्रक्रियाएं/ समयावधि	31 मार्च, 2010 के अनुसार स्थिति
1	2	3	4		5	6	7
			4(i) ब.अनु.	4(ii) सं.अनु.			
1.	**मुख्य शीर्ष 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं।** राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता के विस्तार और संस्थान के अवसंरचनात्मक विकास के लिए केन्द्रीय योजना स्कीम	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान सोसाइटी द्वारा प्रदान किए जाने वाले लेखा और वित्त मामलों को देखने वाले अधिकारियों के लिए एम.बी.ए. (वित्त) के मूलभूत तत्वों से परिपूर्ण एक उच्च स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम।	10.50 (योजना) (राजस्व 3.30) (पूंजीगत 7.20)	9.51 (योजना) (राजस्व 2.31) (पूंजीगत 7.20)	केन्द्र/संघ राज्य क्षेत्रों के 100 अधिकारियों को प्रशिक्षण । यह कार्यक्रम त्रैमासिक है और इसके प्रत्येक सत्र की अवधि 12-14 सप्ताह है । यह कक्षा शिक्षण और परियोजना कार्य का एक संयोजन है।	2 वर्ष	(i) राजस्व खंड के तहत एन.आई.एफ.एम., फरीदाबाद में 40 अभ्यर्थियों ने पाठ्यक्रम में दाखिला लिया । वास्तविक व्यय 2.31 करोड़ रुपए है । (ii) पूंजीगत खंड के अंतर्गत इस संस्थान में अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए 7.20 करोड़ रुपए पूरी तरह उपयोग में लाए गए ।

परिणाम बजट 2011-12 के परिणाम की स्थिति

क्र. सं.	स्कीम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	2011-12 में परिव्यय (₹ करोड़ में)		परिमेय डेलिवरेबल्स/ वास्तविक उत्पादन	प्रक्रियाएं/ समयावधि	31 दिसम्बर, 2011 के अनुसार स्थिति
1	2	3	4		5	6	7
			4(i) ब.अनु.	4(ii) सं.अनु.			
1.	**मुख्य शीर्ष 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं ।** राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता के विस्तार और संस्थान के अवसंरचनात्मक विकास के लिए केन्द्रीय योजना स्कीम	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान सोसाइटी द्वारा प्रदान किए जाने वाले लेखा और वित्त मामलों को देखने वाले अधिकारियों के लिए एम.बी.ए. (वित्त) के मूलभूत तत्वों से परिपूर्ण एक उच्च स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम।	5.00 (योजना) (राजस्व 3.00) (पूंजीगत 2.00)	3.48 (योजना) (राजस्व 2.45) (पूंजीगत 1.03)	केन्द्र/संघ राज्य क्षेत्रों के 50 अधिकारियों को प्रशिक्षण। यह कार्यक्रम त्रैमासिक है और इसके प्रत्येक सत्र की अवधि 12-14 सप्ताह है । यह कक्षा शिक्षण और परियोजना कार्य का एक संयोजन है।	2 वर्ष	(i) राजस्व खंड के अंतर्गत एन.आई.एफ.एम., फरीदाबाद में 39 अभ्यर्थियों ने पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। 31 दिसम्बर, 2011 तक वास्तविक व्यय 1.84 करोड़ रुपए है। (ii)पूंजीगत खंड के अंतर्गत व्यय शून्य है। धनराशि का उपयोग अगली तिमाही तक कर लिया जाएगा।

वित्तीय समीक्षा

वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए वास्तविक व्यय और साथ ही साथ बजट अनुमान/संशोधित अनुमान प्रावधानों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	मुख्य शीर्ष	2009-10 बजट अनुमान	2009-10 संशोधित अनुमान	2009-10 वास्तविक	2010-11 बजट अनुमान	2010-11 संशोधित अनुमान	2010-11 वास्तविक	2011-12 बजट अनुमान	2011-12 संशोधित अनुमान	2011-12 वास्तविक (31.12.12 तक)
1.	**सचिवालयी सामान्य सेवाएं**	**2052**	51.27	51.18	50.99	55.45	52.28	50.87	55.91	74.67	44.67
2.	**अन्य प्रशासनिक सेवाए**	**2070**	20.33	24.36	23.27	31.85	52.99	35.09	44.06	52.79	33.64
	i) सिविल लेखा संगठन (शासकीय लेखा एवं वित्त संस्थान (इनगैफ) में प्रशिक्षण केन्द्र		3.32	3.14	3.12	3.14	3.27	3.21	3.65	3.93	2.73
	ii) एन.आई.एफ.एम. सोसाइटी की प्रशिक्षण क्षमता बढ़ने के लिए स्कीम		5.00	3.20	3.20	4.70	3.71	3.71	4.40	3.85	2.89
	iii) अंशदान		0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	vi) नई पेंशन स्कीम के तहत राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमि. के सेवा प्रभार		12.0	18.00	16.94	24.00	46.00	28.16	36.00	45.00	28.01
3.	**अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं**										
	i) राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का विकास	**4070**	6.40	6.40	3.20	7.20	7.20	7.20	2.00	1.03	0.00
	(ii) महालेखा नियंत्रक के कार्यालय के लिए नया कार्यालय परिसर	**4059**	-	-	-	26.35	-	-	-	-	-
	जोड़		**78.00**	**81.94**	**77.46**	**120.85**	**112.47**	**93.16**	**101.97**	**128.49**	**78.31**

वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए ब.अनुमान/ सं.अनुमान के मुकाबले में मद शीर्षवार व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2009-10			2010-11			2011-12		
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक (दिसम्बर 2011 तक)
राजस्व खंड										
1	वेतन	40.19	39.93	39.29	36.45	37.51	36.76	40.14	45.37	33.59
2	मजदूरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	समयोपरि भत्ता	0.18	0.15	0.15	0.18	0.17	0.16	0.17	0.17	0.08
4	चिकित्सा उपचार	0.54	0.57	0.45	0.54	0.65	0.46	0.67	0.73	0.39
5	घरेलू यात्रा व्यय	0.80	0.70	0.63	0.78	0.81	0.68	0.92	1.06	0.59
6	विदेश यात्रा व्यय	0.57	0.52	0.38	0.60	0.58	0.36	0.95	0.94	0.52
7	कार्यालयी व्यय	9.31	8.67	8.49	15.94	9.45	9.44	10.19	12.41	7.58
8	किराया, दर एवं कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	प्रकाशन	0.23	0.21	0.01	0.23	0.44	0.42	0.25	0.38	0.03
10	अन्य प्रशासनिक खर्चे	12.38	18.30	17.23	24.38	46.32	28.50	36.39	45.87	28.36
11	विज्ञापन एवं प्रचार	0.00	0.02	0.00	0.05	0.01	0.01	0.01	3.73	0.55
12	लघु निर्माण कार्य	0.15	0.32	1.28	0.65	0.65	0.74	0.82	1.42	0.18
13	व्यावसायिक सेवाएं	1.03	1.63	1.58	0.84	1.57	1.57	1.65	2.58	1.60
14	सहायता अनुदान	5.00	3.20	3.20	4.70	3.71	3.71	4.40	3.85	2.89
15	अंशदान	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
16	सूचना प्रौद्योगिकी	1.21	1.30	1.56	1.95	3.39	3.14	3.40	8.94	1.94
	जोड़	**71.60**	**75.54**	**74.26**	**87.30**	**105.27**	**85.96**	**99.97**	**127.46**	**78.31**
पूंजीगत खंड										
17	मुख्य निर्माण कार्य	6.40	6.40	3.20	33.55	7.20	7.20	2.00	1.03	0.00
	सकल जोड़	**78.00**	**81.94**	**77.46**	**120.85**	**112.47**	**93.16**	**101.97**	**128.49**	**78.31**

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थानः कार्य निष्पादन की समीक्षा

उद्देश्य

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत् पंजीकृत एक स्वायत्तशासी निकाय (सोसायटी) है, जिसके अध्यक्ष वित्त मंत्री, भारत सरकार हैं। इस संस्थान की स्थापना वित्त, लेखा एवं लेखापरीक्षा, लोक अर्थशास्त्र, मानव संसाधन प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने, अनुसंधान करने और परामर्शदायी सेवाएं प्रदान करने के लिए देश में एक अग्रणी ज्ञान पार्टनर के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी। इसे सहभागी सेवाओं के समूह 'क' के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण एवं सतत व्यावसायिक शिक्षा देने का कार्य भी सौंपा गया है।

कार्य-निष्पादन

यह संस्थान जनवरी, 1994 से कार्य कर रहा है तथा निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा हैः

व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

अब तक, विभिन्न लेखा, लेखापरीक्षा और वित्त सेवाओं के परिवीक्षाधीन कार्मिकों के अठारह बैच 44 सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किए गए हैं। 02 जनवरी, 2012 में शुरू हुए 19वें बैच में 50 परिवीक्षाधीन कार्मिकों द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जाएगा।

प्रबंधन विकास कार्यक्रम

एन.आई.एफ.एम. प्रतिवर्ष विभिन्न अवधि के प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित करता है । इनमें से कुछ कार्यक्रम विभिन्न सरकारी विभागों, विदेशी सरकारों, विश्व बैंक आदि द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं । इसके अतिरिक्त, विभिन्न सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि संस्थान द्वारा आयोजित विशेषज्ञ पाठ्यक्रमों के लिए अभ्यर्थियों को प्रायोजित करते हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान, प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एम.डी.पी.) का फोकस निम्नलिखित विषयों पर हैः

(क) बजटिंग एवं लोक व्यय प्रबंधन
(ख) सरकार की लेखांकन प्रणालियां एवं वित्तीय प्रबंधन
(ग) सामान एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति
(घ) निविदा देना और अनुबंधन (कॉन्ट्रेक्टिंग)
(ड़) लोक वित्तीय प्रबंधन
(च) सामान, निर्माण कार्यों और सेवाओं की प्रक्रिया हेतु विश्व बैंक की मानक नियमावली एवं प्रक्रियाएं
(छ) साइबर क्राइम एवं फोरेन्सिक

मैनेजमेंट (वित्तीय प्रबंधन) में स्नातकोत्तर डिप्लोमाः

एन.आई.एफ.एम. वर्ष 2002 से मैनेजमेंट (वित्तीय प्रबंधन) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा का संचालन कर रहा है । पी.जी.डी.एम.(एफ.एम.) का मौजूदा बैच मई, 2011 से शुरू हो गया है, जिसमें विभिन्न केन्द्र/राज्य और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से 39 अभ्यर्थियों ने दाखिला लिया है । पी.जी.डी.एम. (एफ.एम.) का नया बैच मई, 2012 से शुरू होगा, जिसमें 50 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

सरकारी लेखांकन एवं आंतरिक लेखापरीक्षा में डिप्लोमाः

लेखांकन एवं आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम में एक वर्षीय डिप्लोमा केंद्र सरकार की संगठित लेखा सेवाओं के अधिकारियों की तकनीकी दक्षता को उन्नत करने के लिए है। यह पाठ्यक्रम नए भर्ती अधिकारियों को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में अधिक जिम्मेदारियां उठाने में समर्थ बनाने के लिए बनाया गया है। लेखांकन और आंतरिक लेखापरीक्षा में डिप्लोमा (डीजीए एंड आईए) का मौजूदा बैच मई, 2011 से शुरु हुआ जिसमें 36 प्रतिभागियों ने प्रवेश लिया। डीजीए एंड आईए का नया बैच मई/जून, 2012 से आरंभ होगा जिसमें 35 प्रतिभागियों को प्रवेश देने का लक्ष्य है।

प्रबंधन में फैलो कार्यक्रमः

यह कार्यक्रम सक्षम अनुसंधानकर्ताओं, शिक्षकों तथा परामर्शकों को तैयार करने हेतु एक खुला कार्यक्रम है, ताकि अनुसंधान कार्य जारी रखा जा सके। इस कार्यक्रम का ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदन किया गया है। 5 प्रतिभागियों के साथ इस कार्यक्रम का तीसरा बैच मई, 2011 को शुरू हुआ।

पूंजी बाजार में बी.एस.ई. के साथ कार्यकारी कार्यक्रम

एन.आई.एफ.एम. ने बी.एस.ई. के सहयोग से एक वर्षीय सप्ताहांत कार्यकारी कार्यक्रम शुरू किया है, जो सभी वित्तीय बाजारों जैसे कि नकद इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, कोमोडिटीज़ तथा विदेशी एक्सचेंजों को कवर करते हुए स्टॉक एक्सचेंजों, कमोडिटी एक्सचेंजों, विनियामक निकायों, बाजार मध्यस्थों, बैंकों, म्युच्युअल फंडों तथा परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों और इसी तरह के संगठनों में जिम्मेदार पदों पर कार्य करने हेतु प्रशिक्षित व्यावसायिकों को विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित करता है । 12 भागीदारों के साथ इस कार्यक्रम का तीसरा बैच मार्च, 2011 से शुरू हुआ था । इस कार्यक्रम का नया बैच मार्च, 2012 में शुरू होगा ।

परामर्शी परियोजनाएं:

वर्ष 2011-12 को दौरान, एनआईएफएम को परामर्शी परियोजना सौंपी गई। वर्ष के दौरान सौंपी गई/चल रही परामर्शी परियोजनाएं निम्न प्रकार थींः-

(i) भारत के अंदर और बाहर बेहिसाबी आय/संपत्ति का अध्ययन ।
(ii) केंद्रीय स्वायत्त निकायों का अध्ययन।

वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय का लेखा निम्न प्रकार हैः

(राशि रुपए में)

आय	**31.03.2011**	**31.03.2010**
सेवाओं से आय	9,28,16,567	8,78,96,779
अनुदान	1,40,00,000	1,40.00.000
अर्जित ब्याज	61,62,604	89,91,311
अन्य आय	14,89,501	17,34,486
कुल (क)	**11,44,68,672**	**11,26,22,576**
व्यय		
संस्थापना संबंधी खर्चे	3,46.17,311	3,41,81,881
अन्य प्रशासनिक खर्चे	5,99,08,731	6,08,68,382
मूल्य ह्रास	94,37,855	93,06,251
कुल (ख)	**10,39,63,897**	**10,43,56,514**
व्यय की तुलना में आय का अधिशेष/आय में हुई कमी की शेष राशि (क – ख)	1,05,04,775	82,66,062
घटाः अवधि-पूर्व समायोजन (निवल)	**(2,10,412)**	**(7,54,824)**
जोड़ः सरकारी अनुदान से प्राप्त की गई संपत्तियों पर मूल्य ह्रास (वर्ष के लिए) दिखलाने वाली पूंजीगत निधि से अंतरित राशि	**31,41,177**	**31,56,219**
तुलन-पत्र में आगे ले जाई गई अधिशेष/घाटे की शेष राशि	**1,34,35,540**	**1,06,67,457**

राजस्व विभाग

प्रस्तावना

1. राजस्व विभाग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित सभी मामलों का दो सांविधिक बोर्डों, नामतः केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के माध्यम से नियंत्रण करता है । प्रत्येक बोर्ड के प्रमुख अध्यक्ष होते हैं जो भारत सरकार के पदेन विशेष सचिव भी होते हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा सभी प्रत्यक्ष करों के लगाने और संग्रहण का कार्य किया जाता है, जबकि सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर लगाने व संग्रहण का कार्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के कार्य क्षेत्र में आता है । ये दोनों बोर्ड, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित किए गए थे । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में 6 सदस्य और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में 6 सदस्य हैं । ये सदस्य भारत सरकार के पदेन विशेष सचिव भी होते हैं ।

2. राजस्व विभाग मुख्यतया निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार है :-

- प्रत्यक्ष कर लगाने और संग्रहण से जुड़े सभी मामले ।
- अप्रत्यक्ष कर लगाने और संग्रहण से जुड़े सभी मामले ।
- आर्थिक अपराधों की जॉच और आर्थिक कानून का प्रवर्तन ।
- अफीम की खेती, निर्यात और मूल्य-निर्धारण के लिए नीति तैयार करना ।
- स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी द्रव्यों के दुरुपयोग तथा उनके अवैध व्यापार का मुकाबला करना एवं रोकथाम करना ।
- फेमा का प्रवर्तन एवं कोफेपोसा के तहत नज़र बन्दी हेतु सिफारिश।
- तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (संपत्ति समपहृत) अधिनियम, 1976 और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत सम्पत्ति को जब्त करने से संबंधित कार्य ।
- अन्तर राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री पर कर लगाना।
- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत स्टाम्प शुल्क के भुगतान के संबंध में समेकन/कमी/छूट से संबंधित मामले ।
- स्वर्ण नियंत्रण से जुड़ा शेष कार्य ।

3. राजस्व विभाग निम्नलिखित अधिनियमों को प्रशासित करता है :-

- आयकर अधिनियम, 1961;
- धनकर अधिनियम, 1958;
- व्यय कर अधिनियम, 1987;*
- बेनामी कारोबार(प्रतिषेध) अधिनियम, 1988;
- अधिलाभ कर अधिनियम , 1963;*
- कम्पनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964;*
- अनिवार्य जमा (आयकर दाता) योजना अधिनियम, 1974;*
- वित्त (सं0 2) अधिनियम, 2004 का अध्याय VII (प्रतिभूति, कारोबार कर लगाने से संबंधित)
- वित्त अधिनियम, 2005 का अध्याय VII (बैंकिंग, रोकड़ कारोबार कर से संबंधित)
- वित्त अधिनियम, 1994 का अध्याय V (सेवा कर से संबंधित)
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और संबंधित मामले
- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और संबंधित मामले
- औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955;
- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;
- स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985;
- स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ का अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988; (सफेम)
- तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976;
- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जहां तक यह संघ के अधिकार क्षेत्र में आता हो)
- विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974;
- विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999; और
- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002;

* इन अधिनियमों का प्रशासन केवल उस अवधि के दौरान हुए मामलों के लिए सीमित है, जब ये लागू थे ।

4. यह विभाग उपर्युक्त अधिनियमों से संबंधित मामलों पर प्रभागों एवं सम्बद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता है जिनके कार्य निम्न प्रकार हैं :-

- **केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड :**

  प्रत्यक्ष कर लगाने और वसूल करने से संबंधित सभी मामले

- **केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड**

  अप्रत्यक्ष कर लगाने और वसूल करने से संबंधित सभी मामले

- **राज्य कर स्कन्ध :**

  बिक्री कर कानून (वैधीकरण) अधिनियम, 1956, केन्द्रीय बिक्री कर, राज्य स्तरीय मूल्यवर्धित कर (वैट), भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1989 आदि का प्रशासन ।

- **स्वापक नियंत्रण प्रभाग:**

  अफीम पोस्त की खेती, अफीम के उत्पादन और निर्यात के लिए लाइसेंस नीति तैयार करना तथा अफीम एवं क्षारोद का मूल्य निर्धारण । प्रबंध समिति के कार्य का समन्वय करना और संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संबंधित मुद्दे ।

- **प्रबंध समिति :**

  विभागीय उपक्रमों, नामतः सरकारी अफीम और क्षारोद कार्य नीमच (म0प्र0) और गाजीपुर (उत्तर प्रदेश)का प्रशासन करता है जो निर्यात प्रयोजनों के लिए कच्ची अफीम का संसाधन और अफीम से क्षारोद निष्कर्षण का भी कार्य करते हैं, जिनका भेषज उद्योग द्वारा प्रयोग किया जाता है ।

- **प्रशासन प्रभाग:**राजस्व विभाग के सभी प्रशासनिक मामले । भारतीय राजस्व सेवा (समूह-क), भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और के0उ0शु0) (समूह-क) विभाग के स्टाफ और अधिकारियों के गोपनीय रिपोर्ट डोजियरों का रख-रखाव । समन्वय कार्य और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं अनुवाद संबंधी कार्य ।

- **पुनरीक्षा आवेदन एकक:**सीमा शुल्क आयुकत (अपील) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुकत (अपील) के आदेशों के विरुद्ध दाखिल पुनरीक्षा याचिकाओ और के0उ0शु0 एवं सी0शु0 बोर्ड के समक्ष 11.10.1982 से पहले दाखिल मामलों से संबंधित कार्य ।

- **एकीकृत वित्त एकक :**

  राजस्व विभाग और सी0बी0डी0टी0 एवं सी0बी0ई0सी0 के तहत इसके संघटक एककों और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित सभी वित्तीय मामलों में सलाह देना । व्यय और वित्तीय प्रस्तावों का कार्य करती है । राजस्व विभाग, प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित अनुदानों के लिए व्यय बजट तैयार करती है ।

- **सक्षम प्राधिकारी:**तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 के तहत सम्पत्ति के समपहरण और स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अध्याय-5 क से संबंधित कार्य ।

- **सम्पहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण:**सफेम (एफ ओ पी) अधिनियम, 1976 और एन0डी0पी0एस0 अधिनियम, 1985 के अध्याय 5 क के तहत सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पारित सम्पत्तियों के समपहरण के आदेशों के विरुद्ध व्यक्तियों द्वारा दाखिल अपीलों का न्याय-निर्णयन । धन शोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए) की धारा 25 के अंतर्गत उक्त अधिनियम के अंतर्गत न्यायनिर्णयन प्राधिकारी और प्राधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपीलें सुनने के लिए एक अन्य अपील अधिकरण को अधिसूचित किया गया ।

- **सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर अपील अधिकरण:**कार्यकारी आयुक्तों और आयुक्त (अपील) के आादेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई ।

- **सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति:**आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सामाजिक और आर्थिक कल्याण की परियोजनाओं की सिफारिश करना ।

- **अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण :** आवेदक द्वारा किए गए है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है, ऐसे लेन-देन के संबंध में अनिवासियों द्वारा दाखिल आवेदन में विनिर्दिष्ट कानून अथवा तथ्य के प्रश्न पर अग्रिम विनिर्णय देना ।

- **सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग :**सीमा शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत निर्धारितियों द्वारा दाखिल आवेदनों का निपटान ।

- **समझौता आयोग (आयकर/धन कर):**आयकर अधिनियम, 1961 और धन कर अधिनियम 1957 के तहत निर्धारितियों द्वारा दाखिल आवेदनों का निपटान ।

- **केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो:**आसूचना एकत्रित करने की गतिविधियों, जांच-पड़ताल के प्रयासों और आर्थिक अपराधों की जांच से संबंधित विभिन्न एजेंसियां द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई और आर्थिक कानूनों के प्रवर्तन का समन्वय करना और उसे सुदृढ़ बनाना ।

- **प्रवर्तन निदेशालय:**विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार है। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण गतिविधि अधिनियम, 1974 के तहत नजरबंदी के लिए

मामलों की सिफारिश करना । विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनयम, 1999 के तहत प्रवर्तन निदेशालय को मुख्यतः जांच और न्याय-निर्णयन एजेंसी के रूप में कार्य सौंपा गया है, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के संगत उपबंधों के तहत निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय को शक्तियां भी दी गई हैं ।

- **वित्तीय आसूचना एकक:**धन शोधन और संबंधित अपराधों का मुकाबला करने के लिए प्रभावी राष्ट्रीय क्षेत्रीय और वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय आसूचना के एकत्रण और आदान-प्रदान को समन्वित और सुदृढ़ करना । निदेशक, भारत वित्त आसूचना एकक को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के संगत उपबंधों के तहत शक्तियां दी गई हैं ।

- **धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण**

  धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अथवा द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार शक्तियों व प्राधिकार का प्रयोग करना । प्राधिकरण को यह अधिकार है कि वह असंतुष्ट पक्षों को सुनने के बाद संपत्ति की अनंतिम कुर्की की पुष्टि करें ताकि यह सुनिश्चित करें नियत अपराध अथवा धन शोधन अपराध के लिए चल रहे मुक़दमे के लंबित रहने के दौरान संपत्ति को बेचा न जाए ।

- **आयकर लोकपाल** : करदाताओं की शिकायतों की जांच करने के लिए सात शहरों में आयकर लोकपालों को तैनात किया गया है ।

- **अप्रत्यक्ष कर लोकपाल** : सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर विभाग के विरूद्ध लोक शिकायत से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए सात शहरों में अप्रत्यक्ष कर लोकपाल की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है ।

5. प्रत्यक्ष कर :

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड शीर्ष संस्था है जिसे भारत में प्रत्यक्ष कर कानूनों अर्थात आयकर, धनकर, बैंककारी नकद संव्यवहार कर, प्रतिभूति संव्यवहार कर, आदि के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा छः सदस्य हैं तथा यह आयकर विभाग का संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण है । दिल्ली में निम्नलिखित सम्बद्ध कार्यालय केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को उनके काम काज में सहायता करते हैं :

(i) आयकर महा निदेशालय (प्रशासन)

(क) आयकर निदेशालय (जनसम्पर्क, मुद्रण, प्रकाशन एवं राजभाषा)

(ख) आयकर निदेशालय (वसूली)

(ग) आयकर निदेशालय (आयकर एवं लेखा परीक्षा)

(ii) आयकर महानिदेशालय (प्रणाली)

(iii) आयकर महानिदेशालय (विधिक एवं अनुसंधान)

(iv) आयकर निदेशालय (संगठन एवं प्रबंधन सेवाएं)

(v) आयकर निदेशालय (अवसंरचना)

(vi) आयकर निदेशालय (कारोबार प्रक्रिया पुननिर्माण)

(vii) आयकर निदेशालय (व्यय बजट)

(viii) आयकर निदेशालय (मानव संसाधन विकास)

(ix) आयकर महानिदेशालय (छूट)

(x) आयकर महानिदेशालय (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं अन्तरण मूल्य)

(xi) आयकर महानिदेशालय (अन्वेषण एवं आपराधिक जांच)

पूरे देश में तैनात विभिन्न मुख्य आयकर आयुक्त प्रत्यक्ष कर संग्रहण का पर्यवेक्षण करते हैं तथा करदाता सेवाएं प्रदान करते हैं । आयकर महानिदेशक (जांच) कर अपवंचन को रोकने और बेहिसाबी धन का पता लगाने के लिए जांच तंत्र का पर्यवेक्षण करते हैं । मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक की सहायता आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक अपने-अपने क्षेत्राधिकार में करते हें । यहां प्रथम अपीलीय तंत्र भी है जिसमें आयकर आुयक्त (अपील) होते हैं जो कर निर्धारण अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों के निपटान का कार्य करते हैं । प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड स्थानीय वेतन एवं लेखा अधिकारियों की सहायता से विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण तथा किए गए व्यय के लेखांकन के लिए जिम्मेदार हैं ।

6. अप्रत्यक्ष कर

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में शीर्ष निकाय है। यह बोर्ड अपने क्षेत्रीय कार्यालयों जिनमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के लिए 23 मुख्य आयुक्त के ज़ोन है, सीमा शुल्क के लिए 11 मुख्य आयुक्त ज़ोन हैं, 12 महानिदेशालय एवं 6 निदेशालय एवं सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीली अधिकरण के लिए एक मुख्य विभागीय प्रतिनिधि व्यवस्था शामिल है, के माध्यम से अपने विभिन्न कार्यों को संपन्न करता है । मुख्य आयुक्तों की सहायता आयुक्त करते हैं तथा महानिदेशक की सहायता अपर महानिदेशक और निदेशक आदि करते हैं । स्थानीय वेतन एवं लेखा अधिकारियें की सहायता से प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण तथा किए गए व्यय के लेखांकन के लिए जिम्मेदार है ।

7. राजस्व विभाग में तीन अनुदान मांगे हैं:

मांग सं0 41 – राजस्व विभाग

मांग सं0 42- प्रत्यक्ष कर और

मांग सं0 43- अप्रत्यक्ष कर

परिव्यय एवं परिणाम का विवरण - 2012-13

क्रम सं0	स्कीम /कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय 2012-13 (करोड़ रूपये में) गैर योजना	योजना	प्रमात्रात्मक प्रदाय / वास्तविक उपादान	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समयसीमा	टिप्पणी / जोखिम अवयव
			4		5	6	7	8
1	2	3	4(i)	4(ii)				
1.	**मुख्य शीर्ष -2052 वैट योजना का कार्यान्वयन बजट प्रावधान** (पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में वैट से संबंधित कम्प्यूटरीकरण एवं अन्य वैट संबंधी व्ययों के लिए प्रावधान है ।	पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में आधुनिक वैट प्रशासन प्रणाली की स्थापना तथा अन्य राज्यों में तत्समान कार्रवाई करने को सुसाध्य बनाना ।	0.19	...	अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एवं सिक्किम पूर्वोत्तर राज्यों में वैट प्रशासन का कम्प्यूटरीकरण। इस परियोजना के अंतर्गत मेघालय राज्य ने भी इस परियोजना के तहत कुछ सहायता हेतु अनुरोध किया था।	वैट का प्रभावी कार्यान्वयन एवं प्रशासन	परियोजना 31 मार्च, 2011 को समाप्त हो गयी है । इस योजना के तहत राज्यों को अब एम एम पी- सी टी परियोजना के द्वारा निधि दी जा रही है।	
2.	**मुख्य शीर्ष -2052 कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली की स्थापना** (अधिकार प्राप्त समिति को कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली परियोजना के कार्यान्वयन, जम्मू एवं कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में वैट कम्प्यूटरीकरण के लिए अधिकार प्राप्त समिति के प्रशासनिक खर्चों के लिए सहायता अनुदान के लिए बजट प्रावधान है ।)	कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली के माध्यम से अन्तरराज्ययीय संव्यवहारों का प्रभावी रूप से पता रखना एवं अधिकार प्राप्त समिति का व्यवस्थित रूप से कार्य करना और हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर में वैट कम्प्यूटरीकरण।	10.51	...	कर सूचना आदान प्रदान प्रणाली, परियोजना का कार्यान्वयन। अधिकार प्राप्त समिति का व्यवस्थित रूप से कार्य करना। जम्मू एवं कमीर तथा हिमाचल प्रदेा में वैट कम्प्यूटरीकरण	अन्तरराज्यीय संव्यवहारों का प्रभावी रूप से पता करना जो राजस्व रिसाव को रोकने के लिए समर्थ होगा। जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आधुनिक वैट प्रशासन।	कर सूचना आदान प्रदान परियोजना का कार्यान्वयन अधिकार प्राप्त समिति द्वारा सुविधा प्रदाता के माध्यम से बूट माडल पर किया जा रहा है। इस परियोजना को मार्च, 2013 तक बढ़ाया गया है। जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में वैट कम्प्यूटरीकरण परियोजना को अनुमोदित किया गया है और दिसम्बर 2012 तक पूरा हो जाने की संभावना है ।	
3.	**मुख्य शीर्ष - 3601/3602 राज्यों / संघशासित प्रदेशें को वैट के कार्यान्वयन एवं अन्य वैट संबंधी खर्चों के कारण हुई राजस्व हानि के लिए** (राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को (i) वैट प्रतिपूर्ति के लिए और (ii) अन्य वैट संबंधी व्यय और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कराधन अध्ययन के लिए दो	राज्य वैट का व्यवस्थित एवं प्रभावी कार्यान्वयन।	(i) 81.00	...	सभी राज्यों / संघ ाासित राज्यों द्वारा वैट कार्यान्वयन	राज्य वैट का व्यवस्थित एवं प्रभावी कार्यान्वयन।	सहमत फार्मूले के आधार पर वैट प्रतिपूर्ति वर्ष 2005-06 (राजस्व हानि 100 प्रतिशत), वर्ष 2006-07 में (राजस्व हानि का 75 प्रतिशत) और वर्ष 2007-08 (राजस्व हानि का 50 प्रतिशत) उपलब्ध कराया जाना था । सभी दावे पहले ही निपटा दिये गए हैं।	

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)				
	संस्थानों की स्थापना/उन्नयन के के लिए सहायता अनुदान देने के लिए बजट प्रावधान किया गया है)		(ii)119.00	...	राज्य कर प्रशासन का आधुनिकीकरण राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों के कराधान अध्ययन के लिये दो संस्थानों की स्थापना /उन्नयन		राज्य वैट प्रशासन की दक्षता और सेवा प्रदान करने में सुधार, सुसाध्य बनाने के लिए वाणिज्य कर प्रशासन के कम्प्यूटरीकरण के लिए मिशन मोड परियोजना के तहत राज्य में परियोजनाएं पहले ही स्वीकृत की गई है इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को आगे और अनुदान दिया जाएगा । राष्ट्रीय लोक वित्त संस्थान में सी टी एस उन्नयन हेतु प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है और राज्य सरकार को निधियां जारी की गई है । कोलकाता में सामाजिक विज्ञान अध्ययन केन्द्र में लोक वित्त में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान हेतु एक राष्ट्रीय बंदोबस्ती केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया है और निधियां जारी की गई हैं ।	
4.	**मुख्य शीर्ष 3601/3602- राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय बिक्री कर (के0बि0क0) समाप्त करने के कारण होने वाली राजस्व हानि हेतु क्षतिपूर्ति** (राज्यों/संघशासितक्षेत्रों को केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए बजट प्रावधान किया गया है)	माल एवं सेवा कर(जी एस टी) के प्रारंभ को सुसाध्य बनाने हेतु केन्द्रीय बिक्री कर (सी एस टी) के लिये राज्यों/ संघ शासित राज्यों को सहायता अनुदान ।	300.00	...	सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन । केन्द्रीय बिक्री कर समाप्त करना।	केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के लिए व्यवस्थित और प्रभावी कार्यान्वयन।	केन्द्रीय बिक्री कर को 1-4-2007 से तीन वर्षों में समाप्त करने की योजना थी । केन्द्रीय बिक्री कर की दर वर्ष 2007-08 में 4 प्रतिशत से कम करके 3 प्रतिशत और वर्ष 2008-09 में 2 प्रतिशत की गई । सहमत फार्मूले के अनुसार, केन्द्रीय बिक्री कर की क्षतिपूर्ति राज्यों को 2009-10 तक प्रदान की जानी थी तथा 1-4-2010 से जी एस टी को लागू किया जाना था । चूंकि जी एस टी अभी तक लागू नहीं किया गया , इस लिए राज्यों को वर्ष 2010-11 की भी क्षतिपूर्ति देने का निर्णय लिया गया है ।	

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)				
5.	**मुख्य शीर्ष 2875 सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरी**	गाजीपुर और नीमच में सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरियां दो विभागीय उपक्रम हैं जो राजस्व विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं। इनमें से प्रत्येक उपक्रम की दो अलग इकाइयां, अर्थात अफीम फैक्टरी एवं क्षारोद संयंत्रा हैं। अफीम फैक्टरियां अफीम की मांग को पूरा करने के कार्य में लगी हैं और खेती से प्राप्त कच्ची अफीम के प्रमुख भाग का निर्यात किया जाता है।	380.19	...	1100 मीट्रिक टन कच्चे अफीम की अधिप्राप्ति 50 मीट्रिक टन कोडीन फास्फेट(आयातित) की अधिप्राप्ति अफीम का निर्यात (495 मी0टन) तथा क्षारोद की बिक्री (80.25 मी0 टन) इसके परिणामस्वरूप 366.73 करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्ति होगी ।	366.73 करोड़ रूपये के राजस्व की वसूली	राजस्व वसूली की तुलना में व्यय की प्रगति की मासिक/तिमाही रूप से समीक्षा की जाएगी ।	राजस्व वसूली एवं व्यय अनेक कारणों जौसाकि अन्तर-राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अफीम की मांग, विदेशी मुद्रा की दर में उतार चढाव, क्षारोद का उत्पादन, अफीम की खरीद के लिए मात्रा आदि पर निर्भर करता है।

सुधारात्मक उपाय एवं नीतिगत पहल

मूल्यवर्धित कर (वैट) योजना का कार्यान्वयन

1. राज्य स्तर पर राज्य वैट को लागू करना अत्यधिक उल्लेखनीय कर सुधार उपाय है । 18-6-2004 को हुई राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में राज्य वैट को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया था, जहां 1-4-2005 से वैट को लागू करने के लिए राज्यों के बीच व्यापक सहमति हुई थी । तदनुसार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को छोड़कर, जहां राज्य कर/ वैट नहीं है, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वैट को लागू कर दिया गया है ।

2. यद्यपि बिक्री कर / वैट राज्य का विषय है, केन्द्र सरकार वैट के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए सुसाध्यकर्ता की भूमिका निभा रही है । केन्द्र सरकार राज्य स्तर के वैट को लागू करने के राज्यों के प्रयास में भी उन्हें सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध करा रही है । इस संबंध में उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं:

क) वैट को लागू करने के कारण किसी भी राजस्व हानि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति की अदायगी के लिए एक पैकेज लागू किया गया है।

ख) पूर्वोत्तर /विशेष श्रेणी के राज्यों को वैट कम्प्यूटरीकरण करने के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है ।

ग) वैट के लिए प्रचार एवं जानकारी अभियान चलाने के लिए अधिकार प्राप्त समिति के साथ-साथ राज्यों को वित्तीय सहयोग दिया गया ।

घ) अंतर-राज्यीय संव्यवहारों पर नजर रखने के लिए कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली (टी आई एन एक्स एस वाई एस) परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति को 50 प्रतिशत की निधि प्रदान की जा रही है ।

वैट लागू करने के कारण राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को होने वाली राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिए 31 दिसम्बर, 2011 तक 19002.82 करोड़ रूपए की राशि जारी की गयी ।

राज्य स्तर पर वैट लागू करने में केन्द्रीय सरकार की सुसाध्यकर्ता की भूमिका के संदर्भ में विभिन्न वैट संबंधी योजना के लिए भी 2012-13 के लिए बजट प्रावधान करने का प्रस्ताव रखा गया है ।

केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करना

यह राज्य वैट कार्यान्वयन का प्राकृतिक उप परिणाम है । केन्द्रीय बिक्री कर गैर छूट प्राप्त, स्रोत आधारित कर होने के कारण वैट के अनुरूप नहीं है तथा इसे चरणबद्ध रूप से समाप्त किए जाने की आवश्यकता है । केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करना एक एकीकृत राष्ट्र स्तरीय माल एवं सेवा कर (जी एस टी) को लागू करने की योजना के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के स्तर पर राज्य सरकारों से चर्चा के दौरान राज्यों ने इस बात पर जोर दिया कि केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण होने वाली राजस्व हानि के लिए क्षतिपूर्ति की जाए । केन्द्रीय बिक्री कर को 3 वर्षों अर्थात प्रत्येक वर्ष एक प्रतिशत घटाकर समाप्त करने के लिए अब राज्यों के साथ एक व्यापक सहमति हो गयी है ताकि 31-3-2010 तक इसे समाप्त किया जा सके । इसी क्रम में केन्द्रीय बिक्री कर की दर को 1.4.2007 से 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया तथा 1-6-2008 से 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है ।

केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण राजस्व हानि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति पैकेज देने पर भी सहमति हो गई है । इस पैकेज के तहत राज्यों को मौद्रिक एवं गैर मौद्रिक उपायों के संयोजन से क्षतिपूर्ति की जा रही है । केन्द्रीय बिक्री कर क्षतिपूर्ति के रूप में 31 दिसम्बर, 2011 तक राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 30860.42 करोड़ रूपये जारी किये गये हैं । वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए 300 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है ।

वाणिज्यिक करों की मिशन मोड परियोजना

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना (एन ई जी पी)के अंतर्गत राजस्व विभाग वाणिज्यिक करों पर एक मिशन मोड परियोजना (एम एम पी) का समन्वय कर रहा है जो कि राज्य करों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ई- प्रशासन पहल है । केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी, 2010 में एन ई जी पी के तहत राज्य सरकारों के वाणिज्यिक कर प्रशासनों के कम्प्यूटरीकरण हेतु मिशन मोड परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है । 1133 करोड़ रूपये की कुल लागत वाली इस परियोजना से राज्यों को उनके वाणिज्यिक कर प्रशासनों में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के विकास तथा उन्नयन में सहायता मिलेगी । इस परियोजना का एक उद्देश्य डीलरों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा दूसरी ओर राज्य सरकारों के वाणिज्यिक कर प्रशासनों की दक्षता में सुधार लाना है । इस परियोजना के तहत, केन्द्र और राज्य सरकारों को लगभग 70:30 के अनुपात में निधि की भागीदारी करनी होगी। हालांकि, पूर्वोत्तर राज्यों की विशेष वर्ग स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह अनुपात 90:10 (केन्द्रीय भाग:राज्य सरकार का भाग) पर निर्धारित किया गया है जबकि केन्द्र शासित प्रदेशों (बिना किसी विधायिका के) को केन्द्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत निधि जारी की जाएगी।

राज्यों के वाणिज्यिक कर विभागों के कम्प्यूटरीकरण के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करने के लिए राजस्व सचिव की अध्यक्षता में एक परियोजना अधिकार प्राप्त समिति(पी ई सी) का गठन किया गया । पी ई सी ने सभी 33 राज्यों /केन्द्र शासित प्रदेशों के परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है, जिनकी कुल लागत 993.63 करोड़ रूपए है । इन राज्यों को केन्द्रीय भाग के रूप में 422.98 करोड़ रूपए की राशि को 31 दिसम्बर,2011 तक जारी कर दिया गया है ।

अन्तर्राज्यीय संव्यवहार को सुसाध्य बनाने के लिए एक कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली (टी आई एन एक्स एस वाई एस) बनाई गई है ताकि राज्यों को फार्म सी के निर्गम तथा अन्य अन्तर्राज्यीय बिक्री से संबंधित सूचना मिल सके । इस परियोजना में केन्द्र सरकार परियोजना लागत की 50 प्रतिशत राशि लगा रही है जबकि राज्य शेष हिस्से को समूहिक रूप से वहन करेंगे ।

माल एवं सेवा कर (जी एस टी)

एक राष्ट्रीय स्तर के माल एवं सेवा कर (जी एस टी) को 1 अप्रैल, 2010 से लागू करने के प्रस्ताव को तत्कालीन वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2006-07 के अपने बजट भाषण में पहली बार प्रस्तुत किया था । चूंकि इस प्रस्ताव में केवल केन्द्र द्वारा लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर ही नहीं बल्कि राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले कर के सुधार/पुनर्संरचना भी शामिल हैं, जी एस टी को लागू करने के लिए डिजाइन तथा रोड मैप तैयार करने की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री डा0 असीम के. दासगुप्ता की अध्यक्षता में राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति को दी गई।

अप्रैल,2008 में अधिकार प्राप्त समिति ने केन्द्र सरकार को '' भारत में माल एवं सेवा कर के लिए मॉडल एवं रोड मैप'' शीर्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसके अंतर्गत जी एस टी की संरचना तथा डिजायन के विषय में व्यापक सिफारिशें शामिल हैं । इस पत्र में दोहरे जी एस टी मॉडल जिसमें एक केन्द्रीय जी एस टी तथा दूसरा राज्य जी एस टी होगा, का प्रस्ताव किया गया है । इस रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में, राजस्व विभाग ने प्रस्तावित जी एस टी के डिजायन और संरचना में शामिल करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं ।

राजस्व विभाग, भारत सरकार और राज्यों से प्राप्त इनपुट्स के आधार पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने दिनांक 10 नवम्बर, 2009 को नई दिल्ली में अपना '' भारत में माल एवं सेवा कर पर प्रथम विचार विमर्श पत्र'' जारी किया है । इस विचार विमर्श पत्र को इस उद्देश्य के साथ जारी किया गया था कि इस पर बहस कराई जाए तथा सभी दावाकर्ता करदाता उद्योग, व्यापार तथा कृषि के साथ-साथ उपभोक्ताओं से भी इनपुट्स प्राप्त किए जा सकें । राजस्व विभाग, भारत सरकार ने भी अधिकार प्राप्त समिति के उक्त पत्र पर अपना जवाब भेज दिया है ।

माल एवं सेवा कर को लागू करने के लिए संविधान में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए दिनांक 22-03-2011 को लोकसभा में विधेयक पुरःस्थापित किया गया है । विधेयक को अब लोक सभा सचिवालय द्वारा वित्त की स्थायी समिति को जांच तथा उस पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए भेज दिया गया है ।

इस विधेयक में जी एस टी परिषद की परिकल्पना की गई है, जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय वित्त मंत्री करेंगे तथा जिसमें हर राज्य से एक मंत्री शामिल होगा । यह परिषद केन्द्र और राज्य सरकारों को प्रमुख जी एस टी मानदंडों जैसे- प्रारंभिक सीमा छूटों, कर की दरों आदि के विषय में विचार-विमर्श करेगी तथा सिफारिश करेगी । इस विधेयक में जी एस टी विवाद समझौता प्राधिकरण को बनाए जाने की भी परिकल्पना की गई है, जिसे कोई भी राज्य या केन्द्र सम्पर्क कर सकता है, यदि वह राज्य या केन्द्र किसी राज्य या केन्द्र की किसी कार्रवाई से, जैसा भी मामला हो, प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हुआ हो, जो कि जी एस टी परिषद द्वारा की गई सिफारिशों से भिन्न होने के चलते हुई हो । इस पर व्यापक सहमति बनाए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सांविधानिक संशोधन विधेयक को अंतिम रूप प्रदान किया जा सके तथा जल्द से जल्द इसे संसद में पुरःस्थापित किया जा सके । इस प्रकार के विधेयक को संसद में पारित किए जाने के बाद, कानून बनने से पहले राज्यों का कम से कम 50 प्रतिशत संशोधन अपेक्षित होगा ।

इस विभाग ने जी एस टी के विभिन्न महत्वपूर्ण तत्वों पर कार्य करने के लिए अधिकारियों के तीन उपकार्यकारी ग्रुप बना दिए हैं । एक उप-कार्यकारी ग्रुप रजिस्ट्रेशन , रिटर्न, भुगतान आदि, जिनका अनुपालन जी एस टी के दायरे में किया जाना है, के संबंध में प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने पर कार्य कर रहा है । दूसरा उपकार्यकारी ग्रुप केन्द्रीय जी एस टी एवं मॉडल राज्य जी एस टी विधान का मसौदा तैयार करने पर कार्य कर रहा है। तीसरा उपकार्यकारी ग्रुप जी एस टी के संबंध में आई टी अवसंरचनात्मक संबंधी मामलों को अंतिम रूप देने का कार्य कर रहा है । माल एवं सेवा कर के लिए अपेक्षित आई टी प्रणाली के विकास हेतु डा0 नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त ग्रुप गठित किया गया है । इस अधिकार प्राप्त समूह ने एक रणनीति पत्र भी तैयार किया है, जिस पर राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अनुमोदन भी ले लिया गया है ।

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के उन्नयन हेतु सहायता

सरकार ने कराधान अध्ययन केन्द्र तिरूअनंतपुरम के एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में उन्नयन के लिए तथा पूर्वी भारत में इसी प्रकार का एक नया क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया था ।

कराधान अध्ययन केन्द्र का गुलाटी वित्त एवं कराधान संस्थान(जी आई एफ टी) के रूप में उन्नयन हेतु 33.13 करोड़ रूपये की कुल लागत का एक प्रस्ताव पहले ही सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है । राजस्व विभाग ने इसमें से 23.63 करोड़ रूपये तक का सहायता अनुदान प्रदान करने को अपनी सहमति दे दी है । केन्द्र एवं राज्य सरकार एवं संस्थान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं तथा मदद के केन्द्रीय हिस्से के रूप में 14 करोड़ रूपये की राशि संस्थान को 31 दिसम्बर, 2011 तक जारी कर दी गई है ।

केन्द्र सरकार द्वारा सामाजिक विज्ञान एवं अध्ययन केन्द्र, कोलकाता को कार्पस सृजित करने तथा पहचान किए गए क्रियाकलापों को चलाने के लिए निधियां उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है । इस उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार तथा निदेशक, सी एस एस एस, कोलकाता के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं तथा पश्चिम बंगाल की सरकार को दिसम्बर, 2011 तक 14 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है ।

भारत - वित्त आसूचना एकक (एफ आई यू - इंड)

भारत - वित्त आसूचना एकक (एफ आई यू -इंड) द्वारा वित्तीय आसूचना नेटवर्क परियोजना (फिन-नेट) को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसकी कुल लागत 60.01 करोड़ रूपए है । कुल परियोजना अवधि 5 वर्ष की है, जिसमें इसे पूरे समाधान की स्वीकृति एवं वैधता की समयसीमा ठेके की प्रभावी तिथि से दो वर्ष की होगी। इस परियोजना के फरवरी, 2012 तक पूरा हो जाने की संभावना है ।

परिणामी बजट की निगरानी व्यवस्था

परिणामी बजट के अंतर्गत प्रशासनिक एवं समन्वयकारी यूनिटों द्वारा अपनी-अपनी मदों के संबंध में मासिक रिपोर्ट देने की प्रणाली आरंभ की गई है । परिणामी बजट के अंतर्गत व्यय के रूझान व प्रगति की मासिक व त्रैमासिक समीक्षा विभाग/मंत्रालय के स्तर पर की जाती है । प्रमुख परियोजना संबंधी मदों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए परियोजना मानीटरिंग / कार्यान्वयन समिति स्थापित की गई है । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा किये जा रहे व्यापक स्तर पर कम्प्यूटरीकरण के प्रयासों के संबंध में समन्वयन प्रयासों एवं शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति भी कार्य कर रही है जिसमें निजी क्षेत्र के प्रसिद्ध विशेषज्ञ भी सदस्य हैं ।

सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरियां

गाजीपुर(उ0प्र0) व नीमच (म0प्र0) स्थित सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरियां (जीओएडब्ल्यू) निर्यात के लिए कच्ची अफीम के संसाधन, अफीम क्षारोद के विनिर्माण तथा अन्य संबंधित कार्यों को अपने गाजीपुर (उ0प्र0) व नीमच (म0प्र0) स्थित दोनों कारखानों के द्वारा पूरा करने के लिए जिम्मेदार है । सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरियां (जीओएडब्ल्यू) द्वारा किये गये कुछ प्रमुख सुधार एवं पहल निम्न प्रकार से हैं:-

(क) अफीम पोस्त की अधिक पैदावार वाली किस्म के विकास व मौसम नियंत्रित कक्ष की स्थापना के लिए लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान में एक परियोजना आंरभ की जा रही है । इस परियोजना का उद्देश्य यह है कि अफीम पोस्त का उन क़िस्मों को वाणिज्यिक तौर पर विकास एवं खेती की जाए जिनमें उच्च एल्कालायड की मात्रा हो ताकि एल्कालायड का उच्च मात्रा में उत्पादन हो सके । इससे राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि होगी तथा आयात पर निर्भरता भी कम होगी । इससे अफीम खेतिहरों को अधिक आय होगी / मुआवजे में वृद्धि होगी ।

(ख) सी पी एस (सांद्रित पोस्त के फूस) के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती हेतु एक मार्गदर्शिका की पहचान के लिए एक समिति का गठन किया गया है ।

31 दिसंबर, 2011 को विभिन्न गैर-योजनाओं की मांगवार स्थिति

क्रम सं0	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2011-12 (करोड़ रूपये) ब.अ.	सं.अ.	प्रमात्रात्मक प्रदाय	प्रक्रियाएं/ समय	31 दिसम्बर, 2011 तक की स्थिति
1	2	3	4		5	6	7
1.	**मुख्य शीर्ष 2052- वैट योजना का कार्यान्वयन**	पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में आधुनिक वैट प्रशासन प्रणाली को स्थापित करना तथा अन्य राज्यों में तत्समान कार्रवाई को सुसाध्य बनाना	1.79	1.60	पूर्वोत्तर राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम एवं मेघालय में वैट प्रशासन का कम्प्यूटरीकरण।	परियोजना का आद्योपांत आधार पर कार्यान्वयन का प्रारंभिक चरण पूरा हो गया है ।	इस योजना के अंतर्गत अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एवं सिक्किम के पूर्वोत्तर राज्यों में वैट के कम्प्यूटरीकरण को और बढ़ाने के लिए एवं वैट संबंधी अन्य व्यय के लिए प्रावधान किया गया था । सिक्किम में वैट कम्प्यूटरीकरण का कार्य एन0आई0सी0 द्वारा तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में टी सी एस द्वारा (आद्योपांत आधार पर) किया जा रहा है । इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन का प्रारंभिक चरण पूरा हो गया है। वर्ष 2009-10 के दौरान 6.21 करोड़ रूपये और 2010-11 में 5.56 करोड़ रूपये का व्यय हुआ था । 2004-05 से अब तक कुल 38.09 करोड़ रूपए का व्यय किया जा चुका है, जिसमें प्रचालन व रखरखाव का व्यय भी शामिल है । इस समय मुख्य ध्यान परियोजना की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए नया साफ्टवेयर जोड़कर परियोजना के अंतर्गत बनाई गई सुविधाओं के सर्वोत्तम उपयोग पर है ।
2.	**मुख्य शीर्ष 2052 कर सूचना विनिमय प्रणाली (टी आई एन एक्स एस वाई एस) की स्थापना।**	कर सूचना विनिमय प्रणाली के माध्यम से अन्तर राज्यीय संव्यवहारों का प्रभावी रूप से पता लगाना एवं अधिकार प्राप्त समिति का सुचारू रूप से कार्य करना तथा हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में वैट का कम्प्यूटरीकण।	11.08	10.87	अन्तर राज्यीय संव्यवहारों की प्रभावी खोज के लिए कर सूचना विनिमय प्रणाली परियोजना का कार्यान्वयन।	कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली परियोजना को एक सेवा प्रदाता के माध्यम से बूट मॉडल के आधार पर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। आरंभिक कार्यान्वयन कार्य 2009-10 के दौरान पूरा किया जाना था। इसके बाद अधिकार प्राप्त समिति को अंतरित किये जाने से पूर्व इसे सेवा प्रदाता द्वारा लगभग 2 वर्षों तक चलाया जाना है ।	कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली परियोजना का कार्यान्वयन केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच 50 : 50 के अनुपात की भागीदारी के आधार पर 5 वर्षों की अवधि में कुल 30 करोड़ रूपये के कुल परिव्यय से किया जा रहा है । कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली परियोजना के कार्यान्वयन संबंधी कार्य में अच्छी प्रगति हो रही है । अधिकार प्राप्त समिति द्वारा परियोजना की समीक्षा एवं मॉनिटरिंग कर ली गई है । अधिकार प्राप्त समिति के अनुरोध पर अब अपर सचिव (राजस्व) एवं सदस्य सचिव, अधिकार प्राप्त समिति की संयुक्त अध्यक्षता में परियोजना विशेष की समीक्षा/मानिटरिंग बैठकें की जा रही हैं । इस परियोजना को 31-3-2013 तक बढ़ा दिया गया है । वित्तीय वर्ष 2010-11 में

1	2	3	4	5	6	7
						अधिकार प्राप्त समिति को 2.31 करोड़ रूपए की राशि तथा दिसम्बर, 2011 तक 1.16 करोड़ रूपये की राशि दी गई है ।
					जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर कम्प्यूटरीकरण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 3.7.2009 को मंजूरी आदेश जारी कर दिया गया है । अधिकार प्राप्त समिति इस परियोजना को कार्यान्वित करेगी ।	2009-10 में केन्द्रीय हिस्से के रूप में 7 करोड़ रूपये की राशि जारी कर दी गई है । अधिकार प्राप्त समिति ने चयनित विक्रेताओं के साथ करार पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। इन दो राज्यों में कार्य प्रारंभ हो गया है । दोनों राज्यों में वेबसाइट शुरू कर दी गई है। नियमित अंतरालों पर समीक्षा बैठकें आयोजित की गई है । 2010-11 में 2.99 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई थी तथा इस वित्तीय वर्ष में 31-12-2011 तक कोई राशि जारी नहीं की गई है ।
3.	**मुख्य शीर्ष 3601/3602 वैट कार्यान्वयन और अन्य वैट संबंधी व्यय के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति**	राज्यों को (i) वैट क्षतिपूर्ति और (ii) अन्य वैट संबंधित व्ययों के लिए सहायता अनुदान	734.00	500.00	सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों में वैट कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से वैट लागू करने के कारण राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को होने वाली राजस्व हानि और साथ ही राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के वैट से संबंधित अन्य व्यय को पूरा करने के लिए प्रतिपूर्ति करना ।	सहमत फार्मूले के अनुसार, वैट की क्षतिपूर्ति 2005-2006, 2006-07 तथा 2007-08 के लिए की जानी है । 2007-08 के अंतिम भाग के लंबित दावों का निपटारा किये जाने की आवश्यकता है ।	इस स्कीम के तहत, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता अनुदान मूल्य वर्धित कर लागू करने के कारण उनको होने वाली राजस्व हानि की भरपाई के लिए दिया जाता है । अब तक इन्हें 19002.82 करोड़ रुपये की कुल राशि जारी की गई है, जिसमें से 2005-06 के दौरान 2471.27 करोड़ रुपये, 2006-07 के दौरान 4092.13 करोड़ रुपए 2007-08 के दौरान 3880.48 करोड़ रुपये, 2008-09 में 4361.95 करोड़ रूपये 2009-10 में 3002 करोड़ रूपए, 2010-11 में 879.17 करोड़ रूपए तथा 2011-12 में (31 दिसम्बर, 2011 तक) 315.82 करोड़ रूपये जारी किये गये थे। सभी राज्यों के दावों का निपटान कर लिया गया है । राज्यवार एवं वर्षवार जारी की गई राशियों का विवरण एवं लंबित दावों को अध्याय –V में दिया गया है ।
					राज्य वैट प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए सहायता।	राज्य वैट प्रशासनों के आधुनिकीकरण के लिए वाणिज्यिक कर संबंधी मिशन मोड परियोजना (एम एम पी सी टी) को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है । 33 राज्यों /संघ शासित क्षेत्रों के परियोजना प्रस्तावों को पहले ही 1133 करोड़ रूपये की समग्र लागत के साथ अनुमोदित कर दिया गया है, जिनमें से केन्द्रीय भाग करीबन 800 करोड़ रूपये है । अब तक 422.98

1	2	3	4	5	6	7
						करोड़ रूपये की राशि (2009-10 में 145 करोड़ रूपये तथा 2010-11 में 206.32 करोड़ रूपये एवं 2011-12 में 71.66 करोड़ रूपए)को केन्द्रीय भाग के रूप में जारी किया गया है ।
					राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कराधान के अध्ययन के लिए दो संस्थानों की स्थापना/उन्नयन करना	कराधान अध्ययन केन्द्र को 23.63 करोड़ रूपये की कुल लागत से गुलाटी वित्त एवं कराधान संस्थान (जी आई एफ टी) के रूप में उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है तथा 4 करोड़ रूपये व 10 करोड़ रूपये की दो किस्त संस्थान को जारी की गई। सी टी एस , केरल के उन्नयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सामाजिक विज्ञान अध्ययन केन्द्र (सी एस एस एस) कोलकाता के लिए कार्पस निधि प्रदान करने के दूसरे प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है। केन्द्र सरकार और केन्द्र के बीच समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुए हैं । 14 करोड़ रूपये की राशि पश्चिम बंगाल सरकार को जारी की गई है ताकि इसे सी एस एस एस को अन्तरित किया जाए ।
4.	**मुख्य शीर्ष 3601/3602 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण होने वाली राजस्व हानि हेतु क्षतिपूर्ति**	केन्द्रीय बिक्री कर हेतु क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान	12000.00	4172.58	केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण हुई राजस्व हानि हेतु राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को क्षतिपूर्ति करना।	केन्द्रीय बिक्री कर को तीन वर्ष के समय में समाप्त किया जा रहा है । सहमत हुए फ़ार्मूले के अनुसार राज्यों को केन्द्रीय बिक्री कर क्षतिपूर्ति की व्यवस्था 2009-10 तक उपलब्ध कराई जानी थी । अब यह सहमति हुई है कि राज्यों को सी एस टी क्षतिपूर्ति वर्ष 2010-11 के लिए भी दी जाए।	इस योजना के अंतर्गत, केन्द्रीय बिक्री कर समाप्त करने के कारण हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता अनुदान राशि जारी की गयी है । दिसम्बर, 2011 तक राज्य सरकारों को 30860.42 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है जिसमें 2007-08 में जारी किये गये 2168.88 करोड़ रूपये की राशि , 2008-09 में जारी किये गये 1950 करोड़ रूपये की राशि, 2009-10 में 8735.18 करोड़ रूपये की राशि 2010-11 में 13833.78 करोड़ रूपये की राशि और वर्ष 2011-12 (31 दिसम्बर, 2011 तक) में जारी की गई 4172.58 करोड़ रूपये की राशि शामिल हैं । फार्मूला जिसके आधार पर 2010-11 के दावों को अन्तिम रूप से निपटान देना है, को भी तैयार करना है । राज्य वार और वर्ष वार दी गई राशि और लंबित मामलों की जानकारी अध्याय –V में दी गई हैं ।

1	2	3	4	5	6	7
5.	**मुख्य शीर्ष 2875** **सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरी**	अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के साथ-साथ घरेलू खपत के लिए अफ़ीम एवं क्षारोद की मांग को पूरा करना।	364.08	449.62	अफ़ीम की अधिप्राप्ति (796 मीट्रिक टन) 66 मीट्रिक टन कोडीन फास्फेट की अधिप्राप्ति अफीम का निर्यात (498 मी0 टन) व क्षारोद की बिक्री (97 मीट्रिक टन) इसके परिणामस्वरूप 432.47 करोड़ रुपये की राजस्व की प्राप्ति हुई थी।	राजस्व की वसूली की तुलना में व्यय की प्रगति की मासिक/तिमाही रूप से समीक्षा की जानी थी।	परियोजना मात्रा के मुकाबले दिसम्बर, 2011 तक केवल 796 मीट्रिक टन अफीम और 37 मीट्रिक टन कोडीन फोस्फेट की खरीद की गई है । 498 मीट्रिक टन निर्यात के लक्ष्य के मुकाबले दिसम्बर, 2011 तक 269 मीट्रिक टन अफीम निर्यात की गई है। क्षारोद की बिक्री 97 मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 69 मीट्रिक टन हुई है। संशोधित अनुमान स्तर पर 432.47 करोड़ रूपये की अनुमानित राजस्व प्राप्ति के मुकाबले 2011-12 (दिसम्बर, 2011 तक) में 289.40 करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्ति हुई है । सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्य पर व्यय दिसम्बर, 2011 तक 309.77 करोड़ रूपये है ।

वित्तीय समीक्षा – बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय के समग्र रूझानों का विश्लेषण

(रूपये करोड़ो में)

	मुख्य शीर्ष	2009-10			2010-11			2011-12		
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ..	सं.अ.	वास्तविक व्यय (अनंतिम)
सचिवालय- सामान्य सेवाएं	2052	140.73	123.40	110.00	144.50	132.03	119.96	128.05	140.55	68.90
कुल	2052	140.73	123.4	110	144.50	132.03	119.96	128.05	140.55	68.90
अन्य राजकोषीय सेवाएं										
प्रवर्तन निदेशालय	2047	51.42	36.91	35.34	34.51	38.40	38.14	39.41	41.43	30.71
राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान	2047	11.19	10.17	10.17	6.94	7.30	7.08	7.84	7.66	7.64
अंतरराष्ट्रीय सहयोग	2047	0.59	0.70	0.62	0.72	0.76	0.70	0.72	1.05	0.61
अन्य व्यय ए टी एफ पी सीस्टेट	2047	20.29	19.84	17.72	18.55	19.91	17.21	19.00	19.67	13.48
कुल	**2047**	**83.49**	**67.62**	**63.85**	**60.72**	**66.37**	**63.13**	**66.97**	**69.81**	**52.44**
अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
स्वापक नियंत्रण	2070	34.30	37.23	35.19	34.18	41.97	35.45	39.61	40.63	23.96
अन्तरराष्ट्रीय सहयोग इत्यादि	2070	2.26	1.46	1.96	1.46	3.55	2.40	3.55	3.49	0.65
नशीले पदार्थ का सेवन रोकने के लिए राष्ट्रीय अनुदान का अंतरण	2070	0.01	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
कुल	**2070**	**36.57**	**40.69**	**39.15**	**37.64**	**47.52**	**37.85**	**45.16**	**44.12**	**24.61**
अफीम और क्षारोद फैक्टरी										
राजस्व व्यय	2875	354.55	282.61	247.05	476.87	349.60	301.08	363.50	449.06	309.36
मुख्य नियंत्रक सरकारी अफीम और क्षारोद फैक्टरी	2875	0.77	0.66	0.66	0.57	0.72	0.74	0.58	0.56	0.41
कुल	**2875**	**355.32**	**283.27**	**247.71**	**477.44**	**350.32**	**301.82**	**364.08**	**449.62**	**309.77**
वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क										
अन्तरदेशीय वायु यात्रा पर कर संग्रहण	2045	6.90	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विदेश यात्रा पर कर संग्रहण	2045	0.10	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**2045**	**7.00**	**0.00**	**0.00**	**0.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
आय पर कर संग्रहण एवं व्यय										
अन्य प्रभार	2020	0.45	0.42	0.38	0.45	0.40	0.29	0.40	0.40	0.23
कुल	**2020**	**0.45**	**0.42**	**0.38**	**0.45**	**0.40**	**0.29**	**0.40**	**0.40**	**0.23**

(रूपये करोड़ो में)

	मुख्य शीर्ष	2009-10			2010-11			2011-12		
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ..	सं.अ.	वास्तविक व्यय अनंतिम
राज्यों को सहायता अनुदान (वैट)	3601	3018.50	3151.00	3151.00	376.00	874.95	1083.16	724.00	495.00	405.01
सं0 शा0 क्षे0 को सहायता अनुदान (वैट)	3602	2.00	1.00	0.00	25.00	10.00	8.80	10.00	5.00	0.00
राज्यों को सहायता अनुदान (सी एस टी)	3601	6000.00	8735.18	8735.18	10000.00	14000.00	13833.78	12000.00	4172.58	4172.58
सं0 शा0 क्षे0 को सहायता अनुदान (सी एस टी)	3602	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
कुल		**9021.50**	**11887.18**	**11886.2**	**10401.00**	**14884.95**	**14925.74**	**12734.00**	**4672.58**	**4577.59**
सहायता सामग्री एवं उपस्कर	**3606**	**0.50**	**0.35**	**0.00**	**0.35**	**0.35**	**0.00**	**0.35**	**0.00**	**0.00**
कुल राजस्व भाग		**9645.56**	**12402.93**	**12347.27**	**11122.12**	**15481.94**	**15448.79**	**13339.01**	**5377.08**	**5033.54**
पूंजी भाग										
शासकीय अ0 एवं क्षारोद का0 पर पूंजी व्यय	4875	2.31	1.64	1.47	0.77	1.77	0.17	0.84	0.70	0.41
बने बनाए आवासों की खरीद										
रिहायशी भवन	4216	0	0	0.00	0	0.10	0.10	7.05	0.01	0.01
लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4059	0	0	0.00	0	26.00	24.84	10.00	5.00	1.00
कुल (पूंजी भाग)		**2.31**	**1.64**	**1.47**	**0.77**	**27.87**	**25.11**	**17.89**	**5.71**	**1.42**
महायोग		**9647.87**	**12404.57**	**12348.74**	**11122.89**	**15509.81**	**15473.90**	**13356.90**	**5382.79**	**5034.96**
घटा										
(i) राजस्व प्राप्तियां		300.97	300.97	299.86	308.00	285.60	237.54	312.00	432.47	289.40
(ii) वसूलियां		39.90	56.17	53.55	54.89	58.82	46.95	53.97	42.60	0.00
निवल		**9307.00**	**12047.43**	**11995.33**	**10760.00**	**15165.39**	**15189.41**	**12990.93**	**4907.72**	**4745.56**

वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 हेतु बजट अनुमान/संशोधित अनुमान की तुलना में वास्तविक व्यय दर्शाने वाला विवरण

(रूपये करोड़ो में)

	2009-10			2010-11			2011-12		
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय (अनंतिम)
राजस्व भाग									
वेतन	172.96	166.88	160.43	143.45	143.46	150.22	152.44	158.87	116.23
मजदूरी	0.42	0.49	0.48	0.50	0.49	0.40	0.51	0.50	0.26
समयोपरि भत्ता	2.08	1.10	0.71	1.89	1.58	1.23	0.69	1.77	0.28
पेंशन प्रभार	1.51	1.47	1.53	1.25	1.23	1.11	1.29	1.03	0.00
पुरस्कार	0.12	0.33	0.29	0.32	0.32	0.13	0.32	0.30	0.00
चिकित्सा उपचार	3.04	2.48	2.00	2.61	3.03	2.61	2.98	3.29	1.66
घरेलू यात्रा व्यय	5.47	5.09	5.17	5.46	6.77	6.41	6.52	7.13	4.25
विदेश यात्रा व्यय	3.50	3.05	3.04	3.46	4.59	4.36	4.79	4.96	1.50
कार्यालय व्यय	24.32	23.16	21.85	23.87	30.38	28.27	26.5	27.54	17.63
किराया दर एवं कर	7.69	6.90	6.30	7.19	8.91	6.00	8.71	13.41	5.80
प्रकाशन	0.38	0.34	0.34	0.39	0.50	0.53	0.51	0.64	0.32
बैंक संव्यवहार कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1.89	2.11	1.99	1.89	2.43	2.34	4.41	4.28	1.88
आपूर्ति और सामग्री (दत्तमत)	259.54	171.06	141.00	371.64	252.59	205.67	265.58	353.57	279.78
आपूर्ति और सामग्री (प्रभारित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
विज्ञापन एवं प्रचार	0.20	0.45	0.39	0.24	0.57	0.40	0.49	0.48	0.04
लघु निर्माण कार्य	1.39	1.53	1.43	1.20	1.75	1.48	1.21	1.45	0.30
पेशेवर सेवाएं	11.32	11.61	11.26	11.58	12.38	13.08	12.41	21.57	12.11
अन्य संविदागत सेवाएं	0.50	0.35	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00
सामान्य सहायता अनुदान	9059.74	11912.85	11906.93	10426.07	14912.44	14941.45	12758.31	4687.13	4586.89
पूंजीगत सम्पदा के सृजन हेतु अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
वेतन सहायता अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38	0.00
अन्तरराष्ट्रीय योगदान	2.85	2.16	2.58	2.18	4.31	3.10	4.27	4.54	1.26

(रूपये करोड़ो में)

		2009-10			2010-11			2011-12		
		ब.अ.	**सं.अ.**	**वास्तविक व्यय**	**ब.अ.**	**सं.अ.**	**वास्तविक व्यय**	**ब.अ.**	**सं.अ.**	**वास्तविक व्यय (अनंतिम)**
गुप्त सेवा व्यय		1.94	1.56	1.45	1.92	1.90	1.68	2.18	2.25	1.35
पूंजी पर ब्याज		11.68	12.83	10.93	12.41	11.21	8.41	11.2	11.36	0.00
अन्य प्रभार										
	प्रभारित	*0.02*	*0.02*	*0.00*	*0.02*	*0.02*	*0.00*	*0.02*	*0.02*	*0.00*
	दत्तमत	17.02	9.75	7.25	21.76	7.42	7.02	3.25	2.69	2.00
मशीनरी एवं उपस्कर		0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.00
अन्तर खाता अन्तरण		40.77	57.45	55.33	56.3	55.15	46.29	48.69	42.41	0.00
सूचना प्रौद्योगिकी		15.17	7.88	4.56	24.12	18.11	16.55	21.33	19.47	0.00
कुल राजस्व भाग		**9645.56**	**12402.93**	**12347.27**	**11122.12**	**15481.94**	**15448.78**	**13339.01**	**5377.08**	**5033.54**
	प्रभारित	*0.02*	*0.02*	*0.00*	*0.02*	*0.02*	*0.00*	*0.02*	*0.02*	*0.00*
	दत्तमत	9645.54	12402.91	12347.27	11122.10	15481.92	15448.78	13338.99	5377.06	5033.54
पूंजी भाग										
मशीनरी एवं उपस्कर		1.88	1.21	1.08	0.37	1.37	0.05	0.69	0.65	0.39
बड़े निर्माण कार्य		0.43	0.43	0.39	0.40	26.40	24.97	10.15	5.05	1.02
निवेश		0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	7.05	0.01	0.01
कुल - पूंजी भाग		**2.31**	**1.64**	**1.47**	**0.77**	**27.87**	**25.12**	**17.89**	**5.71**	**1.42**
महायोग		**9647.87**	**12404.57**	**12348.74**	**11122.89**	**15509.81**	**15473.90**	**13356.90**	**5382.79**	**5034.96**
	प्रभारित	*0.02*	*0.00*	*0.00*	*0.02*	*0.02*	*0.00*	*0.02*	*0.02*	*0.00*
	दत्तमत	9647.85	12404.57	12348.74	11122.87	15509.79	15473.90	13356.88	5382.77	5034.96

वित्तीय समीक्षा- बजट अनुमान/संशोधित अनुमान की तुलना में व्यय के समग्र रूझानों का विश्लेषण

मांग सं0 41 के संबंध में तीन वर्षों में व्यय की स्थिति – संक्षेप में राजस्व विभाग निम्नानुसार हैः-

(रूपये करोड़ो में)

	2009-10			2010-11			2011-12		
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (31.12.11 तक)
वैट* - मुख्य शीर्ष 2052	34.65	21.29	14.21	35.84	18.77	11.71	12.87	12.47	2.70
वैट/के.बि.क** - 3601/3602	9021.50	11887.18	11886.18	10401.00	14884.95	14925.74	12734.00	4672.58	4577.59
गैर-वैट/के.बि.क	591.72	496.10	448.35	686.05	606.09	536.45	610.03	697.74	454.67
कुल	9647.87	12404.57	12348.74	11122.89	15509.81	15473.90	13356.90	5382.79	5034.96
गैर-वैट/सी एस टी	591.72	496.10	448.35	686.05	606.09	536.45	610.03	697.74	454.67
सी सी एफ (जीओएजब्लू)									
2875	355.32	283.27	247.71	477.44	350.32	301.82	364.08	449.62	309.77
4875	2.31	1.64	1.47	0.77	1.77	0.17	0.84	0.70	0.41
अन्य*** - गैर-वैट/के.बि.क									
और गैर श0ए0क्षा0का0	234.09	211.19	199.17	207.84	254.00	234.46	245.11	247.42	144.49
कुल वेतन	172.95	166.88	160.43	143.45	150.46	150.22	152.44	158.87	116.23
गैर-वेतन	9474.92	12237.69	12188.31	10979.44	15359.35	15323.68	13204.46	5223.92	4918.73

* मूल्यवर्धित कर स्कीम और टी आई एन एस एक्स वाई एस परियोजना कार्यान्वयन और राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति और इसके स्थापना व्यय हेतु बजट प्रावधान है ।
** ये बजट प्रावधान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के वैट लागू करने और केन्द्रीय बिक्री कर की समाप्ति एवं वैट संबंधी व्यय के कारण होने वाली राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिए है । .
*** केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो सहित राजस्व विभाग के विभिन्न घटकों पर स्थापना के लिए बजट प्रावधान है ।

व्यय में रूझान

वेतन व्यय 2010-11 में 2009-10 की तुलना में 6.36 प्रतिशत कम हुआ क्योंकि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए 2010-11 के दौरान कोई बकाया अदा नहीं किया गया जबकि गैर वेतन व्यय इसी अवधि के दौरान 25.72 प्रतिशत तक बढ़े जो कि मुख्यतः वैट / सी एस टी संबंधित व्यय के कारण है । वर्ष 2010-11 के दौरान, वैट/के0बि0कर प्रतिपूर्ति के लिए राज्यों को अनुदान एवं वैट/के0बि0कर संबंधी हुए व्यय का एक बड़ा हिस्सा है, अर्थात अनुदान सं0 41- राजस्व विभाग के अंतर्गत कुल व्यय का 96.46 प्रतिशत है । वर्ष 2011-12 में 31 दिसम्बर, 2011 तक 4172.58 करोड़ रूपये का केन्द्रीय बिक्री कर प्रतिपूर्ति विभिन्न राज्य सरकारों को जारी की गई जबकि 31 दिसम्बर, 2011 तक वैट और वैट संबंधी वैट व्यय के लिए 387.48 करोड़ की राशि जारी की गई । इस प्रकार 31 दिसम्बर, 2011 तक 19002.82 करोड़ रूपये की कुल राशि वैट प्रतिपूर्ति के लिए राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई गई है और 30,860.42 करोड़ रूपये की के0बि0क0 प्रतिपूर्ति के लिए राशि निम्नानुसार उपलब्ध कराई गई है ।

वैट प्रतिपूर्ति

(रूपये करोड़ो में)

क्रम सं0	राज्य सरकार का नाम	**2005-06** में किया गया प्रतिपूर्ति भुगतान	**2006-07** में किया गया प्रतिपूर्ति भुगतान	**2007-08** में किया गया प्रतिपूर्ति भुगतान	**2008-09**में किया गया प्रतिपूर्ति भुगतान	**2009-10**में किया गया प्रतिपूर्ति भुगतान	**2010-11**में किया गया प्रतिपूर्ति भुगतान	**2011-12**में किया गया प्रतिपूर्ति भुगतान	कुल प्रतिपूर्ति	31 दिसम्बर,11 की स्थिति के अनुसार लंबित दावे
1.	आन्ध्रप्रदेश	404.06	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	405.94	0.00
2.	असम	0.00	0.00	30.06	38.73	150.10	78.12	0.00	297.01	0.00
3.	बिहार	165.87	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.10	0.00
4.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	75.00	281.59	31.91	0.00	0.00	388.50	0.00
5.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	362.81	855.07	37.70	0.00	1255.58	0.00
6.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	27.84	59.85	0.00	0.00	87.69	0.00
7.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	104.73	86.45	0.00	0.00	191.18	0.00
8.	कर्नाटक	1038.92	625.36	354.71	369.05	180.30	0.00	0.00	2568.34	0.00
9.	केरल	456.47	426.23	123.19	243.46	0.00	0.00	0.00	1249.35	0.00
10.	मध्यप्रदेश	0.00	0.00	46.24	0.00	0.00	40.74	0.00	86.98	0.00
11.	महाराष्ट्र	259.89	2814.72	1203.83	1895.00	1475.00	277.40	261.33	8187.17	0.00
12.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.42	0	167.42	0.00
13.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	18.93	163.32	0.00	0.00	182.25	0.00
14.	सिक्किम	1.84	4.03	0.00	0.00	0.00	10.92	0.00	16.79	0.00
15.	त्रिपुरा	5.12	3.81	5.57	19.81	0.00	0.00	0.00	34.31	0.00
16.	तमिलनाडु	0.00	0.00	2040.00	1000.00	0.00	266.87	54.49	3362.36	0.00
17.	प0 बंगाल	139.10	139.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.85	0.00
	कुल	**2471.27**	**4092.13**	**3880.48**	**4361.95**	**3002.00**	**879.17**	**315.82**	**19002.82**	**0.00**

सी एस टी प्रतिपूर्ति

(रूपये करोड़ो में)

क्रम सं0	राज्य सरकार का नाम	**2007-08** में किया गया प्रतिपूर्ति भुगतान	**2008-09** में किया गया प्रतिपूर्ति भुगतान	**2009-10** में किया गया प्रतिपूर्ति भुगतान	**2010-11** में किया गया प्रतिपूर्ति भुगतान	**2011-12** में किया गया प्रतिपूर्ति भुगतान	कुल प्रतिपूर्ति लंबित दावे	31 दिसम्बर,11 की स्थिति के अनुसार
1.	आन्ध्रपद्रेश	0	905.24	1095.50	2221.86	986.09	5208.69	0
2.	असम	70.89	0	228.79	150.90	34.99	485.57	0
3.	छत्तीसगढ़	101.37	48.64	794.95	682.97	415.02	2042.95	0
4.	दिल्ली	183.70	154.76	1052.00	1622.80	653.85	3667.31	0
5.	गुजरात	338.14	156.57	796.04	1787.84	0.00	3078.59	0
6.	हरियाणा	150.00	400.00	1177.12	1597.90	780.16	4105.18	0
7.	झारखंड	69.47	35.55	394.58	511.76	242.88	1254.24	0
8.	कर्नाटक	350.00	155.00	710.30	1333.87	374.36	2923.53	0
9.	उड़ीसा	131.53	5.49	483.90	543.99	138.17	1303.08	0
10.	पंजाब	0	24.32	9.95	324.55	0.00	358.82	0
11.	राजस्थान	126.24	18.56	311.78	421.39	34.47	912.44	0
12.	तमिलनाडु	647.54	0	759.00	1171.04	58.92	2636.50	0
13.	उत्तराखंड	0	0	131.00	235.10	141.55	507.65	0
14.	पं0 बंगाल	0	45.87	464.77	496.11	190.14	1196.89	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	123.00	306.49	29.86	459.35	0
16.	मध्यप्रदेश	0	0	110.96	106.56	0.00	217.02	0
17.	नागालैंड	0	0	4.43	0	1.63	6.06	0
18.	पुडुचेरी	0	0	86.91	199.78	90.19	376.88	0
19.	उत्तरप्रदेश	0	0	0	118.87	0.00	118.87	0
कुल		**2168.88**	**1950.00**	**8735.18**	**13833.78**	**4172.58**	**30860.42**	**0**

2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान समग्र वित्तीय निष्पादन नीचे दिए गए हैं :-

(रूपये करोड़ो में)

	2009-10			2010-11			2011-12		
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (31.12.11 तक)
वैट योजना का कार्यान्वयन	8.00	8.00	5.71	20.00	5.97	5.91	1.79	1.60	1.54
कर सूचना विनिमय प्रणाली की स्थापना इत्यादि	26.65	13.29	8.50	15.84	12.80	5.80	11.08	10.87	1.16
राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को वैअ के लागू करने और अन्य वैट संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति	3020.50	3152.00	3151.00	401.00	884.95	1091.96	734.00	500.00	405.01
राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को सी एस टी को खत्म करने के लिए प्रतिपूर्ति	6001.00	8735.18	8735.18	10000.00	14000.00	13833.78	12000.00	4172.58	4172.58
कुल	**9056.15**	**11908.47**	**11900.39**	**10436.84**	**14903.72**	**14937.45**	**12746.87**	**4685.05**	**4580.29**

सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्य :

2009-10, 2010-11 और 2011-12 सकल व्यय और राजस्व प्राप्तियों पर वास्तविक व्यय की स्थिति नीचे बना अनुसार है :

(रूपये करोड़ो में)

	व्यय			प्राप्तियां		
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक
2009-10	355.32	283.27	247.71	300.97	300.97	299.86
2010-11	477.44	350.32	301.82	308.00	285.60	237.54
2011-12	364.08	449.62	309.77 (दिसम्बर 11 तक)	312.00	432.47	289.40 (दिसम्बर 11 तक)

वैट के पश्चात व्यय का द्तीय मुख्य घटक सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्य है जो कि वर्ष 2010-11 में कुल व्यय का 1.95 प्रतिशत है । अफीम के कम प्रापण के कारण वर्ष2010-11 में संशोधित अनुमान स्तर में कमी हुई है । वर्ष 2010-11 के लिए 308 करोड़ रूपये की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां की तुलना में 237.54 करोड़ रूपये का राजस्व एकत्रित किया गया ।

4.6 वर्ष 2009-10 , 2010-11 और 2011-12 के दौरान किए गए आवंटन और वास्तविक व्यय का विवरण

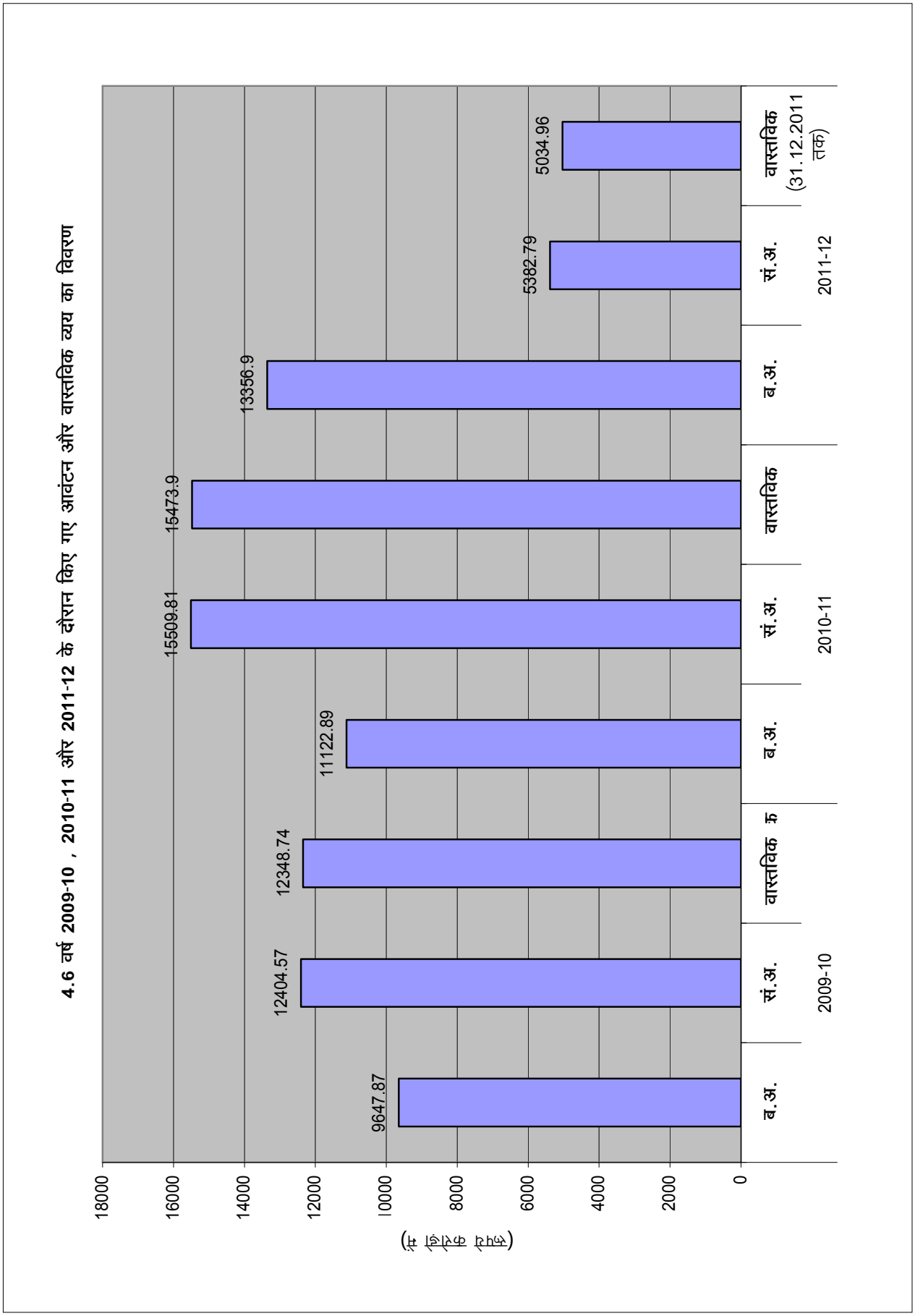

वास्तविक आंकड़े 2010-11 (करोड़ रुपए)

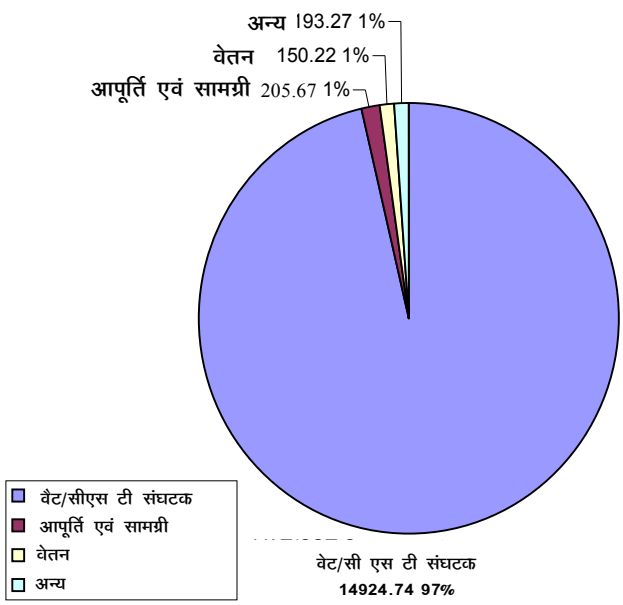

संशोधित अनुमान 2011-12 (करोड़ रुपए)

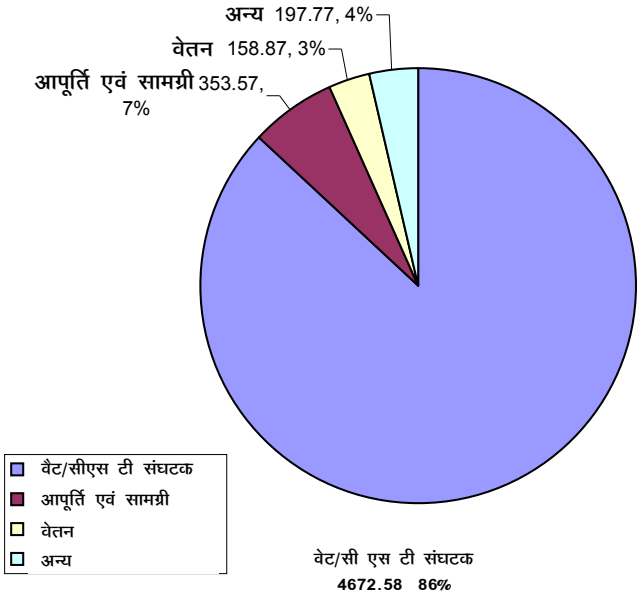

वर्ष 2010-11 के अनुदान के तहत वास्तविक व्यय 15473.90 करोड़ रूपये है । केन्द्रीय बिक्री कर समाप्त करने और वैट को लागू करने के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति और वैट से संबंधित 14924.74 करोड़ रूपये का व्यय हुआ है जो व्यय का 96.46% है । आपूर्ति और सामग्री पर 205.67 करोड़ रूपये का व्यय किया गया था जो कुल व्यय का 1.33% है । यह व्यय मुख्यतः अफीम की खरीद और कोडीन फास्फेट के आयात के कारण हुआ है । वेतन पर व्यय कुल व्यय का 0.97% है जबकि अन्य मदों पर होने वाला व्यय कुल व्यय का 1.25% है ।

संशोधित अनुमान 201-12 में केन्द्रीय बिक्री कर / वैट प्रतिपूर्ति और वैट संबंधित व्यय 4672.58 करोड़ रूपये का हो गया है जो कुल व्यय का 86.81% है । अगला मुख्य संघटक आपूर्ति एवं सामग्री है जिसमें 353.57 करोड़ रूपये की राशि है तथा जो कुल व्यय का 6.57 % है और वेतन पर व्यय की राशि 158.87 करोड़ रूपये है जोकि कुल व्यय का 2.95% के लगभग है तथा अन्य मदों पर कुल व्यय का 3.67% है।

वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत सांविधिक और स्वायतशासी निकायों के कामकाज की समीक्षा

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

परिणामी बजट

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली को वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, विभिन्न मुख्य राज्य सरकारों, विशिष्ट विद्याविदों एवं स्वतंत्र प्रतिष्ठित व्यक्तियों, गैर-लाभकारी संगठनों की संयुक्त पहल से 1976 में स्थापित किया गया था और इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया । यह एक स्वतंत्र अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संगठन है

वर्ष 2010-11 के दौरान राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के विभिन्न स्रोतों से अनुदान/आय और व्यय के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

क्रम सं0	निधि का स्रोत	अनुदान/आय (रुपए करोड़ों में)	व्यय (रुपए करोड़ों में)
1	वित्त मंत्रालय	7.10	7.10
2	अन्य स्रोत	6.03	5.24
3	कुल	**13.13**	**12.33**

वर्ष 2006-07 से वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अनुदान का ब्यौरा -

	(रुपए करोड़ में)
वास्तविक 2006-07	2.26
वास्तविक 2007-08	5.58
वास्तविक 2008-09	8.67
वास्तविक 2009-10	10.17
वास्तविक 2010-11	7.10
बजट अनुमान 2011-12	7.84
2011-12 के लिए संशोधित अनुमान	7.66
वास्तविक 2011-12 (31-12-2011 तक)	7.64

अनुदान के संघटक और उसके उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

(क) संस्थान ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ 23 मई, 2007 को समझौता ज्ञापन किया है जोकि संस्थान को वार्षिक आवर्ती अनुदान के संबंध में है ।

(ख) समझौता ज्ञापन के अनुसार वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के किसी वेतन संशोधन या महंगाई भत्ते की किश्त के अवमुक्त किए जाने के फलस्वरूप संस्थान के मूल स्टाफ के वेतन में संशोधन या अन्य किसी भत्ते या वाहन भत्ते या महंगाई भत्ते, मकान किराया जैसे भत्ते वेतन पर होने वाले 90 प्रतिशत व्यय का वेतन अनुदान से पूरा करने के लिए इस आवर्ती अनुदान से पूरा होने वाले वेतन के 90 प्रतिशत सारांशीकरण वेतन एवं भत्ते के कुल व्यय पर निर्भर करेगा जिसकी अनुलग्नक I से IV में यथाइंगित मूल स्टाफ से संबद्ध वेतनमान के मध्य बिन्दु पर गणना की जाएगी और संस्थान की विभिन्न प्रायोजित परियोजनाओं के कार्य प्रभारित मूल स्टाफ के वेतन व भत्तों का बिना हवाला देते हुए यह किया जाएगा ।

(ग) मूल अनुदान,संस्थान के गैर-वेतन व्यय को पूरा करने के लिए पैरा 3 (क) में आकलित किए गए वेतन अनुदान के 20 प्रतिशत के बराबर होगा ।

(घ) वित्त मंत्रालय की प्रतिवर्ष 20.00 लाख रूपये की वित्तीय सहायता से 9 जून, 2005 से संस्थान में एक कर अनुसंधान एकक(टी आर सी) स्थापित किया गया है ।

सरकार के साथ अगले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से पहले, मुख्य आर्थिक सलाहकार प्रो0 ए0 के0 बसु की अध्यक्षता में अभिजात(पियर) समीक्षा समूह द्वारा एन आई पी एफ पी की समीक्षा की गई है । पी आर जी की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

एन आई पी एफ पी को सरकार द्वारा काले धन संबंधी अध्ययन को सुपुर्द किया गया है और संस्थान द्वारा अगस्त , 2012 तक रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की संभावना है।

संस्थान में कुछ चल रहे/ पूर्ण अध्ययन / आधार पत्र इस प्रकार हैं-

पूर्ण किए गए अध्ययन (2010-11)

1. प्रोत्साहन, वसूली और विद्यमान नीतिः जी 20 अनुभव और भारतीय नीति
2. मेक्रो आर्थिक नीति मॉडलिंग चरण- II: 12 वी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए वृद्धि प्रक्षेपण के साथ राजकोषीय समेकन
3. एन आई पी एफ पी- डी ई ए अनुसंधान कार्यक्रम
4. मौद्रिक और वित्तीय सुधारों के लिए क्षमता और सामंजस्य निर्मित करना
5. पी पी पी परियोजना के लिए संव्यवहार सलाहकारों के पैनल बनाने हेतु बिड आकलन
6. सिक्किम सरकार की राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबन्धन अधिनियम

7. मेघालय दर्शन 2030
8. भारतीय म्यूनिसपल वित्त
9. महाराष्ट्र के 9 शहरों में यू आई डी एस एस एम टी सुधारों का मूल्यांकन
10. झारखंड में शहरी स्थानीय निकायों के कार्य और वित्त
11. ग्रामीण स्थानीय सरकारों को राजकोषीय विकेन्द्रीकरण
12. पंचायत और आर्थिक विकास
13. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदानगी में विकेन्द्रीकरण : भारत के साक्ष्य
14. बुनियादी शिक्षा संबंधी सार्वजिनक व्यय – चरण – I
15. भारत सरकार की बीमा योजनाएं

जारी अध्ययन (दिसम्बर, 2011 तक स्थिति)

1. फर्मा नवोद्यम पूंजी निधि
2. बिजनेस आवर्तन संबंधी अनुसंधान
3. एन आई पी एफ पी- वित्तीय सम्मिलन संबंधी यू आई डी ए आई कार्यक्रम
4. मेक्रो आर्थिक नीति मॉडलिंग चरण –III
5. भारत के लिए अग्र संकेतक आधारित पूर्वानुमान मॉडल
6. तेल कीमत आघात और भारत पर इसका प्रभाव
7. मेवातः पिछड़ेपन के तहत विकास की गति
8. राज्यों/एजेन्सियों द्वारा चयन कार्यक्रमों के तहत निर्मुक्ति के समय निर्धारण और पैटर्न में उपयुक्त परिवर्तनों के द्वारा निधियों की प्रभावकारिता और उपयोग को बढ़ाने के उपाय
9. भारत में दूरसंचार क्षेत्र पर कर और उद्ग्रहण (लेवी) भार
10. हिमाचल प्रदेश के लिए राजस्व संभावना
11. भारत में राज्य वित्त आयोगों की क्षमता का सृजन
12. बुनियादी शिक्षा संबंधी सार्वजनिक व्यय चरण II
13. स्वास्थ्य देखभाल व्यय
14. सेवा प्रदान करने में राजकोषीय स्थिति और क्षमता
15. सार्वजनिक वित्त सूचना प्रणाली
16. भारत में जिंक लेड खनन की प्रतियोगिता : राजसत्ता की भूमिका
17. उर्जा क्षमता के ढांचे के तहत राजकोषीय और मौद्रिक नीति के पहलुओं का अध्ययन
18. भारतीय आर्थिक नीति संबंधी कार्यक्रम : मुक्त व्यापार, लोकतंत्र और उद्यम विकास
19. वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग
20. ब्रिटेन उच्च आयोग – पूंजी खाते के खुलेपन के गहराने की प्रक्रिया का नीति विश्लेषण
21. सिक्किम 2012-17 के लिए 12 वीं पंचवर्षीय योजना
22. एयरपोर्ट सेक्टर के जोखिम के लिए आकलन से संबंधित कार्य का आवंटन एवं इक्विटी पर रिटर्न की उचित दर(आर ओ ई) का अनुमान
23. बुनियादी शिक्षा में सार्वजनिक व्यय
24. प्रतियोगी बाजार मूल्य और संसाधनों के आरंभिक संवितरण पर कार्य के लिए प्रो0 अंजन मुखर्जी को दो वर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति पुरस्कार
25. भारत के भीतर और बाहर दोनों लेखा बाह्य आय/ सम्पत्ति, का अध्ययन
26. एन एम ई ई ई की उर्जा क्षमता आर्थिक विकास मेकेनिजम हेतु ढांचा
27. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के संदर्भ में जी एस टी संबंधी अध्ययन (क) पेट्रोलियम उत्पादों के कराधान की विद्यमान व्यवस्था के तहत अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों संबंधी करों की विकृति के प्रभाव का मूल्यांकन, (ख) माल के तहत उपयुक्त कराधान प्रणाली की पहचान करना
28. डीजल मूल्य सुधार के लिए शोध और नीति विकास
29. सिक्किम राजकोषीय जिम्मेवारी और बजट प्रबन्धन अधिनियम 2010
30. नगरपालिका निगम अधिनियम, 2010 और नगरपालिका अधिनियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार सम्पत्ति कर अधिनियम और सम्पत्ति कर नियमों एवं संहिता को बनाना

प्रशिक्षण कार्यक्रम /कार्यशालाएं (दिसम्बर, 2011 तक की स्थिति)

1. मई-जून,2010 में विश्वविद्यालय/कालेज शिक्षकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम
2. सितम्बर, 2010 में केन्द्र /राज्य सरकारों के कार्मिकों के लिए राजकोषीय नीति और बजट प्रबन्धन
3. वाणिज्यिक /बिक्री कर, केन्द्र /राज्य सरकार के विभागों के कार्मिकों के लिए सितम्बर-अक्तूबर, 2010 में माल और सेवा कर
4. भारतीय प्रशासनिक सेवा के मध्य स्तर के अधिकारियों के लिए नवम्बर, 2010 में मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु राजकोषीय नीति
5. केन्द्र /राज्य सरकारों के कार्मिकों के लिए जनवरी, 2011 में माल और सेवा कर
6. भारतीय सांखयिकीय सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए जनवरी, 2011 में राजकोषीय और मौद्रिक नीति ।

7. केन्द्र/राज्य सरकारों/वाणिज्यिक /बिक्री कर विभागों के कार्मिकोंके लिए जनवरी, 2011 में माल और सेवा कर
8. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए फरवरी, 2011 में लोक वित्त ।
9. अप्रैल, 2011 में राजकोषीय संस्थानों और मध्य अवधि ढांचे को सुदृढ़ करने के द्वारा राजकोषीय संधारणीयता को प्रोत्साहित करना।
10. विश्वविद्यालय शिक्षकों / वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्र में मई-जून, 2011 में लोक वित्त में पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम
11. भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों के लिए मई, 2011 में एक सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।
12. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में मई-जून, 2011 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए मध्य कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
13. असम सरकार के कार्मिकों के लिए सितम्बर-अक्तूबर, 2011 में प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
14. भारतीय सांख्यिकीय सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए अगस्त, 2011 में राजकोषीय और मौद्रिक नीति
15. भारतीय प्रशासनिक सेवा के मध्यम और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए सितम्बर, 2011 में प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
16. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए अक्तूबर 2011 में मध्य कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम चरण- IV ।
17. महालेखा नियंत्रक के कार्मिकों के लिए नवम्बर, 2011 में प्रशिक्षण कार्यक्रम
18. राज्य सरकारों के कार्मिकों के लिए अक्तूबर, 2011 में प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
19. दिसम्बर, 2011 में गैर –ओ ई सी डी परिसंघ कार्यशाला में परिसंघ मंच और एन आई पी एफ पी उप- राष्ट्रीय कर शक्तियां 1
20. सिक्किम सरकार के एफ आर बी एम प्रभाग के सदस्यों के लिए नवम्बर-दिसम्बर , 2012 में प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
21. दिसम्बर, 2011 में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए आर्थिक नीति संबंधी अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन ।

प्रत्यक्ष कर

प्रस्तावना

1.1 केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 द्वारा सृजित केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) सर्वोच्च संस्था है जिसे भारत में प्रत्यक्ष करों अर्थात आयकर, निगम कर, धनकर आदि के अभिशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अन्तर्गत एक अध्यक्ष तथा छः सदस्य होते हैं। यह आयकर विभाग के लिए संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण है। इसमें 42,281 अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कार्यबल तैनात है जिसमें से लगभग 21.57 प्रतिशत समूह "क" एवं "ख" श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी तथा शेष समूह "ग" एवं "घ" श्रेणी के अराजपत्रित कर्मचारी हैं।

1.2.1 निम्नलिखित संबद्ध कार्यालय सीबीडीटी के कामकाज में सहायता करते हैं :

(i) आयकर निदेशालय (जन संपर्क, मुद्रण, प्रकाशन एवं राजभाषा)
(ii) आयकर निदेशालय (वसूली)
(iii) आयकर निदेशालय (लेखा परीक्षा)
(iv) आयकर निदेशालय (आयकर)
(v) आयकर निदेशालय (संगठन एवं प्रबंध सेवाएं)
(vi) आयकर निदेशालय (प्रणालियां)
(vii) आयकर निदेशालय (जांच)
(viii) आयकर निदेशालय (सतर्कता)
(ix) आयकर निदेशालय (छूट)
(x) आयकर निदेशालय (कानूनी एवं अनुसंधान)
(xi) आयकर निदेशालय (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)
(xii) आयकर निदेशालय (अवसंरचना)
(xiii) आयकर निदेशालय (स्रोत पर कटौती)
(xiv) आयकर निदेशालय (मानव संसाधन विकास)
(xv) आयकर निदेशालय (कारोबार प्रक्रिया रिइंजीनियरिंग)
(xvi) आयकर निदेशालय (आसूचना एवं आपराधिक जांच)
(xvii) आयकर निदेशालय (व्यय बजट)

1.3 पूरे देश में 19 संवर्ग नियंत्रक मुख्य आयकर आयुक्त हैं जो पूरे देश में तैनात हैं तथा क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्यक्ष करों के निर्धारण एवं वसूली के लिए समग्र प्रभारी हैं । आयकर महानिदेशक (जांच) क्षेत्रीय स्तर पर जांच तंत्र के समग्र प्रभारी हैं जिसका उद्देश्य कर अपवंचन को रोकना तथा गैर-लेखागत धन को उजागर करना है । आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक अपने-अपने क्षेत्राधिकार में मुख्य आयकर आयुक्तों/आयकर महानिदेशको की सहायता करते हैं । पहले अपीली तंत्र में आयकर आयुक्त (अपील) शामिल हैं, जो कर निर्धारण अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ अपीलों के निर्णय का अर्ध न्यायिक कार्य संपन्न करते हैं ।

1.4 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के साथ नागपुर स्थित राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (एनएडीटी) कर्मचारियों एवं अधिकारियों की प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आयकर महानिदेशक के समग्र पर्यवेक्षण में काम करती है ।

1.5 वेतन एवं लेखा कार्यालयों की सहायता से प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी विभाग द्वारा किए गए व्यय के साथ-साथ राजस्व संग्रहण का हिसाब रखने के लिए भी जिम्मेदार है।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13 (करोड़ रु. में)		परिमाणनीय व्युत्पत्तियां/ भौतिक उत्पाद	निरूपित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	अभ्युक्तियां/जोखिम कारक
2		3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजना गत				
1.	**मुख्य शीर्ष 2020 – आयकर संग्रहण; सूचना प्रौद्योगिकी**		**225.00**	-				
I.	व्यापक कम्प्यूटरीकरण के चरण 3 के लिए संदर्शी योजना	क) सॉफ्टवेयर की खरीद के साथ कम्प्यूटर एकीकरण			• 2014-15 तक निरूपित कार्यभार को संभालने के लिए संगणन क्षमता • प्रत्यक्ष करों से संबंधित सभी संव्यवहारों को संभालने के लिए एकल राष्ट्रीय डाटाबेस • आयकर विभाग के कार्यालयों में सुविधा प्रबंधन	राष्ट्रीय डाटा केन्द्र की स्थापना एवं रखरखाव, क्षेत्रीय डाटाबेसों का एकल राष्ट्रीय डाटाबेस में समेकन।	जारी है ।	डाटाबेस के समेकन का काम पूरा हो गया है । वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान परियोजना हेतु अनुमानित व्यय लगभग 38.54 करोड़ रूपये है ।
		ख) अखिल भारतीय कर नेटवर्क की स्थापना, मानीटरिंग एवं कार्यान्वयन			पूरे देश के आयकर कार्यालयों का नेटवर्क	515 शहरों के अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए "टैक्स नेट" पर केन्द्रीय डाटा केन्द्र की एक्सेस करने में समर्थ होंगे। डाटा के त्वरित एवं विश्वसनीय स्थानान्तरण से करदाताओं को सेवाओं की समय पर सुपुर्दगी का सुनिश्चयन होगा।	जारी है। कोई लक्ष्य नहीं है।	सभी भवनों में लैन/वैन की संयोजकता का काम पूरा हो गया है । वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान इस परियोजना हेतु अनुमानित व्यय 65 करोड़ होगा।
		ग) प्राथमिक, कारोबार सततता आयोजना (बी सी पी) एवं आपदा वसूली (डी आर) स्थलों के लिए डाटा केन्द्र को किराए पर करना।			• उद्योग के मानकों को पूरा करते हुए डाटा केन्द्रों में हार्डवेयर उपकरणों की सह-अवस्थिति। • उपकरण एवं डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बी एस 7799 का सुरक्षा प्रमाणन		जारी है कोई लक्ष्य नहीं है।	तीनों डाटा केन्द्र अर्थात पीडीसी, बीसीपी एवं डीआर स्थल क्रियाशील हैं। इस परियोजना पर अनुमानित व्यय वित्त वर्ष 2012-13 के लिए लगभग 7.70 करोड़ रूपए है ।

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजना गत			
II.	कर सूचना नेटवर्क (टिन)	निम्नलिखित से संबंधित सूचना के आधान के रूप में नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजटरी लि. (एनएस डी एल) द्वारा मेजबानी • ऑन लाइन कर लेखा प्रणाली (ओल्टास), • टी डी एस विवरणियों से आने वाली कर कटौतियां • इलेक्ट्रानिक टी डी एस लेखा के सृजन की सुविधा • वार्षिक सूचना विवरणियों के माध्यम से आने वाले उच्च मूल्य के वित्तीय लेन देन।		• अधिक जोखिम वाले कर अपवंचन के संभावित मामलों की पहचान • टी डी एस कटौतियों की सटीक एवं त्वरित क्रेडिट, विवरणी न जमा करने वालों/ बंद कर देने वालों की पहचान तथा अल्प कटौतियों के मामले • टीडीएस विवरणियों की प्रोसेसिंग • करदाताओं द्वारा या उनकी ओर से कर कटौतीकर्ताओं द्वारा किए गए कर भुगतान को देखने की सुविधाएं। • टीडीएस की प्रभावी मानीटरिंग एवं संग्रहण के लिए विभाग के वरिष्ठ प्रबंधकों को डैशबोर्ड की सुविधाएं	करदाता वार्षिक कर विवरण (फार्म 26 ए एस) के माध्यम से स्वयं वित्त वर्ष के दौरान ही सतत आधार पर अपनी ओर से कटवाए गए कर का ब्यौरा प्राप्त करेंगे । कंप्यूटर आधारित संवीक्षा मामलों के चयन की सुविधा हेतु एआईआर से व्यवसाय आसूचना डाटाबेस	गतिविधि जारी है। कोई विशेष उपलब्धि नहीं।	इस परियोजना पर वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान अनुमानित व्यय लगभग 55 करोड़ रूपये है।
III.	कारोबार प्रक्रिया रीइंजीनियरिंग (बीपीआर)	पणधारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्यमान कारोबार प्रक्रियाओं का पूर्ण सुधार		• परामर्शदाता एवं बीपीआर रोलआउट प्लान की रिपोर्ट प्रस्तुत करना । • ''अभिशासन में नैतिकता'' पर प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट की संभाव्य सिफारिशों का कार्यान्वयन	प्रस्तावित पहल आयकर विभाग के कार्यालयों को नागरिक हितैशी बनाएगी। फलस्वरूप वैज्ञानिक रूप से रिकार्ड किपिंग के साथ और अधिक सक्षम करदाता सेवाएं तथा ई-समिर्थित कर प्रशासन संभव हो पाएगा।		बीपीआर की सिफारिशों के कुछ हिस्सों पर काम पहले ही शुरू किया जा चुका है जिसके तहत सीपीसी, बंगलुरू ने पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया है तथा पूरे देश में आयकर कार्यालय में चरणबद्ध तरीके से आयकर सेवा केन्द्र खोले जा रहे है।
IV.	करदाता सेवाएं	हेल्पलाइन (आयकर सम्पर्क केन्द्र), आयकर विभाग की		• आयकर सम्पर्क केन्द्रों (ए एस के) से व्युत्पत्तियां इस प्रकार	• सूचना का आसान एवं सुविधाजनक प्रसार	जारी गतिविधियां	विभाग ने गुड़गांव में आयकर सम्पर्क केन्द्र स्थापित किया है

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजना गत				
		वेबसाइट तथा ई-फ्रेंडली सेवाओं के जरिए सूचना के प्रसार के लिए करदाताओं के साथ सरल, पारदर्शी, प्रत्यक्ष एवं प्रयोक्ता अनुकूल अंतःक्रिया रखना । - करदाताओं को आयकर विवरणियों की ई-फाइलिंग के लिए आनलाइन सुविधाएं प्रदान करना। - करों का ई-भुगतान। - प्रतिदाय स्थिति का आनलाइन पता लगाना			हैं ➢ पैन, चालान, विवरणी फार्म एवं संबद्ध सूचना का प्रावधान ➢ ई- मेल से फार्म भेजने की सुविधा ➢ पैन संबंधी शिकायतों का निपटारा। • विभिन्न फार्म/ चालान तथा विवरणी तैयार करने वाले साफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए कर संबद्ध सूचना सुविधा का प्रावधान। • आयकर विवरणियों की इलेक्ट्रानिक फाइलिंग के लिए देश व्यापी सुविधाएं। • निर्दिष्ट प्रतिदाय बैंकर के माध्यम से प्रतिदायों का केन्द्रीकृत निर्गम। • प्रत्यक्ष करों के इलेक्ट्रानिक भुगतान की सुविधाएं ।	• सुविधा में वृद्धि जिससे मैनुअल इंटरफेस घटेगा तथा करदाताओं की संतुष्टि में वृद्धि होगी ।		तथा जम्मू , जंगीपुर, शिलांग और कोच्चि में क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना की । वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान 31.12.2011 तक तकरीबन 525856 काल्स प्राप्त किया। वास्तविक व्यय में टेलिफोन व्यय की प्रतिपूर्ति के अलावा ए एस के परियोजना पर वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान अनुमानित व्यय 4.9 करोड़ होगा। वेबसाइट तथा ई- हितैषी परियोजना पर वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान अनुमानित व्यय 5.5 करोड़ रूपए है।
V.	प्रतिदाय बैंकर	(क) आयकर प्रतिदायों का पता लगाना, सृजित करना, जारी करना, निर्गमित करना, क्रेडिट करना तथा उसकी सुरक्षित सुपुर्दगी करना। (ख) प्रतिदाय प्रक्रिया को पूर्णतः स्वचालित, त्वरित एवं पारदर्शी बनाना तथा एक शीघ्रतर 'टर्न अराउंड टाइम' हासिल करना।			आयकर प्रतिदायों का पता लगाने, सृजित करने, जारी, निगर्मित एवं क्रेडिट करने के लिए एक कम्प्यूटर चालित प्रक्रिया जो आयकर प्रतिदायों की प्रभावी एवं सुरक्षित सुपुर्दगी सुनिश्चित करती है । प्रक्रिया को पूर्णतः स्वचालित, त्वरित एवं पारदर्शी बनाने तथा एक शीघ्रतर 'टर्न अराउंड टाइम' हासिल करने	प्रतिदाय बैंकर योजना के तहत जारी है । विभाग के अभिकरण के रूप में मनोनीत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा प्रतिदाय सीधे इलेक्ट्रानिक समाशोधन योजना (ईसीएस) के माध्यम से करदाताओं को भेजा गया। इन मॉडलों में, एसबीआई को सुपुर्द हुए 1-3 दिनों के भीतर		इस परियोजना तथा प्रतिदाय बैंकर पर निरूपित व्यय वित्त वर्ष 2012-13 के लिए 55.00 करोड़ रूपए है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजना गत				
					के लिए प्रतिदायों को भौतिक रूप से जारी अथवा क्रेडिट करने में तीसरी पार्टी को प्रस्तुत करना प्रतिदायों की सुपुर्दगी के लिए एक वेब आधारित स्टेटस ट्रैकिंग सुविधा।	प्रतिदायों को करदाताओं के खातों में क्रेडिट किया गया । प्रतिदायों को जारी कर निर्धारण अधिकारी की भूमिका कम्प्यूटर पर आय की विवरणी प्रोसेस करने तक सीमित है ।	-	
VI.	केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र (सी पी सी) परियोजना	(क) कागज आधारित एवं इलेक्ट्रानिक रूप से दायर आयकर विवरणियों (आई टी आर) की केन्द्रीकृत प्रॉसेसिंग । (ख) सी पी सी विभाग को करदाताओं की संख्या में तीव्र वृद्धि से निपटाने में और परिणामतः कर्मचारियों के लिए कार्य की मात्रा से निपटने में समर्थ बनाएगा। (ग) यह विभाग को पूरे विश्व में सर्वोत्तम कर प्रशासनों द्वारा प्रदत्त आधुनिक नागरिक सेवाएं तथा अधिक दक्ष प्रक्रियाएं शुरू करने में समर्थ बनाएगा।			(i) सी पी सी शुरू में देश भर में इलेक्ट्रानिक रूप से दायर सभी आयकर विवरणियों तथा बंगलुरू में भौतिक आई टी आर के लिए लेन- देन प्रोसेस करेगा। (ii) जब सी पी सी स्थिर हो जाएगा, कर्नाटक एवं गोवा तथा समीपवर्ती राज्य के भौतिक आई टी आर भी प्रचालन बढ़ाने के लिए सी पी सी को दिए जाएंगे। (iii) बंगलौर स्थित सी पी सी के पास अंचल से 20 लाख कागजी विवरणियों एवं 60 लाख इलेक्ट्रानिक विवरणियों को प्रोसेस करेन की क्षमता होगी। (iv) अंततः, ऐसी परिकल्पना है कि बंगलौर के सी पी सी से अनुभव एवं सबक लेकर पूरे देश में सी पी सी मॉडल को दोहराया जा रहा है। मानेसर और पुणे में सीपीसी की स्थापना की जा रही है।	• बेहतर करदाता सेवाएं तथा शिकायतों में कमी • करदाताओं के लिए अनुपालन लागत में कमी • विभाग के लिए प्रशासनिक लागत में कमी • त्वरित प्रोसेसिंग जिससे प्रतिदायों की शीघ्रता से सुपुर्दगी होगी जिससे ब्याज कम देना पड़ेगा • जन शक्ति एवं कार्यालय स्थान का दक्ष प्रयोग	बंगलुरू में जारी	• वित्त वर्ष 2012-13 में इस सीपीसी परियोजना पर अपेक्षित व्यय 145 करोड़ रूपये है जिसमें पूणे और मानेसर में स्थापित किए जाने वाले सीपीसी भी शामिल है।

1	2	3	4(i) योजनेतर	4(ii) योजना गत	5	6	7	8
VII.	टीडीएस विवरण को प्रोसेस करने के लिए केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र (सीपीसी)	(i) दाखिल किए गए टीडीएस विवरणों की प्रोसेसिंग, लेखा और समाधान करने में आयकर विभाग को सक्षमता और कारगरता को बढ़ाने के लिए एक व्यापक प्रणाली का विकास एवं कार्यान्वयन करना। (ii) एक केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र की स्थापना करना तथा आयकर विभाग की ब्राह्य गतिविधियों के निष्पादन हेतु एक ब्रहिः स्रोत मॉडल पर बैक ऑफिस ऑटोमेशन की उपलब्धि प्राप्त करना। (iii) उद्योग की सर्वोत्तम रितियों के अनुसरण में बैक-इंड प्रोसेसों के स्वचालन हेतु प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाना। (iv) कर प्रशासन प्रकार्यों को संभालना जैसे टीडीएस विवरणों से संबंधित डाटा की प्राप्ति, ओल्टास से सूचना का मिलान, पैन का सत्यापन तथा अमान्य/ कोई पैन नहीं, देर से दाखिल करने वाले, दाखिल बंद करने वाले, चूककर्ता मामलें इत्यादि करना। मांग नोटिसो/ तथा प्रतिदायों का निर्गम तथा टीडीएस विवरणों का केन्द्रीकृत रूप से भंडारण।			परियोजना (सीपीसी-टीडीएस) के वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान लगभग 33 करोड़ के लेन देन संभालने की अपेक्षा है।	<u>कटौतीकर्ता हेतुः</u> I. टीडीएस विवरण के संबंध में शुद्धि विवरण दाखिल करने हेतु सुपरिभाषित प्रक्रिया। II. परिभाषित सेवा स्तरों के अन्दर संबंधित सेवाओं की सुपुर्दगी <u>आकर विभाग के कर्मचारियों हेतुः</u> I. एक समान एवं सुपरिभाषित कार्य-प्रक्रिया II. संवीक्षा, वसूली, सर्वेक्षण आदि जैसे गतिविधियों के अनुपालन में समय का बेहतर उपयोग। <u>आयकर विभाग हेतुः</u> I. कटौतीकर्ता एवं कटौती कराने वालों के लिए बेहतर सेवा-सुपुर्दगी। II. संवीक्षा वसूली, सर्वेक्षण आदि जैसी गतिविधियों जिसमें विशेष ज्ञान की अपेक्षा तथा व्यष्टिगत मामलों में स्वविवेक के प्रयोग की आवश्यकता होती है, के अनुपालन में आयकर विभाग के संसाधनों का सदुपयोग। <u>आयकर दाता हेतुः</u> I. 26ए एस को देखना, फार्म 16/16ए में टीडीएस प्रमाणपत्र II. टीडीएस के बेमेल मामलों का समाधान	परियोजना के नवम्बर, 2012 तक शुरू करने की तैयारी की गई है। <u>टिप्पणी</u>: प्रणाली का प्रचालन सतत आधार पर किया जाता है।	पूरी परियोजना का अनुमोदन पांच वर्षों की अवधि हेतु 136 करोड़ रूपए के लिए कयिा गया है। वित्त वर्ष 2012-13 में इस परियोजना का वित्तीय परिव्यय 18.64 करोड़ रूपए है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजना गत				
VIII	नया आईटीडी एप्लीकेशन	नए लैंडस्केप एवं नए हार्डवेयर के साथ नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ नए आईटीडी एप्लीकेशन का पुनर्लेखन तथा पुराने एप्लीकेशन का रख-रखाव भी करना			• सभी आईटीडी एप्लीकेशन का पुनर्लेखन • डाटा केन्द्र (प्राथमिक बीसीपी एवं डीआर) बैठक उद्योग मानकों में हार्डवेयर उपस्कर सह अवस्थिति	सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए नई आईटीडी एप्लीकेशन तथा विभाग के सभी प्रकार्यों को अन्दर लेना।	साफ्टवेयर वेंडर का आरएफपी 2012-13 में पूरा होगा। साफ्टवेयर लेखन की मुख्य परियोजना को वेंडर के साथ संविदा पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 23 महीनों पर अनुमानित की गई है, जो कि अस्थायी रूप से सितम्बर-अक्तूबर 2012 में पूरा करने हेतु सोची गई थी।	वित्त वर्ष 2012-13 में परामर्श-दाताओं को भुगतान हेतु वित्तीय परिव्यय 1.58 करोड़ रूपए है।
IX	राजस्व लेखा प्रबंधन साफ्टवेयर	राजस्व लेखों का संकलन एन आई सी, हैदराबाद में केन्द्रीकृत डाटाबेस सर्वर में डाटा का अंतरण तथा विभिन्न एमआईएस को सृजित करने हेतु वी आई आवेदन को प्रचालित करना			एक बी आई आवेदन की खरीद, उसका कस्टमाईजेशन तथा स्टाफ को उस एप्लीकेशन पर कार्य करने का प्रशिक्षण	प्रत्यक्ष करों के राजस्व लेखा पर विभिन्न एम आई एस का सृजन तथा पूरी प्रक्रिया को स्वचालित बनाना।	एक वर्ष	बी आई एप्लीकेशन के कार्यान्वयन से राजस्व संग्रहण की विभिन्न रिपोर्ट तथा अन्य विभिन्न कस्टोमाइज़्ड रिपोर्ट का सृजन होगा। वित्त वर्ष 2012-13 अनुमानित व्यय 0.45 करोड़ रूपए है।
X	सभी 24 जेड ए ओ में वित्त मंत्री द्वारा अनिवार्य किए गए अनुसार ई-भुगतान का कार्यान्वयन	सभी 24 जेड ए ओ में इलैक्ट्रानिक भुगतान का क्रियान्वयन			24 जेड ए ओ के भुगतान क्षेत्राधिधकार के अन्तर्गत सभी वेंडरों और लाभार्थियों के लिए ई- भुगतान संभव करना	सरकारी इलैक्ट्रानिक भुगतान गेटवे के माध्यम से वेन्डरों और लाभार्थियों के खातों में ई-भुगतान करना संभव बनाना।	एक वर्ष (विभिन्न ज़ेड ए ओ में चरण बद्ध तरीके से)	सरकारी इलैक्ट्रानिक भुगतान गेटवे के माध्यम से वेन्डरों और लाभार्थियों के खातों में ई-भुगतान करना संभव बनाना। वित्त वर्ष 2012-13 में अनुमानित व्यय 1.2 करोड़ रूपए है।
2	**मुख्य शीर्ष 4059-सार्वजनिक कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-कार्यालय भवन**		**777.48**	-				

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजना गत				
I	सिविक सेंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली में कार्यालय स्थाना का क्रय				दिल्ली में कार्यालय स्थान की कमी को दूर करने के लिए तकरीबन 51,768 वर्गमीटर सुपर निर्मित क्षेत्रफल का कार्यालय स्थान उपलब्ध होगा ।	परिसम्पत्ति का सृजन	31.9.2013	परियोजना के 2012-13 में पूरा होने की संभावना है। दिल्ली नगर निगम को परियोजना के पूरे होने के बाद भुगतान की अंतिम राशि दे दी जाएगी। वित्त वर्ष 2012-13 में परिव्यय 600 करोड़ के रूपए है।
II	एनएडीटी, नागपुर में उन्नत प्रशिक्षण केन्द्र, मैस एवं हॉस्टल का निर्माण	राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर में आवास सुविधा की बढ़ती जरूरत को पूरा करने तथा विदेशी अधिकारियों सहित उन्नत पाठ्यक्रम हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता को पूरा करना			राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी में मैस के साथ होस्टल-।।, ए टी सी का निर्माण	परिसम्पत्ति का सृजन	10.06.2013	101 करोड़ रूपए का प्रशासनिक अनुमोदन तथा वित्तीय मंजूरी 04.08.2010 को दी गई। 60 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान वित्त वर्ष 2011-12 में किया गया तथा वित्त वर्ष 2012-13 में 25.95 करोड़ रूपए की शेष निधि की आवश्यकता होगी क्योंकि परियोजना के 10.6.2013 तक पूरे होने की अपेक्षा है।
III	एनबीसीसी प्लाजा, साकेत, नई दिल्ली का क्रय	कार्यालय स्थान की कमी को कम करना			कार्यालय भवन का निर्माण	परिसम्पत्ति का सृजन		चूंकि एनबीसीसी से कार्य पूरा होने के प्रमाणपत्र क प्रतीक्षा है अतः प्रमाणपत्र के प्राप्त होने के बाद 5 करोड़ का भुगतान करने का प्रस्ताव किया गया है।
IV	नोएडा में आयकर विभाग हेतु कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को कम करना			कार्यालय भवन का निर्माण	इसके कार्यालय स्थान की कमी पूरी होगी तथा किराए पर लिए गए स्थान को खाली किया जा सकेगा।	31.03.2013	परियोजना पर कार्य चल रहा है। इस कार्य के लिए वित्त वर्ष 2012-13 में परिव्यय 8.70 करोड़ रूपए है।
V	गोल्फ लिन्क्स, नई दिल्ली में अतिथि गृह का निर्माण	अतिथिगृह की कमी को कम करना।			गोल्फ लिंग, नई दिल्ली में अतिथि गृह का निर्माण	यह मिलने आने वाले अतिथियों के लिए रहने की समस्या का निदान करेगा ।	31.03.2013	9.69 करोड़ रूपए के प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय संस्वीकृति 28.3.2011 को दी गई। वित्त वर्ष 2012-13 के लिए बजट

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) योजनेतर 4(ii) योजना गत				
							प्रावधान 8.69 करोड़ रूपए है। परियोजना के 31.3.2013 तक पूरा होने की संभावना है।
VI	मोहाली, चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (डीटीआरटीआई) का निर्माण	प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाना		क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण	कालम 3 में दिए गए उद्देश्य को प्राप्त करना	31.3.2013	परियोजना पर अनुमोदन लिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2012-13 में इस कार्य हेतु परिव्यय 20 करोड़ रूपए है।
VII	**फिरोजाबाद में कार्यालय भवन का निर्माण**	कार्यालय स्थान की कमी को कम करना		कार्यालय भवन का निर्माण	कॉलम 3 में दिए गए उद्देश्य को पूरा करना।	मंजूरी आदेश की प्राप्ति के दिन से 18 माह	प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। प्रस्तावित कुल परिव्यय 8.19 करोड़ रूपए है तथा वित्त वर्ष 2012-13 में इस कार्य हेतु परिव्यय 3.19 करोड़ रूपए है।
VIII	**बंगलुरू में कार्यालय भवन का निर्माण**	कार्यालय स्थान की कमी को कम करना		कार्यालय का निर्माण	कॉलम 3 में दिए गए उद्देश्य को पूरा करना।	मंजूरी आदेश की प्राप्त होने के दिन से 24 माह	प्रस्ताव अभी प्रक्रियाधीन है।
IX	**लखनऊ में कार्यालय एवं आवासीय भवन का निर्माण**	आवासीय तथा कार्यालय स्थान की कमी को दूर करना		कार्यालय एवं आवासीय भवन का निर्माण	कॉलम 3 में दिए गए उद्देश्य को पूरा करना।	मंजूरी आदेश की प्राप्त होने के दिन से 24 माह	परियोजना प्रक्रियाधीन है। प्रस्तावित कुल परिव्यय 88.02 करोड़ रूपए है तथा वित्त वर्ष 2012-13 में परिव्यय 44 करोड़ है।
X	**श्रीनगर में कार्यालय एवं आवासीय भवन का निर्माण**	आवासीय तथा कार्यालय स्थान की कमी को दूर करना		कार्यालय एवं आवासीय भवन का निर्माण	कॉलम 3 में दिए गए उद्देश्य को पूरा करना।	मंजूरी आदेश की प्राप्त होने के दिन से 46 माह	परियोजना विचाराधीन है है। प्रस्तावित कुल परिव्यय 42.09 करोड़ रूपए है तथा वित्त वर्ष 2012-13 में परिव्यय 10 करोड़ है।
XI	**शाहजहां पुर में कार्यालय एवं आवासीय गृहों का निर्माण**	आवासीय तथा कार्यालय स्थान की कमी को दूर करना		कार्यालय एवं आवासीय भवन का निर्माण	कॉलम 3 में दिए गए उद्देश्य को पूरा करना।	भूमि के क्रय के बाद भवन का निर्माण किया जाना है।	परियोजना पर अनुमोदन लिया जा रहा है। प्रस्तावित कुल परिव्यय 3.86 करोड़ रूपए है

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) योजनेतर 4(ii) योजना गत				
							तथा वित्त वर्ष 2012-13 में परिव्यय 1 करोड़ रू. है।
XII	**नरीमन प्वाइंट, मुम्बई में कार्यालय एवं आवासीय भवन का निर्माण**	आवासीय तथा कार्यालय स्थान की कमी को दूर करना।		नरीमन प्वाइंट, मुम्बई में कार्यालय एवं आवासीय भवन का निर्माण	कॉलम 3 में दिए गए उद्देश्य को पूरा करना।		प्रस्ताव सीसीआईटी, मुम्बई के विचाराधीन है तथा महाराष्ट्र सरकार से एफ एस आई प्राप्त करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2012-13 के लिए इस परियोजना हेतु परिव्यय 11 करोड़ रूपए है।
	मुख्य शीर्ष 4216- सार्वजनिक कार्य पर पूंजीगत परिव्यय- गृह निर्माण						
I	पुणे में आवासीय काम्प्लैक्स के निर्माण हेतु प्रस्ताव	आवासीय स्थान की कमी को दूर करना		आवासीय काम्प्लैक्स का निर्माण	कॉलम 3 में दिए गए उद्देश्य को पूरा करना।		परियोजना की जांच की जा रही है। प्रस्तावित कुल परिव्यय 42.57 करोड़ रूपए है तथा वित्त वर्ष 2012-13 में परिव्यय 25 करोड़ रू. है।
II	जम्मू में आवासीय गृहों को निर्माण	आवासीय स्थान की कमी को दूर करना तथा अधिकारियों को बेहतर कार्य करने हेतु वातावरण उपलब्ध (विभाग के अधिकारियों ताकि बेहतर कर दाता सेवा दी जा सके।)		आवासीय भवन के निर्माण की शुरूआत	कॉलम 3 में दिए गए उद्देश्य को पूरा करना।	मंजूरी आदेश की प्राप्ति के दिन से 26 माह	प्रस्तावित कुल परिव्यय 11.37 करोड़ रूपए है तथा वित्त वर्ष 2012-13 में परिव्यय 3 करोड़ रू. है।

सुधार उपाय एवं नीतिगत पहलें

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

बेहतर करदाता सेवाओं के लिए पहलें

(क) आयकर महानिदेशक (प्रणाली), सीबीडीटी के कार्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी पहलें

3.1 केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र (सीपीसी), बंगलौर

आयकर विवरणियों की थोक प्रोसेसिंग के लिए प्रौद्योगिकी के नवाचारी एवं व्यापक प्रयोग द्वारा समर्थित सीपीसी परियोजना एक प्रमुख प्रशासनिक सुधार है। विवरणियों की प्रोसेसिंग में देर के कारण इसे तेज किया गया क्योंकि विरासत प्रक्रियाएं क्रास फंग्शनली डिजाइन थी जिससे विलंब विवरणियों एवं करदाता असंतोष पर हित की दृष्टि से खजाने पर अधिक बोझ पड़ता था।

सीपीसी बंगलौर लाइव हो गया तथा अक्टूबर, 2009 से उत्पाद देना शुरू कर दिया। 25/09/2010 को यह माननीय वित्त मंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया।

वित्त वर्ष 2011-12 (31/12/2011 तक) में सीपीसी बंगलौर ने 96,88,945 आयकर विवरणियां प्रोसेस की हैं, 30,75,971 मामलों में प्रतिदाय निर्धारित किया है।

सीपीसी पहल एक व्यापक सरकारी प्रक्रिया रीइंजीनियरिंग कवायद है तथा फरवरी 2011 में सरकारी री-इंजीनियरिंग प्रक्रिया में उत्कृष्टता की सम्मानित श्रेणी में ई-अभिशासन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2011 के लिए स्वर्ण पुरस्कार की विजेता घोषित की गई।

3.2 क्षेत्रीय प्रोसेसिंग केन्द्र (आरपीसी), पुणे एवं मानेसर

सीपीसी बंगलौर के क्षेत्राधिकार में कर्नाटक एवं गोवा की ई-विवरणियां एवं कागजी विवरणियां शामिल हैं। अखिल भारतीय कवरेज प्रदान करने के विचार से, पुणे एवं मानेसर में आरपीसी प्रस्तावित हैं। प्रबंधित सेवा प्रदाता (एमएसबी) के चयन की प्रक्रिया चल रही है।

3.3 विवरणियों की ई-फाइलिंग

इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से आयकर विवरणी दाखिल करने की प्रक्रिया या विवरणियों की ई-फाइलिंग 24/7/2006 को अधिसूचित की गई तथा बाद में कतिपय श्रेणी के करदाताओं के लिए अनिवार्य की गई।

वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान, प्राप्त विवरणियों की संख्या 50,75,898 थी तथा वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान प्राप्त विवरणियों की संख्या 93,01,981 थी जो विवरणियों की ई-फाइलिंग में 83 प्रतिशत वृद्धि दर्शाती है। चालू वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान 31/12/2011 तक प्राप्त विवरणियों की संख्या 1,11,11,476 है तथा वित्त वर्ष के अंत तक 1.50 करोड़ को छू जाने की संभावना है।

3.4 प्रतिदाय बैंकर योजना

प्रतिदाय बैंकर योजना शुरू में 24/1/2007 से मार्गदर्शी के रूप में दिल्ली एवं पटना में कार्यान्वित की गई। सकारात्मक प्रभाव के आधार पर, योजना का मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता एवं बंगलौर में विस्तार किया गया। अक्टूबर 2009 से प्रतिदाय बैंकर का 9 और शहरों अर्थात अहमदाबाद, इलाहाबाद, भुवनेश्वर, कोचीन, हैदराबाद, कानपुर, पटियाला, पुणे एवं चंडीगढ़ में भी विस्तार किया गया।

वित्त वर्ष 2009-10 की प्रणाली अध्ययन रिपोर्ट तथा पैन इंडिया रोल आउट योजना के लिए स्थाई समिति की सिफारिश में राजस्व लेखा परीक्षा द्वारा योजना की सराहना की गई। योजना की सफलता के मद्देनजर, प्रतिदाय बैंकर योजना का भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से चरणों में 1/8/2010 से शेष केन्द्रों में गैर-कार्पोरेट प्रभारों में विस्तार किया गया।

- **<u>प्रतिदाय बैंकर योजना के अंतर्गत 31/12/2011 तक जारी प्रतिदाय निम्नानुसार थे:</u>**

क्र. सं.	वित्त वर्ष	इलेक्ट्रानिक प्रतिदायों की संख्या	कागजी विवरणियों की संख्या	कुल
1	2006-07	6,480	20,220	26,700
2	2007-08	1,41,536	2,45,673	3,87,209
3	2008-09	4,56,916	4,09,223	8,66,139
4	2009-10	5,95,614	8,25,541	14,21,155
5	2010-11	13,23,477	53,69,475	66,92,952
6	2011-12 (31/12/2011 तक)	48,34,545	1,27,41,454	1,75,75,999

- प्रतिदाय बेंकर के माध्यम से विवरणियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है जो करदाता संतुष्टि में परिणत हुई है।
- भारतीय डाक तथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लि. (एनएसडीएल) के साथ मिलकर एक वेब आधारित स्टेटस ट्रैकिंग सुविधा वर्ष के दौरान शुरू की गई है। आईटीडी की वेबसाइट के माध्यम से इंटरनेट पर भी प्रतिदाय स्टेटस उपलब्ध है। संदत्त प्रतिदायों पर सूचना भी करदाताओं को दिए जा रहे कर क्रेडिट विवरण (फार्म 26एएस) में उपलब्ध है।

3.5 राष्ट्रीय काल केन्द्र एवं क्षेत्रीय काल केन्द्र

निदेशालय द्वारा दी गई दूसरी महत्वपूर्ण नागरिक केन्द्रित पहल एक मजबूत राष्ट्रीय काल केन्द्र तथा जम्मू, शिलांग, नागपुर एवं कोच्चि में चार क्षेत्रीय काल केन्द्रों की स्थापना है।

काल केन्द्रों में एक अखिल भारतीय टोल फ्री नम्बर होगा जिससे कालकर्ताओं को विभिन्न सूचनाओं / सेवाओं के लिए इन्टरैक्टिव वाइस रिसपोंस सिस्टम (आईवीआरएस) के माध्यम से गाइड किया जा रहा है, जिसमें विवरणी प्रपत्र, कर भुगतान कार्यविधि, पैन, टिन आवेदन, कर भुगतान की स्थिति, प्रतिदाय, ई-विवरणी मध्यवर्ती भूमिका, जिम्मेदारी क्षेत्राधिकार आदि शामिल है। क्षेत्रीय काल केन्द्रों को कालकर्ता (करदाता) की सहमति में वृद्धि के साथ स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा में करदाता के साथ नियंत्रित इंटरफेस के लिए मंच के रूप में सेवा करने के लिए अधिदेश दिया जा रहा है।

केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केंद्र बंगलौर, क्षेत्रीय प्रोसेसिंग केंद्र,पुणे मानेसर एवं कोलकाता तथा आयकर सेवा केंद्रों के विधायन / प्रस्तावित काल केंद्रों के बीच एकीकरण की भी उपयुक्त समय पर योजना है। प्रौद्योगिकी मंच निकट भविष्य में करदाता को वास्तविक समय सूचना प्रदान करने के लिए आईटीडी की डाटाबेस के साथ संबंध को समर्थ बनाता है।

काल केंद्रों का ट्रायल रन पूरा हो गया है तथा टोल फ्री नंबर में माइग्रेशन शीघ्र किया जाएगा।

3.6 ओल्टास के अंतर्गत की गई पहलें

(i) एटीएम के माध्यम से प्रत्यक्ष करों का भुगतान

प्रणाली निदेशालय ने नवम्बर 2010 में एटीएम के माध्यम से प्रत्यक्ष करों के भुगतान की योजना शुरू की है। यह यूटिलिटी ऐसे करदाताओं के लिए व्यापक उपयोगी होने की संभावना है जो एटीएम सुविधा प्राप्त करते हैं परंतु इंटरनेट बैंकिंग से सज्जित नहीं हैं। कुछ चयनित बैंकों द्वारा यह सुविधा शुरू की गई है तथा इसका विस्तार किया जा रहा है।

(ii) बैंकों से चालान की गुणवत्ता सुधार

चालान संशोधन मशीनरी (बैंकों के माध्यम से) करदाता अनुकूल उपाय

के रूप में तथा करदाताओं को सीवन सहित कर क्रेडिट प्रदान करने के लिए अच्छी गुणवत्त का चालान डाटा सुनिश्चित करने के लिए मशीनरी के रूप में शुरू की गई।

(iii) ओल्टास डैशबोर्ड का विस्तार

ओल्टास डैशबोर्ड सुविधा जो विभाग के वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए टिन के माध्यम से शुरू की गई, प्रदान करने के लिए विस्तार किया गया है:

(क) सीआईटी प्रभार स्तर तक करदाता प्रोफाइल - प्रपत्र 26एएस (कर क्रेडिट विवरण) के सृजन पर सांख्यिकी

(ख) प्रभार में कटौतीकर्ताओं द्वारा अनुपालन की सीमा - सीसीआईटी (सीसीए) वार तथा धारा एवं संहितावार टीडीएस के लिए अनुपालन

(ग) प्रभार के लिए टीडीएस (धारावार) (चालान, राज्य सरकार एवं अंतरण वाउचर के माध्यम से) और

(घ) अग्रिम कर भुगतान

3.7 सेवोत्तम

यह किसी सरकारी विभाग द्वारा सेवा के परिदान में उत्कृष्ठता के लिए एक अभिन्न मॉडल है। सेवोत्तम के अंतर्गत आयकर सेवा केंद्र डाक की प्राप्ति, पंजीकरण एवं वितरण के लिए एकल खिडकी कंप्यूटरीकृत सेवा मशीनरी है। इस प्रयोजनार्थ विकसित साफ्टवेयर प्राप्त प्रत्येक डाक के लिए आनलाइन ट्रैकिंग तथा अनुक्रम के सभी स्तरों पर आनलाइन निगरानी भी प्रदान करता है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से आईएसः 15700ः 2005 पुणे एवं कोच्चि के ए एस के केंद्रों के लिए प्राप्त किया गया है।

विभाग ने संशोधित केंद्रीय साफ्टवेयर अनुप्रयोग के साथ आज तक 34 स्टेशनों में ए एस केन्द्र खोला है।

3.8 व्यक्तिगत लेनदेन विवरण तथा एआईआर/सीआईबी पहलों के अंतर्गत 360 डिग्री प्रोफाइलिंग

व्यक्तिगत लेनदेन विवरण (आईटीएस) प्रक्रिया एक व्यापक करदाता प्रोफाइल के लिए 2.5 करोड़ से अधिक करदाताओं के लिए प्रणाली के माध्यम से लेजर तैयार करने के लिए स्थापित की गई है।

इस समय, आईटीएस आयकर अधिनियम की धारा 197 के अंतर्गत जारी कम टीडीएस / शून्य टीडीएस प्रमाणपत्र, एआईआर लेनदेन, सीआईबी लेनदेन, समूह एवं व्यक्तिगत टीडीएस लेनदेन, समूह कर भुगतान लेनदेन, व्यक्तिगत विवरणी सूचना, आयकर विवरणी से बैंक खाता ब्यौरा का एकल खिड़की आक्सेस देता है।

3.9 टीडीएस असंतुलन के समाधान तथा टीडीएस विवरणी की प्रोसेसिंग के लिए पहलें

आयकर विवरणी में करदाता द्वारा दावाकृत टीडीएस तथा अपने टीडीएस विवरण में कटौतीकर्ता द्वारा सूचित टीडीएस में असंतुलन की सीमा चिन्ता का विषय रही है तथा काफी आयकर मांग में परिणत हुई है। टीडीएस असंतुलन के लिए कारण तत्वतः विरासत के मुद्दों के कारण हैं।

असंतुलन उत्पन्न होता है क्योंकि कटौती कर्ता जो अब तक टीडीएस विवरण दाखिल करने और /या कटौती सूचित करने में कैजुअल / अनिच्छुक/ हेजिटेंट थे, से अब ठीक से टीडीएस विवरण दाखिल करने की अपेक्षा है। इसके अलावा करदाता, जो कटौती कर्ताओं को अपने पैन सूचित करने में हिचकते थे, से अब अपना पैन देने की अपेक्षा है ताकि बदले में कटौतीकर्ता आयकर विभाग को इस पैन के विरूद्ध लेनदेन सूचित कर सके।

आईटीडी प्रणाली में कर क्रेडिट करदाता को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है कि क्रेडिट आईटीडी डाटाबेस में 26 ए एस विवरण में स्थान प्राप्त करता है। यह निम्नलिखित पर निर्भर है:

(i) कटौतीकर्ता ने समय पर तथा ठीक से टीडीएस विवरण दाखिल किया है;

(ii) कटौतीकर्ता ने ऐसे टीडीएस विवरण में ठीक से पैन सूचित किया है;

(iii) कटौतीकर्ता ने पैन के संबंध में ठीक से टीडीएस सूचित किया है;

वित्त वर्ष 2010-11 में, असंतुलन के मुद्दे के समाधान के लिए निम्नलिखित रणनीति तैयार की गई:

(i) टीडीएस डिफाल्टर को नोटिस जारी करना तथा संक्षिप्त भुगतान, विलंब भुगतान आदि पर मांग उठाना। इस कवायद ने कटौती कर्ता को संवेदी बनाने एवं मजबूत संदेश भेजने में सहायता की कि विभाग टीडीएस विवरण में सूचित तथ्य/ डाटा का विश्लेषण कर रहा है।

(ii) 26एएस विवरण का दर्शन ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometaxindiaefiling.gov.in) तथा 19 बैंकों के इंटरनेट बैंकिंग प्रयोक्ताओं के माध्यम से समर्थ बनाया गया। सुविधा ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से निशुल्क उपलब्ध है। 31 दिसम्बर, 2011 को 88 लाख से अधिक करदाताओं ने ऐसे विवरणों को आनलाइन देखा है।

विभाग के डाटाबेस में उपलब्ध कर क्रेडिट के बारे में सूचना से करदाता को समर्थ बनाने के लिए, विभाग द्वारा 26एएस योजना के अंतर्गत कर क्रेडिट दर्शन सुविधा शुरू की गई । 26एएस विवरण देखने की यह सुविधा करदाताओं को इंटरनेट पर आनलाइन उपलब्ध है । 26एएस में असंतुलन कम करने की क्षमता है क्योंकि करदाता कर क्रेडिट में अंतर से अवगत है और इसलिए वह अनुपालन करने के लिए कटौती कर्ता का पीछा करके विभाग की सुविधा करता है। इसके अलावा उसका कटौती कर्ता के साथ वित्तीय संबंध है, करदाता कभी-कभी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिक ताकतवर होता है।

की गई पहल के फलस्वरूप, कटौतीकर्ता की ओर से अनुपालन में सुधार हुआ है।

3.10 टीडीएस-सीपीसी की स्थापना

स्रोत पर कर कटौती विवरण (टीडीएस) की प्रोसेसिंग के लिए वैशाली में एक केंद्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। सीपीसी-टीडीएस आयतन को हैंडल करने के लिए स्टेट आफ आर्ट सुविधा प्रदान करेगा तथा मुद्दे के समाधान के लिए प्रोद्योगिकी चालित समाधान प्रदान करेगा। सीपीसी-टीडीएस अन्य के अलावा निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगाः

- अधिकृत बिचौलियों तथा कटौतीकर्ताओं के लिए ई-टीडीएस/टीसीएस संशोधन विवरण दाखिल करने की वेब सेवाएं
- टीडीएस विवरण में पैन त्रुटि का सुधार
- टीडीएस/टीसीएस/24जी विवरण में चूक की हैंडलिंग
- पोर्टल के माध्यम से कटौतीकर्ता/पीएओ/बिचौलियों के साथ संचार
- हैल्प डेस्क/काल केंद्र के माध्यम से कटौतीकर्ताओं को सूचित करना
- कटौतीकर्ताओं /पीएओ द्वारा सूचित शिकायतों का समाधान
- रिपोर्टिंग एवं डैशबोर्ड
- टीडीएस के लिए व्यवसाय विश्लेषण

सीपीसी-टीडीएस का माडल प्रबंधित सेवा प्रदाता (एमएसपी) नियुक्त करके सीपीसी बंगलौर के जैसा है। इस परियोजना के लिए मैसर्स इंफोसिस को एमएसपी के रूप में चुना गया है। उम्मीद है कि यह परियोजना नवम्बर, 2012 तक चालू हो जाएगी।

(ख) प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (पीसीसीए), सीबीडीटी के कार्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी पहलें:

3.11 आरएएमएस परियोजनाः पीसीसीए, सीबीडीटी के कार्यालय में कार्यान्वित की जा रही प्राप्ति लेखा प्रबंधन साफ्टवेयर दूसरी ड्रीम परियोजना है। ये माड्यूल मूलतः जेडएओ स्तर पर प्राप्ति लेखा के लिए है। इस परियोजना की मुख्य विशेषताएं हैं:

(क) प्राप्ति एवं प्रेषण का स्वचालित समाशोधन।

(ख) बैंकों से प्राप्त इलेक्ट्रानिक फाइलों (प्री-फार्मेटेड) (अर्थात इलेक्ट्रानिक चालान, दैनिक विस्तृत पर्ची, डीएमएस आदि) के माध्यम से डाटा समावेशन।

(ग) विलंबित अवधि के व्याज की गणना।

(घ) निगमित चालानों के लेखाकरण का विस्तृत स्तर।

(ङ) खोले गए व्यक्तिगत जमा खातों का अनुरक्षण।

आरएएमएस लेखा रिपोर्टों के त्वरित सृजन के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली उपकरण के रूप में विशुद्धतः शुरू किया गया। यह नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपोजिटरी लि. से डाटा प्राप्त करने पर आधारित है जिस पर विभिन्न बैंकों ने डाटा लोड किया है। संबंधित जेडएओ को भेजा जाता है जो बदले में आरएएस सिस्टम का प्रयोग करके इन टेक्स्ट फाइलों से संगत सूचना समाविष्ट करते हैं।

अब सिविल लेखा मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार सीधे बैंक से चालान एवं पर्ची डाटा लिया जाता है। इस प्रयोजनार्थ सभी बैंक एनआईसी डाटा केंद्र, हैदराबाद में अधिष्ठापित केंद्रीय सर्वर में इलेक्ट्रानिक प्रारूप में दैनिक इलेक्ट्रानिक फाइलें (चालान, पर्ची, प्रतिदाय, त्रुटि चालान ,त्रुटि प्रतिदाय) जेडएओ वार अपलोड करेंगे । संबंधित जेडएओ उसे डाउनलोड कर सकते हैं तथा आरएएमएस साफ्टवेयर में समाविष्ट कर सकते हैं। इस प्रयोजनार्थ, एनआईसी, डाटा केन्द्र, हैदराबाद में 3(तीन) केंद्रीय सर्वर लगाए गए हैं तथा एनआईसी आरएएमएस साफ्टवेयर में चालान एवं पर्ची डाटा की प्रोसेसिंग के लिए एक अप्लीकेशन विकसित कर रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सर्वर पर सभी जेडएओ के संबंध में 'पुट थ्रू फिगर्स' अपलोड करने की प्रक्रिया में है जिसे आंकड़ों के समायोजन तथा दांडिक ब्याज की गणना के लिए जेडएओ द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है।

3.12 ई-भुगतान परियोजनाः सभी 24 जेडएओ में ई-भुगतान प्रणाली का कार्यान्वयन शुरू किया जा रहा है। ई-भुगतान प्रणाली से सीधे बैंकों को इलेक्ट्रानिक सलाह का सृजन होगा तथा चेक जारी करने की वर्तमान प्रणाली समाप्त होगी।

पिछले निष्पादन की समीक्षा - योजनावार भौतिक निष्पादन

सीबीडीटी प्रत्यक्ष करों के समग्र प्रशासन एवं संग्रहण में शामिल है। कुल मिलाकर आयकर विभाग का भौतिक निष्पादन प्रमुख क्षेत्रों में नीचे प्रस्तुत किया गया हैः

(i) प्रत्यक्ष करों का संग्रहण 2006-07 में 230180 करोड़ रूपए से दोगुना होकर 22.02 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि से 2010-11 में 446935 करोड़ रूपए हो गया है। 2007-08 में, पहली बार प्रत्यक्ष करों का शेयर अप्रत्यक्ष करों से अधिक हो गया तथा केन्द्रीय करों के लगभग 52.6 प्रतिशत का योगदान किया। तब से यह रूझान जारी है। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान, कुल केंद्रीय कर संग्रहण में प्रत्यक्ष करों का शेयर 56.65 प्रतिशत था।

(ii) प्रत्यक्ष कर - जीडीपी अनुपात 2006-07 में 5.36 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 5.67 प्रतिशत हो गया है। तथापि, इस अवधि के दौरान संग्रहण की लागत सीमांत रूप से 0.59 प्रतिशत से बढ़कर 0.64 प्रतिशत हो गई है। फिर भी यह विश्व में न्यूनतम में से एक है।

(iii) वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान, विभाग ने बकाया मांग से 12010 करोड़ रूपए का संग्रहण किया है जो पिछले वित्त वर्ष के संग्रहण से 0.59 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान मांग के संबंध में, वित्त वर्ष 2010-11 के लिए संग्रहण पिछले वर्ष की तुलना में 71.62 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 41704 करोड़ रूपए हो गया है।

(iv) विभाग द्वारा टीडीएस प्रशासन पिछले कुछ वर्षों से एक आकर्षक निष्पादन दर्शा रहा है। वित्त वर्ष 2010-11 के लिए, टीडीएस से कुल संग्रहण 168669.59 करोड़ रूपए था जो कुल प्रत्यक्ष कर संग्रहण का 37.74 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान टीडीएस से कुल संग्रहण 145735.69 करोड़ रूपए था। इस प्रकार टीडीएस संग्रहण में काफी वृद्धि है।

(v) आयकर विभाग द्वारा ई-अभिशासन पहलें करदाताओं को किसी सरकारी विभाग द्वारा सर्वोत्तम ई-डिलीवरी सेवाओं की उपलब्धता में परिणत हुई हैं। विवरणियों की ई-फाइलिंग, टीडीएस / टीसीएस विवरणियों की ई-फाइलिंग, करों के ई-भुगतान तथा सीधे करदाता के बैंक खाते में प्रतिदाय की इलेक्ट्रानिक क्रेडिट को संभव बनाना कुछ ऐसी पहलें हैं जिनके लिए हर क्षेत्र से सराहना मिली है। बंगलौर में केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र (सीपीसी) ई-फाइलिंग विवरणियों की प्रोसेसिंग के समय को कम करने में समर्थ हुआ है। प्रतिदाय बैंकर योजना की शुरूआत से प्रतिदाय संबद्ध शिकायतों में भारी गिरावट हुई है क्योंकि प्रतिदाय तुरंत बाद जारी कर दिया जाता है। पैन संबद्ध सेवाओं को भी बेहतर करदाता सेवाओं के लिए आउटसोर्स किया गया है। प्रपत्र 26एएस का स्थिरीकरण आय विवरणियों की त्वरित प्रोसेसिंग में परिणत हुआ है, जिसमें करदाता द्वारा संदत्त करों का ब्यौरा होता है।

परिव्यय 2010-11 के संदर्भ में परिणाम की स्थिति

क्र.स.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11 (करोड़ रु. में)		मात्रात्मक प्रदेय/ भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार स्थिति
1	2	3	4		5	6	7
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान			
1.	**मुख्य शीर्ष 2020 – आयकर की वसूली: सूचना प्रौद्योगिकी**		**225.00**	**200.00**			**31.03.2011 तक वास्तिवक व्यय - ₹192.20 करोड़**
I.	व्यापक कम्प्यूटरीकरण के चरण 3 के लिए भावी योजना	क) सॉफ्टवेयर की अधिप्राप्ति के साथ सिस्टम इंटीग्रेशन			• 2014-15 तक अनुमानित कार्यभार के निपटान के लिए कंप्यूटिंग क्षमता • सभी प्रत्यक्ष कर संबंधी संव्यवहारों के निपटान के लिए एकल नेशनल डाटाबेस • आयकर विभाग के कार्यालयों में प्रबंधन सुविधाएं	जारी। कोई लेनदेन लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। उनकी लंबितता के अनुसार कार्यालय आयकर विवरणी प्रोसेस करते हैं।	वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान 31.3.2011 तक सीपीसी में 3.40 करोड़ से अधिक विवरणियों को प्रोसेस किया गया।
		ख) आयकर भवन, वैशाली का एक सुरक्षित सूचना प्रौद्योगिकी हब में परिवर्तित करना तथा इसका रख रखाव करना			वैशाली भवन में परिवर्तन करने के बाद टीडीसी - सीपीसी की स्थापना की जाएगी।	परियोजना पूरी हो गई है।	आयकर महानिदेशक (प्रणाली) ने भवन का कब्जा ले लिया है।
		ग) अखिल भारतीय कर नेटवर्क की स्थापना, मानीटरिंग तथा कार्यान्वयन			पूरे देश में आयकर कार्यालयों का नेटवर्क	जारी कार्यालय कोई लक्ष्य नहीं	सभी भवनों में लैन/वैन संयोजकता का काम पूरा हो गया है।
		घ) प्राइमरी बिजनेस कांन्टिन्यूटि प्लानिंग तथा डिजास्टर रिकवरी साइटों के लिए डाटा सैंटरों को किराए पर लेना।			• उद्योगों के मानकों को पूरा करते हुए डाटा केन्द्रों में हार्डवेयर उपकरणों का को-लोकेशन • उपकरण तथा आंकडों की हिफाजत सुनिश्चित करने के लिए बी.एस. 7799 का सुरक्षा प्रमाण पत्र	जारी कार्यालय कोई लक्ष्य नहीं	तीनों डाटा केन्द्र अर्थात पीडीसी, बीसीपी एवं डीआर प्रचालन कर रहे हैं तथा हार्डवेयर उपकरण के अनुसार उनको तेज करने के लिए परिवर्तन अनुरोध जारी किए गए हैं।

1	2	3	4		5	6	7
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान			
II.	कर सूचना नेटवर्क (टिन)	नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित से संबंधित सूचना के आधान के रूप में मेजबानी : • ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओल्टास) • टीडीएस विवरणियों से आने वाली कर कटौतियां • वार्षिक सूचना विवरणियों के माध्यम से आने वाले उच्च मूल्य के वित्तीय संव्यवहार			• अधिक जोखिम वाले कर अपवंचन के संभावित मामलों की पहचान • टीडीएस कटौतियों की सटीक एवं त्वरित क्रेडिट, विवरणी न जमा करने वालों/बंद कर देने वालों की पहचान तथा अन्य कटौतियों के मामले • करदाताओं द्वारा या उनकी ओर से कर कटौतीकर्ताओं द्वारा किए गए कर भुगतान को देखने की सुविधाएं। • प्रभावी निगरानी एवं कर संग्रहण के लिए विभाग के वरिष्ठ प्रबंधन को डैशबोर्ड की सुविधाएं।	जारी कार्यकलाप	• ओल्टास, टीडीएस और एआईआर में डाटा पर आधारित सतत आधार पर राजस्व के संभावित मामलों की पहचान की जाती है। • वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान 31/3/2011 तक ओल्टास के माध्यम से कुल 2,99,06,462 चालान प्राप्त किए गए जिनमें प्रत्यक्ष कर संग्रहण के 5,15,0,24.23 करोड़ रू. शामिल थे । • वित्त 2009-10 में 427631.38 करोड़ रूपए के सकल कर संग्रहण के लिए कुल 27192826 चालान प्राप्त हुए। • नॉन फाइलर्स / स्टाप फाइलर्स की आवधिक आधार पर पहचान की जा रही है। • कर भुगतान / कर क्रेडिट विवरण (फार्म 26एएस) को देखने की सुविधा चालू की गई है।
III.	व्यवसाय प्रक्रिया रिइंजीनिरिंग (बीपीआर)	सांझेदारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्यमान व्यवसाय प्रक्रियाओं का सम्पूर्ण नवीकरण			• बीपीआर रोलआउट प्लान तथा सलाहकार की रिपोर्ट को प्रस्तुत करना। • गर्वनेंस में आचार नियम पर प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट में शामिल व्यवहारिक संस्तुतियों का कार्यान्वयन।		बीपीआर पर रिपोर्ट सीबीडीटी को जनवरी 2008 में प्रस्तुत की गई । 64 संस्तुतियों में से 13 को परिवर्तित एवं स्वीकार किया गया, 47 को सम्पूर्णतः स्वीकार किया गया तथा 4 को अस्वीकार किया गया।
IV.	करदाता सेवाएं	हेल्पलाइन (आयकर सम्पर्क केन्द्र), विभाग की वेबसाइट तथा ई- फ्रेंडली सेवाओं के माध्यमों से सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए करदाताओं के साथ सहज, पारदर्शी, डाइरेक्ट एवं यूजर फ्रैंडली इंटरैक्शन स्थापित करना - आयकर विवरणियों के ई-फाइलिंग के लिए करदाताओं को आनलाइन सुविधा प्रदान करना, - करों का ई-भुगतान - प्रतिदाय की स्थिति की आनलाइन ट्रैकिंग			• आयकर सम्पर्क केन्द्र से दी जाने वाली सुविधाएं निम्नवत हैं:- ➢ पैन, चालान, विवरणी फार्म तथा संबद्ध जानकारी उपलब्ध करना ➢ ई-मेल से फार्म भेजने की सुविधा ➢ पैन संबंधी शिकायतों का निवारण • विभिन्न फार्मों, चालानों तथा विवरणी तैयारी साफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कर संबंधी सूचना उपलब्ध कराना	जारी कार्यकलाप कोई लक्ष्य नहीं। अंतरण का परिमाण अंतप्रयोक्ता तथा करदाताओं पर आधारित है साफ्टवेयर का विमोचन तथा ई-फाइलिंग को सक्षम बनाना।	प्राप्त काल - 209437 उत्तरित काल - 209398 काल सफलता अनुपात - 99.98 प्रतिशत पूर्ण वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान 31 मार्च, 2011 तक 9156722 ई विवरणियां प्राप्त हुई जो वर्ष दर वर्ष आधार पर 83 प्रतिशत की वृद्धि है।

1	2	3	4		5	6	7
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान			
					• आयकर विवरणियों की ई-फाइलिंग की देशव्यापी सुविधा। • निर्दिष्ट प्रतिदाय बैंकर के माध्यम से केन्द्रीकृत प्रतिदाय जारी करना। • प्रत्यक्ष करों की ई-पेमेंट सुविधा।		
V.	**प्रतिदाय बैंकर**	(क) आयकर प्रतिदायों का निर्धारण, उत्पादन, निर्गमन, प्रेषण, क्रेडिट तथा सुरक्षित सुपुर्दगी। (ख) प्रतिदाय प्रक्रिया को पूर्णतया स्वचालित गतिशील एवं पादरर्शी बनाना तथा एक बेहतर समय सीमा प्राप्त करना।			आयकर प्रतिदायों के निर्धारण, उत्पादन, निर्गमन, प्रेषण एवं प्रतिदायों की क्रेडिट तथा प्रभावी एवं सुरक्षित सुपुर्दगी के लिए एक प्रणाली आधारित प्रक्रिया। प्रतिदायों के वास्तविक निर्गमन अथवा क्रेडिट में एक तीसरे पक्षकार को शामिल किया गया है ताकि प्रक्रिया पूर्णतया स्वचालित, गतिशील तथा पारदर्शी रहे और एक बेहतर प्रतिवर्तन काल प्राप्त की जा सके।		(i) दिल्ली तथा पटना में प्रयोगों की समाप्ति के पश्चात इस योजना को 4 (चार) और स्टेशनों अर्थात कोलकाता, मुम्बई, बंगलौर तथा चेन्नई में विस्तारित की गई (ii) अक्तूबर, 2009 से इस योजना को 9 (नौ) और स्टेशनों में विस्तारित किया गया। (iii) इसके अतिरिक्त अगस्त/सितम्बर, 2010 से इस योजना को देश भर में चरणबद्ध रूप से सभी कारपोरेट प्रभारों के लिए विस्तारित कर दी गई। वित्तीय वर्ष 2010-11 (31.03.2011 तक) में प्रतिदाय बैंकर योजना के माध्यम से भेजे गए प्रतिदायों की संख्या 70 लाख (लगभग) थी और यह इस अवधि के दौरान पूरे भारत में निर्गमित कुल प्रतिदायों का 76 प्रतिशत है।
VI.	केन्द्रीकृत संसाधन केन्द्र (सी पी सी) परियोजना	(क) कागज आधारित एवं इलेक्ट्रानिक रूप से दायर आयकर विवरणियों (आई टी आर) का केन्द्रीकृत संसाधन। (ख) सी पी सी, विभाग को करदाताओं की संख्या में तीव्र वृद्धि तथा परिणामतः कर्मचारियों के लिए कार्य की मात्रा से निपटने में समर्थ बनाएगा। (ग) यह विभाग को पूरे विश्व में सर्वोत्तम कर प्रशासनों द्वारा प्रदत्त आधुनिक नागरिक सेवाएं तथा अधिक दक्ष प्रक्रियाएं शुरू करने में समर्थ बनाएगा।			(i) सीपीसी शुरू में देश भर के इलेक्ट्रानिक रूप से दायर आयकर विवरणियां (आईटीआर) तथा बंगलौर के लिए भौतिक आई टी आर के अंतरणों का संसाधन करेगा (ii) जब सीपीसी स्थिर हो जाएगा, कर्नाटक एवं गोवा तथा किसी समीपवर्ती राज्य की भौतिक आईटीआर भी प्रचालन बढ़ाने के लिए सीपीसी को दिए जाएंगे। (iii) बंगलौर स्थित सीपीसी में अंचल के 20 लाख कागजी विवरणी तथा 60 लाख इलेक्ट्रानिक रूप से दाखिल विवरणियों को संसाधित करने की क्षमता होगी।	सीपीसी अप्रैल, 2010 से वित्त वर्ष 2009-10 की ई-फाइल्ड विवरणियां प्रोसेस करेगा। • मार्च, 2010 तक व्यापक उत्पादन	(i) सीपीसी बंगलौर को सफल पायलट के बाद रोल आउट किया गया है। (ii) 31/3/2011 तक सीपीसी, बंगलौर में लगभग 86.9 लाख विवरणियां प्रोसेस की गई हैं।

1	2	3	4		5	6	7
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान			
					(iv) अंततः ऐसी परिकल्पना है कि बंगलौर के सीपीसी से अनुभव व सबक लेकर पूरे देश में सीपीसी मॉडल को दोहराया जाएगा।		
मुख्य शीर्ष 4059- लोक निर्माण पर पूंजी परिव्यय - कार्यालय आवास			**1663.00**	**1561.59**			**31.03.2011 तक वास्तविक व्यय 1527.23 करोड़ रुपए**
(i) एमसीडी द्वारा विकसित एवं निर्मित किए जा रहे सीवीक सेंटर में कार्यालय स्थान प्राप्त करना	कार्यालय स्थान की अल्पता कम करना				ए/ए एवं एफ/एस की मंजूरी के बाद माह के अंदर 51768 वर्गमीटर कार्यालय स्थान खरीदने का प्रस्ताव है	31.03.2012	वित्त वर्ष 2010-11 .में 600 करोड़ रू. जारी किए गए
(ii) साकेत, नई दिल्ली में कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की अल्पता कम करना				परिसंपत्ति का सृजन	31.03.2011	इस भूमि पर राजस्व सेवा अनुसंधान संस्थान के निमार्ण के सम्बंध में अंतिम निर्णय लंबित होने के कारण परियोजना रोक दी गई है।
(iii) भोपाल में कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की अल्पता कम करना				परिसंपत्ति का सृजन		परियोजना मैसर्स एनबीसीसी से वापस ले ली गई है तथा सीपीडब्ल्यूडी को सौंपे जाने की संभावना है जिसके लिए उनसे प्रारंभिक अनुमान की प्रतीक्षा है।
(iv) एनएडीटी, नागपुर में उन्नत प्रशिक्षण केन्द्र, मैस/ छात्रावास का निर्माण	विदेशी अधिकारियों समेत उन्नत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर में प्रतिभागियों एवं पाठ्यक्रमों के लिए आवास की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करना				परिसंपत्ति का सृजन	31.12.2011	निमार्ण कार्य चल रहा है।
(v) एनएडीटी, नागपुर में नए छात्रावास का निर्माण	प्रतिभागियों एवं पाठ्यक्रमों में वृद्धि को देखते हुए एनएडीटी, नागपुर में आवास की आवश्यकता को पूरा करना।				परिसंपत्ति का सृजन	30.06.2011	परियोजना प्रगति पर है।
(vi) सेक्टर 24, नोएडा में आयकर विभाग के लिए कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी दूर करना				परिसंपत्ति सृजन	31.3.2012	24/3/2011 को अनुमोदन प्रदान किया गया।

परिव्यय 2010-11 के संदर्भ में परिणाम की स्थिति

क्र.स.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11 (करोड़ रु. में)		मात्रात्मक प्रदेय/ भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	31 दिसम्बर, 2010 के अनुसार स्थिति
1	2	3	4		5	6	7
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान			
	(vii) आसनसोल में चार-दीवारी सहित कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी दूर करना			परिसंपत्ति सृजन		इस परियोजना को इस अनुदान से वापस ले लिया गया है और अब इसे शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदान के अन्तर्गत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यसम्पादित किया जाएगा। इस परियोजना को वापस ले लिया गया है।
	(viii) चौकीटिंगी, डिब्रुगढ़ में कार्यालय भवन तथा कर्मचारी क्वार्टरों का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी दूर करना			परिसंपत्ति सृजन		
1	**मुख्य शीर्ष 2020-आयकर की वसूली; सूचना प्रौद्योगिकी**		**225.00**	**270.00**			**31.12.2011** तक वास्तविक व्यय **200.29** करोड़ रूपए
I.	व्यापक कंपयूटरीकरण के चरण –III के लिए भावी योजना	क) साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति वेब साथ-साथ प्रणाली एकीकरण			• 2014-15 तक के अनुमानित कार्यभार के निपटान के लिए कंप्यूटिंग क्षमता • सभी प्रत्यक्ष कर संबंधी संव्यवहारों के निपटान के लिए एकल नेशनल डाटाबेस • आयकर विभाग के कार्यालयों में प्रबंधन सुविधाएं	जारी	डाटा बेस का एकीकरण पूरा हो गया है। वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान 31.12.2010 तक डाटा केन्द्र में 1.5 करोड़ रू. की विवरणियों का संसाधन किया गया। 31.12.2011 के अनुसार वास्तविक व्यय 48.03 करोड़
		ख) आयकर भवन वैशाली का एक सुरक्षित सूचना प्रौद्योगिकी हब में परिवर्तन करना तथा इसका रख रखाव करना			वैशाली भवन में परिवर्तन के बाद राष्ट्रीय कंप्यूटर सेंटर की स्थापना की जाएगी।	परियोजना पूरी हो चुकी है	प्रणाली निदेशालय ने भवन को अपने अधिकार में ले लिया है। भवन में प्रबंधन सुविधा सेवा के लिए वेंडर का चयन किया और कार्य सौंपा जा चुका है। 31.12.2011 के अनुसार वास्तविक व्यय 2.46 करोड़
		ग) अखिल भारतीय कर नेटवर्क की स्थापना, निगरानी एवं कार्यान्वयन			पूरे देश में आयकर कार्यालयों का नेटवर्क	जारी गतिविधि कोई लक्ष्य नहीं	सभी भवनों में लैन/वैन कनेक्टिविटी का कार्य पूरा कर लिया गया है। 31.12.2011 के अनुसार वास्तविक व्यय 34.66 करोड़
		घ) प्राथमिक, बीसीपी तथा डिजास्टर रिकवरी साइटों के			• उद्योगों के मानकों को पूरा करने के लिए डाटा केन्द्रों में	जारी गतिविधि कोई लक्ष्य नहीं	तीनों डाटा केन्द्र, पीडीसी, बीसीपी एवं डीआर साइटें प्रचालन कर रहीं हैं।

1	2	3	4		5	6	7
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान			
		लिए डाटा केन्द्र किराए पर लेना			हार्डवेयर उपकरणों का सह-स्थापन		31.12.2011 के अनुसार वास्तविक व्यय 5.24 करोड़
					• उपकरणों तथा आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बी.एस. 7799 का सुरक्षा प्रमाण पत्र	जारी गतिविधि कोई लक्ष्य नहीं	
II.	कर सूचना नेटवर्क (टिन)	नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा निम्नलिखित सूचना के निक्षेपागार रूप में संचालित किया जा रहा है: • ऑन लाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओल्टास), • टीडीएस विवरणियों से आनेवाली कर कटौतियां • इलेक्ट्रानिक टीडीएस खातों के सृजन के लिए सुविधा • वार्षिक सूचना विवरणियों के माध्यम से आने वाले उच्च मूल्य के वित्तीय संव्यवहार			• अधिकर जोखिम वाले कर अपवंचन के संभावित मामलों की पहचान • टीडीएस कटौतियों की सटीक एवं त्वरित क्रेडिट, विवरणी न जमा करने वालों/बंद करने वालों की पहचान तथा अल्प कटौतियों के मामले • टीडीएस विवरणियों का संसाधन • करदाताओं द्वारा या कर कटौतीकर्ताओं द्वारा उनकी ओर से किए गए कर भुगतान को देखने की सुविधाएं। • कर के संग्रहण और प्रभावी निगरानी के लिए विभाग के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए डैशबोर्ड सुविधा	जारी गतिविधि कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया	वित्त 2011-12 के दौरान 31.12.2011 तक 3,94,207.78 करोड़ कर संग्रहण के लिए ओल्टास में 2,29,84,327 चालान प्राप्त हुए। वित्त 2010-11 के दौरान 31.12.2010 तक 3,44,834.00 करोड़ कर संग्रहण के लिए ओल्टास में 2,02,16,560 चालान प्राप्त हुए। 31.12.2011 के अनुसार वास्तविक व्यय 24.30 करोड़
III.	कारोबार प्रक्रिया पुनः इंजीनियरिंग (बीपीआर)	पणधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्यमान कारोबार प्रक्रियाओं का पूर्ण सुधार			• परामर्शदाता की रिपोर्ट प्रस्तुत करना एवं बीपीआर रोलआउट प्लान • ''शासन में नैतिकता'' पर प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट में यथा शामिल सुसंगत सिफारिशों का कार्यान्वयन		बीपीआर रिपोर्ट में की गई 64 सिफारिशों में से 13 परिवर्तित की गईं तथा स्वीकृत की गई, 47 को उसी रूप में स्वीकार कर लिया गया तथा 4 को अस्वीकृत किया गया ।
IV.	कर दाता सेवाएं	हेल्पलाइन (आयकर सम्पर्क केन्द्र), आय कर विभाग की			• आयकर सम्पर्क केन्द्र से दी जाने वाली सुविधाएं निम्नवत हैं:-	जारी गतिविधि	• विभाग ने आयकर संपर्क केन्द्र, गुड़गॉव में राष्ट्रीय कम्प्यूटर केन्द्र (एनसीसी) तथा जम्मू, जंगीपुर, शिलांग

1	2	3	4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान	5	6	7
		वेबसाइट तथा ई-अनुकूल सेवाओं के रूप में सूचना का प्रचार- प्रसार करने के लिए कर-दाताओं के साथ सरल, पारदर्शी, प्रत्यक्ष एवं प्रयोक्ता अनुकूल अंतः क्रिया रखना, - करदाताओं को आयकर विवरणियों की ई-फाइलिंग के लिए करदाताओं को आनलाइन सुविधा प्रदान करना, - करों का ई-भुगतान, - प्रतिदाय की स्थिति का पता आन लाइन लगाना			➢ पैन, चालान, विवरणी फार्म तथा संबद्ध जानकारी प्रदान करना ➢ ई-मेल से फार्म भेजने की सुविधा ➢ पैन संबंधी शिकायतों का निवारण • विभिन्न फार्मों/चालानों तथा विवरणी तैयार करने वाला साफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कर संबंधी सूचना उपलब्ध कराना • आयकर विवरणियों की ई-फाइलिंग की देशव्यापी सुविधा। • निर्दिष्ट प्रतिदाय बैंकर के माध्यम से केन्द्रीकृत प्रतिदाय जारी करना। • प्रत्यक्ष करों के ई-भुगतान की सुविधा।	कोई लक्ष्य नहीं संव्यवहारों की मात्रा अंतिम प्रयोक्ता एवं करदाताओं पर आधारित	और कोच्ची में चार क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्रों (आरसीसी) की स्थापना की है। • वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान 31.1.2011 तक 5,25,856 काल प्राप्त हुईं। • 31.12.2011 के अनुसार एएसके परियोजना के अन्तर्गत वास्तविक व्यय 0.31 करोड़ • 31.12.2011 के अनुसार वेबसाइट सेवाओं पर वास्तविक व्यय 3.32 करोड़ • वित्त वर्ष के दौरान 31.12.2011 तक 1,11,11,476 विवरणियां इलेक्ट्रानिक रूप में प्राप्त हुई हैं ।
V.	**प्रतिदाय बैंकर**	(क) आयकर प्रतिदायों का निर्धारण, सृजन, निर्गमन, प्रेषण, क्रेडिट तथा सुरक्षित सुपुर्दगी। (ख) प्रतिदाय प्रक्रिया को पूर्णतया स्वचालित त्वरित एवं पादरर्शी बनाना तथा एक तेज प्रतिवर्तन काल हासिल करना।			प्रतिदायों का निर्धारण, सृजन, निर्गमन, प्रेषण एवं क्रेडिट तथा आयकर प्रतिदायों की प्रभावी एवं सुरक्षित सुपुर्दगी के लिए एक प्रणाली चालित प्रक्रिया। प्रक्रिया को पूर्णतः स्वचालित, त्वरित एवं पारदर्शी बनाने तथा एक तेज प्रतिवर्तन काल हासिल करने के लिए प्रतिदाय भौतिक रूप से जारी अथवा क्रेडिट करने में तीसरे पक्ष को शामिल करता है। प्रतिदायों की सुपुर्दगी के लिए एक वेब आधारित स्थिति का पता लगाने की सुविधा ।	जारी	19.12.2011 से प्रतिदाय बैंकर योजना संपूर्ण भारत के कारपोरेट, छूट, केन्द्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कराधान प्रभारों के लिए विस्तारित किया गया। वित्तीय वर्ष 2011-12 (31.12.2011 तक) में प्रतिदाय बैंकर योजना के माध्यम से भेजे गए प्रतिदायों की संख्या 81 लाख (लगभग) थी और यह इस अवधि के दौरान पूरे भारत में निर्गमित कुल प्रतिदायों का 96 प्रतिशत है। 31.12.2011 के अनुसार वास्तविक व्यय 28.44 करोड़
VI.	केन्द्रीकृत संसाधन केन्द्र (सीपीसी) परियोजना	(क) कागजी एवं इलेक्ट्रानिक दोनों रूपों से दाखिल आयकर			(i) सीपीसी शुरू में पूरे देश के लिए इलेक्ट्रानिक रूप से दाखिल और	बंगलौर में चालू है	(i) सीपीसी ने वित्त वर्ष 2011-12 में 31.12.11 तक 96,88,945 विवरणियों का संसाधन किया।

1	2	3	4		5	6	7
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान			
		विवरणियों (आईटीआर) का केन्द्रीकृत संसाधन (ख) सी पी सी, विभाग को करदाताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि तथा परिणामतः कर्मचारियों के लिए कार्य की मात्रा से निपटने में समर्थ बनाएगा। (ग) यह विभाग को पूरे विश्व में सर्वोत्तम कर प्रशासनों द्वारा पेश किए जाने वाले और अधिक दक्ष प्रक्रियाएं एवं आधुनिक सेवाएं लाने में समर्थ बनाएगा।			बंगलौर के लिए भौतिक रूप से दाखिल सभी आयकर विवरणियों के लेन-देन का संसाधन करेगा। (ii) जब सीपीसी स्थिर हो जाएगा, कर्नाटक एवं गोवा तथा किसी समीपवर्ती राज्य की भौतिक आयकर विवरणियां भी सीपीसी को प्रदान की जाएगी ताकि प्रचालन में विस्तार हो । (iii) बंगलौर स्थित सीपीसी में क्षेत्र से दाखिल 20 लाख कागजी विवरणियों एवं 60 लाख इलेक्ट्रानिक विवरणियों के संसाधन की क्षमता होगी। (iv) अंततः, बंगलौर स्थित सीपीसी से अनुभव एवं सबक हासिल करने के बाद सीपीसी मॉडल की पूरे देश में पुनरावृत्ति की परिकल्पना की गई है।		(ii) कर्नाटक तथा गोवा के कागजी विवरणियों के संसाधन के लिए व्यवस्था है। (iii) नवम्बर, 2011 तक प्राप्त सभी परिशोधन निपटाए गए। (iv) वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2010 में पूना और मानेसर में दो नए सीपीसी की स्थापना का प्रस्ताव किया। आरपीसी पूना एवं मानेसर के लिए विक्रेता का चयन प्रक्रियाधीन है। 31.12.2011 तक वास्तविक व्यय - 37.03 करोड़ रू.
VII.	**बायोमेट्रिक पैन परियोजना**	(क) एक बायोमेट्रिक समाधान लागू करना ताकि सुनिश्चित हो कि कोई डुप्लीकेट पैन जारी न हो अर्थात एक ही व्यक्ति एक से अधिक पैन नम्बर प्राप्त न कर सके। ख समय के साथ अधिक स्थिर तथा परिवर्तित करने में कठिन होने के कारण बायोमेट्रिक सूचना अधिक सटीकता से पैन के डुप्लीकेट आवेदन का पता लगाने में समर्थ होगी।			• डुप्लीकेट पैन का आवंटन रोकने के लिए पैन के आवेदकों के बायोमेट्रिक लक्षण (चेहरा+4 अंगुलियां) लेना। • कार्ड के पुनर्मुद्रण या पैन डाटा में परिवर्तन के लिए आवेदन करने वाले आवेदक के बायोमेट्रिक लक्षणों का सत्यापन करना। • वेंडर लॉक-इन के बिना संयुक्त एवं परिमाणनीय समाधान प्राप्त करना। • नए पैन आवेदन तथा विद्यमान पैन धारकों के लिए संदर्शी प्रयोग के लिए भी समाधान को एकीकृत किया जाएगा।	यूआईडीएआई से स्पष्टीकरण लंबित होने के कारण परियोजना को आस्थगित रखा गया	यूआईडीएआई द्वारा विभिन्न ऐजेंसियों से व्यक्तियों के विद्यमान डाटाबेस के बायोमेट्रिक लेने के निर्णय के आलोक में बायोमेट्रिक पैन परियोजना को पुनर्जिवित किया जा रहा है। सलाहकार ने कार्य का संशोधित स्कोप प्रस्तुत किया है जो जांच के अधीन है। यूआईडी डाटाबेस से आनलाइन सत्यापन होने के कारण बायोमेट्रिक परियोजना का अपने नए अवतार में वित्त वर्ष 2012-13 में शुरू होने की संभावना है।

1	2	3	4		5	6	7
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान			
2.	**मुख्य शीर्ष-4059 लोक निर्माण- कार्यालय भवनों में पूंजीगत परिव्यय**		**877.70**	**317.51**			**31.12.2011** के अनुसार वास्तविक व्यय - **162.16** करोड़ रूपए
I.	सिविक सेंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली में कार्यालय स्थान का क्रय	कार्यालय के लिए स्थान की कमी को दूर करना			दिल्ली में कार्यालय स्थान की कमी को दूर करने के लिए तकरीबन 51,768 वर्गमीटर सुपर निर्मित क्षेत्रफल का कार्यालय स्थान उपलब्ध होगा ।	31.3.2012	**एमसीडी को अंतिम भाग के भुगतान के लिए बजट अनुमान में 600 करोड़ रू. प्रदान किया गया था किन्तु भवन के समापन के स्टेज को ध्यान में रखते हुए संशोधित अनुमान में परित्याग करना पड़ा। परियोजना के 2012-13 के आरंभ में पूरा होने की संभावना है।**
II.	साकेत, नई दिल्ली में कार्यालय भवन का निर्माण एवं साजसज्जा	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करना।					**इस भूमि पर राजस्व सेवा अनुसंधान संस्थान के निर्माण पर लिए जाने वाला निर्णय लंबित होने के कारण परियोजना को रोका गया है।**
III.	**राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (एनएडीटी), नागपुर में उन्नत प्रशिक्षण केन्द्र, मैस/हॉस्टल का निर्माण**	राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी में आवास की बढ़ती जरूरत को पूरा करने तथा विदेशी अधिकारियों को प्रशिक्षण सहित पाठ्यक्रम संचालित करना।				31.3.2013	**प्रस्ताव पहले ही 24.5.2011 को मंजूर किया जा चुका है और कार्य प्रगति पर है।**
IV.	**एनएडीटी, नागपुर में नए छात्रावास का निर्माण**	राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना का विस्तार करना				30.6.2011	**परियोजना पूरी हो चुकी है**
V.	**गोल्फ लिंक, नई दिल्ली में अतिथि गृह का निर्माण**	दौरे पर आने वाले अधिकारियों के लिए अतिथिगृह सुविधा में कमी को दूर करना ।				31.3.2013	**परियोजना अनुमोदित हो चुकी है। कार्य अभी आबंटित किया जाना है। 2013 में पूरा होने की संभावना है।**
VI.	**नोएडा में कार्यालय भवन का निर्माण**	कार्यालय स्थान की कमी को कम करना				31.3.2013	**कुल प्रस्तावित परिव्यय 24.20 करोड़ रू. है और 6.5.2011 को 4.84 करोड़ रू. जारी किया गया**
VII.	**फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में कार्यालय भवन का निर्माण**	कार्यालय स्थान की कमी को कम करना				31.3.2013	**प्रस्ताव जांच के अधीन है**

1	2	3	4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान	5	6	7
VIII.	**ठाणे, महाराष्ट्र में तैयार निर्मित कार्यालय स्थान का क्रय**	कार्यालय स्थान की कमी को कम करना				30.9.2011	**भवन किराए पर लिया जा चुका है**
IX.	**मोहाली, चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (डीटीआरटीआई) का निर्माण**	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करना					**प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है**
3	मुख्य शीर्ष **4216** - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय - आवास		**27.00**	**5.00-**			**31.12.2011** के अनुसार वास्तविक व्यय - **0.03** करोड़ रूपए
I	नरीमन पाइंट, मुम्बई में आवासीय व कार्यालय भवन का निर्माण	मुंबई में आवासीय तथा कार्यालय स्थान की कमी को दूर करना।					प्रस्ताव नगर निगम प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदन हेतु लंबित है जिसके शीघ्र ही आने की संभावना है। प्रस्ताव के लिए प्रदान की गई निधि का उपयोग नहीं किया जा सका।
II	हदापसर, पूना में एक सामुदायिक हॉल सहित आवासीय कॉम्प्लेक्स का निर्माण	आवासीय स्थान की कमी को दूर करना					परियोजना विचार के स्तर पर है।
III	Vâëî में टाईप-V एवं टाइप-VI क्वार्टरों का निर्माण	आवासीय स्थान की कमी को दूर करना					कुल प्रस्तावित परिव्यय 9.69 करोड़ है। कार्य अभी आबंटित किया जाना है।

वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए बजट अनुमान/संशोधित अनुमान के प्रावधानों के मुकाबले में वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़)

विवरण		2009-10			2010-11			2011-12		
	मुख्य शीर्ष	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	31.12.2011 तक वास्तविक
राजस्व खंड										
आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण	**2020**	2637.42	2748.91	2488.66	2773.88	2666.93	2630.50	2901.45	2916.78	2188.38
सम्पदा शुल्क, धन पर कर तथा उपहार कर का संग्रहण	**2031**	246.58	70.49	237.19	71.12	68.38	67.45	74.40	74.79	0.00
कुल राजस्व खंड		**2884.00**	**2819.40**	**2725.85**	**2845.00**	**2735.31**	**2697.95**	**2975.85**	**2991.57**	**2188.38**
तैयार शुदा कार्यालय भवन का क्रय	**4059**	602.00	17.00	7.42	1663.00	1561.59	1527.23	877.70	317.51	162.16
तैयार शुदा आवासीय भवन का क्रय	**4216**	15.00	3.10	0.00	15.00	47.41	43.41	27.00	5.00	0.030
आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अचल सम्पति का अधिग्रहण	**4075**	1.00	0.90	1.88	1.00	1.00	1.65	1.00	1.70	0.72
कुल पूंजीगत खंड		**618.00**	**21.00**	**9.30**	**1679.00**	**1610.00**	**1572.29**	**905.70**	**324.21**	**162.91**
कुल योग		**3502.00**	**2840.40**	**2735.15**	**4524.00**	**4345.31**	**4270.24**	**3881.55**	**3315.78**	**2351.29**

वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए बजट अनुमान/संशोधित अनुमान के मुकाबले में लक्ष्य शीर्ष-वार व्यय

(₹ करोड़)

विवरण		2009-10			2010-11			2011-12		
	मुख्य शीर्ष	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	31.12.2011 तक वास्तविक
राजस्व खंड										
वेतन		1859.40	1859.40	1833.85	1700.00	1710.25	1689.62	1831.55	1781.17	1468.28
मजदूरी		18.00	17.10	16.05	18.00	17.00	16.72	17.00	17.00	12.27
समयोपरि भत्ता		1.20	1.05	0.69	1.00	0.80	0.65	0.80	0.80	0.33
चिकित्सा उपचार		21.00	19.95	17.82	21.00	21.00	20.35	22.00	25.00	14.34
घरेलू यात्रा व्यय		29.00	35.00	33.76	35.00	35.00	35.91	35.00	45.00	28.02
विदेश यात्रा व्यय		1.00	1.00	0.37	1.10	1.10	0.66	1.10	2.10	0.49
कार्यालय व्यय (प्रभारित)		0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कार्यालय व्यय (मत)		461.98	400.04	398.59	499.98	450.94	464.42	513.90	522.80	317.88
किराया दरें एवं कर		180.00	180.00	147.28	200.00	160.00	142.85	180.00	147.00	78.57
प्रकाशन		2.70	2.43	2.00	2.80	2.50	2.38	2.80	2.80	1.48
बैंककारी नकद संव्यवहार कर		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य प्रशासनिक व्यय		10.50	11.35	10.60	10.30	17.42	17.62	23.30	29.40	16.28
विज्ञापन एवं प्रचार		38.00	40.00	39.13	40.00	80.00	78.36	80.00	100.00	30.39
लघु कार्य		7.50	7.10	5.67	9.00	7.50	6.14	8.00	8.00	1.15
व्यावसायिक सेवाएं		20.00	23.00	21.96	23.00	23.00	21.98	26.00	30.00	13.71
अंशदान		0.20	0.19	0.15	0.30	0.30	0.20	0.40	0.40	0.06
गुप्त सेवा व्यय		4.00	3.80	3.69	4.00	4.25	4.54	4.50	5.60	3.14
अन्य प्रभार		4.50	4.22	3.21	4.50	4.25	3.34	4.50	4.50	1.70
सूचना प्रौद्योगिकी		225.00	213.75	191.02	275.00	200.00	192.21	225.00	270.00	200.29
कुल राजस्व खंड		**2884.00**	**2819.40**	**2725.84**	**2845.00**	**2735.31**	**2697.95**	**2975.85**	**2991.57**	**2188.38**

(₹ करोड़)

विवरण	2009-10			2010-11			2011-12		
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	31.12.2011 तक वास्तविक
पूंजीगत खंड									
एम एच - 4059 तैयार निर्मित कार्यालय भवन का क्रय	602.00	17.00	7.42	1663.00	1561.59	1527.23	877.70	317.51	162.16
एम एच - 4216 तैयार निर्मित रिहायशी भवन का क्रय	15.00	3.10	0.00	15.00	47.41	43.41	27.00	5.00	0.03
एम एच - 4075 आयकर अधिनियम के अंतर्गत अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण	1.00	0.90	1.88	1.00	1.00	1.65	1.00	1.70	0.72
कुल पूंजीगत अनुभाग	**618.00**	**21.00**	**9.30**	**1679.00**	**1610.00**	**1572.29**	**905.70**	**324.21**	**162.91**
कुल योग	**3502.00**	**2840.40**	**2735.15**	**4524.00**	**4345.31**	**4270.24**	**3881.55**	**3315.78**	**2351.29**

(₹ करोड़)

क्रम सं.	योजना	2009-10			2010-11			2011-12		
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	31.12.2011 तक वास्तविक
1.	**मुख्य शीर्ष 2020 के संबंध में "सूचना प्रौद्योगिकी" के अन्तर्गत योजना - आयकर संग्रहण - गैर योजनागत**	225.00	213.75	191.02	275.00	200.00	192.21	225.00	270.00	200.29
2.	कार्यालय स्थान की खरीद	602.00	17.00	7.42	1663.00	1561.59	1527.23	877.70	317.51	162.16
3.	तैयार निर्मित फ्लैटों की खरीद	15.00	3.10	0.00	15.00	47.41	43.41	27.00	5.00	0.03
	कुल	**842.00**	**233.85**	**198.44**	**1953.00**	**1809.00**	**1762.85**	**1129.70**	**592.51**	**362.48**
	संशोधित अनुमान के संदर्भ में प्रतिशतता			84.86			97.45			61.18

अनुदान संख्या 42 - प्रत्यक्ष कर में व्यय प्रवृत्तियों का विश्लेषण

वर्ष 2011-12 के दौरान 31 दिसम्बर, 2011 तक किया गया कुल व्यय 2351.29 करोड़ रूपये है जो कुल बजट अनुमान प्रावधान 2011-12 का 60.58 प्रतिशत बैठता है। इसमें से, राजस्व खंड के अंतर्गत व्यय 2188.38 करोड़ रूपये है जो इस खंड के अन्तर्गत बजट अनुमान प्रावधान 2011-12 कर 73.54 प्रतिशत है। 'वेतन' के लिए प्रावधान 1831.55 करोड़ रूपए है जिस पर 31 दिसम्बर, 2011 तक व्यय 1468.28 करोड़ रूपए है। राजस्व खंड के अन्तर्गत व्यय का अन्य मुख्य घटक 513.90 करोड़ रूपए के बजट अनुमान प्रावधान के साथ 'कार्यालय व्यय' है जिसमें से 31 दिसम्बर, 2011 तक किया गया व्यय 317.88 करोड़ रूपए है। 'सूचना प्रौद्योगिकी' के अन्तर्गत 225 करोड़ रूपए के बजट अनुमान का प्रावधान किया गया जिसमें से 31 दिसम्बर, 2011 तक व्यय 200.29 करोड़ रूपए है। 'पूंजीगत खंड' के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 2011 तक व्यय 162.91 करोड़ रूपए है जो इस खंड के अन्तर्गत बजट अनुमान प्रावधान का 18 प्रतिशत बैठता है।

व्यय की वर्तमान प्रवृत्ति तथा कार्य की भौतिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए संशोधित अनुमान 2011-12 में 3315.78 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। संशोधित अनुमान 2011-12 के मुख्य घटकों को नीचे चित्रित किया गया है-

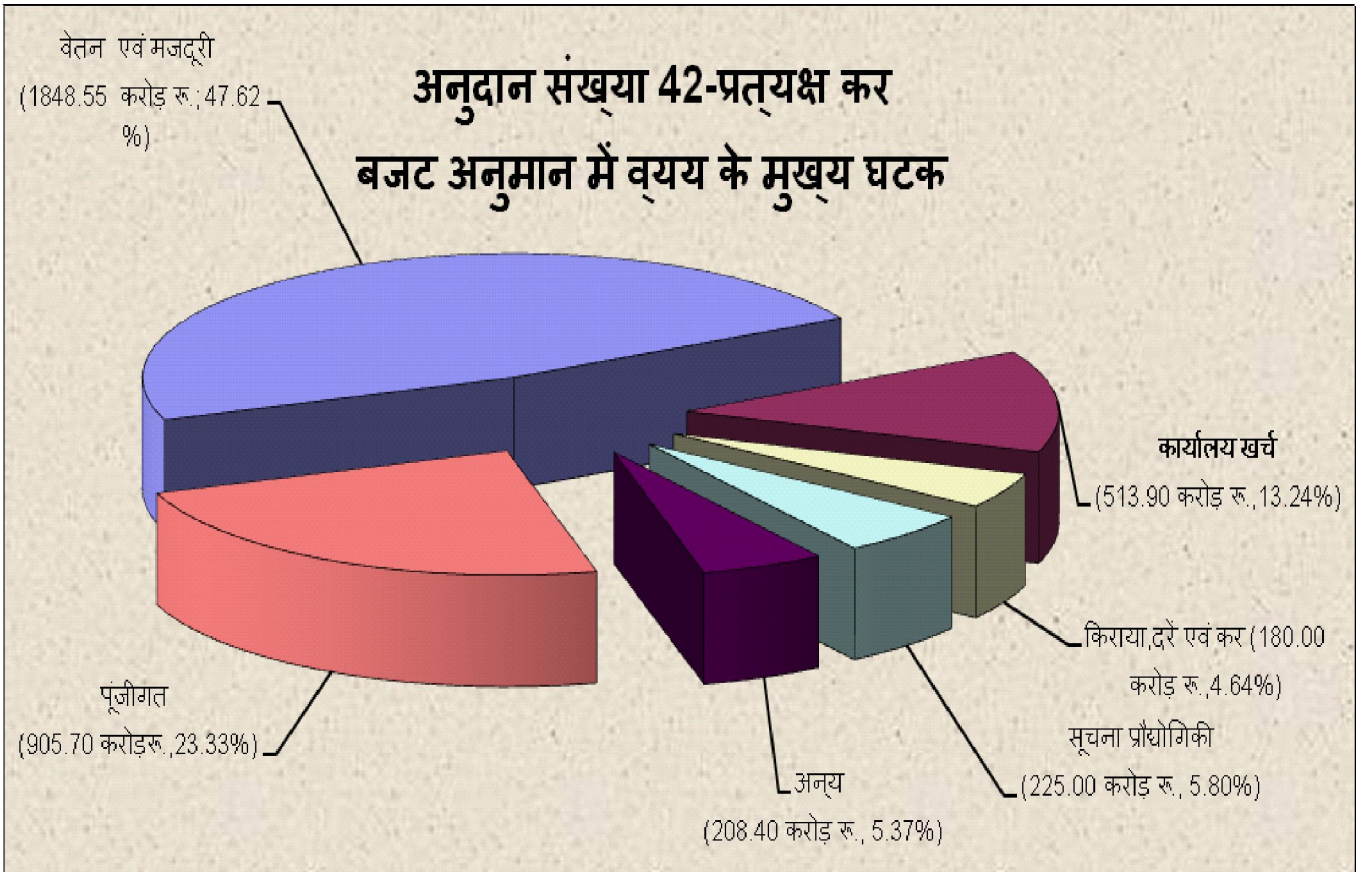

अप्रत्यक्ष कर

प्रस्तावना

यह मांग केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना से संबंधित है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर की उगाही एवं संग्रहण से संबंधित नीतियों के सूत्रपात के लिए तथा तस्करी एवं शुल्क अपवंचन की रोकथाम के लिए जिम्मेदार है। यह आबंटित कार्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के 94 आयुक्तालयों, सीमा शुल्क के 35 आयुक्तालयों तथा सेवा कर के 6 आयुक्तालयों की सहायता से किया जाता है। आयुक्त से नीचे के रैंक के अधिकारियों द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील का निर्णय करने के अर्धन्यायिक अपीलीय एवं कर वसूली की मशीनरी है। कामकाज में बोर्ड की सहायता के लिए निम्नलिखित संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय कार्य करते हैं:-

(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय

(ii) राजस्व आसूचना निदेशालय

(iii) निरीक्षण निदेशालय

(iv) मानव संसाधन विकास निदेशालय

(v) राष्ट्रीय सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं स्वापक अकादमी

(vi) सर्तकता निदेशालय

(vii) प्रणाली निदेशालय

(viii) डेटा प्रबंधन निदेशालय

(ix) लेखा परीक्षा निदेशालय

(x) रक्षोपाय निदेशालय

(xi) निर्यात संवर्धन निदेशालय

(xii) सेवा कर निदेशालय

(xiii) मूल्यांकन निदेशालय

(xiv) प्रचार एवं जन संपर्क निदेशालय

(xv) संभारतंत्र निदेशालय

(xvi) विधायी कार्य निदेशालय

(xvii) मुख्य विभागीय प्रतिनिधि का कार्यालय

(xviii)केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला

उत्पादकेन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड का प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक राजस्व संग्रहण एवं विभाग द्वारा किए गए व्यय के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है।

यह मांग 54,968 अधिकारियों और स्टाफ के कार्यबल के प्रावधान को कवर करता है जिसमें से 29.90% राजपत्रित तथा शेष गैर-राज पत्रित अधिकारी होते हैं।

आगामी विवरण में वित्तीय वर्ष 2012-13 का परिव्यय एवं परिणाम दर्शाया गया है।

परिव्ययों एवं परिणामों का विवरण 2012-13

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2012-13 (करोड़ रु. में)		परिमाणात्मक वितरण/ भौतिक उत्पादन	परिलक्षित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
1	**मुख्य शीर्ष 2037 और 2038 - सूचना प्रौद्योगिकी**	ई-गवर्नेन्स हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ीकरण	150.00	शून्य	- एक अखिल भारतीय व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क की स्थापना	सी बी ई सी के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों को देश व्यापी स्तर पर राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्रों, बिजनेस कान्टीन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी साइट्स से जोड़ना ।	वाइड एरिया नेटवर्क को चालू कर दिया गया है।	वाइड एरिया नेटवर्क के क्रियान्वयन में सहायता दी जा रही है और इसकी देख-रेख की जा रही है। इसके बैंड की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है ताकि बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके इन्टरनेट बैंड की चौड़ाई बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है जिससे कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर रिटर्न को भरा जा सके क्योंकि इसको भरा जाना अनिवार्य बना दिया गया है। आंकड़ा केन्द्रों और डाटा रिकवरी साइट्स के बीच वैकल्पिक सम्पर्क कायम किया जा रहा है जिससे कि रिडन्डैन्सी सुनिश्चित की जा सके।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
					- केन्द्रीय सर्वर्स (हार्डवेयर, स्टोरेज और सुरक्षा अवसंरचना) जैसे कि सेस्टम्स इन्टीग्रेशन, को स्थापित करना	नये सर्वरों और भंडारण उपकरणों की व्यवस्था करना जिससे कि सभी विभागीय और बाहरी उपयोकर्त्ताओं के लिये केन्द्रीयकृत कम्प्यूटिंग आकड़ा भण्डारण सुरक्षा अवसंरचना सुविधा प्रबंधन और कार्यप्रणाली सुविधा उपलब्ध कराना जिससे उनकी सी बी ई सी प्रणाली तक उनकी पहुंच हो सके। सभी सुसंगत आवेदनों को केन्द्रीयकृत अवसंरचना पर दर्ज किया जायेगा।	परियोजना लागू हो गई है। उपकरणों को लगाकर चालू कर दिया गया है और प्रणाली स्वीकृति का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है, जैसे कि सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर प्रणाली स्थापित हो गई है और यह तीन राष्ट्रीय आकड़ा केन्द्रों पर चालू है। सुविधा प्रबंधन के लिए पांच वर्षों से कर्मचारी तैनात कर दिये गये है।	इस परियोजना को चालू कर दिया गया और इसे सुविधा प्रबंधन के अंतर्गत रखा गया है।
					- सभी विभागीय उपयोगकर्त्ताओं के लिए स्थानीय क्षेत्रीय नेटवर्क की व्यवस्था	सभी विभागीय उपयोगकर्त्ताओं के लिए स्थानीय क्षेत्रीय नेटवर्क की व्यवस्था	1166 भवनों में सी बीईसी के उपयोगकर्त्ताओं के लिए लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान की गई है जिनको आवश्यक आई टी हार्डवेयर जैसे कि थिन क्लाइन्ट्स, नेटवर्क प्रिन्टर्स, प्रिंट सर्वर्स और स्कैनर्स आदि प्रदान किये गये हैं।	लोकल एरिया नेटवर्क को क्रियान्वित कर दिया गया है और अब इसके तकनीकी समर्थन और देखभाल का काम चल रहा है। सुविधाओं का संवर्द्धन किया जा रहा है जिससे कि अतिरिक्त नोडस और लाइन प्रिन्टर्स जैसे उपकरणों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके।
					- डाटा वेयर हाउस की स्थापना	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड सभी सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा	डाटा वेयर हाऊस को चालू कर दिया गया है।	डाटा वेयर हाऊस के तकनीकी समर्थन और देखभाल का काम चल रहा है। सी बी ई सी

1	2	3	4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत	5	6	7	8
						कर आंकड़ों का संग्रह केन्द्र है यह सभी उपयोगकर्त्ता समूहों के लिए एमपीएलएस नेटवर्क (सीबीएसई डब्लू ए एन) पर उपलबध होगा जिसमें उपयोगकर्त्ता के अनुकूल इन्टरफेस की सुविधा होगी जिसका उपयोग डाटा खोज समेत विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग में होता है।		के अधिकारियों के लिए अतिरिक्त लाइसेंस प्राप्त किये जा रहे हैं जिससे कि वे डाटा वेयर हाउस का लाभ प्राप्त कर सकें। टैक्स 360 पाइलट परियोजना के क्रियान्वयन की योजना तैयार है जिससे कि सी बी ई सी, सी बी डी टी और महाराष्ट्र राज्य के बिक्री कर प्रशासनों के बीच 'सीमलेस डाटा एक्सचेंज' की व्यवस्था कायम हो सके ।
					- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर एसीईएस) का स्वचालन	सभी कार्य व्यापार की प्रक्रियाओं में स्वचालित कार्य प्रवाह के माध्यम से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर निर्धारितियों के लिए बड़े हद तक पारदर्शिता सुनिश्चित करना और इंटरफेस को कम करना।	104 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर आयुक्तालयों में एसीईएस सुविधा चालू हो गई है।	एसीईएस की सुविधा चालू हो गई है और इसके तकनीकी समर्थन और देखभाल का काम चल रहा है। अतिरिक्त सुविधायें लगाई जा रही हैं, जैसे कि एम आई एस रिपोर्ट्स जिसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर पंजीकरण, रिटर्न आडिट और रिफंड की व्यवस्था है। इसके अलावा, एसीईएस की बेवसाइट को द्विभाषी किया जा रहा है और एसीईएस को वाणिज्य और उद्योग विभाग को ई-बिज परियोजना से

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
								जोड़ा जा रहा है।
					- सीमा शुल्क स्तरोन्नयन के लिए गेटवे परियोजना	गेटवे परियोजना का उद्देश्य एक सिंगल नेटवर्क के माध्यम से सीमा शुल्क समुदाय को जोड़ना है। इस परियोजना के माध्यम से सीमा शुल्क कागजात की ई-फाइलिंग किये जाने से आन लाइन आकलन, शुल्क का भुगतान और क्लियरेंस की प्रक्रिया में सुधार आया है। गेटवे परियोजना का स्तरोन्नयन किये जाने का उद्देश्य ऐसी क्षमता का विकास करना है जिससे कि समेकित परिवेश में इलेक्ट्रानिक संव्यवहार किया जा सके और सीमा शुल्क व्यापार भागीदारों को संवर्द्धित व गुणवत्ता प्रद सेवा प्रदान की जा सके।	आईसीईएस 1.0 के स्थान पर ईडीआई सेस्टम (आईसीईएस 1.5) के उन्नत संस्करण को लागू करने का काम सभी 41 सीमा शुल्क स्थलों पर अप्रैल, 2011 तक पूरा हो गया है। कस्टम्स ईडीआई सेस्टम (आई सी एस संस्करण 1.5) के उन्नत संस्करण को 103 सीमा शुल्क केन्द्रों पर लागू कर दिया गया है। इस समय 103 सीमा शुल्क केन्द्रों पर आई सी ई एस 1.5 के स्थान पर आइसगेट काम कर रहा है।	आईसीईएस 1.5 को इस समय 103 सीमा शुल्क स्थलों पर चालू कर दिया गया है। नये कार्यो में शामिल हैं-सेवाकर की आन लाइन वापसी, डीएफआईए लाइसेंसों का आन लाइन पंजीकरण, किसी भी प्राधिकृत बैंक से केन्द्रीयकृत बाण्ड प्रबंधन और सीमा शुल्क का ई-पेमेंट। अन्य माड्यूल्स जैसे कि बहुमूल्य कार्गो का स्वचालन, एसईजेड के साथ समेकन, आर एम एस, साईजेड पर आन लाइन इंटरफेस पर काम चल रहा है। इस समय सीमा शुल्क और इसके व्यापारिक साझीदारों के बीच 103 मेसेजेस काम कर रहे हैं। आई सी ई जी ए टी ई में जिन कार्य प्रणालियों को शामिल करने का विचार है उनमें शामिल हैं:- सभी सीमा शुल्क स्थानों के लिए 17 बैंकों के माध्यम से अनिवार्यतः ई पेमेंट डी एफआईए जैसे लाइसेंसों का

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
								आनलाइन अंतरण, पुरस्कार योजना आदि और ई-पीए ओ का क्रियान्वयन। और भी प्रस्ताव हैं जैसे कि व्यापार साझीदारों के साथ शेष तीन मेसेजों को भी लागू करना जिनको कि उनके परामर्श से अंतिम रूप दिया जा चुका है और एसईजेड के साथ आनलाइन इंटरव्यू फेस के लिए मेसेजेस को चालू करना।
					- जोखिम प्रबंधन प्रणाली की स्थापना (आरएमएस)	जोखिम प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य केवल उच्च जोखिम वाले कार्गो को व्यापार सुविधा प्रदान करना और उनकी जांच करना है और अच्छा ट्रैक रेकार्ड वाले, सीमा शुल्क के विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले विशेष ग्राहकों के लिए विश्वसनीय कस्टम क्लिएरेंस की सुविधा प्रदान करना है।	जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस3.1) का एक नया संस्करण जो कि आई सी ई एस 1.5 संस्करण के अनुरुप है, को चालू कर दिया गया है। 69 सीमा शुल्क केन्द्रों में नया संस्करण (आरएमएस 3.1) काम करने लगा है जिनमें 23 वे स्थान हैं जहां (आर एम 2.7) संस्करण पहले से ही काम कर रहा था।	जोखिम प्रबंधन प्रणाली के एक नये उन्नत संस्करण (आर एम एस 3.1) जो कि आईसीईएस 1.5 के अनुरुप है को 69 सीमा शुल्क केन्द्रों में क्रियान्वित कर दिया गया है और योजना है कि इस आर एम एस का अतिरिक्त केन्द्रों तक विस्तार किया जायेगा और प्रदान की जा रही व्यापार सुविधा का संवर्द्धन किया जायेगा निर्यात कार्गो के लिए भी आर एम एस की सुविधा चालू करने का विचार है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
					- करदाताओं की सुविधा के लिए बड़ी करदाता यूनिटों हेतु पोर्टल का गठन	- पोर्टल करदाताओं का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर तथा आयकर/ कारपोरेट कर के साथ पत्राचार को सुकर बनाता है केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड/ केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के कर प्रशासन और बड़े कर दाताओं के बीच एकल बिन्दु इंटरफेस की सुविधा होगी।	- एक एल टी यू विशिष्ट वेबसाईट विकसित किया गया है। वर्तमान समय में यह एल टी यू बंगलोर, चेन्नई, दिल्ली और मुम्बई में चल रही है।	एल टी यू की वेबसाइट स्थापित कर दी गई है।
2.	**मुख्य शीर्ष 4047 — निवारक कार्य-जहाजों एवं बेड़ो की अधिप्राप्ति**	तस्करी रोधी क्षमता का सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धित तटीय सुरक्षा	10.18	शून्य	वर्ष 2011-12 के दौरान विभाग को वर्ग-II के 08 जलयान उपलब्ध करा दिये जायेंगे ऐसी आशा है।	आधुनिक फास्ट वेसल से सीमा शुल्क विभाग की तस्करी रोधी क्षमता सदृढ़ होगी। संवर्धित तटीय सुरक्षा से घातक/ प्रतिबन्धित माल की तस्करी को रोकने, पर्यावरणीय खतरों का निवारण करने तथा खतरे में पड़ी प्रजातियों का संरक्षण करने में मदद मिलेगी।	संवर्ग I,III क और IIIख के कुल 87 जलयानों को प्राप्त करने के आदेश मार्च, 2007 में बोट निर्माताओं को दे दिए गए हैं। सवंर्ग II के 22 जलयानों की आपूर्ति के आदेश दिसम्बर, 2008 में बोट निर्माताओं को दे दिया गया है। सवंर्ग-IIIक और IIIख में सभी जलयान (IIIक में 30 और IIIख में 33) बोर्ड को निर्माता द्वारा सुपुर्द कर दिया दिये गये है। संवर्ग-I के 24 जलयान अगस्त 2010 तक प्राप्त कर लिये गये हैं। संवर्ग II के 8 यान दिसम्बर, 2010 तक प्राप्त हो गये हैं। इस संवर्ग में सभी 22 जलयानों की सुपुर्दगी वर्ष 2011-12 तक पूरी हो जाएगी ।	——

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
3.	**मुख्य शीर्ष 4047 तस्करीरोधी उपस्करों का अधिग्रहण**	कार्गो क्लीयरेंश, कंटेनर ट्रेफिक की अधिकता के प्रभावी निपटान, नान-इंट्रूसिव जांच के माध्यम से संबंधित सीमा शुल्क नियंत्रण	76.97	शून्य	172.94 करोड़ रू. (आवर्ती) और 18.61 करोड़ रू. (अनावर्ती)की कुल परियोजना लागत से 3 मोबाईल गामा रे स्कैनरों को लगाना, आदेश देना और 4 फिक्स्ड एक्स रे स्कैनरों के लिए सिविल निर्माण की शुरुआत।	कंटेनरों की नन-इंट्रूसिव स्कैनिंग तूती कोरिन,चेन्नई और कांडला पोर्टो पर शुरु होगी। फिक्स्ड स्कैनरों को तूती कोरिन, चेन्नई, कांडला और मुम्बई पोर्टो पर लगाया जाएगा। अनियमिता की बड़ी संख्या में मामलों का पता लगाने में इससे मदद मिलेगी और अधिक राजस्व संग्रहीत होगा और कार्गो के क्लियरेंस में तेजी आयेगी, आदि	3 मोबाइल स्कैनरों और 4 फिक्स्ड स्कैनरों को लगाने के लिये भूमि प्राप्त करने के लिए पत्तन प्राधिकारियों के साथ पट्टा-करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं। सभी 07 स्कैनरों को लगाने के लिये पात्र बोलीकर्ताओं के साथ अनुबंध किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 में क्रमश 3 मोबाइल स्कैनरों और 4 फिक्सड स्कैनरों को लगाये जाने की आशा है।	परियोजना कार्यान्वयन समिति द्वारा प्रगति की मानीटरिग की जा रही है।
4.	**मुख्य शीर्ष 4059 - कार्यालय गृह का अधिग्रहण**	कार्यालय के लिए जगह की कमी को पूरा करने के लिए	28.00	शून्य	कार्यालय के लिये जगह की खरीद से कार्यालय की स्थान संबंधी कमी पूरी हो जायेगी।	कार्यालय के लिए अपने पास पर्याप्त जगह रहने से विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी	-एन बी सी सी बिल्डिंग, साकेत, नई दिल्ली में कार्यालय के लिए स्थान की मार्च, 2008 में खरीद के लिये और आगे भुगतान -मुम्बई में नवम्बर, 2006 में युनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के विशिष्ट प्रतिष्ठानों से भवनों की खरीद के मामले में स्थानीय प्राधिकरण यथा ग्रेटर मुम्बई नगर निगम को स्टाम्प ड्यूटी और प्रभारों का भुगतान। गुवहाटी में कार्यालय के लिए भी भवन की खरीद और अन्य छोटे मोटे प्रस्तावों के लिए भुगतान किये जाने की आशा है।	ऐसे मामले में भुगतान विभिन्न औपचारिकताओं पर निर्भर करता है जिसमें संबंधित प्राधिकारियों से परामर्श करना भी शामिल है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
5.	**मुख्य शीर्ष 4216 -- रिहायशी आवासों का अधिग्रहण**	रिहायशी आवास संबंधी कमी को पूरा करना	4.00	शून्य	रिहायशी आवासों की खरीद से आवास संबंधी कमी पूरी हो जायेगी	रिहायशी आवासीय सुविधाओं की उपलब्धता से कर्मचारियों में संतोष पैदा होगा और इससे प्रेरणा और परिणाम में बढ़ोत्तरी होगी ।	ऐजल में आवासीय परिसरों की खरीदारी के लिए भुगतान तथा अन्य जारी परियोजनाओं के संबंध में संभावित अन्य भुगतान।	जी एफ आर में विहित प्रक्रिया का पालन करने के बाद इन प्रस्तावों में सी पी डब्लू डी, शहरी विकास मंत्रालय, एस एफ सी आदि से क्लियेरेंस प्राप्त करना भी शामिल है।

सुधारात्मक उपाय और नीतिगत कदम
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

कम्प्यूटरीकरण और आटोमेशन के क्षेत्र में उठाये गये कदम

कम्प्यूटरीकरण की एक भावी और महत्वाकांक्षी परियोजना शुरु की गई है जिससे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर सेवाओं को समेकित किया जा सके, सभी प्रणाली को एक ही नेटवर्क/फ्लेटफार्म पर लाया जा सके और डाटा वेयर हाउस तथा डिजास्टर रिकवरी साइट को स्थापित किया जा सके । यह योजना अभी चल रही है। ड्यूटी का अपवंचन करने वाले बड़े-बड़े लोगों, तस्करों का पता लगाने और अनुपालन सहित व्यापार को सुकर बनाने की दृष्टि से एक रिस्क एसेसमेण्ट/ मैनेजमेण्ट साफ्टवेयर विकसित किया गया है। एक जोखिम प्रबंधन प्रभाग स्थापित किया गया है जिससे कि इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा सके ।

विभाग और क्लाइन्ट्स दोनों को लाभ पहुंचाने की की दृष्टि से किये गये उपर्युक्त उपायों का उद्देश्य आंकलन कार्य में और शुल्क के संग्रहण में सहायता पहुंचाना है और निम्नलिखित तरीके से विभाग की क्षमता में और अधिक वृद्धि करना है यथाः-

(क) कार्गो के क्लियरेन्स में तेजी लाना

(ख) प्रक्रिया के चरणों की सं. संव्यवहार के समय और खर्च में कमी लाना

(ग) गेटवे के माध्यम से सीमा शुल्क दस्तावेजों की ई-फाइलिंग आन लाइन मूल्यांकन, शुल्क भुगतान और क्लियरेंस प्रक्रिया

(घ) कोर बैंकिंग समाधान के तहत् राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से सीमा शुल्क का ई-भुगतान

(ड.) बैंक में प्रति अदायगी की इलेक्ट्रानिक क्रेडिट

(च) टेली इन्क्वायरी, टच स्क्रीन कियोस्क, एस एम एस आदि जैसे इन्टेरेक्टिव वायस रिस्पान्स सिस्टम्स

(छ) स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना

(ज) प्रक्रिया का सरलीकरण

(झ) विभिन्न कर प्रणालियों के बीच सहवर्ती प्रक्रिया

(ञ) पारदर्शिता

(ट) मैन्युअल इन्टरफेस को न्यूनतम करना

598.97 करोड़ रूपये के खर्च वाली-समेकित कम्प्यूटरीकरण परियोजना को मंत्रिमंडल ने नवम्बर, 2007 में मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के विभिन्न घटकों को पूरा करने के लिये ठेका देने का काम पूरा हो गया है और इस समय कार्य प्रगति पर है।

बड़ी करदाता ईकाईयां (एल टी यू)

व्यापार में सुविधा प्रदान करने के महत्वपूर्ण उपाय के रूप में, उत्पाद शुल्क, आयकर/निगमकर और सेवाकर का भुगतान करने वाले बड़े-बड़े करदाताओं के लिये एक सिंगल विण्डो सर्विस की अवधारणा की शुरुआत की गई है इस प्रकार की पहली एल टी यू 2006-07 में बेंगालुरु में स्थापित की गई है। दूसरी एल टी यू ने वर्ष 2007-08 से चेन्नै में अपना कार्य शुरु कर दिया है। वर्ष 2008-09 में मुम्बई और दिल्ली में भी एल टी यू ने कार्य करना आरंभ कर दिया है।

सहायता केन्द्र

जुलाई, 2005 से सभी सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोनों में सहायता केन्द्र खोले गये हैं जो कि कर संग्रहण के सम्प्रभुता सम्पन्न कार्य में सार्वजनिक और निजी भागीदारी के क्षेत्र में एक अग्रणी उद्यम है। ये केन्द्र छोटे करदाताओं, निर्धारितियों, आयातकों, निर्यातकों और सेवा प्रदाताओं को दिशा-निर्देश और जानकारी देने के मामले में एक संस्थागत तंत्र का काम करते हैं।

कन्टेनर स्कैनर

जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, न्हावा शेवा, मुम्बई में एक मोबाइल गामा रे कन्टेनर स्कैनर और एक फिक्स्ड एक्स रे कन्टेनर स्कैनर लगाने से एक प्रायोगिक परियोजना सफलतापूर्वक पूरी हो गई है जिससे कार्गो क्लियरेन्स, बहुत बड़ी तादात् में कन्टेनर ट्रैफिक की देखभाल, गैर हस्तक्षेप जांच के माध्यम से उन्नत सीमा शुल्क नियंत्रण के क्षेत्र में एक बड़ा कदम हासिल हुआ है। उत्साहवर्धक परिमाणों को देखते हुए अक्टूबर, 2006 में मंत्रिमण्डल की मंजूरी मिल जाने के बाद अन्य प्रमुख पत्तनों पर भी लगाने के लिए 172.94 करोड़ रूपये (अनावर्ती)और 18.61 करोड़ रूपये (आवर्ती) के खर्च से 3 मोबाइल गामा रे स्कैनर और 4 फिक्स्ड एक्स रे स्कैनर को खरीदने की प्रक्रिया जारी है। कान्डला, चेन्नै और तूतीकोरिन में लगाये जाने के लिए 3 मोबाइल स्कैनरों की खरीद के लिए जनवरी, 2009 में दुबारा निविदा जारी कर दी गई थी और काण्डला, चेन्नै, तूतीकोरिन और मुम्बई में स्थापित किये जाने के लिए 4 फिक्स्ड एक्स रे स्कैनरों की खरीद के लिए नवम्बर, 2008 में निविदायें जारी कर दी गई थी। मोबाइल स्कैनरों की खरीद की लिये 6 अगस्त, 2010 को स्वीकृति जारी कर दी गई है तथा फिक्स्ड स्कैनरों की खरीद के लिए 24 सितम्बर 2010 को स्वीकृति दी गई। 3 मोबाइल स्कैनरों और 4 फिक्स्ड स्कैनरों को लगाने के लिए भूमि की अधिप्राप्ति के लिए पत्तन प्राधिकारियों के साथ एक पट्टा करार पर हस्ताक्षर किये गये है। सभी 07 स्कैनरों की आपूर्ति करने और उनको लगाये जाने के लिये पात्र बोली लगाने वालों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गये है। वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 में क्रमशः 3 मोबाइल स्कैनर और 4 फिक्सड स्कैनर लगाये जाने की योजना है।

समुद्री बेड़ा

देश के समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखने और सीमा शुल्क अधिनियम के आयात/ निर्यात संबंधी प्रावधानों को लागू करने की दृष्टि से विभाग के एक प्रतिरोधात्मक अस्त्र के रूप में तथा समुद्रीतट के साथ-साथ काम करने वाले सीमा शुल्क समुद्री बेड़े के रणनीतिक महत्व को विधिवत स्वीकार किया गया है, विशेषकर उस परिस्थिति में जब आतंकवाद के अस्त्रों और शस्त्रों की तस्करी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और नशीली दवाओं के व्यापार से खतरा बढ़ता जा रहा है। वर्तमान बेड़े और भविष्य में इनकी आवश्यकता की समीक्षा की गयी है और बेकार, पुराने, टूटे फूटे यानों के स्थान पर 277.27 करोड़ रूपये के खर्च से चरणबद्ध तरीके से आधुनिक और तेज चलने वाले यानों को खरीदने के एक प्रस्ताव को मंत्रिमण्डल ने फरवरी, 2007 में मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सीमा शुल्क संगठन विभिन्न वर्ग के 109 आधुनिक यानों की खरीद कर रहा है जिसकी विशेषतायें और उद्देश्य निम्न प्रकार हैंः-

यानों का संवर्ग	विशेषतायें	उद्देश्य
संवर्ग-I (24 यान)	चाल-25 नाट, लम्बाई 20 मीटर तथा उच्च सहिष्णुता	तटीय गश्ती और निगरानी
संवर्ग-II (22 यान)	उच्च चाल-40 नाट, लम्बाई-12 मीटर, कम सहिष्णुता	संदिग्ध यानों में तत्कालिक हस्तक्षेप
संवर्ग-IIIक (30यान)	चाल-30 नाट, लम्बाई 9 मीटर, कम सहिष्णुता	छिछले पानी, क्रीक और बंदरगाओं में उपयोगी
संवर्ग-IIIख (33यान)	चाल-35 नाट, लम्बाई	

6 मीटर, कम सहिष्णुता

वर्ग-I के 15 यान प्राप्त हुए हैं। संवर्ग- III क और IIIख के सभी यान भी प्राप्त हो गये हैं और इन्हें तस्करी रोधी कार्यों के लिए आयुक्तालयों के अंतर्गत लगाया गया है। संवर्ग-II के 8 यान प्राप्त हो गये है और बाकी सभी यानों की खरीद वित्तीय वर्ष 2011-12 तक पूरी कर ली जायेगी ।

1% राजस्व वृद्धि का उपयोग प्रोत्साहन प्रावधान के रूप में करना

व्यय प्रबंधन के बारे में व्यय विभाग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसरण में, जिनसे राजस्व पैदा करने वाले विभागों को यह अनुमति मिलती है कि वे ऐसी योजना तैयार कर सकें जिससे कि 1% राजस्व वृद्धि का उपयोग ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहन देने में हो सके जिनसे राजस्व का संकलन अधिकाधिक हो, संगठनात्मक क्षमता, बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि हो सके।

वर्ष 2005-06 और 2006-07 में संग्रहीत 1% राजस्व वृद्धि, जो कि क्रमशः 71.42 करोड़ रूपये और 113.63 करोड़ रूपये है कुल 185.05 करोड़ रूपये को इस योजना में नियत करने के प्रस्ताव को व्यय विभाग की मंजूरी मिल गयी है। जिसमें अप्रत्यक्ष कर के अनुदान के संबंध में वर्ष 2007-08 से 2010-11 के तक वर्ष के व्यय बजट में 86.26 करोड़ रू. खर्च किए गए हैं।

(करोड़ रू. में)

वर्ष	किया गया व्यय
2007-08	29.41
2008-09	16.12
2009-10	27.70
2010-11	13.03
योग	86.26

वर्ष 2011-12 में 1% के राजस्व प्रोत्साहन के लिए इस योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय कर्मचारियों को 14.82 करोड़ रूपये जारी कर दिये गये है। वर्ष 2012-13 के व्यय बजट में इस निर्मित 32.00 करोड़ रूपये रखे गये हैं।

बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कुछ योजनायें स्वीकृत की गई हैः-

- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क दायरों में क्षमता- सृजन/ अवसंरचना सुधार
- नासेन में प्रशिक्षण सुविधाओं में क्षमता-सृजन
- पी ए ओ में क्षमता- संवर्धन
- क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के मोबाइल फोन के प्रभार की प्रतिपूर्ति जिससे कि वे मुख्यालय में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सम्पर्क में हमेशा बने रहें ।
- क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए लैपटाप की व्यवस्था जिससे कि वे कर संग्रहण, जांच और आसूचना कार्य की मानीटरिंग में सुधार ला सकें ।
- संगठनात्मक कार्यक्षमता में सुधार लाने और बाहर की निवारक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए वाहनों को किराये पर लेना।

परिव्ययों एवं परिणामों का विवरण 2010-11

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11 (करोड़ रु. में)		परिमाणात्मक विवरण/ भौतिक उत्पादन	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	जोखिम कारक	31 मार्च 2011 की स्थिति
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
1.	मुख्य शीर्ष 2037 और 2038 सूचना प्रौद्योगिकी	ई-गवर्नेन्स के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता को सुदृढ़ करना	150.00	106.00				106.00 करोड़ रू. के संशोधित बजट के समक्ष मार्च, 2011 तक का व्यय 145.58 करोड़ रू. था ।
					- आल इंडिया वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना	539 में से 506 साइटों की सुपुर्दगी हो चुकी है। चरण-I और चरण-II सहित क्रियान्वयन के कार्य को बंद घोषित कर दिया गया है। वेंडरों द्वारा अन्य साइट्स की शीघ्र सुपुर्दगी हो जाएगी।	परिवर्तन प्रबंधन में अत्यधिक प्रयास किये जाने की जरूरत है	77 करोड़ रूपये के कुल खर्च से एक डेटा सेन्टर और आल इंडिया वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना का ठेका बी एस एन एल, वी एस एन एल और एच पी के व्यापार मण्डल को दे दिया गया है। 539 स्थलों में से 506 स्थलों पर डब्लूएएन का कार्यांवयन हो चुका है। इसके साथ ही जिन स्थलों की शिफ्टिंग हो रही है या वे अन्य अतिप्राकृतिक स्थितियों का सामना कर रहें हैं, उनके अलावा सभी पर डब्लूएएन परियोजना पूरी हो चुकी है। प्रयोक्ताओं की शिकायतें दूर करने

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
								के लिए सहायता डेस्क की व्यवस्था की गयी है।
					- सेन्ट्रल सर्वर्स हार्डवेयर स्टोरेज एण्ड सेक्यूरिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर) अर्थात् सेस्टम इन्टेग्रेशन की स्थापना	उपकरण लगा दिये गये हैं और उनको चालू कर दिया गया है। प्रणाली स्वीकृति का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है जैसे कि सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर की व्यवस्था हो गयी है और तीन राष्ट्रीय डेटा केन्द्रों से इनको संचालित किया जा रहा है।	संशोधित लागत के लिए सीएनई /सीसीईए का अनुमोदन क्रमशः 09.08.2007 और 29.11.2007 को प्राप्त हो गया था।	उपकरणों को लगाने और स्थापित करने का कार्य पूरा हो गया है और प्रणाली स्वीकृति के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है जैसे कि सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर की व्यवस्था हो गयी है और तीन राष्ट्रीय डेटा केन्द्रों से इनको संचालित किया जा रहा है। उपकरणों का प्रयोग करने वालों की सहायता के लिये और बुनियादी संरचनाओं के क्रियात्मक मानीटरिंग के लिये एक नेटवर्क आपरेशन सेंटर स्थापित किया गया है। प्रचालनों तथा अंतिम प्रयोक्ता की समस्याओं के समाधान के लिए अवसंरचना और अप्लीकेशंस सहायता के लिए एक सहायता डेस्क कार्यरत है। विभिन्न उपकरणों तक अधिकारियों की नीति आधारित पहुँच हो सके, इसके लिये एक सिंगल साइन आन

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
								अनुप्रयोग तैयार किया गया है और रोल आउट किया गया है। कार्यालयी मेल खाता उपलब्ध कराने के लिए डेटा सेंटर से मेल मेसेजिंग समाधान को ऑनलाइन बना दिया गया है।
					- सभी विभागीय प्रयोगकर्त्ताओं के लिए लोकल एरिया नेटवर्क का प्रावधान	चरण-I के अंतर्गत, 175 भवनों में काम कर रहे सीबीईसी प्रयोगकर्ताओं के लिये एलएएन कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है। चरण-II के अंतर्गत, 900 साइटों पर एलएएन कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है। अतिप्राकृतिक समस्याओं का सामना कर रहे 65 साइटों सहित जिनका निराकरण किया जा रहा है, 70 साइटों पर कार्य प्रगति पर है।	संशोधित लागत पर सी एन ई / सी सी ई ए का अनुमोदन प्राप्त हो गया है।	1210 स्थलों में से, 1154 साइटों पर एलएएन कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है। एलएएन का प्रयोग करके, सीबीईसी के अधीन कार्यालय केंद्रीय संगणन सुविधा से जुड़ने/ उसे अक्सेस करने में समर्थ हैं। इसके साथ ही जिन स्थलों की शिफ्टिंग हो रही है या वे अन्य अतिप्राकृतिक स्थितियों का सामना कर रहें हैं, उनके अलावा सभी पर एलएएन परियोजना पूरी हो चुकी है। प्रयोक्ताओं की शिकायतें दूर करने के लिए सहायता डेस्क की व्यवस्था की गयी है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
					- डाटा वेयर हाउस की स्थापना	अन्य परियोजनाओं की समबद्धता के आधार पर, चरण-I सीमा शुल्क डेटा और चरण-II केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर डेटा दोनों के ही मई, 2010 तक पूरा हो जाने की संभावना है।	रिपोर्ट का पहला सेट जिसमें केंद्रीय उत्पादशुल्क और सेवाकर समय-वार, निर्धारिती-वार और स्थान-वार, लघु लेखा शीर्ष-वार इत्यादि संग्रहण दर्शाया गया है, लाइव हो चुका है।पॉयलेट के लिए डेटा आधारित मॉडलिंग पूरा हो चुका है तथा पॉयलेट ईएलटी (स्रोत प्रणाली से डेटा निकालना तथा डेटा वेयरहाउस में लोड करना) और रिपोर्ट का विकास शुरू हो चुका है। प्रायोगिक प्रयोक्ता स्वीकृति के लिए कार्यनीति चल रही है।इसके कार्यक्षेत्र में एक अभिवृद्धि के रूप में, सीबीईसी, सीबीडीटी और राज्य वैट/सीएसटी के बीच डेटा वेयरहाउसिंग का कार्यांवयन भी हो रहा है।	सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर पर विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्टें विकसित और सीबीईसी के पोर्टल पर होस्ट की जा चुकी हैं। प्रयोक्ता स्वीकृति परीक्षण का चरण पूरा हो चुका है तथा यह परियोजना सीबीईसी के अभिचिह्नित प्रयोक्ताओं के लिए प्रारंभ होने की प्रक्रिया में हैं।आयात तथा केंद्रीय उत्पादशुल्क के लिए संदर्भ मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न डेटा माइनिंग रिपोर्टें तैयार की जा चुकी हैं। संवेदनशील जिंसों के लिए ऑटोमेटेड क्लस्टर फार्मेशन की कवायद पूरी की जा चुकी है। आपूर्तिकर्ताओं की प्रोफाइलिंग पूरी हो चुकी है।
					- आटोमेशन आफ सेन्ट्रल एक्साइज एण्ड सर्विस टैक्स (ए सी ई एस)	सभी माड्यूलों सहित, एसीईएस को 23.12.2009 तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के सभी 104 आयुक्तालयों में अखिल भारतीय स्तर पर प्रारंभ कर दिया गया है।	———	एसीईएस को 23.12.2009 तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर के सभी 104 आयुक्तालयों और बड़ी करदाता इकाईयों में राष्ट्रीय तौर पर रोल आउट कर दिया गया है।लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नामक खुद

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
								सीखने का ऑनलाइन ट्यूटोरियल विकसित कर लिया गया है और एसीईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
					- सीमा शुल्क के उन्नयन के लिये गेटवे परियोजना	काम लगभग पूरा हो गया है। शेष कार्य मुख्यतया बैक एंड आईसीईएस 1.5 के अनुप्रयोग और व्यापारिक भागीदारों से विकसित मानचित्रों के एकीकरण से संबंधित है।	आकाश, समुद्र और आईसीडी के लिए आईसीईएस 1.5 एप्लीकेशन की उपलब्धता और व्यापारिक भागीदारों की तत्परता ।	काम लगभग पूरा हो गया है। सीमाशुल्क के104 प्रमुख अवस्थानों में से, 90 अवस्थानों पर इलेक्ट्रानिक डेटा अंतर्विनिमय (ईडीआई) कार्यरत हैं। 37 अवस्थान (एयरपोर्ट और आईसीडी) आईसीईएस 1.5 पर चल रहे केंद्रीयकृत डेटाबेस पर आप्रवास कर चुके हैं। अभिरक्षक और एयरलाइन्स से संबंधित मेसेज विकसित किए जा चुके हैं।शेष कार्य मदें मुख्यतया बैक एंड आईसीईएस 1.5 के अनुप्रयोग से विकसित मानचित्रों, विशेषकर समुद्री पत्तनों से संबंधित संदेशों, के एकीकरण से संबंधित है।
					- जोखिम प्रबंधन प्रणाली की स्थापना (आरएमएस)	- 13 शहरों में, सभी 23 स्थानों में आर एस एस के आयात माडयूल सफलतापूर्वक शुरू किए जा चुके हैं। डेटा केंद्र में निर्यात माडयूल पोर्ट किए जा चुके हैं और प्रयोक्ता स्वीकृति परीक्षण का काम प्रगति पर है। कंटेनर के	आईसीईएस 1.5 एप्लीकेशन की उपलब्धता।	सभी प्रमुख सीमाशुल्क पत्तनों/एयरपोर्ट पर आरएमएस प्रचालनरत हैं जो भारत के 85% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कवर करते हैं। इन सभी अवस्थानों पर 24 निर्यात संवर्धन योजनाओं में भी

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
						चयन के लिए, न्हवा शेवा सीमाशुल्क गृह में आर एम एस काम कर रहा है।		आरएमएस प्रचालनरत हैं।आरएमएस अप्लीकेशन का एक नया संस्करण (आरएमएस 3.1) वेंद्रीय सर्वर पर नियोजित किया जा चुका है और 47 अवस्थानों पर कार्य कर रहा है जिसमें 20 पुरानी आरएमएस साइटें तथा 27 अन्य ईडीआई अवस्थान शामिल हैं।प्रत्यायित ग्राहक कार्यक्रम (एसीपी) आरएमएस की प्रमुख विशेषता है, जिसके द्वारा कतिपय आयातकों को उच्च अनुपालक के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है और इन एसीपी ग्राहकों को आरएमएस द्वारा आश्वस्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
					- कर प्रदाताओं को सुविधा पहुंचाने की दृष्टि से बड़ी करदाता ईकाईयों (एलटीयू) के लिये पोर्टल की स्थापना।	- एलटीयू के लिए एक विशेष बेवसाइट तैयार कर ली गई है। ये एलटीयू इस समय बंगलोर, चेन्नै, दिल्ली और मुम्बई में काम कर रहे हैं। 2010 के दौरान कोलकाता में अन्य एलटीयू के चालू कर देने की योजना बनायी गयी है।		एलटीयू पर वेबसाइट स्थापित की जा चुकी है। एलटीयू इस समय बंगलोर, चेन्नै, दिल्ली और मुम्बई में काम कर रहे हैं।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
2.	**मुख्य शीर्ष 4047 – निवारक कार्य-जहाजों और बेड़ों की अधिप्राप्ति**	तस्करी विरोधी क्षमता और उन्नत तटीय सुरक्षा को मजबूत बनाना	48.00	42.00	वर्ष 2010-11 के दौरान, विभाग को निम्नलिखित यानों की सुपुर्दगी किए जाने की संभावना है:- श्रेणी यानों की सं. I 06 II 12 **18**	वर्ग I, III क और III ख के 87 यानों की खरीद के लिये मार्च, 2007 में बोट बिल्डर्स को आर्डर दिए गए थे। वर्ग II के 22 यानों की आपूर्ति के लिये दिसंबर, 2008 में बोट बिल्डर्स को आर्डर दे दिये गये हैं।वर्ग –III क और III ख में सभी (III-क में 30 और III-ख में 33) यानों की बोट बिल्डर्स द्वारा सुपुर्दगी कर दी गयी है।वर्ग-I के 24 यानों में से, अभी तक 15 यान प्राप्त हो चुके हैं तथा मार्च, 2010 तक 3 और यान प्राप्त होने की संभावना है। इस श्रेणी के सभी यानों की सुपुर्दगी 2010-11 में पूरी हो जाएगी।वर्ग -II में, मार्च, 2010 तक 3 यान प्राप्त होने की संभावना है। इस श्रेणी के 22 यानों की सुपुर्दगी 2011-12 में पूरी हो जाएगी।	____	समुद्री यानों की खरीद के लिये 277.27 करोड़ रूपये की लागत से 109 यानों की खरीद के लिए सी सी ई ए ने 22.02.2007 को एक संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी । वर्ग-I के 24 यानों की खरीद के लिये मेसर्स गोल्ड ब्रिज मलेशिया को और वर्ग –III क के 30 यानों की खरीद के लिये और वर्ग-III ख के 33 यानों की खरीद के लिये मेसर्स ब्रुन्सविक सिंगापुर को आर्डर दे दिये गये हैं। वर्ग-II के 22 यानों की आपूर्ति के लिये मेसर्स अल ढायन क्राफ्ट्स, बहरीन के साथ दिसम्बर, 2008 में एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं।वर्ग- I में, बोट बिल्डर्स ने सितंबर 2008 में यानों की सुपुर्दगी शुरू की और अगस्त, 2010 तक 24 सभी यान प्राप्त हो चुके हैं। III क और III ख के यानों की सुपुर्दगी जनवरी, 2008 से शुरू हुई थी और जून, 2009 तक इस श्रेणी के सभी यान प्राप्त हो

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
								चुके हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान प्राप्त 2 यानों सहित 31.03.2010 तक वर्ग- II के 8 यान प्राप्त हो चुके हैं।42.00 करोड़ रू. के संशोधित बजट के समक्ष मार्च, 2011 तक का व्यय 21.87 करोड़ रू. था।
3.	**मुख्य शीर्ष 4047 तस्करीरोधी उपकरणों का प्रापण**	अभेद्य परीक्षण के माध्यम से माल की निकासी, कंटेनर ट्रैफिक की बढ़ी तादात की कुशल हैंडलिंग, संवर्धित सीमा शुल्क नियंत्रण को सुकर बनाना।	73.00	36.95	कुल 172.94 करोड़ (आवर्ती) तथा 18.61 करोड़ प्रति वर्ष (गैर आवर्ती) परियोजना लागत से 3 सचल गामा रे स्कैनरों का संस्थापन, 4 स्थिर एक्स-रे का आर्डर देना तथा सिविल निर्माण की शुरूआत।	3 सचल स्कैनरों के 2010-11 के दौरान स्थापित और चालू हो जाने की संभावना है। 4 स्थिर स्कैनरों की स्थापना के आपूर्ति आदेश 2010-11 के दौरान तक दिए जाएंगे। स्थापना के बाद, स्थिर स्कैनरों के 2011-12 में चालू होने की संभावना है।	परियोजना की प्रगति पत्तन प्राधिकरणों से भूमि की प्राप्ति तथा सांविधिक प्राधिकरणों से समय पर अनुमोदन पर निर्भर करती है। परियोजना कार्यांवयन समिति द्वारा प्रगति की निगरानी की जा रही है	स्कैनरों की प्राप्ति के लिए परियोजना क्रियांवयन समिति कार्यरत है। चार स्थानों तूतीकोरिन, चेन्नै, मुम्बई और काण्डला में स्कैनरों की स्थापना के लिए पत्तन प्राधिकारणों से भूमि अधिग्रहण के लिए पत्तनों को पट्टा किराया अदा करने के लिए नौ परिवहन मंत्रालय द्वारा सामान्य दरों का 30% निर्धारित किया गया है। तथापि, पत्तन प्राधिकरणों के साथ पट्टा अनुबंध पर, जो सीमाशुल्क विभाग द्वारा पहले अंतिम रूप दिए प्रारूप से भिन्न है, अभी हस्ताक्षर नहीं किया गया है। पट्टे के संशोधित प्रारूप का मसला, जिसमें कुछ अव्यावहारिक खंड हैं, नौ परिवहन मंत्रालय

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
								के समक्ष उठाया गया है।3 सचल गामा रे स्कैनरों के अधिग्रहण के लिए निविदा जनवरी, 2009 में पुनः जारी की गयी तथा मूल्य बोलियां 7.12.2009 को खोली गयीं। निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा निविदा का 22.12.2009 को मूल्यांकन किया गया। चयनित बोलीदाताओं के माध्यम से 3 सचल स्कैनरों की प्राप्ति की स्वीकृति 06.08.2010 को जारी की जा चुकी है। 4 एक्सरे स्कैनरों के लिए विश्वव्यापी निविदा नवंबर, 2008 में जारी की गयी, तकनीकी बोलियां 23.3.2009 को खोली गयी तथा तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा 22.12.2009 को विचार किया गया। मूल्य बोलियां 29.3.2010 को खोली गयीं और चयनित बोलीदाताओं के माध्यम से 4 सचल स्कैनरों की प्राप्ति की स्वीकृति 24.09.2010 को जारी की जा चुकी है। 36.95 करोड़

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
								रू. के संशोधित अनुमान के समक्ष मार्च,2011 तक किया गया व्यय 11.33 करोड़ रू. था।
4.	**मुख्य शीर्ष 4059 -- कार्यालय आवास का अधिग्रहण**	कार्यालय आवास की कमी को पूरा करने के लिए	132.00	51.00	कार्यालय आवास की खरीद, कार्यालय आवास की जरुरतों में कमी को पूरा करेगा ।	- मार्च, 2008 में खरीदे गए एनबीसीसी भवन, साकेत, नई दिल्ली के संबंध में आगे का भुगतान।- -नवंबर, 2006, मुंबई में यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की विनिर्दिष्ट इकाई से भवन की खरीद के संबंध में स्थानीय प्राधिकरण अर्थात मुंबई नगर निगम को स्टांप शुल्क एवं अन्य प्रभारों का भुगतान। -चेन्नै में टीएनएससीबी से कार्यालय आवास की खरीद के लिए, कोलकाता में एलटीयू के लिए कार्यालय आवास तथा अन्य छोटे संभावित प्रस्तावों के लिए भुगतान।	ऐसे मामलों में भुगतान कई औपचारिकताओं पर निर्भर करती है जिसमें विभिन्न संबंधित प्राधिकारणों से परामर्श शामिल है।	सीबीईसी द्वारा प्रयोग के लिए नई दिल्ली में एनबीसीसी से कार्यालय स्थान की खरीद के लिए मार्च, 2008 में 30 करोड़ रू. का अग्रिम भुगतान किया गया। कार्यालय आवास के आंतिरक सज्जा का 75% काम पूरा हो जाने पर मार्च 2010 तक एनबीसीसी को 7.95 करोड़ रू. का खंड भुगतान भी किया गया। अन्य भुगतान नहीं किए गए क्यों कि एन बी सी सी द्वारा समापन प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है जो एन बी सी सी और सीबीईसी के बीच उप पट्टा अनुबंध के लिए आवश्यक है। एस यू यू टी आई से मुंबई में खरीदे गए भवन के संदर्भ में स्थानीय प्राधिकरण अर्थात वृहत मुंबई नगर निगम को स्टाप शुल्क एवं अन्य प्रभारों की अदायगी अभी तक लंबित है

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
								क्योंकि स्टाप शुल्क की दर से संबंधित विवाद का अभी निपटारा नहीं हुआ है। चेन्नै में टीएनएससीबी से और कोलकाता में एलटीयू कार्यालय आवास खरीदने के अन्य प्रस्तावों को छोड़ दिया गया है। 51.00 करोड़ रू. के संशोधित बजट के समक्ष मार्च, 2011 तक किया गया व्यय 88.92 करोड़ रू. था ।
5.	**मुख्य शीर्ष 4216 -- आवासीय स्थान का अधिग्रहण**	आवासीय स्थान की कमी को पूरा करने के लिए	11.00	2.00	आवासीय स्थान की खरीद से आवश्यकता की पूर्ति होगी ।	शिलांग में आवासीय परिसर की खरीद के लिए भुगतान तथा चल रही अन्य परियोजनाओं के संबंध में अन्य भुगतान किए जाने की संभावना है।	जी एफ आर में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन के बाद प्रस्ताव में सी पी डब्लू डी, शहरी विकास मंत्रालय से अनापत्ति प्राप्त करने का प्रस्ताव है। .	राष्ट्रीय सेल आवासीय परिसर, रांची में 67 फ्लैटों की खरीद के लिए दो किस्तों में 12.04 करोड़ रू. का भुगतान किया गया। शेष 1.24 करोड़ रू. का भुगतान कब्जा लेते समय किया जाएगा। शिलांग में आवासीय स्थान खरीदने के प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। 2.00 करोड़ रू. के संशोधित अनुमान के समक्ष मार्च, 2011 तक किया गया व्यय रू. 0.97 करोड़ है।

2011-12 के परिव्यय के सन्दर्भ में परिणाम की स्थिति

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2011-12 (करोड़ रु. में)		परिमाणात्मक वितरण/ भौतिक उत्पादन	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	जोखिम कारक	31 दिसम्बर 2011 की स्थिति
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
1.	**मुख्य शीर्ष 2037 और 2038 -सूचना प्रौद्योगिकी**	ई-गवर्नेन्स के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता को सुदृढ़ करना		150.00	150.00			150 रूपये की सं.प्रा. की तुलना में दिसम्बर, 2011 तक 87.33 करोड़ रूपये व्यय हुए।
					- आल इंडिया वाइड एरिया नेटवर्क (वेन) की स्थापना।	सीबीईसी के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों को राष्ट्रीय डाटा केन्द्र व्यापार निरंतरता तथा आपदा रिकवरी साइटस से जोड़ना।	आल इंडिया वाइड नेटवर्क (वेन) का कार्यान्वयन	एक आल इंडिया वाइट नेटवर्क स्थापित किया गया है जिससे राष्ट्रीय डाटा केन्द्र, डाटा रिप्लिकेशन तथा डी आर साइट से 500 भवनों को जोड़ा गया ताकि सी बी ई सी के कार्यालयों को राष्ट्रीय डाटा केन्द्र तथा आपदा रिकवरी साइटो से जोड़ा जा सके। मुख्य मसलों का सामना करने वाली साइटो को छोड़कर वाइड ऐरिया नेटवर्क को कार्यान्वित कर दिया गया है। हेल्प डेस्कों में एम पी एल एस वाइड ऐरिया

1	2	3	4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.	5	6	7	8
								नेटवर्क पर प्रयोक्ताओं की शिकायते दूर करने हेतु प्रावधान कर दिए गए है।
					- सैट्रल सर्वर (हार्डवेयर तथा सिक्योरटी बुनियादी ढांचा) अर्थात् सिस्टम इंटिग्रेशन लगा दिया गया है।	विभाग केन्द्रीय कम्प्यूटिग, डाटा स्टोरज, सिक्योरटी बुनियादी ढांचा तथा फेसिलिटी प्रबंधन तथा संबंधित कार्यो हेतु नए जनरेशन सर्वर प्राप्त करेगा ताकि सभी प्रयोक्ताओं तथा विभाग सीबीईसी की प्रणाली का लाभ प्राप्त कर सकें। सभी संगत एप्लीकेशन केन्द्रीय बुनियादी ढांचे पर उपलब्ध होगी।	परियोजना कार्यान्वित कर दी गई है। उपकरण लगा दिए गए है तथा चालू कर दिए गए है। तथा सिस्टम स्वीकृति माईल स्टोन प्राप्त कर लिए गए है अर्थात कस्टम तथा केन्द्रीय उत्पाद और सेवा कर के लिए सॉफ्ट वेयर एप्लीकेशन पोर्ट कर दी है ओर यह तीन राष्ट्रीय केन्द्रों से संचालित है। पांच वर्षों के लिए फेसलेटी प्रबंधन सहायता हेतु कार्मिक तैनात कर दिए गए है।	परियोजना कार्यान्वित कर दी गई है। उपकरण लगा दिए गए है तथा चालू कर दिए गए है। तथा सिस्टम स्वीकृति माईल स्टोन प्राप्त कर लिए गए है अर्थात कस्टम तथा केन्द्रीय उत्पाद और सेवा कर के लिए सॉफ्ट वेयर एप्लीकेशन पोर्ट कर दी है ओर यह तीन राष्ट्रीय केन्द्रों से संचालित है। पांच वर्षों के लिए फेसलेटी प्रबंधन सहायता हेतु कार्मिक तैनात कर दिए गए है। परियोजना संबंधी अतिरिक्त सूचना निम्नानुसार है: अपेलिकेशन प्रयोक्ताओं हेतु बुनियादी ढांचे की सक्रिय मोनिटरिंग हेतु

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
								एक नेटवर्क ओपरेशन केन्द्र स्थापित कर दिया गया है। प्रयोक्ताओं की समस्याओं के समाधान हेतु एक इन्फ्रास्ट्रकचर तथा एप्लीकेशन सपोर्ट हेल्प डेस्क संचालित है। सीबीईसी अधिकारियों द्वारा विभिन्न अपलिकेशनों के उपयोग हेतु एक सिंगल साइन ऑन अपलिकेशन बना ली गई है। लगभग 19,000 अधिकारियों हेतु यह (एस ओ एस) आई डी सृजित कर ली गई है। मेल संदेशात्मक समाधानों को आन लाईन कर दिया गया है ताकि 20,000 अधिकारियों को मेल संदेश दिए जा सके।
					- विभाग के सभी प्रयोक्ताओं हेतु लोकल एरिया नेटवर्क का प्रावधान ।	विभाग के सभी प्रयोक्ताओं हेतु लोकल एरिया नेटवर्क का प्रावधान ।	थिन क्लाईंट, नेटवर्क प्रिटर्स, प्रिंट सर्वर तथा स्केनर आदि अपेक्षित हार्डवेयर वाले लगभग 1166 भवनों में सीबीईसी के प्रयोक्ताओं हेतु स्थानीय ऐरिया नेटवर्क पहले ही	थिन क्लाईंट, नेटवर्क प्रिटर्स, प्रिंट सर्वर तथा स्केनर आदि अपेक्षित हार्डवेयर वाले लगभग 1180 भवनों में

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
							संचालित है।	सीबीईसी वेन प्रयोक्ताओं हेतु स्थानीय ऐरिया नेटवर्क पहले ही संचालित है। इस प्रणाली के प्रयोग से आयुक्तालय, कस्टम हाऊस, निदेशालय प्रभाग, आई सीडी, लैंड कस्टम स्टेशन तथा केन्द्रीय उत्पाद/ सेवा कर रैंजर्स सुरक्षित रूप से वेन्द्रीय कम्प्यूरिंग सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसवेन साथ ही, स्थानांतरण अथवा मुख्य अन्य मसलों का सामना करने वाली साइटों को छोड़कर एलएएन परियोजना पूरी कर ली गई है। एल एन एन मसलों पर प्रयोक्ताओं की शिकायतों के निपटान हेतु हेल्प डेस्क में प्रावधान कर दिया गया है।
					- डाटा वेयर हाउस की स्थापना	सीबीईसी, सभी सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद कर तथा सेवा कर डाटा के लिए एक केन्द्रीकृत	डाटा वेयर हाऊस कार्यान्वित कर दिया गया है।	स्मार्ट व्यिू नामक सीबीईसी एन्टरप्राईज विभागीय प्रयोक्ताओं हेतु कार्यान्वित कर

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
						रिपोजिटरी बन जाएगा। यह एम पीएलएस सिस्टम पर (सीबीईसी, वेन) पर डाटा माईनिंग सहित विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग हेतु सभी यूजर फ्रेंड प्रयोक्ताओं हेतु उपलब्ध होगा।		दिया गया है तथा अधिकारियों की बड़ी संख्या हेतु व्यापक एंड यूज प्रशिक्षण दिया गया है। इससे सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद तथा सेवा कर के सभी दायरों में करदाताओं पर नजर रखी जा सकती है। स्मार्ट व्यिू तदर्थ प्रश्नावली सहित पूर्व पारिभाषित रिपोर्टों तथा बहुआयामी विश्लेषणों हेतु यूजर फ्रन्डली इन्टरफेस हैं। इसमें डाटा माईनिंग तथा टेक्स्ट माइनिंग क्षमता भी है जिन्हें आयात निर्यात में शामिल व्यक्तियों की आरएमडी में सहायता करने हेतु उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त डाटा वेयर हाऊस सीबीईसी से बाहर के अभिकरणों अर्थात (वाणिज्य मंत्रालय सी ए जी प्रतिस्पर्धा आयोग) के अनुरोधों के भी काम आता है। विभिन्न

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
								फील्ड कार्यालयों, निदेशालयों (जैसे डी आर आई, डीजी ओ वी, डीजीसीईआई) टी आर यू बोर्ड आदि की आवश्यकताओं के आधार पर अब तक लगभग 75 सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद तथा सेवा कर संबंधी डाटा वेयर हाऊस आधारित प्री डिफाइंड रिपोर्ट विकसित की गई है। ये रिपोर्ट सीबीईसी अपलिकेशन द्वारा किलक आफ ए माऊस पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त सी बी ई सी द्वारा वेयर हाउस के एक्सटेंशन के रूप में टेक्स 360 डिग्री परियोजनाएं कार्यान्वत की गई है। इससे सीबीईसी, सीबीडीटी तथा महाराष्ट्र के सेल टेक्स प्रशासन के बीच डाटा विनिमय होता है तथा करदाताओं के संबंध में आय कर, सेवा कर,

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
								केन्द्रीय उत्पाद कर सीमा शुल्क तथा राज्य के वैट पर 360 डिग्री व्यू प्राप्त होता है। गुजरात जैसे अन्य राज्यों ने भी इस प्रकार की परियोजना हेतु अनुरोध किया है।
					- केन्द्रीय उत्पाद तथा सेवा कर का आटोमेशन (एसीईएस)	सभी कार्यों की प्रक्रिया को आटोमेटिड करके केन्द्रीय उत्पाद कर तथा सेवा कर मूल्यांकनकर्त्ताओं के साथ इंटरफेस में कमी तथा बड़ी संख्या में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु।	केन्द्रीय उत्पाद तथा सेवा कर के सभी 104 आयुक्तालयों में कार्यान्वित कर दिया गया है।	एसीई एस के सभी मॉडयूल का केन्द्रीय उत्पाद कर तथा सेवा कर के सभी 104 आयुक्तालयों में दिनांक 23.12.2009 को पूरा लिया गया।
					- कस्टम उन्नयन हेतु गेटवे परियोजना	गेटवे परियोजना एक सिंगल नेटवर्क के माध्यम से सीमा शुल्क समुदाय को जोड़ने का लक्ष्य रखती है। इस परियोजना के माध्यम से सीमा शुल्क दस्तावेजों की ई-फाइलिंग से आन लाइन मूल्यांकन ड्यूटी भुगतान, अनापत्ति प्रक्रिया में सुधार आया है। गेटवे परियोजना एक समेकित परिवेश तथा	कस्टम ई डी आई प्रणाली/ आईसी ई एस वर्जन 1.5) का एक बेहतर वर्जन 103 कस्टम लोकेशनों में कार्यान्वित कर दिया गया है।	कस्टम ई डी आई प्रणाली का उन्नयन वर्जन (आई सी ई एस 1.5) कार्यान्वित हो गया है। कस्टम ई डी आई प्रणाली/आईसी ई एस वर्जन 1.5) का एक बेहतर वर्जन 103 कस्टम लोकेशनों में कार्यान्वित कर दिया गया है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
						कस्टम ट्रेडिग पार्टनरों को प्रदेश सेवा की गुणवत्ता में इलैक्ट्रोनिकी लेन देन क्षमता का विकास करती है।		
					- जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना (आरएमएस)	आरएमएस का लक्ष्य व्यापार को सुलभ बनाना तथा बेहतर ट्रेक रिकार्ड वाले विशेष क्लाईटों के लिए जो सीमा शुल्क द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करते हों के लिए सुनिश्चित सीमा शुल्क अनापत्ति के साथ सीमा शुल्क की दृष्टि से जोखिम वाले समान का आसूचना द्वारा प्रभावी प्रवर्तन करना है।	आर एम एस का एक नया वर्जन जो आईसीईएस 1.5 वर्जन से मेल खाता है, कार्यान्वित कर दिया गया है। यह नया वर्जन (आर एम एस 3.1) पुराने 23 स्थानों जहां (आर एम एस 2.7) मौजूद था के साथ-साथ 69 सीमा शुल्क लोकशनों में संचालित कर दिया गया।	आई सीईएस के वर्जन 1.0 से 1.5 में परिर्तवन जोखिम प्रबंधन प्रणाली का एक नया वर्जन है जो आई सी ई एस 1.5 वर्जन से मेल खाता है। यह नया वर्जन (आर एम एस 3.1) पुराने 23 स्थानों जहां (आर एम एस 2.7) मौजूद था के साथ-साथ 69 सीमा शुल्क लोकशनों में संचालित कर दिया गया।
					- कर भुगतान को सुलभ बनाने हेतु एक बड़ी करदाता एकक (एलटीयू) की स्थापना	- एक एलटी यू विनिर्दिष्ट वेबसाइट विकसित की गई है। ये एल टी यू बंगलौर, चेन्नई, दिल्ली तथा मुम्बई में कार्यात्मक है। कलकत्ता में अन्य एलटीयू 2010 के दौरान कार्यात्मक करने की योजना है।		एलटीयू वेबसाइट स्थापित कर ली गई है। इस समय बंगलौर, चेन्नई, दिल्ली तथा मुम्बई में एल टी यू कार्यात्मक है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
2.	मुख्य शीर्ष 4047 निवारक कार्य- जहाजों और बड़ों की अधिप्राप्ति	तस्करी विरोधी क्षमता और उन्नत तटीय सुरक्षा को मजबूत बनाना	13.50	38.27	2011-12 के दौरान वर्ग-II के 08 यान विभाग को सौपे जाने की उम्मीद है।	आधुनिक द्रुत गति के जलयानो से सीमा शुल्क विभाग की क्षमता सदृढ़ होगी। कोस्टल सुरक्षा में सुधार से खतरनाक/ निषेधात्मक समान की तस्करी पर तथा इससे पर्यावरण तथा लुप्त होती प्रजाति को होने वाली हानि को रोका जा सकता सकेगा।	- - - - -	वर्ग I, III क और IIIख के 87 यानों की खरीद के लिये मार्च, 2007 में बोट बिल्डर्स को आर्डर दे दिये गये हैं। वर्ग II के 22,यानों की आपूर्ति के लिये, जिसके लिए फिर से टेन्डर, 2008 में जारी किया गया था के लिए भी बोट बिल्डरों को आदेश दे दिए गए हैं। वर्ग-IIIक तथा IIIख, में सभी यान (IIIक में 30 तथा III-ख में 33) की डिलेवरी यान निर्माता ने जून, 2009 में कर दी थी। वर्ग-I के सभी 24 यान की डिलेवरी अगस्त, 2010 में पूरी हो गई थी। वर्ग-II में 08 यान दिसम्बर, 2010 तक प्राप्त हो गए थे। इस वर्ग में सभी 22 यान की डिलेवरी 2011-12 में पूरी हो जाएंगी।
3.	**मुख्य शीर्ष 4047- तस्करी रोधी उपकरणों का प्रापण**	अभेद्य परीक्षण के माध्यम से माल की निकासी, कंटेनर ट्रैफिक की बढ़ी तादात की कुशल हैंडलिंग, संवर्धित सीमा शुल्क नियंत्रण को सुकर बनाना।	70.00	43.65	कुल 172.94 करोड़ (आवर्ती) तथा 18.61 करोड़ प्रति वर्ष (गैर आवर्ती) परियोजना लागत से 3 सचल गामा रे स्कैनरों का संस्थापन, 4 स्थिर एक्स-रे का आर्डर देना तथा सिविल निर्माण की शुरूआत।	तुतीकोरिन, चेन्नै तथा कांडला पोर्ट पर कंटनेरों की नान इन्ट्रूयूसिव स्केनिंग आरंभ की जाएगी। तुतीकोरिन, चेन्नाई, कांडला तथा मुम्बई पोर्ट	3 सचल स्कैनर तथा 4 स्थिर स्कैनर क्रमशः 2011-12 तथा 2012-13 में लगाए जाने संभावित है। कांट्रैक्ट अवार्ड हेतु पात्र बिडरों को 6 अगस्त, 2010	चेनै और तूतीकोरिन में फिक्सड स्कैनरों के लगाये जाने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गये हैं। परियोजना की प्रगति पत्तन प्राधिकरणों

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
						पर फिक्सड स्केनर लगाए जाएंगे। इस स्केनिंग प्रणाली से अनियमितओं के कई मामलों के परीक्षण में सहायता मिलेगी। इसके परिणामस्वरुप राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी तथा कार्गो के लिए त्वरित अनापत्ति प्राप्त हो सकेगी।	को सचल स्कैनरों के संबंध में तथा 24 सितम्बर, 2010 को स्थिर स्कैनरों के संबंध में मंजूरी प्रदान कर दी गई है। संबंधित पोर्ट प्राधिकरण द्वारा सीमा शुल्क विभाग को स्कनैर लगाने हेतु भूमि नही सौंपे जाने के कारण चुने गए बिल्डरों को आपूर्ति आदेश जारी नही किए जा सके हैं।	से भूमि की प्राप्ति तथा सांविधिक प्राधिकरणों से समय पर अनुमोदन पर निर्भर करती है। परियोजना कार्यावयन समिति द्वारा प्रगति की निगरानी की जा रही है।
4.	मुख्य शीर्ष 4059 - कार्यालय का अधिग्रहण	कार्यालय आवास की को करने के लिए	40.00	7.00	कार्यालय आवास की खरीद, कार्यालय आवास की जरुरतों की कमी को पूरा करेगा ।	- मार्च, 2008 में एन बी सी सी भवन, साकेत, नई दिल्ली के अधिग्रहण के लिए आगे का भुगतान।- नवंबर,2006 में, मुंबई में यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की विनिर्दिष्ट इकाई से भवन की खरीद के संबंध में स्थानीय प्राधिकरण अर्थात मुंबई नगर निगम को स्टाप शुल्क एवं अन्य प्रभारों का भुगतान। - चेन्नै में टी एन एस सी बी से कार्यालय आवास की खरीद के लिए, कोलकाता में एल टी यू के लिए कार्यालय आवास तथा अन्य छोटे संभावित प्रस्तावों के लिए भुगतान।	ऐसे मामलों में भुगतान कई औपचारिकताओं पर निर्भर करती है जिसमें विभिन्न संबंधित प्राधिकारणों से परामर्श शामिल है।	सी बी ई सी द्वारा प्रयोग के लिए नई दिल्ली में एन बी सी सी से कार्यालय स्थान की खरीद के लिए मार्च, 2008 में 30 करोड़ रू. का अग्रिम भुगतान किया गया। कार्यालय आवास के आंतिरक सज्जा का 75% काम पूरा हो जाने पर कार्य 2010 तक एन बी सी सी तक एन बी सी सी का 7.95

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
								करोड़ रू. का खंड भुगतान भी किया गया। अन्य भुगतान नहीं किए गए क्यों कि एन बी सी सी द्वारा समापन प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है जो एन बी सी सी और सीबीईसी के बीच उप पट्टा अनुबंध के लिए आवश्यक है। एस यू यू टी आई से मुंबई में खरीदे गए भवन के संदर्भ में स्थानीय प्राधिकरण अर्थात वृहत मुंबई नगर निगम को स्टाप शुल्क एवं अन्य प्रभारों की अदायगी अभी तक लंबित है क्योंकि स्टाप शुल्क की दर से संबंधित विवाद का अभी निपटारा नहीं हुआ है। चेन्नै में टी एन एस सी बी से और कोलकाता में एल टी यू कार्यालय आवास खरीदने के अन्य प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। 7.00 करोड़ रू. के संशोधित बजट के

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
5.	**मुख्य शीर्ष 4216 - आवासीय स्थान का अधिग्रहण**	आवासीय स्थान की कमी को पूरा करने के लिए	4.00	4.00	आवासीय स्थान की खरीद से आवश्यकता की पूर्ति होगी ।	शिलांग में आवासीय परिसर की खरीद तथा चल रही अन्य परियोजनाओं के संबंध में भुगतान किए जाने की संभावना है।	इस प्रस्ताव में जीएफआर में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सी पी डब्ल्यूडी, शहरी विकास मंत्रालय एसएफसी आदि से अनापत्ति प्राप्त करनी होती है।	समक्ष दिसम्बर, 2011 तक कोई व्यय नहीं किया जा सका। नेशनल गेम्स हाउसिंग काम्प्लैक्स रांची में 67 फ्लैट की खरीद हेतु 12.04 करोड़ का दो किस्तों में भुगतान किया जाना था। अधिग्रहण के समय 1.24 करोड़ का बकाया भुगतान किया जाएगा। शिलांग में आवासीय परिसर की खरीद के प्रस्ताव को अंतिम रूप नही दिया जा सका। 4.00 करोड़ के संशोधित अनुमान के समक्ष दिसम्बर, 2011 तक कोई व्यय नहीं किया जा सका ।

समग्र निष्पादन

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के समग्र निष्पादन की प्रमुख विशेषताएं

- वर्ष 2010-11 में कुल अप्रत्यक्ष कर राजस्व 3,43,705 करोड़ रू. था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण 39.87% (137,029 करोड़ रू.), सीमा शुल्कः 39.50% (135 780 करोड़ रू.) एवं सेवाकरः 20.63% (70896 करोड़ रू.) था ।
- अप्रत्यक्ष कर राजस्व 2003-04 के 1,47,294 करोड़ रूपए से 133.35% बढ़कर 2010-11 में 3,43,705 करोड़ रू. हो गया ।
- पिछले वर्ष के मुकाबले 2010-11 में सीमा शुल्क के संग्रहण में 62.95% और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संग्रहण में 32.24% की बढ़ोतरी हुई है।
- पिछले वर्ष के मुकाबले सेवाकर संग्रहण में 2010-11 में 40.08% की वृद्धि हुई। इसके अलावा सेवाकर के संग्रहण में 2003-04 (.7,891 करोड़ रू.) के मुकाबले 2010-11 (70896 करोड़ रू.) में सेवाकर संग्रहण में 798% की वृद्धि हुई है। अप्रत्यक्ष कर में सेवाकर का हिस्सा 1995-96 के 1% से बढ़कर 2010-11 में 20.63% हो गया है।
- 2011-12 में, दिसम्बर, 2011 तक, अप्रत्यक्ष कर राजस्व संग्रहण 2,85,787 करोड़ रू. था जिसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 1,05,411 करोड़ रू., सीमा शुल्क 1,12,670 करोड़ रू. और सेवाकर 67,706 करोड़ रू. था।
- दिसम्बर, 2011 तक संग्रहित कुल अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में पिछले वित्तीय वर्ष के तुलनात्मक अवधि की तुलना में 16.10% वृद्धि हुई है। पिछले वित्तीय वर्ष के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर संग्रहण में क्रमशः 7.80%, 13.80% और 37.20% की वृद्धि हुई है।
- सीमा शुल्क संग्रहण की लागत 2007-08 में 0.51% की तुलना में बढ़कर 2009-10 में 1.09% हो गयी है। हालांकि 2010-11 में कम होकर यह 0.67% हो गयी थी। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर संग्रहण की लागत भी 2007-08 में 0.64% की तुलना में बढ़कर 2009-10 में 1.32% हो गयी थी जो कम होकर 2009-10 में 1.00% हो गयी थी अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण की लागत नीचे सारणीबद्ध हैः-

संग्रहण की लागत

शुल्क का शीर्ष	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
सीमा शुल्क	0.77%	0.72%	0.56%	0.51%	0.72%	1.09%	0.67%
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर	0.73%	0.67%	0.63%	0.64%	0.98%	1.32%	1.00%

- अप्रत्यक्ष कर राजस्व 2004-05 की जी डी पी में 5.3% की तुलना में बढ़कर 2009-10 की जी डी पी में 4.0% हो गया है।
- पिछले तीन वर्षों का प्रति कर्मचारी वेतन एवं भत्तों पर व्यय और औसत राजस्व संग्रहण नीचे दिया गया हैः-

वर्ष	प्रति कर्मचारी वेतन एवं भत्तों पर एवं भत्तों पर औसत व्यय (लाख रू.में)	प्रति कर्मचारी औसत राजस्व संग्रहण (करोड़ रू. में)
2008-09	3.22	4.91
2009-10	4.20	4.37
2010-11	4.25	6.25

ई-गर्वेनसः

प्रणाली महानिदेालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना समेकन परियोजना के क्रियान्वयन का काम पूरा कर लिया है। इस समेकित परियोजना के भाग के रूप में क्रियाचित की गई प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं को नीचे दिया गया हैः-

(i) **वाईड एरिया नेटवर्किंगः**- वाईड एरिया नेटववर्क (डब्लू ए एन) :- 20,000 विभागीय उपयोग कर्त्ताओं को नेशनल डाटा सेंटर, डाटा रिप्लीकेान और डी आर साइट से जोड़ते हुए एक आल इंडिया वाइड एरिया नेटवर्क तैयार किया गया है जिससे कि सी बी ई सी के अधिकारियों को नेशनल डाटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी साइट्स से जोड़ा जा सके। वाइड एरिया नेटवर्क को उन स्थानों को छोड़कर जहां कि बड़े-बड़े मद्दे है, क्रियान्वित कर दिया गया है। हेल्पडेस्क की व्यवस्था कर दी गई है जिससे कि उपयोगकर्त्ताओं की डब्लूएएन और एलएएन मुद्दों से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सके।

(ii) **सेस्टम इन्टीग्रेान**- तीन राष्ट्रीय डाटा केन्द्रों यथा दिल्ली में प्राथमिक डाटा केन्द्र और बिजनेस कान्टीन्यूटी साइट और दिल्ली में डाटा रिकवरी साइट स्थापित किये गये हैं। सर्वर्स, स्टोरेज और सुरक्षापरक उपकरण आदि को इन डाटा केन्द्रों में लगा दिया गया है और साफ्टवेयर एप्लीकेशन्स स्थापित कर दिये गये है। जो इन केन्द्रों से चलाये जा रहे हैं।

एक नेटवर्क ऑपरेशन सेन्टर की स्थापना की गई है जिससे कि इन एप्लीकेशन्स का प्रयोग करने वालों की सहायता की जा सके और अवसंरचना की मानीटरिंग की जा सके।

अंतिम तौर पर उपयोग करने वालों की समस्याओं का समाधान करने के लिए और उनके उपयोग के लिये अवसंरचनाओं और एप्लीकेानों में एक हेल्पडेस्क को चालू कर दिया गया है। एक सिंगल साइन-आन एफ्लीकेान की तैयार किया गया है और इसे चालू कर दिया गया है जिससे कि नीतिगत आधार पर सीबीईसी के कर्मचारी विभिन्न एप्लीकेान्स से सम्पर्क कर सकें। एसएसओ को लगभग 19,000 अधिकारियों के लिये तैयार किया गया है।

मेल मेसेजिंग का सामधान डाटा केन्द्रों से आन लाइन किया जा चुका है जिससे कि लगभग 20,000 अधिकारियों को सरकारी ई-मेल अकाउंट प्रदान किये जा सके।

जुलाई, 2011 में प्रणाली और डाटा प्रबंधन महानिदेाालय, सीबीईसी को आईएसओ/आईईसी 27001:2005 मानक का प्रमाणपत्र दिया गया है।

(iii) **लोकल एरिया नेटवर्क्स(एलएएन)**- लगभग 1160 भवनों में सीबीईसी के उपयोकर्त्ताओं के लिये लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिसमें आई टी हार्डवेयर जैसे कि थिन क्लाइन्ट्स, नेटवर्क प्रिन्टर्स, प्रिन्टर सर्वर्स और स्कैनर्स आदि प्रदान किये गये है। एल ए एन का प्रयोग करके आयुक्तालय, कस्टम्स हाउस, निदेशालय प्रभाग आई सी डी लैंड कस्टम्स स्टेशन्स और सेन्ट्रल एक्साइज/सर्विस टैक्स रेन्जेस का सम्पर्क/पहुंच केन्द्रीय कम्प्यूटिंग सुविधा तक हो सकेगा ।

सीबीईसी के बड़े-बड़े एप्लीकेशनों को अब सिंगल नेटवर्क और कम्प्यूटिंग फेसिटिलिटी से जोड़ दिया गया है इसका ब्यौरा इस प्रकार हैः-

सीमा शुल्क

आईसीईएस 1.0 के स्थान पर सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस 1.5) के उन्नत संरकरण को लगाने का कम सीमा शुल्क के सभी 41 कार्यालयों में अप्रैल, 2011 में पूरा हो गया है। अब आईसीईएस 1.5 को 100 से अधिक सीमा शुल्क केन्द्रों लगाया जा रहा है। इस एप्लीकेशन में जो नई प्रणालियां आई हैं उनमें शामिल हैं। सेवाकर की आनलाइन वापसी की सुविधा जो कि एसीईएस से आईसीईएस जोड़ने की दिशा में प्रारंभिक कदम था डीएफआईए लाइसेंसों का आनलाइन पंजीकरण, केन्द्रीकृत बाण्ड प्रबंधन। अन्य माड्यूल्स जैसे कि बहुमूल्य कार्गों का स्वचालन आर एम एस के साथ बेहतर संयोग और एसईजेड के साथ आनलाइन इंटरफेस का काम प्रगति पर है।

आई सी ई जी ए टी ई एक अवसरंचना परक परियोजना है जो कि विभाग की ईसी/ईडीआई और आंकड़ा सम्प्रेषण संबंधी जरुरतों को पूरी करती है। आईसीईजीएटीई पोर्टल पर व्यापार और कार्गो संवाहकों और सीमा शुल्क विभाग के अन्य ग्राहकों के लिए ई-फाइलिंग की सुविधायें उपलब्ध है। इस सुविधा के माध्यम से विभाग सेवाओं का एक समूह प्रदान करता है जिसमें आगम पत्रों (आयात माल की घोषणा) की ई-फाइलिंग, शिपिंग बिल्स (निर्यात माल की घोषणा) की ई-फाइलिंग तथा सीमा शुल्क विभाग और व्यापरिक साझीदारों के बीच इलेक्ट्रानिक संदेश वाहन शामिल हैं। इसके अलावा इसमें दस्तावेजों की ट्रैकिंग इ-पेमेंट आई पी आर का आन लाइन पंजीकरण विभिन्न अन्य प्रमुख वेबसाइटों से सम्पर्क, सम्प्रेषण सुविधाओं का प्रयोग (ई-मेल-वेब अपलोड एवं एफ टी पी) भी शामिल है जिनमें नयाचार संप्रेषण का सामान्यतया इन्टरनेट पर प्रयोग होता है। इसके अलावा सीमा शुलक और विभिन्न विनियामक और लाइसेसिंग एजेन्सियों जैसे कि डीजीएफटी, आर बी आई और डीजीसीआईएस के बीच आईसीईजीएटीई के माध्यम से आंकड़ों का आदान-प्रदान होता है। सभी इलेक्ट्रानिक दस्तावेजों/ संदेशों जिनकी देखरेख आईसीई जीएटीई पर होती है पर सीमा शुल्क में आईसीईएस 1.5 के प्रयोग से कार्रवाई होती है।

अगस्त, 2011 में ई-गवर्नेन्स के लिए आईसीईगेट परियोजना को 2011 का एसकेओसीएस डिजिटन इन्क्लूजन अवार्ड प्रदान किया गया था। आईसीगेट को नवम्बर, 2011 में ताइपे में ऐशिया पैशिफिक कौन्सिल फार ट्रेड फेसिलिटेशन एंड इलेक्ट्रानिक बिजनेस (एएफएसीटी) द्वारा ई-ऐशिया पुरस्कार प्रदान किया गया है।

जोखिम प्रबंधन प्रणाली को समुन्नत किया गया है और इसको डाटा केन्द्रों के सेन्ट्रल कम्प्यूटिंग फेसिलिटी पर स्थापित भी कर दिया गया है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य भारतीय सीमा शुल्क प्रशासन को इस लायक बनाना है कि वे व्यापार सुविधाओं और प्रवर्त्तन के बीच एक संतुलन कायम कर सकें। जोखिम प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत आयातकों द्वारा भारतीय सीमा शुल्क ई डी आई प्रणाली में दायर किये गये आगम पत्रों पर जोखिम की दृष्टि से कार्रवाई होती है और आयातकर्त्ताओं के स्वआकलन के आधार पर बिना जांच किये ही बड़ी संख्या में खेपों को क्लियरेंस दे दी जाती है। अन्य खेपों का आकलन या जांच या दोनों ही किया जाता है जो कि आर एम एस द्वारा निर्धारित जोखिम पर आधारित होता है। आर एम एस जिसके तहत् अच्छा ट्रैक रेकार्ड रखने वाले विशेष ग्राहकों के लिए और उनके लिए जो सीमा शुल्क द्वारा अभिज्ञात विशिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं विश्वसनीय सीमा शुल्क क्लियेरेंस की प्रक्रिया अपनायी जाती है। आर एम एस का क्रियान्वयन चल रही बिजनेस प्रासेस रि-इन्जीनियरिंग और ई गवर्नेंस, जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा किये जाने वाले प्रयास है, की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर का स्वचालन (एसीईएस) एक केन्द्रीय प्रायोजित, वेब आधारित और कार्यवहन आधारित साफ्टवेयर अनुप्रयोग है जिसका उद्देश्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और कार्यवहन आधारित साफ्टवेयर अनुप्रयोग है जिसका उद्देश्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर से संबंधित सभी कार्य प्रक्रियाओं का स्वचालन है जिनमें आनलाइन पंजीकर, रिटर्न की आनलाइन फाइलिंग ओर प्रोसेसिंग, दावों, सूचनाओं और अनुमतियों की आनलाइन फाइलिंग और उत्पाद शुल्क से संबंधित निर्यात रिपोर्टों, विवाद समाधान और लेखा परीक्षा आदि की आन लाइन फाइलिंग और प्रोसेसिंग शामिल हैं। एसीईएस को 23.12.2009 तक सभी 104 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आयुक्तालय में चालू कर दिया

गया है। एसीईएस प्रमाणित सुविधा केन्द्रों को चालू कर दिया गया है। इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउण्टैण्ट्स आफ इंडिया (आईसीएआई), इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एंड वर्क्स एकाउण्टैण्ट्स आफ इंडिया (आईसीडब्लूएआई) और इन्स्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इंडिया के सदस्यों ने इन सीएफसी की स्थापना की है। इस प्रयास का उद्देश्य ऐसे करदाताओं को सेवायें प्रदान करना है जिनके पास आवश्यक आईटी अवसंरचना/संसाधन नही हैं। अतः वे एसीईएस का प्रयोग कर सकते हैं।

डाटा वेयर हउस

सीबीईसी का उद्यम डी डब्ल्यू जिसे 'स्मार्ट व्यू' कहा जाता है, एक वेब आधारित विश्लेषणात्मक समाधान है जो कि विशेष रूप से तेजी से पूंछतांछ करने और अत्याधुनिक विश्लेषण क्षमताओं के लिए तैयार किया गया है जिसमें नवीनतम व्यापार आसूचना उपकरण का प्रयोग होता है। इसमें ऐसी क्षमता है कि यह विभिन्न आन लाइन संव्यवहार प्रणालियों जैसे कि आईसीईएस 1.5 (सीमा शुल्क), एसीईएस (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर रिटर्न) और सस्टेट (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर भुगतान) के आंकड़ों को नियमित पूर्व निर्धारित फ्रिक्वेन्सी पर प्राप्त कर लेता है। सी बी ई सी के डाटा वेयर हाउस को सी बी ई सी के केन्द्रीयकृत समेकित आईटी अवसंरचना पर स्थापित किया गया है। ऐसी आशा है कि यह अप्रत्यक्ष कर आंकड़ों के एक मात्र संग्रह का काम करेगा और सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर आंकड़ों का एक देश व्यायी समग्र परिदृश्य प्रस्तुत करेगा। इससे पहली बार सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर दाताओं की वास्तविक स्थिति का पता लग सकता है। 'स्मार्ट व्यू' एक प्रयोगकर्त्ता अनुकूल इंटरफेस है जिसमें पूर्व निर्धारित रिपोर्ट और बहु आयामी विश्लेषण प्राप्त किया जा सकता है। तथा इसमें तदर्थ पूंछतांछ की भी सुविधा उपलब्ध है। इसमें डाटा खोज और मूलपाठ की खोज करने की क्षमता है जिसका प्रयोग आयात और निर्यात में शमिल प्रविष्टियों की फाइलिंग करने में आर एम डी को सहायता देने में होता है।

अब तक डाटा वेयर हाउस में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर की लगभ्ंग 75 पूर्व निर्धारित रिपोर्ट तैयार हो गई हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रीय कर्यालयों निदेशालयों (डीआरआई, डीजीओवी, डीजीसीईआई आदि) टी आर यू बोर्ड आदि की जरुरतों पर आधारित हैं। इन रिपोर्टों को कोई प्रयोगकर्त्ता सीबीईसी के एप्लीकेशन इंटरफेस पर मउस क्लिक करके प्राप्त कर सकता है। स्मार्ट व्यू का प्रयोग विभाग के प्रयोगकर्त्ताओं के लिए शुरु किय गया है और ब?ी संख्या में अधिकारियों को वृहद इंड यूज ट्रेनिंग दी जा रही है। सी बी ई सी के डाटा वेयर हाउस द्वारा तैयार की गई जानकारी को भी सीबीईसी के बाहर जैसे कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग को प्रदान किया जा रहा है।

सी बी ई सी ने 'टैक्स 360' नामक एक पाइलट परियोजना शुरु की है जो कि डाटा वेय हाऊस का एक विस्तार है। इससे सी बी ई सी, सीबीडीटी और महाराष्ट्र के बिक्री कर प्रशासनों के बीच सीमलेस डाटा एक्सचेंज की सुविधा स्थापित हो गई है और इससे आयकर, सेवा कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और राज्यों के वैट के सभी करदाताओं के चतुर्दिक स्थिति का पता लग जाता है।

उपर्युक्त उपायों का उद्देश्य विभाग ओर इसके ग्राहकों दोनों को सुविधायें प्रदान करना है और इससे शुल्क के आकलन में भी मदद मिलती है और विभाग की निम्नलिखित क्षेत्रों में शक्ति संवर्द्धित होती है यथा-

(क) कार्गो का तेजी से क्लियेरेंस

(ख) चरणों की संख्या, संव्यवहार के समय और लागत में कमी

(ग) गेटवे के माध्यम से सीमा शुल्क दस्तावेजों की ई फाइलिंग आनलाइन आकलन, शुल्क भुगतान और क्लियेरेंस की प्रक्रिया

(घ) कोर बैकिंग सोल्यूशन वाले राष्ट्रीय बैकों के माध्यम से सीमा शुल्क का ई-पेमेंट

(ड.) बैंकों में ड्रा बैक की इलेक्ट्रानिक क्रेडिट

(च) डाक्यूमेंट ट्रैकिंग की सुविधा

(छ) स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन

(ज) प्रक्रियाओं का सरलीकरण

(झ) विभिन्न कर प्रणालियों के बीच सहवर्तीक्रिया

(ञ) मैन्यूअल इन्टरफेस को कम से कम करना

इसके अलावा, सी बी ई सी के डाटा वेयर हाउस को भी चालू कर दिया गया है। इससे पहली बार सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के सभी करदाताओं की चतुदिक स्थिति का पता चल जाता है। डाटावेयर हाउस में एक प्रयोगकर्त्ता अनुकूल इंटरुस है जिससे पूर्व निर्धारित रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है और आयामी विश्लेषण प्राप्त किये जा सकते है साथ ही साथ इसमें तदर्थ पूंछ-तांछ की सुविधा भी उपलबध है। इसमें आंकड़ों और तथ्यों को खोज निकालने की क्षमता भी है। जिसका प्रयोग आयात और निर्यात में शामिल प्रविष्टियों की प्रोफाइलिंग में किया जा रहा है।

स्कैनर्स की प्राप्ति

इलेक्ट्रोनिक स्कैनर्स की प्राप्ति आयात और निर्यात कार्गो कन्टेनरो की स्कैनिग जो कि सीमा शुल्क निकासी के लिए आते है जिससे कि औषधि अस्त्र एवं शस्त्र एवं अन्य अघोषित कार्गो का पता लगाने के लिए किया जाता है, एक पायलेट परियोजना जिसमे एक मोबाईल गामा रे स्कैनर एवं एक पुनस्थापित एक्स रे स्कैनर जवाहर लाल नेहरू पोर्ट न्हावा शेवा पर स्थापित करने के लिए कार्रवाई की गयी थी और जून, 2005 तक इसे पूरा किया गया । पायलेट परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने से एक मुख्य कदम कार्गो निकासी, कंटेनर यातायात के बढ़े हुए परिमाण एवं गैर हस्तक्षेप परीक्षा के द्वारा सुधरा हुआ सीमा शुल्क नियंत्रण को प्रभावी रूप में प्राप्त किया गया है। उत्साहवर्धक परिणामों को देखते हुए 3 मोबाइल स्कैनरों को कांडला, चेन्नै एवं तूतीकोरिन में स्थापित करने एवं 4 स्थाई स्कैनरो को मुम्बई कांडला चेन्नै एवं तूतीकोरन में स्थापित करने के लिए अधिग्रहण हेतु निविदा

आमंत्रित करने की प्राप्ति की प्रक्रिया शुरु की गई है। जहाजरानी मंत्रालय ने मुम्बई, कांडला, चेन्नै एवं तूतीकोरिन में स्कैनरों की स्थापना हेतु भूमि के आबंटन का अनुमोदन कर दिया है। मोबाइल एवं फिक्स्ड स्कैनरों को 2013-14 तक लगाए जाने की आशा है। जे एन पी टी में लगाए गए दोनों प्रकार के स्कैनर संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं। केवल मोबाइल गामा रे स्कैनर को छोड़कर क्यों कि मई, 2011 में मोबाइल 60 सोर्स का प्रतिस्थापन किये जाने के बाद इसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। विगत तीन वर्षों के दौरान इन स्कैनरों द्वारा स्कैन किए गए कंटेनरों की संख्या निम्न प्रकार है:-

वर्ष	स्कैन किए गए कंटेनर	
	मोबाईल स्कैनर	फिक्स्ड स्कैनर
2009-10	88954	44116
2010-11	87303	55286
2011-12(दिसम्बर, 2011)	28253	77079

वर्ष 2009-10 के दौरान फिक्स्ड स्कैनर के जरिए 101 मामले दर्ज किए गए जिनमें जब्त माल का मूल्य 25.78 करोड़ रू. तथा शामिल सीमा शुल्क 3.07 करोड़ रू. था। वर्ष 2010-11 के दौरान 36 मामले दर्ज किये गये जिसमें जब्त माल का मूल्य 8.59 करोड़ रूपये था और इसमें 1.81 करोड़ रूपये का सीमा शुल्क शामिल था। वर्ष 2011-12 (दिसम्बर, 2011 तक) 79 मामले दर्ज किये गये हैं जिनमें जब्त माल का मूल्य 21.29 करोड़ रूपये है जिनमें 4.22 करोड़ रूपये की सीमा शुल्क शामिल हैं।

समुद्री यानों की प्राप्ति

देश के भू क्षेत्रीय जल में सीमा शुल्क की गश्त को और कारगर बनाने के लिये विभिन्न प्रकार के 109 आधुनिक और अत्याधुनिक समुद्री यानों की खरीद के लिए प्रस्ताव किया गया है जो कि उनकी आवश्यकता और उद्देश्य पर आधारित है और इनको तैनात किया जाना है। अतः सी सी ई एः 109 वाहनों की खरीद के लिए 22.02.2007 को 358.19 करोड़ रूपये की मंजूरी दे दी है जिसमें 5 वर्ष स्पेपर्स और 5 वर्ष एएमसी भी शामिल है। एक विश्वस्तरीय निविदा सूचना जारी किये जाने के बाद तथा मंत्रालय द्वारा फर्म की तकनीकी और वाणिज्यिक क्लियेरेंस दिये जाने के बाद ही आदेश दिये गये थे। वर्ग-II के सभी 24 यानों की डिलीवरी हो गई है और उनको मुम्बई (03), गोवा (02), मंगलोर (03), कोचिन (04), पुणे (रत्नागिरि) (02) और अहमदाबाद (उमर गांव), जामनगर (ओखा), कांडला, विशाखापटनम, चेन्नै, ट्रिची, (तूतीकोरिन), ट्रिची (नागापटनम) विशाखापटनम-II (काकीनाडा) कोलकाता और भुवनेश्वर (पारादीप) में आयुक्तालयों में एक-एक वाहनों को तैनात कर दिया गया है। वर्ग-II तके स्वीकृत 22 यानों में से 12 मानों की डिलीवरी हो गई है और उनको मुम्बई (03), जामनगर (02), पुणे (रत्नागिरि) (02), मंगलोर (02), अहमदाबाद (01), गोवा (01), और काण्डला (01) आयुक्तालयों में तैनात कर दिया गया है।

वर्ग-III के सभी 63 यानों (वर्ग-।।क में 30 यान और वर्ग-IIIख में 33 यान) की डिलीवरी हो गई है और उनको मुम्बई (07), गोवा (02), मंगलोर (02), पुणे (04), कोचिन (04), अहमदाबाद (02), जामनगर (02), कांडला (02), चेन्नै (03), विशाखापटनम(01), विशाखापटनम-II(02) गुण्टूर (01) ट्रिची(10), कोलकाता (10) , भवनेश्वर (02), पटना (03), और शीलांग (06) आयुक्तालयों में तैनात कर दिया गया है वर्ग-II के शेष 10 मालों की डिलीवरी भी वित्तीय वर्ष 2011-12 के भीतर हो जाने की पूरी संभावना है।

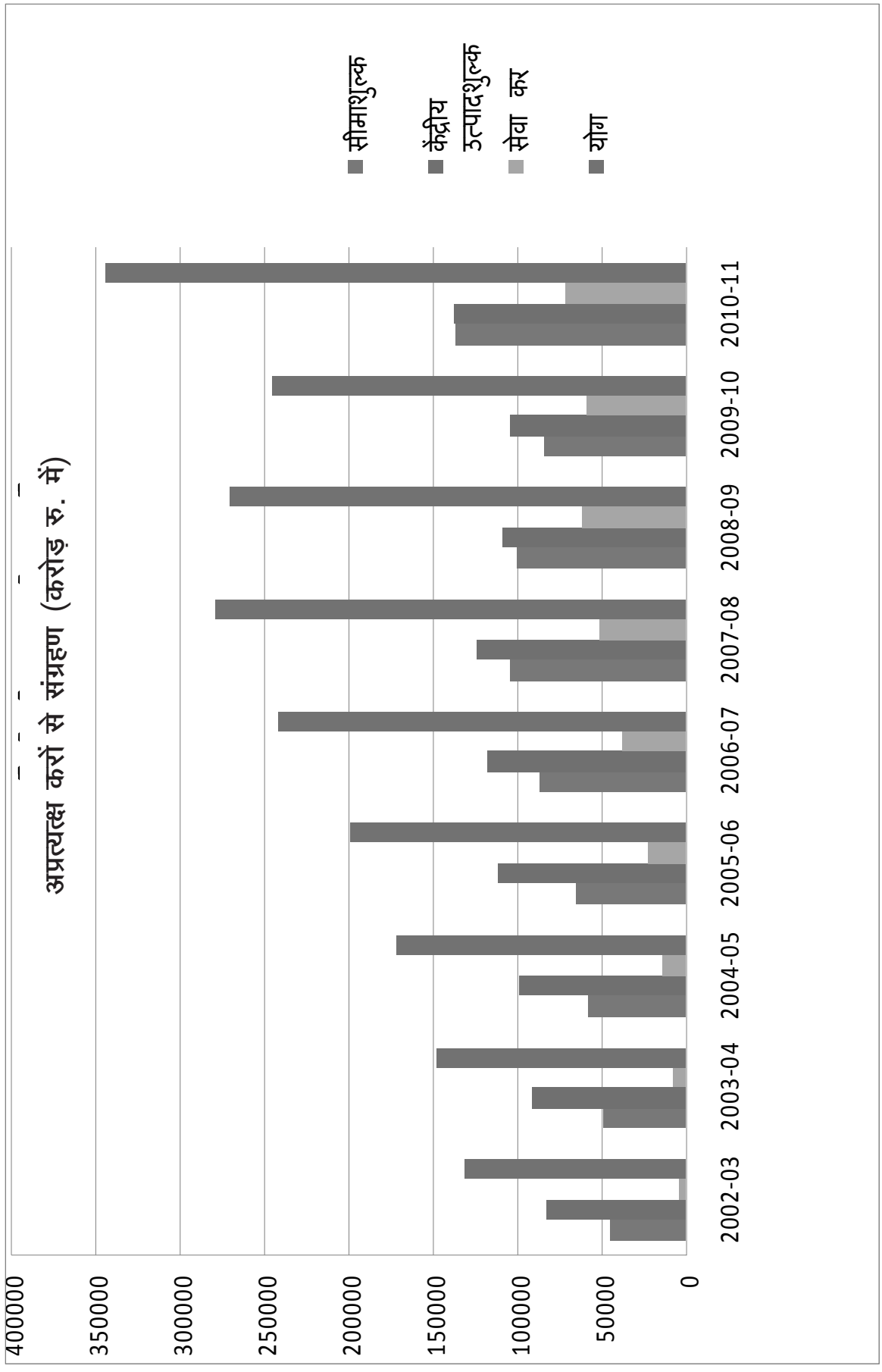
अप्रत्यक्ष करों से संग्रहण (करोड़ रु. में)
सीमाशुल्क
केंद्रीय उत्पादशुल्क
सेवा कर
योग
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11

केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सेवाकर की संग्रहण लागत प्रतिशत में
0.73%
0.67%
0.63%
0.64%
0.98%
1.32%
1.00%
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11

सीमाशुल्क की संग्रहण लागत प्रतिशत में
0.77%
0.72%
0.56%
0.51%
0.72%
1.09%
0.67%
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11

बजट निष्पादन 2012-13 के अंतर्गत योजनाओं की संक्षिप्त स्थिति
अनुदान सं..43 - अप्रत्यक्ष कर

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	स्कीम	2010-11			2011-12			2012-13
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिसम्बर,10) तक	ब.अ.
1.	ई गर्वनेन्स के लिए आई टी सक्षमता को सुदृढ़ करना	150.00	106.00	145.58	150.00	150.00	87.33	150.00
2.	जहाजों एवं बेड़ों का अधिग्रहण	48.00	42.00	21.87	13.50	38.27	1.86	10.18
3.	स्कैनर्स का अधिग्रहण	73.00	36.95	11.33	70.00	43.65	1.09	76.97
4.	कार्यालय परिसरों का अधिग्रहण	132.00	51.00	88.92	40.00	7.00	0.00	28.00
5.	आवासीय परिसरों का अधिग्रहण	11.00	2.00	0.97	4.00	4.00	0.00	4.00
	कुल	**414.00**	**237.95**	**268.67**	**277.50**	**242.92**	**90.28**	**269.15**
	संशोधित अनुमानों की तुलना में प्रतिशतता			112.91			37.16	

वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के योजना-वार वास्तविक व्यय बनाम
बजट अनुमान/संशोधित अनुमान को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	विवरण	मुख्य शीर्ष	2009-10			2010-11			2011-12		
			ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिसम्बर,11) तक
	राजस्व खंड										
1	एम एच- 2037 सीमा शुल्क										
	सीमा शुल्क का संग्रहण	2037	950.29	931.86	901.14	850.26	918.84	903.29	981.51	978.03	726.04
	सीमा शुल्क कल्याण कोष	2037	10.50	9.00	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6.14	0.00
	विदेश मिशन	2037	1.20	1.30	1.30	1.40	1.55	1.55	1.70	2.10	1.70
2	**एम एच-2038 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)**										
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का संग्रहण	2038	1855.67	1831.05	1832.68	1627.10	1827.38	1800.94	1970.27	1964.87	1567.20
	बेन्डरोल्स इत्यादि का मुद्रण	2038	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	निरीक्षण महानिदेशालय	2038	28.62	31.51	30.93	27.97	30.48	30.32	31.83	34.76	25.54
	पद्धति एवं डाटा प्रबंधन	2038	146.64	157.24	154.22	131.80	83.78	124.97	135.15	134.80	86.61
	सर्तकता 2038	8.52	13.35	12.84	11.38	12.08	11.79	12.61	12.32	8.35	
	सीमा शुल्क , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं नारकोटिक्स राष्ट्रीय अकादमी	2038	21.16	26.37	30.44	21.57	36.58	39.97	37.83	43.37	30.54
	प्रचार एवं लोक संबंध निदेशालय	2038	24.68	24.64	24.91	26.29	27.02	27.01	30.21	31.35	12.17
	केन्द्रीय उत्पाद कर आसूचना निदेशालय	2038	32.35	31.21	25.45	27.56	29.33	25.93	30.73	32.92	21.86
	अन्य कार्यालय	2038	8.35	14.54	15.60	11.97	12.87	11.37	13.50	12.88	8.56

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	विवरण	मुख्य शीर्ष	2009-10			2010-11			2011-12		
			ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिसम्बर,11) तक
3	**एम एच-2216 आवास)**										
	आवास अनुरक्षण एवं सुधार	2216	6.50	8.00	5.39	6.00	4.75	2.29	6.00	5.30	1.45
4	**एमएच-3606 सहायता सामग्री)**										
	सहायता सामग्री एवं संयंत्र	3606	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल-राजस्व खण्ड		**3095.00**	**3080.07**	**3043.43**	**2743.30**	**2984.66**	**2979.43**	**3251.34**	**3258.84**	**2490.02**
	पूंजी खण्ड										
5	**एम एच-4047 सीमा शुल्क)**										
	मेरीन नावों का अधिग्रहण	4047	120.00	102.00	78.64	48.00	42.00	21.87	13.50	38.27	1.86
	कंटेनर स्कैनरों का अधिग्रहण	4047	100.00	57.00	0.00	73.00	36.95	11.33	70.00	43.65	1.09
	मुख्य कार्य	4047	0.20	0.20	0.15	0.20	0.05	0.00	0.05	0.03	0.00
6	**एम एच-4059 कार्यालय स्थान)**										
	तैयार कार्यालय भवनों का अधिग्रहण	4059	50.00	12.00	6.05	132.00	51.00	88.92	40.00	7.00	0.00
7	**एम एच-4216 आवासीय स्थान)**										
	तैयार आवासीय भवनों का अधिग्रहण	4216	19.80	1.80	0.30	11.00	2.00	0.97	4.00	4.00	0.00
	कुल-पूंजी खण्ड		**290.00**	**173.00**	**85.14**	**264.20**	**132.00**	**123.09**	**127.55**	**92.95**	**2.95**
	समग्र जोड़		3385.00	3253.07	3128.57	3007.50	3116.66	3102.52	3378.89	3351.79	2492.97
	वसूलियां		-1.00	-0.50	-0.19	-0.50	-0.50	-5.24	-0.50	-0.50	-0.04
	निवल		3384.00	3252.57	3128.38	3007.00	3116.16	3097.28	3378.39	3351.29	2492.93

वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के शीर्षवार वास्तविक व्यय बनाम

बजट अनुमान/संशोधित अनुमान को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	2009-10			2010-11			2011-12		
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिसम्बर,11) तक
	राजस्व खण्ड									
1	वेतन	2301.00	2333.00	2359.25	2014.73	2356.16	2334.46	2521.00	2500.00	2054.50
2	मजदूरी	10.00	10.00	9.64	10.50	11.18	10.61	12.50	13.00	9.01
3	समयोपरी भत्ता	13.50	12.00	9.57	13.00	10.75	9.10	12.00	10.20	5.06
4	इनाम	23.00	19.00	14.18	20.00	16.80	16.22	20.00	23.15	9.01
5	चिकित्सा	27.50	22.50	19.01	25.00	24.00	21.60	25.00	24.90	14.67
6	घरेलू यात्रा खर्चे	38.00	41.80	42.45	48.00	51.00	50.97	55.00	56.50	39.11
7	विदेश यात्रा खर्चे	0.60	0.54	0.17	0.60	1.75	1.19	1.75	1.75	1.11
8	कार्यालय खर्चे	285.00	232.00	216.66	280.00	233.73	230.35	258.00	257.55	165.54
9	किराया, दर एवं कर	103.00	120.00	109.03	105.00	99.00	95.09	110.00	127.00	69.63
10	प्रकाशन	1.13	1.00	1.08	1.00	1.15	1.22	1.20	1.16	0.58
11	बैक नकद लेनदेन कर	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	अन्य प्रशासनिक खर्चे	8.00	7.70	6.06	1.18	2.10	2.49	3.10	3.00	2.86
13	विज्ञापन एवं प्रचार	22.00	21.00	20.28	24.00	22.80	22.06	26.00	26.96	8.99
14	लघु कार्य	12.00	14.00	10.03	11.50	13.25	7.23	14.00	14.75	2.68
15	व्यावस्यायिक सेवाएं	12.00	12.00	14.10	12.00	13.35	13.12	14.00	16.70	7.61
16	अन्य संविदात्मक सेवाएं	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	अनुदान	0.10	0.09	0.06	0.09	0.09	0.06	0.09	0.09	0.01
18	गुप्त सेवा खर्च	4.15	4.10	4.06	4.20	4.40	4.39	4.80	5.39	3.34

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	2009-10			2010-11			2011-12		
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिसम्बर,10) तक
19	अन्य प्रभार									
	(प्रभारित)	1.20	0.50	0.01	0.50	0.50	0.45	0.50	0.50	0.04
	(मत दिया गया)	1.80	1.84	1.75	2.00	2.15	2.04	2.40	2.60	2.00
20	मशीनरी एवं संयंत्र	20.00	18.00	11.10	20.00	14.50	11.20	20.00	17.50	6.94
21	अंत लेखा स्थानांतरण	10.50	9.00	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6.14	0.00
22	सूचना प्रौद्योगिकी	200.00	200.00	186.41	150.00	106.00	145.58	150.00	150.00	87.33
	कुल-राजस्व खंड	**3095.00**	**3080.07**	**3043.43**	**2743.30**	**2984.66**	**2979.43**	**3251.34**	**3258.84**	**2490.02**
	पूंजी खंड									
	I. कुल मुख्य शीर्ष '4047'									
23	शिप एवं बेड़े का अधिग्रहण	120.00	102.00	78.64	48.00	42.00	21.87	13.50	38.27	1.86
24	तस्करी रोधी उपकरण का अधिग्रहण	100.00	57.00	0.00	73.00	36.95	11.33	70.00	43.65	1.09
25	मुख्य कार्य	0.20	0.20	0.15	0.20	0.05	0.00	0.05	0.03	0.00
	कुल - मुख्य शीर्ष '4047'	**220.20**	**159.20**	**78.79**	**121.20**	**79.00**	**33.20**	**83.55**	**81.95**	**2.95**
	II. मुख्य शीर्ष '4059'									
26	तैयार कार्यालय परिसर की खरीद	50.00	12.00	6.05	132.00	51.00	88.92	40.00	7.00	0.00
	III. मुख्य शीर्ष '4216'									
27	तैयार आवासीय परिसर की खरीद	19.80	1.80	0.30	11.00	2.00	0.97	4.00	4.00	0.00
	कुल - पूंजी खण्ड	**290.00**	**173.00**	**85.14**	**264.20**	**132.00**	**123.09**	**127.55**	**92.95**	**2.95**
	समग्र योग	**3385.00**	**3253.07**	**3128.57**	**3007.50**	**3116.66**	**3102.52**	**3378.89**	**3351.79**	**2492.97**
	वसूलियां	**1.00**	**0.50**	**0.19**	**0.50**	**0.50**	**-5.24**	**0.50**	**0.50**	**0.04**
	निवल	**3384.00**	**3252.57**	**3128.38**	**3007.00**	**3116.16**	**3097.28**	**3378.39**	**3351.29**	**2492.93**

वित्तीय समीक्षा-
व्यय में प्रवृत्ति का विश्लेषण

वर्ष 2010-11 में कुल व्यय 3102.52 करोड़ रू. था जो वर्ष 2009-10 के 3128.57 करोड़ रू. के व्यय से 0.83% कम था राजस्व खंड में कमी 2.10% है जो मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय के कारण था।

पूंजी खंड में, 2009-10 के व्यय के समक्ष 2010-11 के व्यय में 44.57% की बढ़ौतरी हुई। यह नई दिल्ली में एन बी सी सी प्लाजा में कार्यालय स्थान की खरीद के संबंध में उच्च व्यय के कारण हुई है।

वर्ष 2011-12 में कुल प्राक्कलित 3351.79 करोड़ रू. का व्यय 2010-11 के 3102.52 करोड़ से 8.03% अधिक है। राजस्व खंड में अनुमानित बढ़ौतरी 9.37% है जो मुख्यतः विभाग में वेतन तथा भत्तों तथा कम्प्यूटरीकरण के संबंध में अधिक व्यय के अनुमान के कारण है।

पूंजी खंड में, 2011-12 में 2010-11 के समक्ष 24.49% की कमी प्रत्याशित है। यह कमी स्कैनरों को लगाने के लिए संबंधित पत्तन प्राधिकरणों से भूमि के अधिग्रहण के समक्ष पट्टा किराए का अनुमानित भुगतान करने और स्कैनरों के प्रापण के लिए भुगतान तथा नई दिल्ली में एन बी सी सी प्लाजा में खरीदे गए कार्यालय स्थल के संबंध में संभावित और भुगतान में कमी के कारण है।

'विज्ञापन एवं प्रचार' के अंतर्गत वर्ष 2010-11 में व्यय 22.06 करोड़ रू. है जो वर्ष 2009-10 के 20.28 करोड़ रू. के व्यय से 8.78% अधिक है। इसका कारण सामान्य रूप से प्रचार कार्यक्रम पर अधिक जोर देने तथा पिछले वर्ष के लंबित बिलों के समाशोधन के कारण है। 2011-12 का प्राक्कलित व्यय 26.96 करोड़ रू. है जो बाहरी एवं विविध मिडिया के जरिए प्रचार के व्यापक अभियानों के कारण 22.21% अधिक है।

वर्ष 2010-11 के दौरान 'सूचना प्रौद्योगिकी' के अंतर्गत व्यय 145.58 करोड़ रू. था जो 2009-10 के 186.41 करोड़ रू. के व्यय से 21.90% कम है। इसका कारण 2010-11 के दौरान कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के समेकन के अधिकतर अवयवों के कार्यान्वयन में कम व्यय है। 2011-12 के लिए प्राक्कलित व्यय 150.00 करोड़ रू. है जो 2010-11 के व्यय से 3.04% अधिक है। इसका कारण है कि भुगतान कम्प्यूटरीकरण के विभिन्न चरणों के सम्पादन से जुड़ा है और भुगतान के कुछ चरण अगले वित्तीय वर्ष में जा सकते हैं।

नौ-पोतों के प्रापण के लिए वर्ष 2010-11 के दौरान व्यय 21.87 करोड़ रू. था जो वर्ष 2009-10 में किए गए 78.64 करोड़ रू. के व्यय से 72.19% कम है। व्यय में कमी का कारण बोटों के निर्माण और परिदान के साथ बोट निर्माताओं के भुगतान का जुड़ा होना है। पोतों के लिए निर्धारित भुगतानों के लिए वर्ष 2011-12 के दौरान किये जाने के लिए संभावित व्यय 38.27 करोड़ रू. है। प्राप्त किए जाने वाले 109 पोतों में से 95 पोत (संवर्ग-I में 24 संवर्ग-II में 08, संवर्ग-IIIक में 30 और संवर्ग-IIIख में 33) दिसम्बर, 2010 तक विभाग को दिए जा चुके हैं।

कंटेनर स्कैनरों के प्रापण के लिए 2010-11 के दौरान कोई 11.33 करोड़ के व्यय की तुलना में 2009-10 में कोई व्यय नहीं किया गया। वर्ष 2011-12 के दौरान संबंधित बंदरगाह प्राधिकरण से भूमि के अधिग्रहण के लिए पट्टा किराया भुगतान तथा स्कैनरों के प्रापण हेतु भुगतान के लिए 43.65 करोड़ रू. व्यय किए जाने की संभावना है।

कार्यालय आवास के अधिग्रहण के लिए वर्ष 2010-11 में व्यय 88.92 करोड़ रू. था जबकि वर्ष 2009-10 में यह व्यय 6.05 करोड़ रू. था। इसमें नई दिल्ली में एन बी सी सी प्लाजा में कार्यालय आवास के लिए भुगतान शामिल है। वर्ष 2011-12 के लिए एन बी सी सी प्लाजा, नई दिल्ली में कार्यालय आवास की खरीद के लिए और भुगतान हेतु प्राक्कलित व्यय 7.00 करोड़ रू. है।

आवासीय भवनों के अधिग्रहणों के लिए 2009-10 में नाममात्र व्यय 0.30 करोड़ रूपये की तुलना में 2010-11 में कोई व्यय नहीं किया गया 2011-12 में विविध, छोटी परियोजनाओं हेतु 4.00 करोड़ रूपये का प्राक्कलित व्यय किया गया।

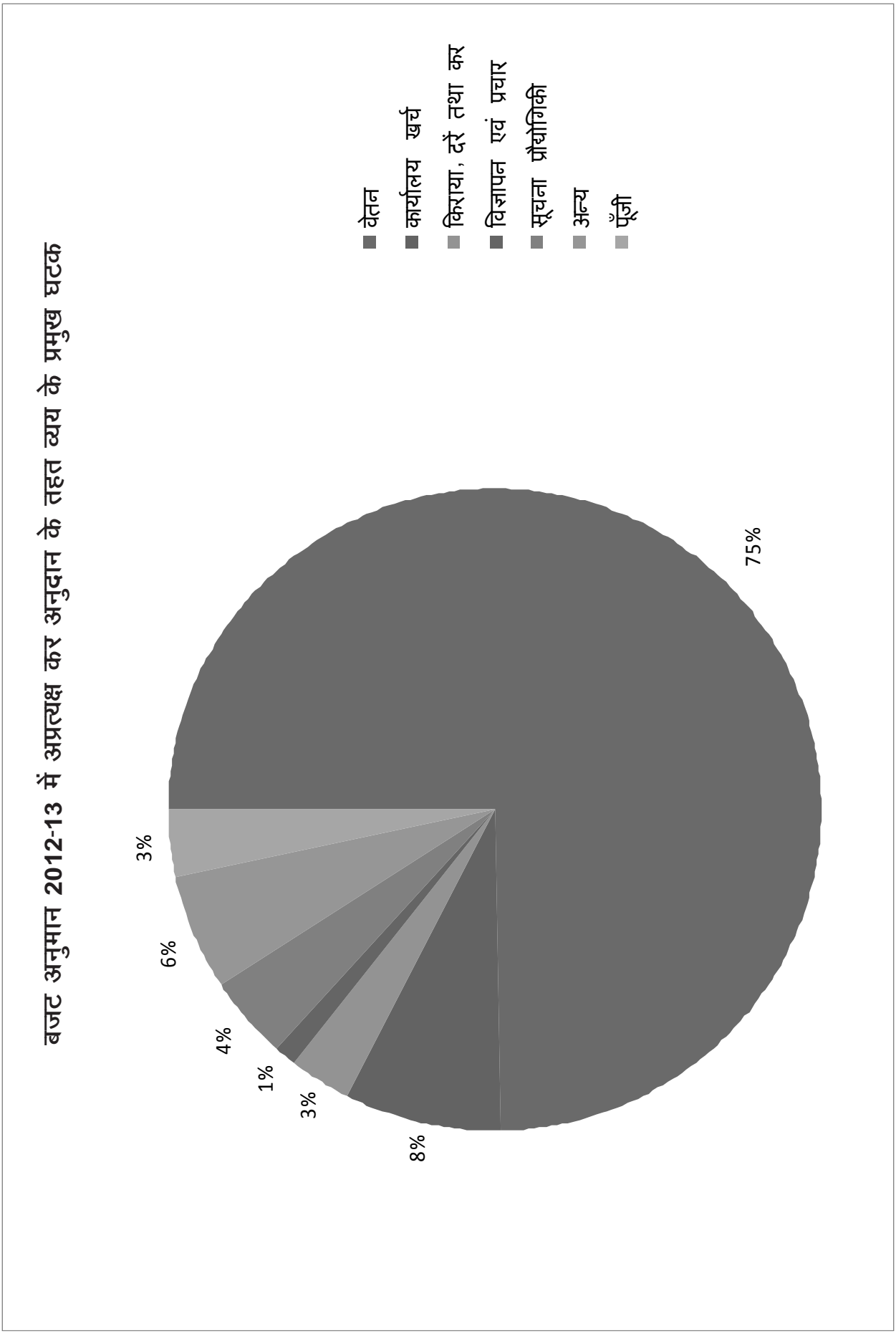
बजट अनुमान 2012-13 में अप्रत्यक्ष कर अनुदान के तहत व्यय के प्रमुख घटक
वेतन
कार्यालय खर्च
किराया, दरें तथा कर
विज्ञापन एवं प्रचार
सूचना प्रौद्योगिकी
अन्य
पूँजी
75%
8%
3%
1%
4%
6%
3%

विनिवेश विभाग

प्रस्तावना

विनिवेा विभाग को निम्नलिखित कार्य के लिए अधिकृत किया गया है:-

(1) (क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से केन्द्र सरकार की इक्विटी के विनिवेश से संबंधित सभी मामले ;

(ख) पूर्ववर्ती केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में केन्द्र सरकार की इक्विटी की बिक्री की पेशकश या निजी व्यवस्था के माध्यम से बिक्री से संबंधित सभी मामले;

(दिनांक 28 जून 2007 की संशोधन संबंधी अधिसूचना के माध्यम से सम्मिलित किया गया)

टिप्पणी: पूर्ववर्ती केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सामरिक भागीदार द्वारा क्रय विकल्प का उपयोग करने से संबंधित और उससे उत्पन्न मामलों सहित विनिवेश के बाद के अन्य सभी मामलों पर, जहां आवयक हो, विनिवेश विभाग के परामर्श से, प्रशानिक मंत्रालय या संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती रहेगी।

(2) पुनर्गठन सहित विनिवेश के तरीकों के संबंध में विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लेना ;

(3) सलाहकारों की नियुक्ति, शेयरों का मूल्य निर्धारण और विनिवेश के अन्य निबंधनों और शर्तों सहित विनिवेश संबंधी निर्णयों को क्रियान्वित करना ;

(4) विनिवेश आयोग;

(5) केवल सरकार की इक्विटी के विनिवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम; और

(6) राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा कराई गई विनिवेश से प्राप्त राशि के उपयोग से संबंधित वित्तीय नीति। (कार्य आबंटन नियमावली में दिनांक 12 जनवरी, 2006 के संशोधन के माध्यम से सम्मिलित)

विभाग के मुखिया सचिव (विनिवेश) हैं, जिनका सहयोग एक अपर सचिव और दो संयुक्त सचिव करते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय निवेश कोष का भी एक पद है।

परिणाम बजट 2012-2013 में परिव्यय का विवरण

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	वर्ष 2012-13 का व्यय (करोड़ रुपए में)			मात्रात्मक परिणाम/ भौतिक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	अभ्युक्तियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भारत सरकार की शेयरधारिता का विनिवेश	संसाधन जुटाना तथा सूचीकरण के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के वास्तविक मूल्य को दर्शाना	55.09	...	...	₹30,000.00 करोड़ रुपए	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में व्यापक वितरण का लक्ष्य हासिल करना। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में आमजन-मानस की भागीदारी के लक्ष्य को हासिल करना सूचीकरण के माध्यम से निगमित नियंत्रण में सुधार करना।	विनिवेश, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की तैयारी सहित सरकार के अनुमोदन और उसके बाद सेबी, आरबीआई आदि द्वारा अनुमोदन पर निर्भर करता है। कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। हालांकि विभाग द्वारा एक रोडमैप तैयार किया जाता है जिस पर नियमित आधार पर निगरानी रखी जाती है।	- बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होना। - घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक मार्केट में उतार-चढाव

सुधारात्मक उपाय तथा नीतिगत पहल

विनिवेश प्रक्रिया को और कारगर तथा पारदर्शी बनाने के लिए इस वर्ष निम्नलिखित उपाय किए गए हैं।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की प्रगति के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं

विभाग ने निगमित नियंत्रण में सुधार लाने की दृष्टि से विनिवेश अधिदेश के दृष्टिकोण को अपनाया है। तदनुसार, यह विभाग लोक उद्यम विभाग के साथ सकारात्मक संवाद करता है। निम्नलिखित दो मुद्दे उल्लेखनीय हैं:-

- किसी केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम को, कपनी के एक सूचीबद्ध कंपनी बन जाने पर ही नवरत्न या मिनीरत्न का दर्जा प्रदान करना (जिससे उद्यम को अधिक वित्तीय स्वायत्तता मिलती है)।
- किसी सफल सार्वजनिक निर्गम (चाहे वह आरंभिक सार्वजनिक पेशकश हो या अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश) में सीपीएसई के प्रबंधन की ओर से बहुत प्रयास और उत्तरदायित्व तथा जवाबदेही से संबंधित दायित्व सम्मिलित होते हैं। लोक उद्यम विभाग समझौता ज्ञापन प्रणाली में इसे उचित मान्यता देने पर विचार कर सकता है।

कंपनियों के सूचीकरण तथा उन्हें सेबी के दिशा-निदेशों का अनुपालक बनाने से उच्चतर प्रकटीकरण स्तर सुनिश्चित होगा जिससे पारदर्शिता, समानता और विश्वसनीयता में वृद्धि होगी।

जागरूकता कार्यक्रम

- ✓ फुटकर भागीदारी में वृद्धि करने के लिए विभिन्न मंचों के माध्यम से निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
- ✓ "सूचीकरण निगमित नियंत्रण में सुधार का औजार" जैसे विषयों पर कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं जिनमें उन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, जिन्होंने सफल विनिवेश किए हैं, को उन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन के साथ अपना अनुभव बांटने के लिए कहा गया, जिन्होंने अपनी सूचीकरण प्रक्रिया आरंभ की है ताकि उनकी चिन्ताओं का निवारण हो सके।
- ✓ सेबी के पास पंजीकृत चुनिंदा ब्रोकरों तथा ब्रोकर संघों के साथ पारस्परिक वार्तालाप सत्र आयोजित किए गए ताकि उनके विचार और सुझाव विशेष रूप से फुटकर भागीदारी में वृद्धि करने हेतु प्राप्त किए जा सकें।

उठाए गए अन्य कदम

- ✓ विपणन श्रृंखला अर्थात ब्रोकरों को प्रोत्साहन तथा प्रोत्साहन राशि का समयबद्ध तरीके से भुगतान।
- ✓ छूट देकर फुटकर निवेशकों को प्रोत्साहन।
- ✓ उन बीआरएलएम का चयन, जिनके पास सशक्त फुटकर नेटवर्क हो।
- ✓ केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की समस्त सार्वजनिक निर्गम प्रक्रिया को संहिताबद्ध करने के लिए विभाग ने विनिवेश संबंधी पुस्तिका तैयार की है और प्रकाशित की है। इस पुस्तिका में समस्त प्रक्रियाओं को और विभिन्न संबंधित पार्टियों की भूमिका को क्रमानुसार स्पष्ट किया गया है।
- ✓ यह सुनिश्चित करने के लिए कि सूचीबद्ध कंपनियां निवेशक समुदाय के साथ निरंतर संवाद बनाए रखें, विभाग ने सभी सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए निवेशक संपर्क संबंधी दिशा-निदेश तैयार किए हैं। सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा निवेशक संपर्क कक्षों की स्थापना की जाएगी।

पिछले कार्यनिष्पादन की समीक्षा

विनिवेश विभाग की कोई योजनाबद्ध अथवा गैर-योजनाबद्ध स्कीम नहीं है। विनिवेश विभाग का समस्त बजट, वेतन, मजदूरी, व्यावसायिक सेवाओं के भुगतान और अन्य प्रशासनिक व्ययों आदि के लिए गैर-योजना बजट के अन्तर्गत आता है। वित्त वर्ष 2011-12 के लिए राजस्व भाग के लिए बजट अनुमान 62.63 करोड़ रुपए था और वित्त वर्ष 2011-12 के लिए संशोधित अनुमान 50.58 करोड़ रुपए रखा गया है।

I.(i) वर्ष 2011-12 के दौरान (दिसंबर, 2011 तक) संपन्न किए गए विनिवेश सौदे

पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड - कंपनी द्वारा 15% प्रदत्त इक्विटी के नए निर्गम के संयोजन में कंपनी की 5% प्रदत्त इक्विटी का घरेलू बाजार में अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से विनिवेश। भारत सरकार की शेयरधारिता 89.78% से घटकर 73.72% रह गई है। इससे सरकार को 1144.55 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है।

(ii) कार्यान्वयन के अधीन विनिवेश सौदे

(क) तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) - कंपनी में सरकारी शेयरधारिता में से 5% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का घरेलू बाजार में अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से विनिवेश। भारत सरकार की शेयरधारिता 74.14% से घटकर 69.14% रह जाएगी। इस विनिवेश की चालू वित्त वर्ष में संपन्न हो जाने की संभावना है।

(ख) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड (बीएचईएल) - कंपनी में सरकार की शेयरधारिता में से 5% की इक्विटी का घरेलू बाजार में अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से विनिवेश। भारत सरकार की शेयरधारिता 67.72% से घटकर 62.72% रह जाएगी। इस विनिवेश की चालू वित्त वर्ष में संपन्न हो जाने की संभावना है।

(ग) नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) - सरकार की शत-प्रतिशत शेयरधारिता में से 10% इक्विटी का विनिवेश। इस विनिवेश की चालू वित्त वर्ष में संपन्न हो जाने की संभावना है।

(iii) सौदों को अनुमोदन की प्रतीक्षा

(क) स्टील औथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) - सेल की 10% की प्रदत्त पूँजी के नये निर्गम के संयोजन में भारत सरकार की 10% प्रदत्त पूंजी की बिक्री की पेशकश के माध्यम से विनिवेश, जो अलग-अलग दो खेपों में किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक में 5% इक्विटी की बिक्री की पेशकश तथा 5% नई इक्विटी का निर्गम शामिल होगा। चूंकि अब सेल के बोर्ड ने निर्णय लिया है कि कंपनी को पूँजी जुटाने की आवश्यकता नहीं है इसलिए प्रस्ताव को संशोधित किया जा रहा है और इसमें केवल सरकार द्वारा विनिवेश ही शामिल होगा।

(ख) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) - कंपनी द्वारा 10% नई इक्विटी के निर्गम के संयोजन में सरकार की शेयरधारिता में से 10% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से विनिवेश। इस विनिवेश का कार्य वित्तीय वर्ष 2010-2011 में कंपनी के मूल्यांकन संबंधी समस्याओं के कारण पूरा नहीं हो सका।

अब, कंपनी ने सूचित किया है कि इसे निधियों की आवश्यकता नहीं है और इसलिए विभाग केवल सरकार की शेयरधारिता में से कंपनी की 10% की इक्विटी के विनिवेश के लिए प्रस्ताव को संशोधित कर रहा है।

(ग) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) - सरकार की शेयरधारिता में से आरआईएनएल की 10% की प्रदत्त इक्विटी के विनिवेश का प्रस्ताव चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया है। सलाहकारों की नियुक्ति के लिए प्रारम्भिक कार्रवाई पूरी कर ली गई है।

(घ) हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) - रक्षा मंत्रालय ने सरकार की शेयरधारिता में से 10% की प्रदत्त इक्विटी के विनिवेश के लिए अपनी सहमति दे दी है। सलाहकारों की नियुक्ति के लिए प्रारम्भिक कार्रवाई पूरी कर ली गई है।

II. वर्ष 2010-11 और 2011-12 (31 दिसम्बर, 2011 तक) के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश के जरिए विनिवेश प्राप्तियों के लिए बजट संबंधी लक्ष्य और प्राप्त राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है: -

वर्ष	बजट लक्ष्य (करोड़ रूपए में)	विनिवेश से प्राप्त धनराशि (करोड़ रूपए में)	अभियुक्ति (करोड़ रूपए में)	
2010-11	40000.00	22144.21	सतलुज जल विद्युत निगम लि.	1062.74
			इंजीनियर्स इंडिया लि.	959.65
			पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	3721.17
			मैगनीज ओर इंडिया लि.	618.76
			कोल इंडिया लि.	15199.44
			शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	582.45
2011-12 (31 दिसम्बर, 2011 तक)	40000.00	1144.55	पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड	1144.55

III. वर्ष 2010-11 में विनिवेश से प्राप्त 22,144.21 करोड़ रुपए और वर्ष 2011-12 में बजट अनुमान के 40,000.00 करोड़ रुपए का उपयोग मंत्रिमंडल द्वारा 05.11.2009 को लिए गए निर्णय के अनुसार सामाजिक क्षेत्र की निम्नलिखित योजनाओं के व्यय को पूरा करने के लिए किया जा रहा है/किया जाएगा।

(करोड़ रुपए में)

योजना का नाम	2010-2011	बजट अनुमान 2011-2012
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)	1700.00	4656.00
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)	2000.00	5000.00
इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)	7000.00	8448.00
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा)	10360.79	18768.00
जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)	1032.00	3076.00
त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी)	52.00	52.00
कुल	**22144.79**	**40000.00**

वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए शीर्षवार व्यय और साथ ही साथ बजट अनुमान/संशोधित अनुमान का उद्देश्य

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	2009-10			2010-11			2011-12		
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय (31.12.2011 तक)
राजस्व भाग										
1	वेतन	3.06	3.06	2.92	2.75	2.79	2.79	2.99	3.34	2.81
2	मजदूरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	समयोपरि भत्ता	0.02	0.01	0.00	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01
4	चिकित्सा उपचार	0.02	0.02	0.03	0.02	0.04	0.03	0.04	0.04	0.02
5	देशीय यात्रा व्यय	0.05	0.04	0.05	0.10	0.40	0.52	0.40	0.40	0.12
6	विदेश यात्रा व्यय	0.04	0.10	0.68	3.00	3.00	2.65	3.00	3.00	0.30
7	कार्यालय व्यय	0.50	0.45	0.45	0.60	1.00	0.95	0.95	1.10	0.88
8	प्रकाशन	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
9	अन्य प्रशासनिक व्यय	0.03	0.02	0.01	0.03	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03
10	व्यावसायिक सेवाएं	15.00	38.46	37.32	56.80	56.04	56.06	55.14	42.57	18.88
11	सूचना प्रौद्योगिकी (अन्य प्रभार)	0.05	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.05	0.07	0.05
	कुल राजस्व भाग	**18.78**	**42.20**	**41.48**	**63.36**	**63.36**	**63.05**	**62.63**	**50.58**	**23.10**
	पूंजीगत भाग	2240.00	0.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	सकल योग	**2258.78**	**42.20**	**41.48**	**63.36**	**63.36**	**63.05**	**62.63**	**50.58**	**23.10**

व्यय में समग्र प्रवृत्ति का विश्लेषण

इस अनुदान के तहत समग्र राजस्व व्यय वर्ष 2009-10 में ₹41.48 करोड़ और वर्ष 2010-11 में ₹63.05 करोड़ तथा वर्ष 2011-12 में (दिसंबर, 2011 तक) ₹23.10 करोड़ था। यह व्यय मुख्यतः विभाग के सचिवालय की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए है।

संगठनात्मक ढांचा

विनिवेश विभाग

वित्त मंत्री

↓

सचिव

↓

अपर सचिव एवं मुख्य सतर्कता अधि. (श्री सिद्धार्थ प्रधान)

I. निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत आने वाले के.स.क्षे. के उद्यमों में विनिवेश से संबंधित सभी मामले
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस
- रसायन एवं उर्वरक
- कृषि
- उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण
- वित्त
- वाणिज्य एवं उद्योग
- सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यम उद्योग
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

II. निम्नलिखित से संबंधित मामलेः
- नीति
- मीडिया
- आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति से संबंधित दस्तावेज और अनुवर्ती कार्रवाई
- समन्वय
- श्रमिक (वीआरएस/वीएसएस) मामले
- विनिवेश आयोग (शेष मामले)
- निवेश आयोग

III. विनिवेश विभाग के शिकायत अधिकारी

संयुक्त सचिव (श्री आलोक टंडन)

I. निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत आने वाले के.स.क्षे. के उद्यमों में विनिवेश से संबंधित सभी मामले
- कोयला
- विद्युत
- खान
- इस्पात

II. निम्नलिखित से संबंधित मामलेः
- सामान्य प्रशासन
- स्थापना
- संसद
- आर एंड आई अनुभाग
- बजट
- रोकड़
- विविध

III. विनिवेश से संबंधित डाटा का प्रबंधन

संयुक्त सचिव (श्री प्रमोद अग्रवाल)

I. निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत आने वाले के.स.क्षे. के उद्यमों में विनिवेश से संबंधित सभी मामले
- भारी उद्योग एवं लोक उद्यम
- रक्षा
- आण्विक ऊर्जा
- अंतरिक्ष
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा
- शहरी विकास
- गृह एवं शहरी विकास
- आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन

II. निम्नलिखित के लिए नोडल अधिकारी
- ई-गवर्नेंस
- सूचना प्रौद्योगिकी
- विनिवेश विभाग की वेबसाइट
- आईपीवी6 नीति कार्यान्वयन

III. सूचना के अधिकार के तहत अपीलीय प्राधिकारी

*मु.का.अधि. एनआईएफ

I. निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत आने वाले के.स.क्षे. के उद्यमों में विनिवेश से संबंधित सभी मामले
- रेल
- शिपिंग
- नागरिक उड्डयन
- जल संसाधन
- संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी
- सूचना एवं प्रसारण
- पर्यटन
- सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का विकास
- कपड़ा

II. राष्ट्रीय निवेश कोष

* मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय निवेश कोष